सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-01

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

बिहार सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या–01

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय–I अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया	1.3	5
राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि/प्राप्ति	1.4	11
लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद घाटा/बकाया देनदारियाँ	1.5	16
अध्याय–II राज्य का वित्त		
परिचय	2.1	19
2021–22 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन	2.2	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	20
राज्य के संसाधन	2.4	21
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.5	36
लोक लेखा	2.6	58
लोक दायित्व प्रबंधन	2.7	63
नकद शेष का प्रबंधन	2.8	77
निष्कर्ष	2.9	80
अनुशंसाएँ	2.10	81
अध्याय–III बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	83
विनियोग लेखे	3.2	88
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	88
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.4	94
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	102
अनुदान संख्या–01 "कृषि विभाग"	3.5.1	103
अनुदान संख्या–36 "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग"	3.5.2	106
विशिष्ट बजट की समीक्षा	3.6	111
जेंडर बजट की समीक्षा	3.6.1	111
बाल कल्याण बजट की समीक्षा	3.6.2	114
हरित बजट की समीक्षा	3.6.3	116
परिणाम बजट और उस पर उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा	3.7	119
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बजट प्रावधानों की समीक्षा	3.8	123
निष्कर्ष	3.9	125
संकेतक	3.10	126
अनुशंसाएँ	3.11	126

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–IV लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार		
राज्य सरकार के ऋण (गैर बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.1	127
ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना	4.2	128
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	4.3	128
स्थानीय जमा निधि	4.4	129
उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.5	131
सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	4.6	133
व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता	4.7	135
लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग	4.8	136
मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	4.9	139
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	4.10	141
नकद शेष का समाशोधन	4.11	142
लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	4.12	142
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	143
एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है	4.14	144
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	4.15	145
लेखे की गुणवत्ता और समयबद्धता	4.16	146
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि	4.17	146
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	147
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन	4.19	147
चेक एवं विपत्र	4.20	148
एकल नोडल लेखे (एस0एन0ए0)	4.21	148
निष्कर्ष	4.22	151
अनुशंसाएँ	4.23	151
अध्याय–V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)		
सरकारी कम्पनियों की परिभाषा	5.1	153
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	153
एस0पी0एस0ई0 एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.3	153
एस0पी0एस0ई0 में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	155
एस0पी0एस0ई0 से प्रतिफल	5.5	155
ऋण भुगतान	5.6	157
एस0पी0एस0ई0 का वित्तीय निष्पादन	5.7	158

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0	5.8	161
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	164
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	164
एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.11	165
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण–सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12	166
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम	5.13	167
निष्कर्ष	5.14	168
अनुशंसाएँ	5.15	168

परिशिष्ट			
क्रम सं0	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1.1	171
1.2	31 मार्च 2023 तक बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.3.2	172
2.1	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	2.3	173
2.2	ऋण की नकारात्मक शेष राशि	2.5.3.3	177
3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)	3.3.2	179
3.2	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	180
3.3	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	3.3.3	182
3.4	कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ या अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग	3.3.4	183
3.5	कुल प्रावधान में से 20 प्रतिशत एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोजन	3.3.4	186
3.6	2018–19 से 2022–23 के दौरान सतत् बचत (₹ 200 करोड़ और उससे अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदान	3.3.4	188
3.7	2022–23 में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक निधि के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	190
3.8	अनुदानों/विनियोगों का शत् प्रतिशत अनुपयोगी रहना (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ और उससे अधिक)	3.4.1	191
3.9	मार्च 2023 माह में सघन व्यय	3.4.6	193

विषय सूची

परिशिष्ट			
क्रम सं0	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.10	शत् प्रतिशत व्यय मार्च 2023 में किया जाना (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)	3.4.6	194
3.11	गैर–आकस्मिक व्यय के लिए आकस्मिक निधि से आहरण	3.4.7	196
4.1	उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता, जिनके लेखे मार्च 2023 तक बकाया थे	4.14	198
4.2	निकायों या प्राधिकरणों, जिन्होंने नि0म0ले0प0 को लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं सौंपी है	4.15	200
5.1	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची	5.3	202
5.2	31 जुलाई 2023 तक सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	5.3	204
5.3	2011–12 से 2022–23 की अवधि के दौरान, एस0पी0एस0ई0 में निवेशित निधियों को दर्शाती विवरणी	5.7.3	207
5.4	31 जुलाई 2023 तक संचित हानियों वाले एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	5.8.2	211
5.5	31 जुलाई 2023 तक, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, बकाया लेखाओं से संबंधित सूचना	5.11.2	213
	संकेताक्षरों की शब्दावली		217

प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0सी0), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2022–23 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन का भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन पाँच अध्यायों में संरचित है।

अध्याय I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा और बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति (31 मार्च 2023) के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

अध्याय II सरकार के घाटे के प्रबंधन, राजस्व और पूँजीगत व्यय में रुझान, आकस्मिक मुद्दों, प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश और उधार प्रतिरूप में गहन जानकारी प्रदान करता है। यह वर्ष 2022–23 के लिए बिहार सरकार के वित्त का लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय III बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढ़ंग का वर्णन करता है।

अध्याय IV चालू वर्ष के दौरान लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों का वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय V 'राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश' प्रदान करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नि0म0ले0प0 का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहारों और राज्य वित्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु एवं महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के संक्षिप्त परिदृश्य के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजटीय उद्देश्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ, राजस्व और व्यय अनुमान, विविधताओं के कारणों और उसके प्रभाव आदि पर प्रकाश डालता है।

वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0), 10.10 प्रतिशत की औसत वृद्धि से वर्ष 2018–19 के ₹ 5,27,976 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 7,51,396 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय (व्यय) 2018–19 के ₹ 1,60,317.66 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 2,35,176.84 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021–22 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 08.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जी0एस0डी0पी0 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021–22 के 24.42 प्रतिशत से गिरकर 2022–23 में 22.98 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में राजस्व संग्रह में 10.55 प्रतिशत और राज्य के स्व कर संग्रह में पूर्व वर्ष 2021–22 की तुलना में 26.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2021–22 के ₹ 1,84,377 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹ 2,17,553 करोड़ हो गया जो 17.99 प्रतिशत था। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2021–22 की तुलना में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। राजस्व घाटा 2,572.12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021–22 के ₹ 422.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,288.20 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा 2021–22 के ₹ 25,551.26 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में 75.43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 44,823.30 करोड़ हो गया।

प्राप्ति–व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्व कर राजस्व, गैर–कर राजस्व, संघीय करों में राज्य के हिस्से का अंतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान का अंतरण एवं गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व व्यय के साथ–साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति सृजन, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) भी शामिल है।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक राजस्व प्राप्तियाँ 8.46 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 1,31,794 करोड़ से बढकर ₹ 1,72,688 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 20,493 करोड़ से बढ़कर ₹ 48,325 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी 2018–19 के 18.70 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 16.81 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 22,237.18 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती

है। राजस्व व्यय 2018–19 से 2022–23 के दौरान ₹ 1,24,897 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 23.66 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,83,976 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 24.48 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (84.57 से 90.67 प्रतिशत) रहा, और 12.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। बिहार का राजस्व अधिशेष राज्य, वर्ष 2018–19 में ₹ 6,896.64 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 1.31 प्रतिशत) से धीरे–धीरे घटकर चालू वर्ष में राजस्व घाटा ₹ 11,288 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का (–)1.50 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय ₹ 31,520 करोड़ किया। यह वर्ष 2022–23 में कुल व्यय का 14.49 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय कुल उधारी का 24.26 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई शेष निधियों का उपयोग पूँजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान उपभोग को पूरा करने एवं उधार की वापसी के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर–ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018–19 के ₹ 13,806.76 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 2.62 प्रतिशत) से बढ़कर 2022–23 में ₹ 44,823.30 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 5.97 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय का परिमाण सबसे बड़ा है। प्रतिबद्ध व्यय, संसाधनों पर सबसे पहले भारित होते हैं और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होते है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 34.30 से 38.66 प्रतिशत, 2018–19 (36.85 प्रतिशत) और 2022–23 (34.30 प्रतिशत) था। प्रतिबद्ध व्यय में 9.0 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई, अर्थात्, 2018–19 के ₹ 46,021.46 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 63,107.43 करोड़ { 2021–22 के सापेक्ष 9.55 प्रतिशत (₹ 57,604.03 करोड़) की वृद्धि} लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें सुधार परिलक्षित हुआ।

सब्सिडी गैर–प्रतिबद्ध व्यय का प्रमुख भाग

गैर–प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी में वृद्धि की प्रवृत्ति है, जो 2018–2019 के ₹ 8,323.97 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 14,827.79 करोड़ अर्थात् 2018–19 में कुल राजस्व व्यय का 6.66 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 8.06 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का हिस्सा सर्वाधिक था, जो 68.92 प्रतिशत से लेकर 82.43 प्रतिशत तक था।

गैर–बजट उधारी

राज्य सरकार ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से ₹ 686.77 करोड़, गैर–बजट उधारी के रूप में जुटाए जो राज्य की समेकित निधि के माध्यम से प्रचालित नहीं थे, तथापि बजट के माध्यम से इसे चुकाए जाने और पूर्ति करने की आवश्यकता होगी।

गारंटी के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वित्तीय वर्ष 2022–23 तक, सरकार ने ₹ 25,939.25 करोड़ के ब्याज सहित उधार के सापेक्ष गारंटी प्रदान की थी। विगत पांच वर्षों के दौरान ये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 4.17 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 0.94 प्रतिशत से 3.86 प्रतिशत तक थीं।

केंद्रीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ0आर0बी0एम0) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के मद्देनज़र, बिहार ने निर्धारित सीमा को पार करते हुए विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान अपनी जी0एस0डी0पी0 की 0.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक दर्ज किया है। वर्ष 2022–23 में बकाया गारंटी जी0एस0डी0पी0 का 3.45 प्रतिशत थी। बिहार सरकार ने अपनी संस्थाओं को गारंटी प्रदान की, लेकिन लाभुकों द्वारा किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, न केवल राजस्व का कम संग्रहण हुआ, बल्कि भारत सरकार लेखा मानक–1 (आई0जी0ए0एस0–1) का भी उल्लंघन हुआ।

राजकोषीय स्थायित्व

राजकोषीय स्थायित्व की जांच, वृहत राजकोषीय मापदंडों जैसे घाटे, ऋण एवं देयताओं के स्तर, गैर–बजट उधारी प्रतिबद्धताओं, गारंटियों, सब्सिडियों आदि के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के बेमेल संबंध का मामला है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनमनीय व्यय, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि एवं अन्य अनमनीय व्यय से उत्पन्न होने वाले व्यय, यथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि शामिल थे।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) की बाध्यताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है, जिनके अधीन ही राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रतिशत में होनी चाहिए। वर्ष 2022–23 में राज्य को राजस्व अधिशेष के लक्ष्य के प्रतिकूल राजस्व घाटा हुआ है; राजकोषीय घाटा चार प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 5.97 प्रतिशत और ऋण 40.80 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 39.03 प्रतिशत था।

इसके अलावा, यदि गैर–बजट उधारी की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देनदारी (सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक लेखा देनदारियाँ शामिल) जी0एस0डी0पी0 का 39.13 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, बिहार सरकार का सार्वजनिक ऋण 2018–19 से 2022–23 के बीच बकाया सार्वजनिक ऋण का औसतन 16.23 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बिहार का सार्वजनिक ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात 2018–19 के 23.89 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 32.32 प्रतिशत हो गया, जो ऋण स्थिरीकरण में जोखिम को इंगित करता है।

बिहार 2018–19 से 2022–23 की अवधि में प्राथमिक घाटे वाला राज्य रहा है। वितीय वर्ष 2020–21 को छोड़कर वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की पूरी अवधि के दौरान डोमार गैप (जी0–आर0) सकारात्मक था। डोमार मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों ने, वर्ष 2020–21 को छोड़कर, ऋण स्थिरता (जी0–आर0>0) की शर्त को पूरा किया। डोमार गैप (जी0–आर0) ने कोविड–19 अवधि के बाद पिछले दो वर्षों में वृद्धि की प्रवृति दर्ज की है, जहां डोमर गैप नकारात्मक (2020–21 में) था।

हालांकि वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान, डोमार गैप (जी0–आर0 के रूप में व्यक्त) सकारात्मक था, और इसका मूल्य भी पिछले वर्षों से बढ़ गया था, प्राथमिक घाटा स्थिर नहीं था और 2022–23 में, पिछले वर्ष की तुलना में दो गुणा से अधिक बढ़ गया। इसके अलावा, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा उधार के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो 2018–2023 की अवधि के दौरान 68.82 प्रतिशत और 83.55 प्रतिशत के बीच था।

बजट कार्यकुशलता

समग्र व्यय उत्पादकता (बजट अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजटीय आशय और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच, यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि के सापेक्ष आधिक्य और बचत दोनों प्रकार से उत्पादकता की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 2.46 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा तीन अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (+) 4.84 प्रतिशत था। यह सात अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा पांच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड की 19 अनुदानों में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना की उत्पादकता (पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजट निष्पादन इस बात से भी दिखाई देती है कि निष्पादन के दौरान बजट अनुमान (ब0अ0) बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना की भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0) और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को मापता है। राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वास्तविक उत्पादकता का विचलन (–)19.85 प्रतिशत था। यह 31 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड में, पुन0अ0 की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 14.58 प्रतिशत था। यह 11 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

समग्र बजट उत्पादकता, इस तथ्य को रेखांकित करता है कि निष्पादन के दौरान मूल बजट श्रेणियों में संवर्धन ने व्यय की संरचना की भिन्नता में किस हद तक योगदान किया है।

राजस्व खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 21.65 प्रतिशत था। यह 30 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 23.57 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा आठ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022–23 के दौरान 22 मामलों में ₹ 18,491.79 करोड़ के पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं हुआ।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से पता चलता है कि हालांकि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ–साथ वास्तविक व्यय और कुल बजट के बीच अंतर 22 प्रतिशत से अधिक था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक का विचलन था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में पूरक अनुदान ऐसे थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। इस तरह के विचलन से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजटीय कार्यप्रणाली की आवश्यकता है।

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन उन वस्तुओं, संव्यवहार और घटनाओं को समाहित करता हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेख या समायोजन अभिलेख की प्राप्ति मे देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखे और वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों, जैसे सरकारी लेखे के बाहर निधि का पड़े रहना, देनदारियों का निर्वहन न करना, ऑकड़े के अंतराल और संव्यवहार का गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता हैं।

समाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार की पुस्तकों मे दर्ज आंकड़ों के साथ अपने मासिक/त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक हैं। राज्य सरकार ने कुल प्राप्तियों के 17.11 प्रतिशत तथा कुल व्यय के 24.23 प्रतिशत का समाशोधन नहीं किया।

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई0जी0ए0एस0) का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों की आवश्यकता के संदर्भ में, राज्य सरकार ने आई0जी0ए0एस0–1: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति, आई0जी0ए0एस0–2: सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का लेखांकन एवं वर्गीकरण, आई0जी0ए0एस0–3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, का अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खातों का संचालन

सरकार ने ₹ 1.54 करोड़ के संयुक्त शेष वाले 05 पी0डी0 खातों को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) में स्थानांतरित नहीं किया हैं।

एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) को निधि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एस0एन0ए0 के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।

वित्त लेखा 2022–23 के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 22,481.46 करोड़ प्राप्त किये। 31 मार्च 2023 तक सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त केद्रांश ₹ 22,231.91 करोड़ और राज्यांश ₹ 14,190.40 करोड़ एस0एन0ए0 को अतरित किए। हालांकि, पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, भारत सरकार ने एस0एन0ए0 के तहत सी0एस0एस0 के लिए ₹ 24,398.36 करोड़ जारी किये थे। कुल हस्तांतरित ₹ 36,422.31 करोड़ में से, ₹ 745.69 करोड़ ए0सी0 बिल के माध्यम से, ₹ 52.99 करोड़ छात्रवृति और वजीफा के बिल से,

₹ 5,996.11 करोड़ पूर्ण हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल और ₹ 29,627.52 करोड़ सहायता अनुदान बिल के माध्यम से हस्तांतरित किए गए जो भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0)

निर्धारित समयावधि के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 87,947.88 करोड़ के 41755 यू0सी0 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को प्राप्त नहीं हुए थे।

सार आकस्मिक (ए0सी0) बिलों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) बिल

सार आकस्मिक (ए0सी0) बिल के माध्यम से निकाले गए अग्रिम धन के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 7,489.05 करोड़ के 27392 ए0सी0 बिल, डी0सी0 बिल जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से, ₹ 6,450.17 करोड़ के 26574 ए0सी0 बिल, 2021–22 की अवधि से संबंधित थे।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए है। गैर–अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अनुदान के विरूद्ध, यू0सी0 समय पर जमा न करना, ए0सी0 बिल के विरुद्ध, *डी0सी0 बिल जमा न करना, आई0जी0ए0एस0 का अनुपालन न करना, और एस0एन0ए0 से व्यय के ब्यौरे की आपूर्ति न होने से लेखे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।*

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिहार में तीन सांविधिक निगमों एवं 69 सरकारी कम्पनियों (39 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों सहित) तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित 76 एस0पी0एस0ई0 थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 59 एस0पी0एस0ई0, जिनके 1133 लेखे बकाए थे, द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया गया था। 16 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित कुल ₹ 317.65 करोड़ के लाभ में से, 57.84 प्रतिशत का योगदान केवल तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा दिया गया था। 15 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई कुल ₹ 2,847.74 करोड़ की हानि में से, ₹ 2,798.28 करोड़ की हानि का वहन पाँच उद्यमों के द्वारा किया गया था। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान इन उद्यमों के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव, लाभप्रदता पर ₹ 568.65 करोड़ एवं वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,154.13 करोड़, था।

राज्य सरकार एस0पी0एस0ई0 के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है जिससे वह अपनी वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, ऐसे एस0पी0एस0ई0 में सरकारी निवेश राज्य विधान मंडल के पर्यवेक्षण से बाहर हैं। राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले उद्यमों में हानियों के कारणों का विश्लेषण करते हुए इनके संचालन को कुशल तथा लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

***

अध्याय–I
अवलोकन

अध्याय I

अवलोकन

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2023 को बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। यह 94,163 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बारहवां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य को 38 जिलों में विभाजित किया गया है।

जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा (12.68 करोड़) राज्य है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य की साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य में गरीबी का स्तर अधिक है। ***(परिशिष्ट 1.1)***

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को भी समझना महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

वर्तमान मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर राज्य की जी0एस0डी0पी0 और भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.1** में दी गयी हैं।

तालिका 1.1: जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
जी0डी0पी0 (2011–12 सीरीज)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0)	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
विगत वर्ष की तुलना में जी0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-)1.36	18.36	16.06
विगत वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	(-)1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
बिहार					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 सीरीज)	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी0एस0वी0ए0)	5,10,351	5,59,805	5,51,776	6,42,330	7,40,440
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.64	10.20	(-)2.51	14.64	15.55
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.33	9.69	(-)1.43	16.41	15.27
जी0डी0पी0 से जी0एस0डी0पी0 का प्रतिशत	2.79	2.89	2.86	2.77	2.76
प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 (₹ में)	44,451	48,263	46,367	52,379	59,637

(स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)

जी0वी0ए0– सकल मूल्य वर्धित, जी0एस0वी0ए0– सकल राज्य मूल्य वर्धित

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर अखिल भारतीय वृद्धि दर से कम थी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में, प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर 13.86 प्रतिशत थी, जो प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 के वृद्धि दर 14.86 प्रतिशत से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0) का उपयोग भारत सरकार द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जी0वी0ए0 को जी0डी0पी0 की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि जी0डी0पी0 निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूँजी निर्माण या निवेश पर व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों का योग हो सकता है और यह अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से दर्शाता है। दोनों में शुद्ध करों के वर्णन में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 की प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में बताई गई है।

चार्ट 1.1: जी0एस0डी0पी0 बनाम जी0एस0वी0ए0 की वृद्धि दर (2018–19 से 2022–23)

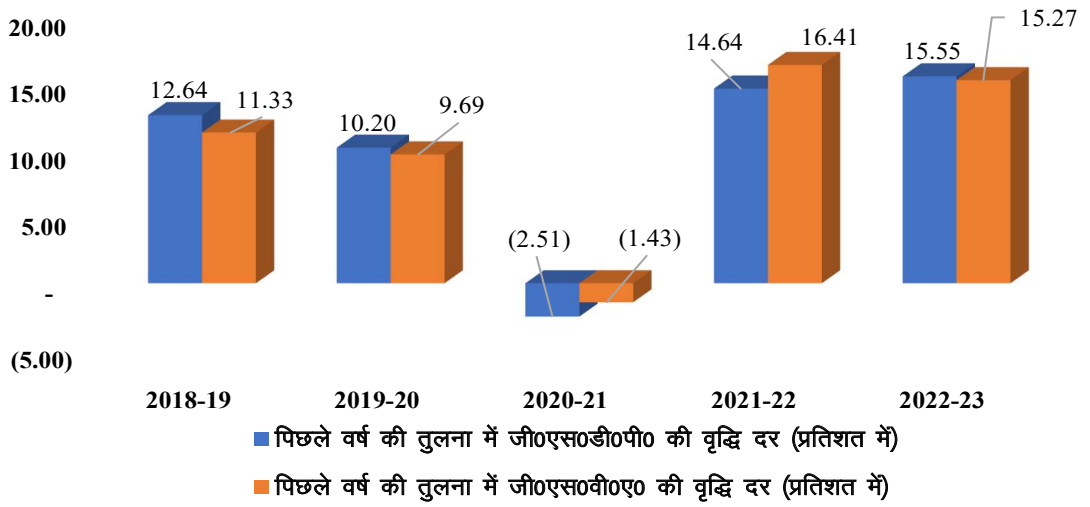

स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

वर्ष 2020–21 के दौरान जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 दोनों की वृद्धि दर नकारात्मक रही। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर के कारण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष 2021–22 में जी0एस0वी0ए0 में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की। वर्ष 2022–23 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर ने पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की, लेकिन जी0एस0वी0ए0 वृद्धि दर द्वितीयक क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण विगत वर्ष के 16.41 प्रतिशत से घटकर 15.27 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 क्षेत्रवार संरचना

आर्थिक गतिविधियों को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न जी0एस0डी0पी0 को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जो मोटे तौर पर क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवाओं के अनुरूप होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियाँ जैसे वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना और खनन के साथ–साथ मुख्य रूप से कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में

विनिर्माण, निर्माण और बुनियादी ढाँचा, बिजली, गैस की आपूर्ति आदि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र में सभी सेवा–संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं। 2022–23 के दौरान जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान क्रमशः **चार्ट 1.2** और **1.3** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2022–23 के लिए क्षेत्र–वार जी0डी0पी0 (प्रतिशत में)

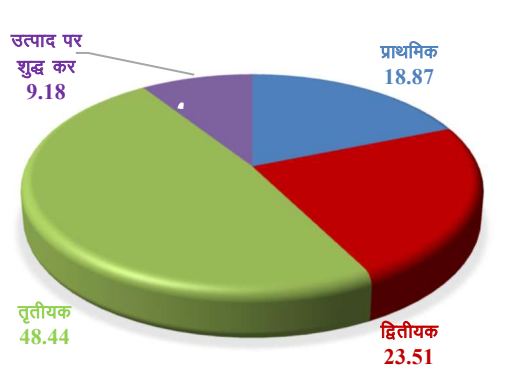

चार्ट 1.3: वर्ष 2022–23 के लिए क्षेत्र–वार जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)

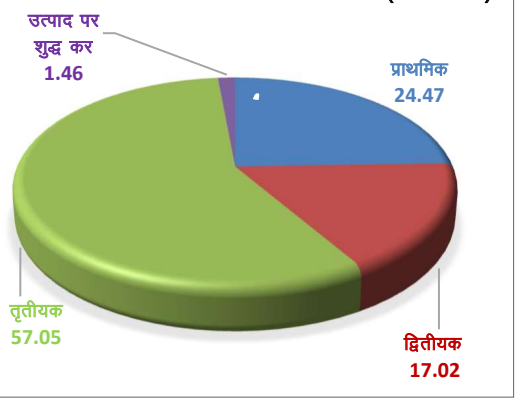

(स्रोतः बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एवं पॉलिसी, बिहार सरकार)
** उत्पाद पर शुद्ध कर = उत्पाद पर कर एवं उत्पाद पर सब्सिडी का अन्तर*

राज्य के जी0एस0डी0पी0 में देश के जी0डी0पी0 की तुलना में सेवा क्षेत्र (8.61 प्रतिशत अधिक) और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों (5.6 प्रतिशत अधिक) का योगदान का उच्च प्रतिशत था। जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 में द्वितीयक क्षेत्र, अर्थात उद्योग और विनिर्माण का योगदान 6.49 प्रतिशत कम था।

जी0एस0डी0पी0 के क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2018–19 से 2022–23 के दौरान जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन को **चार्ट 1.4** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.4: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2018–19 और 2022–23)

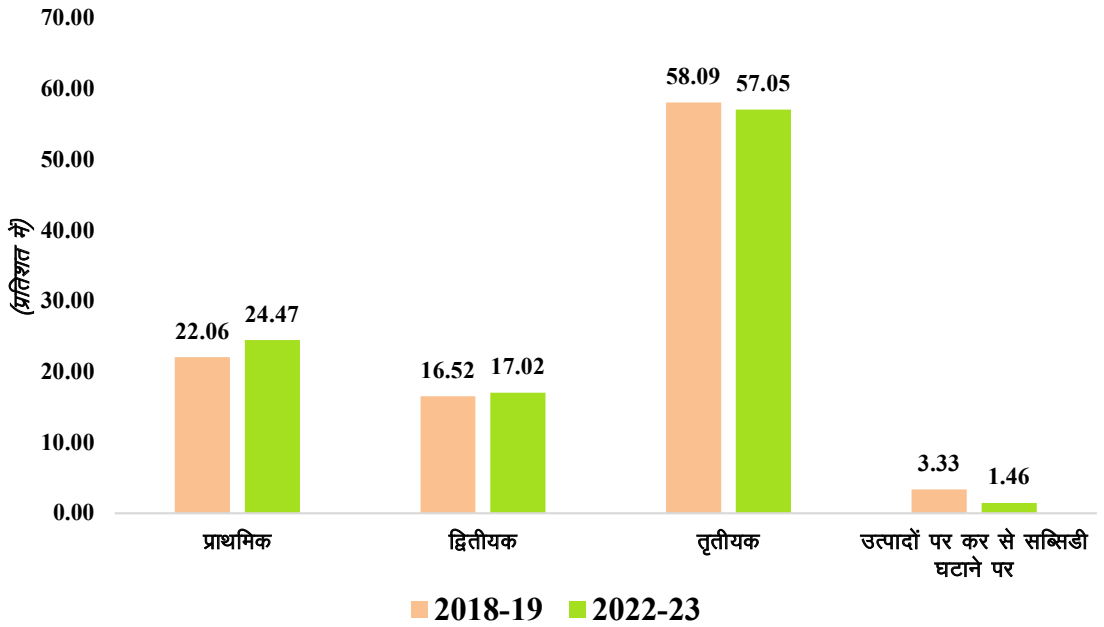

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

वर्ष 2018–19 की तुलना में 2022–23 में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में जी0एस0डी0पी0 की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी में कमी आई है। वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार वृद्धि दर की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.5** दर्शाता है।

चार्ट 1.5: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार वृद्धि का प्रवृत्ति विश्लेषण

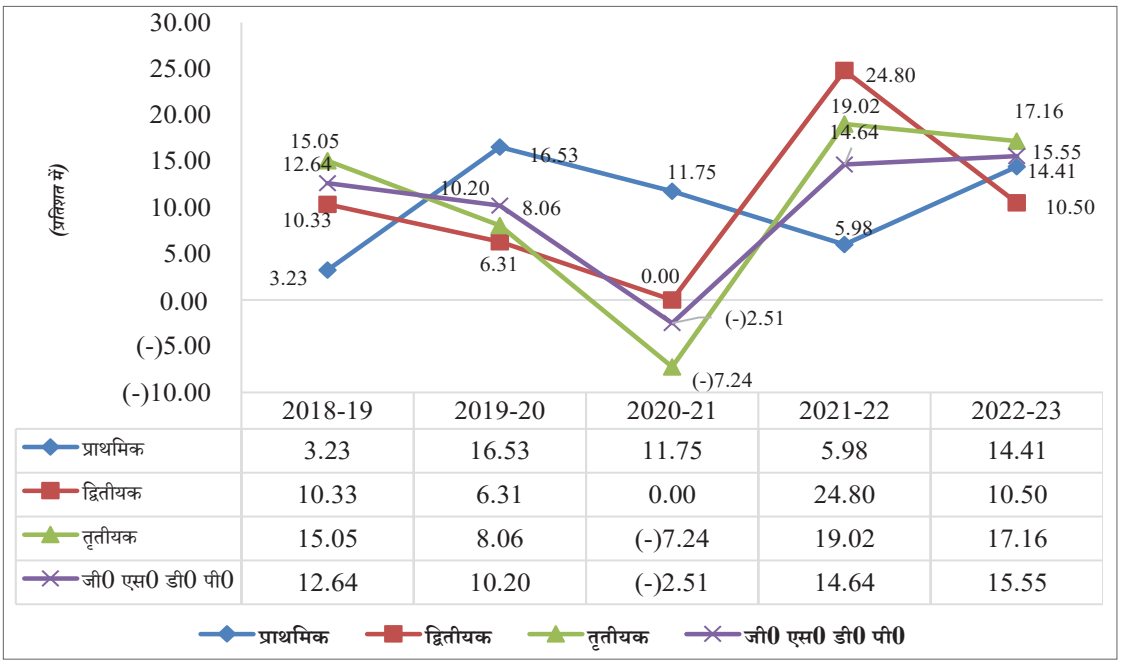

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान, प्राथमिक क्षेत्र की क्षेत्रीय वृद्धि दर में वृद्धि की प्रवृति देखी गई, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में 2021–22 की तुलना में वृद्धि दर में गिरावट देखी गई।

वैश्विक महामारी के कारण 2020–21 में सभी क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.5** दर्शाता है। हालाँकि, 2021–22 के दौरान, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने काफी सुधार दिखा है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट आई है। इसके अलावा वर्ष 2022–23 के दौरान कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में 14.34 प्रतिशत और फसलों के उत्पादन में 14.87 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक क्षेत्र में 14.41 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह तृतीयक क्षेत्र के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवदेन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) का राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना हैं, जो इन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0एफ0ए0आर0) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालानों, प्रांरभिक एवं सहायक लेखों, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालय तथा विभागों, जो इस तरह के लेखों के रख–रखाव के लिए जिम्मेवार हैं, तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणी के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: अनुमानों के साथ–साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागों/प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आँकड़े (लेखा के साथ–साथ एम0आई0एस0);
- जी0एस0डी0पी0 आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- भारत के नि0म0ले0प0 के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें एवं पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग, छठे राज्य वित्त आयोग, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम, 2006, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की अनुशंसा के आलोक में भी यह विश्लेषण किया गया है।

30 जनवरी 2024 को आयोजित 'बर्हिगमन सम्मेलन' के दौरान वित्त विभाग, बिहार सरकार के साथ लेखापरीक्षा विश्लेषण/निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग से प्राप्त जवाबों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

1.3 सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं।

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित किया गया है, इसे राज्यपाल के पास में वैसे आकस्मिक व्ययों, जिनका राज्य मंडल विधायिका से प्राधिकृत किया जाना लंबित है, को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर उपयोग करने के लिए रखा गया है। राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में पुनर्भुगतेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज बनाता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ**: बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर–ऋण प्राप्तियाँ**: विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, और सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन–देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी0जी0ए0 द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य– शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4–अंकीय)
	उप कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2–अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3–अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप–शीर्ष (2–अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2–अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	विषय शीर्ष–वेतन, लघु कार्य, आदि (2–अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। 4–अंकीय मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। विषय शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखे की संरचना

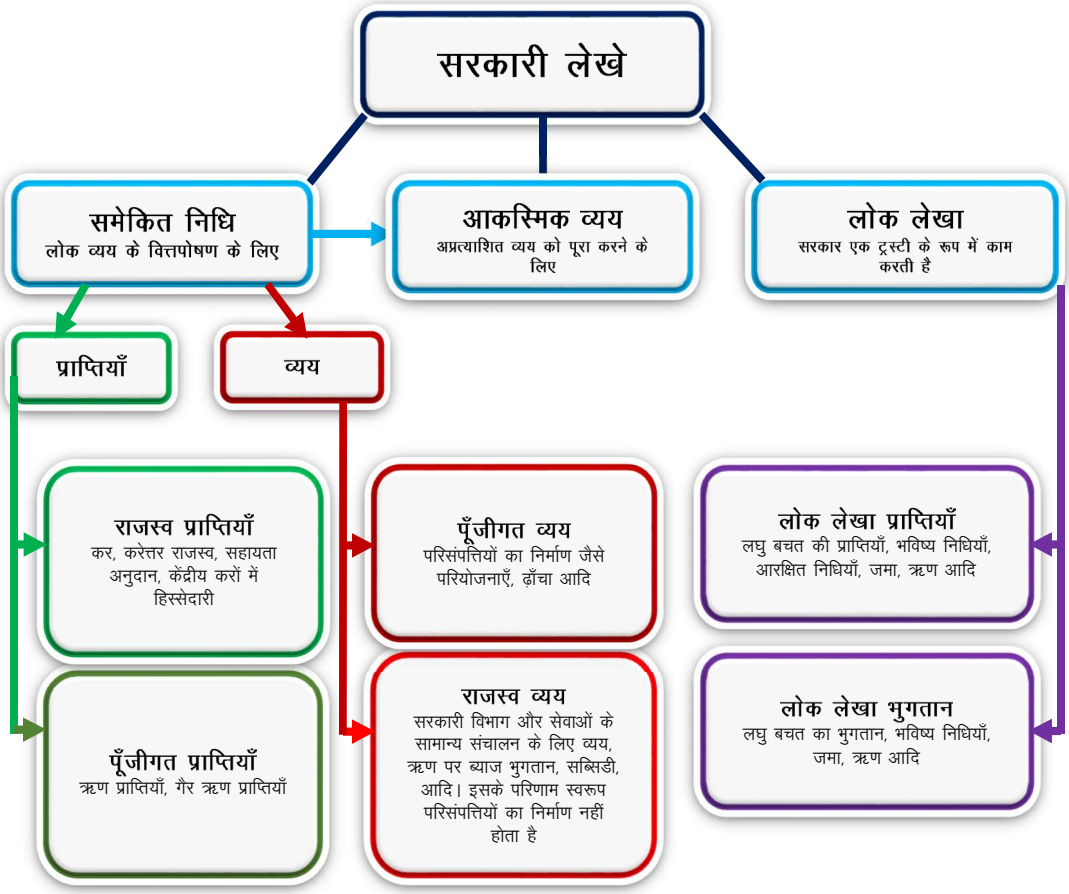

लोक ऋण एवं सार्वजनिक दायित्व

इस प्रतिवेदन में, 'लोक ऋण' को बाजार उधारी, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन0एस0एस0एफ0) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल करने के लिए लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, "सार्वजनिक दायित्व" में "लघु बचत, भविष्य निधि, आदि" से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है, लोक लेखा के अंतर्गत "आरक्षित निधि" और "जमा और अग्रिम" ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत "प्रेषण" और "उचंत" से संबंधित लेन–देन में कोषागारों एवं मुद्रा तिजोरियों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा सर्किलों के बीच अंतरण जैसे लेनदेन को समायोजन शीर्षों में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, "सार्वजनिक दायित्व" को मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत "लघु बचत, भविष्य निधि, आदि", "आरक्षित निधि" और "जमा और अग्रिम" के साथ–साथ प्रमुख शीर्षों 6003 और 6004 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करती है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में वर्णित है।

1.3.1 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

तालिका 1.2 वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2021–22 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	घटक	2021–22 (वास्तविक)	2022–23		वास्तविक की बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक की जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
1	कर राजस्व	1,26,207.16	1,32,567.60	1,39,527.58	105.25	18.56
	(i) स्व कर राजस्व	34,854.54	41,387.00	44,017.73	106.36	5.86
	(ii) संघीय करों का अंश	91,352.62	91,180.60	95,509.85	104.75	12.71
2	करेत्तर राजस्व	3,984.34	6,135.62	4,134.90	67.39	0.55
3	सहायता अनुदान और अंशदान	28,605.83	58,001.29	29,025.54	50.04	3.86
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**1,58,797.33**	**1,96,704.51**	**1,72,688.02**	**87.79**	**22.98**
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	27.92	431.55	41.49	9.61	0.01
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	-	-	-
7	उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	25,551.26	25,885.10	44,823.30	173.16	5.97
8	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**25,579.18**	**26,316.65**	**44,864.79**	**170.48**	**5.97**
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**1,84,376.51**	**2,23,021.16**	**2,17,552.81**	**97.55**	**28.95**
10	राजस्व व्यय (ब)	1,59,219.71	1,91,956.67	1,83,976.22	95.84	24.48
11	ब्याज भुगतान	13,821.93	16,305.03	15,183.54	93.12	2.02

क्रम सं0	घटक	2021–22 (वास्तविक)	2022–23		वास्तविक की बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक की जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
12	पूँजीगत व्यय	23,678.29	29,749.64	31,519.82	105.95	4.19
13	ऋण एवं अग्रिम	1,478.51	1,314.85	2,056.77	156.43	0.27
14	**कुल व्यय (10+12+13)**	**1,84,376.51**	**2,23,021.16**	**2,17,552.81**	**97.55**	**28.95**
15	**राजस्व आधिक्य/घाटा (4–10)**	**(-) 422.38**	**4,747.84**	**(-) 11,288.20**	**237.75**	**(-) 1.50**
16	**राजकोषीय घाटा {14–(4+5+6)}**	**25,551.26**	**25,885.10**	**44,823.30**	**173.16**	**5.97**
17	**प्राथमिक घाटा (16–11)**	**11,729.33**	**9,580.07**	**29,639.76**	**309.39**	**3.94**

(स्रोतः 2021–22 तथा 2022–23 के वित्त लेखे एवं बजट का सारांश 2022–23)
₹1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।
(अ) उधार और अन्य देनदारियाँः निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष।
(ब) राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान व्यय शामिल है।

यह देखा गया किः

- 2022–23 के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 2021–22 के वास्तविक से 23.87 प्रतिशत अधिक था। इस बीच, बिहार सरकार ने अपने संशोधित अनुमान में राजस्व प्राप्तियों की मात्रा को मूल अनुमान का 2.20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। हालाँकि, वास्तविक प्राप्तियाँ मूल अनुमान से 12.21 प्रतिशत कम और संशोधित अनुमान से 14.10 प्रतिशत कम थीं, जो राजस्व प्राप्तियों का बढ़ा हुआ अनुमान दर्शाता है। चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कुल मिलाकर नकारात्मक वृद्धि देखी गई यानि विगत वर्ष की तुलना में केवल 8.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- 'कर राजस्व' के अंतर्गत सेवा कर (88.74 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (69.55 प्रतिशत), सीमा शुल्क (44.59 प्रतिशत) में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का कम संग्रह देखा गया। इसके अलावा 'करेत्तर राजस्व' के तहत ब्याज प्राप्तियाँ (11.13 प्रतिशत), सड़कें और पुल (100.67 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (47.88 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (98.86 प्रतिशत), सार्वजनिक कार्य (21.89 प्रतिशत) और श्रम रोजगार और कौशल विकास (13.95 प्रतिशत) में विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का कम संग्रह देखा गया।

- हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों में सी0जी0एस0टी0 (6.08 प्रतिशत), निगम कर (17.81 प्रतिशत), निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (17.26 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (43.80 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (54.56 प्रतिशत) संग्रह में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 13,890.69 करोड़ की वृद्धि हुई।

- विगत वर्ष की तुलना में राज्य के राजस्व व्यय में 2022–23 के दौरान 15.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विगत वर्ष की तुलना में 2021–22 में दर्ज की गई वृद्धि (14.14 प्रतिशत) की तुलना में सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में

8.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि, राज्य का राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए, वर्ष 2022–23 के लिए राज्य सरकार को विगत वर्ष की तुलना में अधिक (19.38 प्रतिशत की वृद्धि) धनराशि उधार लेनी पड़ी। नीचे दी गई **तालिका 1.3** प्राप्तियों और व्यय के बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2018-19	1,31,794	1,24,897	94.77	20,493	21,058	102.76
2019-20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020-21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,736	18,209	49.57
2021-22	1,58,798	1,59,220	100.27	40,473	23,678	58.50
2022-23	1,72,688	1,83,976	106.54	48,325	31,520	65.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऊपर दी गई **तालिका 1.3** से यह देखा जा सकता है कि:

- राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के विरूद्ध राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹ 6.54 उधार लेना पड़ा।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान पूँजीगत व्यय में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए किया गया, जो विगत चार वर्षों के दौरान सबसे अधिक है लेकिन वर्ष 2018–19 की तुलना में कम है। पूँजीगत प्राप्तियों के प्रत्येक ₹ 100 के लिए, पूँजीगत व्यय 2018–19 में ₹ 102.76 से गिरकर 2022–23 में ₹ 65.23 हो गया। हालाँकि, विगत वर्ष की तुलना में ₹ 7,842 करोड़ की वृद्धि हुई।
- पूँजीगत प्राप्तियों में 19.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 25.72 गुणा और 75.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियाँ और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। ***परिशिष्ट 1.2*** विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2023 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ					परिसंपत्तियाँ				
		2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत में			2021-22	2022-23	वृद्धि प्रतिशत में
समेकित निधि									
ए	आंतरिक ऋण	1,82,855.32	2,08,098.10	13.80	ए	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,59,366.21	2,90,886.03	12.15
बी	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	26,057.96	34,747.63	33.35	बी	ऋण एवं अग्रिम	23,194.36	25,209.64	8.69
आकस्मिकता निधि		**350.00**	**350.00**						
लोक लेखा									
ए	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,521.65	9,396.88	(-)1.31	ए	अग्रिम	249.96	249.96	0.00
बी	जमा	38,033.80	38,437.96	1.06	बी	प्रेषण	1,125.96	1,125.96	0.00
सी	आरक्षित निधि	6,781.61	9,654.72	42.37	सी	उचंत तथा विविध	15,616.59	14,416.78	(-)7.68
डी	उचंत तथा विविध शेष	207.48	171.31	(-)17.43	रोकड़ शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)		29,478.66	22,903.95	(-) 22.30
ई	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00					
एफ	सरकारी लेखा पर अधिकाई	65,149.91	53,861.71	(-)17.33					
कुल		**3,29,031.74**	**3,54,792.32**	**7.83**	**कुल**		**3,29,031.74**	**3,54,792.32**	**7.83**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार की देनदारियों में 2022–23 के दौरान 7.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष में यह 10.03 प्रतिशत थी। 2022–23 के दौरान कुल बकाया देनदारियों में आंतरिक ऋण का योगदान 58.65 प्रतिशत रहा। आंतरिक ऋण पर देनदारियों में निवल वृद्धि विगत वर्ष के 14.60 प्रतिशत (₹ 23,297.82 करोड़) की तुलना में 13.80 प्रतिशत (₹ 25,242.78) करोड़) थी, जिसमें बाजार ऋण मुख्य योगदान कारक था।

1.4 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को नियंत्रित करते हैं।

घाटे को उधार लेकर पूरा किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे और ऋण की अवधारणाएँ दोनों निकट रूप से संबंधित हैं। घाटे को एक प्रवाह के रूप में सोचा जा सकता है जो ऋण में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल–दर–साल उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करते हैं।

बिहार सरकार द्वारा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 एवं संशोधन अधिनियम, 2022 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे को कम करना और समग्र एवं बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक लाना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यावधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में, यह अधिनियम, घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

1.4.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों और उपलब्धियों पर बी0एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्य

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2022–23 के लिए राज्य को ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 40.80 प्रतिशत तक बनाए रखना था। वित्त आयोग ने 2022–23 के दौरान जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त एक प्रतिशत उधार (4 प्रतिशत तक) लेने की अनुमति दी, जिसमें बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए सशर्त 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई। वर्ष 2022–23 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा में विगत वर्ष की तुलना में 0.5 प्रतिशत की कमी आई थी।

राज्य सरकार ने बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय लक्ष्यों को संशोधित किया। इस संशोधन के माध्यम से, वर्ष 2022–23 के लिए राजकोषीय घाटे की लक्ष्य सीमा को जी0एस0डी0पी0 के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया और भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जी0एस0डी0पी0 के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई।

संबंधित बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम के तहत निर्धारित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन **तालिका 1.5 (ए)** में दिखाया गया है।

तालिका 1.5 (ए): बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिशेष	6,896.64	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38	(-) 11,288.20
		✓	✗	✗	✗	✗
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में)	2020–21 के लिए 5.00 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 4.5# प्रतिशत 2022–23 के लिए 4.00# प्रतिशत के भीतर।	(-) 13,806.76 (2.62)	(-) 14,723.93 (2.53)	(-) 29,827.25 (5.26)	(-) 25,551.26 (3.93)	(-) 44,823.30 (5.97)
		✓	✓	✗	✓	✗
कुल लंबित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (प्रतिशत में)	2020–21 तक के लिए 41.20 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 40.2 प्रतिशत, 2022–23 के लिए 40.8 प्रतिशत के भीतर।	31.99	33.24	40.05	39.60	39.03
		✗	✗	✓	✓	✓

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम)

 # भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और शर्तों के साथ बिजली क्षेत्र के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने सहित

तालिका 1.5 (ए) में यह देखा जा सकता है कि

- राजस्व घाटा ₹ 11,288.20 करोड़ रहा, जो राजस्व अधिशेष के अनुमान से बहुत कम है। बजट अनुमान के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में कमी और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे के कारण थे।
- बकाया देनदारी का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का लक्ष्य प्रद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के भीतर था।

बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से संशोधित राजकोषीय रोडमैप पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समान था। 2022–23 के दौरान जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राज्य के बजट में अनुमानित राजकोषीय लक्ष्य और प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में उनकी उपलब्धियां **तालिका 1.5 (बी)** में दी गई हैं।

तालिका 1.5 (बी): वर्ष 2022–23 के लिए प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियाँ

राजकोषीय चर	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविकी	वास्तविकी की भिन्नता	
				पंद्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से	बजट में लक्ष्य से
राजस्व आधिक्य/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	0.8	0.64	(-) 1.50	(-) 2.3	(-) 2.14
राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	4.0#	3.47	5.97	(-) 1.97	(-) 2.5
कुल बकाया देनदारी/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	40.8	31.95	39.03	1.77	(-) 7.08

(स्रोतः पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिश और बजट दस्तावेज)
नोटः घाटे का आँकड़ा माइनस में दिखाया गया है; #0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी सहित

वर्ष 2022–23 के दौरान, सरकार राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा–जी0एस0डी0पी0 अनुपात को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर हासिल नहीं कर सकी है। हालांकि, कुल बकाया देयता–जी0एस0डी0पी0 का अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग और बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा।

वित्त लेखे के अनुसार, कुल बकाया देनदारियों का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 39.03 प्रतिशत है। हालाँकि, गैर–बजट उधारी के रूप में प्राप्त ₹ 686.77 करोड़ को शामिल करने के बाद प्रभावी अनुपात (39.13 प्रतिशत) पर आ गया।

1.4.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम0टी0एफ0पी0) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना, वर्त्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविकी के साथ, **तालिका 1.6** में दी गई है:

तालिका 1.6: 2022–23 के लिए एम0टी0एफ0पी0 में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजकोषीय चर	एम0टी0एफ0पी0 में अनुमानित	वास्तविकी (2022–23)	अंतर (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	41,387.00	44,017.73	6.36
2	करेत्तर राजस्व	6,135.62	4,134.90	(-) 32.61
3	संघीय कर का अंश	91,180.60	95,509.85	4.75
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	58,001.29	29,025.54	(-) 49.96
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,96,704.51	1,72,688.02	(-) 12.21
6	राजस्व व्यय	1,91,956.67	1,83,976.22	(-) 4.16
7	राजस्व घाटा (–) /अधिशेष (+) (5–6)	4,747.84	(-)11,288.20	137.75
8	राजकोषीय घाटा (–) /अधिशेष (+)	(-) 25,885.10	(-) 44,823.30	73.16
9	राजकोषीय घाटा का जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता	3.47	5.97	72.04
10	देयता–जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	38.66	39.03	0.37
11	वर्त्तमान मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.70	15.55	5.85

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

तालिका 1.6 से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2022–23 के दौरान, एम0टी0एफ0पी0 के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका सिवाय स्व–कर राजस्व और "केंद्रीय करों के हिस्से" को जो अनुमानित से क्रमशः 6.36 प्रतिशत और 4.75 प्रतिशत बढ़ गया। राज्य सरकार विगत वर्षों (2019–20, 2020–21 और 2021–22) में भी अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। बिहार सरकार ने ₹ 11,288.20 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया है जो एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। विगत वर्ष की तुलना में इसमें 25.72 गुना की वृद्धि हुई है। 2018–19 में ₹ 6,897 करोड़ का राजस्व अधिशेष, 2022–23 में घटकर (–) ₹ 11,288.20 करोड़ (163.67 प्रतिशत) हो गया, जैसा कि **चार्ट–1.6** में दिखाया गया है। राजस्व घाटे का मुख्य कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति (49.96 प्रतिशत) और गैर–कर राजस्व का अनुमान से कम संग्रह (32.61 प्रतिशत) था।

1.4.3 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात् (i) राजस्व अधिशेष/घाटा[1], (ii) राजकोषीय घाटा[2] और (iii) प्राथमिक घाटा[3], सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायता करते हैं। इनकी गणना इस प्रकार से की जानी है कि वे सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायक हो। राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.6** में दिखाई गई है।

चार्ट 1.6: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति

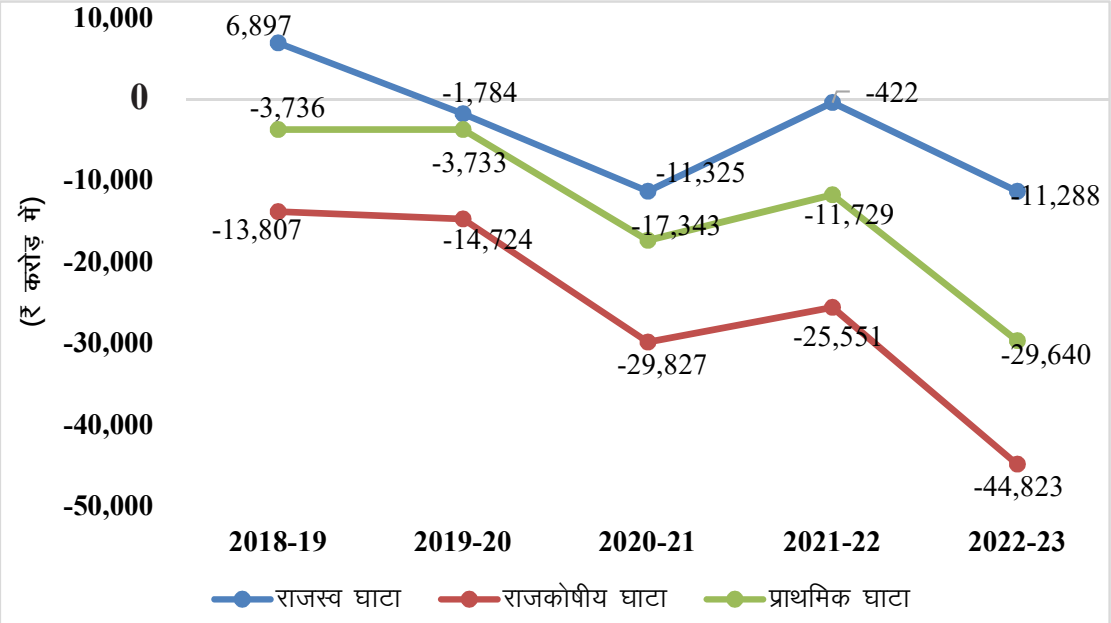

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि उपरोक्त **चार्ट 1.6** से देखा जा सकता है, सभी राजकोषीय संकेतकों/मापदंडों ने कुल मिलाकर नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है और विगत वर्ष की तुलना में और अधिक नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है।

---

[1] राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है।

[2] राज्य की कुल उधारी अर्थात उसके कुल संसाधन अंतर को दर्शाता करता है।

[3] प्राथमिक व्यय (शुद्ध ब्याज भुगतान का कुल व्यय) की अधिकता को दर्शाता है।

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष घाटे के मापदंडों की प्रवृति **चार्ट 1.7** में देखी जा सकती है।

चार्ट 1.7: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष घाटे के मापदंडों की प्रवृति

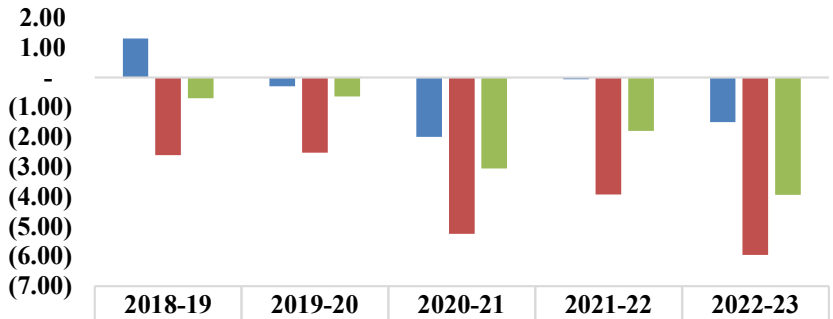

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा/जी०एस०डी०पी०	1.31	(0.31)	(2.00)	(0.06)	(1.50)
राजकोषीय घाटा/जी०एस०डी०पी०	(2.62)	(2.53)	(5.26)	(3.93)	(5.97)
प्राथमिक घाटा/जी०एस०डी०पी०	(0.71)	(0.64)	(3.06)	(1.80)	(3.94)

राजस्व घाटा/जी०एस०डी०पी० राजकोषीय घाटा/जी०एस०डी०पी० प्राथमिक घाटा/जी०एस०डी०पी०

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)

जैसा कि **चार्ट 1.7** से देखा जा सकता है, वर्ष 2018–19 के लिए राजस्व अधिशेष को छोड़कर सभी तीनों घाटा/अधिशेष मापदंड में नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे रही हैं। वर्ष 2022–23 के लिए सभी तीनों मापदंडों में पिछले पांच वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 के संबंध में उच्चतम नकारात्मक प्रतिशत दर्ज किया गया।

1.4.4 वित्तीय देनदारियाँ और जी0एस0डी0पी0

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय देनदारियों और इसके घटकों की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.8** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 1.8: राजकोषीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति

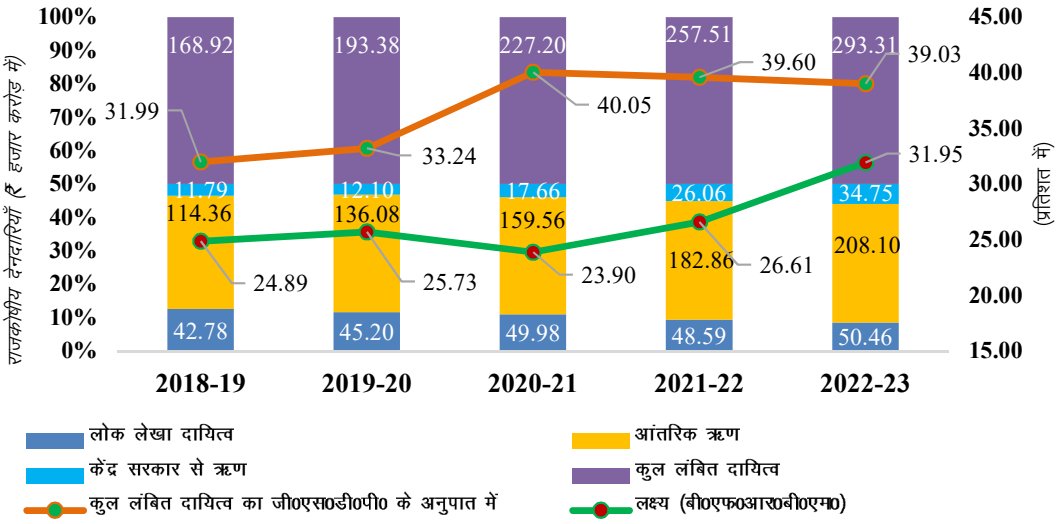

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022–23 के दौरान, आंतरिक ऋण में 13.80 प्रतिशत (₹ 25.24 हजार करोड़) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 33.35 प्रतिशत (₹8.69 हजार करोड़) की वृद्धि के कारण विगत वर्ष की तुलना में राजकोषीय देनदारियाँ 13.90 प्रतिशत (₹ 35.80 हजार करोड़) बढ़ गई। हालाँकि

आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि देखी गई, लेकिन 2021–22 की वृद्धि दर की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर, वर्ष 2018–19 से राजकोषीय देनदारी में 73.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बढ़ते राजस्व घाटे के कारण राज्य पर और अधिक उधार लेने का दबाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप साल दर साल देनदारी बढ़ती जा रही है। राज्य के स्व राजस्व के स्रोतों/नए स्रोतों की खोज करके इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

1.4.5 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 (3) अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान करता है कि कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि राज्य को केंद्र सरकार या संघ द्वारा दिया गया ऋण का कोई हिस्सा या गारंटी अभी भी बकाया है।

हालाँकि, बिहार में, बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 में तैयार किया गया जिसमें ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात 38.66 प्रतिशत था, जबकि जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राज्य का सांकेतिक ऋण पथ पद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में 40.80 प्रतिशत दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्य की शुद्ध उधार सीमा (एन0बी0सी0) जी0एस0डी0पी0 का 3.5 प्रतिशत (एन0एस0ओ0 द्वारा प्रकाशित आंकड़ों और पद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के आधार पर) निर्धारित की गई थी। 3.5 प्रतिशत के एन0बी0सी0 के अलावा, राज्य बिजली क्षेत्र में अपने अच्छे प्रदर्शन से जी0एस0डी0पी0 के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार लेने के लिए भी पात्र था। इस प्रकार, राज्य की उधार सीमा ₹ 30,056 करोड़ (राज्य की अनुमानित जी0एस0डी0पी0 का चार प्रतिशत) के भीतर होनी थी, जिसमें ₹ 3,757 करोड़ (अनुमानित जी0एस0डी0पी0 का 0.5 प्रतिशत) की अतिरिक्त सीमा शामिल थी।

हालाँकि, वित्त लेखे 2022–23 की विवरणी 6, अर्थात् उधार और अन्य देनदारियों की विवरणी, के अनुसार वृद्धिशील उधार और राज्य सरकार की अन्य देनदारियाँ वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 35,796.96 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 4.76 प्रतिशत) जो ₹ 30,056 करोड़ (₹ 7,51,396 करोड़ के जी0एस0डी0पी0 का चार प्रतिशत) की उधार सीमा से अधिक था। राज्य ने 39.03 प्रतिशत (बकाया कुल देनदारी 2022–23/जी0एस0डी0पी0 2022–23) हासिल किया जो वित्त आयोग की सीमा के भीतर था लेकिन बी0एफ0आर0बी0एम0 सीमा से काफी पीछे था।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद घाटा/बकाया देनदारियाँ

राजस्व खंड के कुछ वित्तीय लेन–देन को व्यय के पूँजी खंड के तहत या इसके विपरीत गलत तरीके से दर्ज किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीर्ष के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है। निम्नलिखित खंड ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

1.5.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, प्रतिबद्ध देनदारियों को स्थगित करना, जैसे समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि, भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आकलन पर ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव **तालिका 1.7** में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

विवरणी	राजस्व घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (–)) (₹ करोड़ में)	कंडिका संदर्भ
राजस्व के बजाय पूँजी खण्ड के तहत गलत वर्गीकरण	0.42	-	2.5.3.6
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा पर ब्याज का भुगतान न होना	18.98	18.98	4.2
एन0पी0एस0 में नियोक्ता का कम योगदान	46.44	46.44	2.5.2.3
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर का अंतरण न होना	12.04	12.04	2.6.2.5
अन्य उपकर (सड़क सुरक्षा उपकर) का अंतरण न होना	159.13	159.13	2.6.2.5
एन0डी0आर0एफ0 अनुदान को लोक लेखे में अंतरित नहीं करना	148.70	148.70	2.6.2.3
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न होना	19.48	19.48	4.2
गैर–बजट उधारी का प्रकटीकरण	-	686.77	4.1
कुल	**405.19**	**1091.54**	

(स्रोतः वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

2022–23 के दौरान, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, क्रमशः ₹ 11,288.20 करोड़ और ₹ 44,823.30 करोड़ दिखाया गया है, यदि उपरोक्त लेनदेन को ध्यान में रखा जाए, तो यह क्रमशः ₹ 11,693.39 करोड़ और ₹ 45,914.84 करोड़ होगा। लेखापरीक्षा के बाद राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः जी0एस0डी0पी0 का 1.56 प्रतिशत और 6.11 प्रतिशत था, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद–कुल बकाया देनदारियाँ

सरकारी संस्था (एक[4]) ने राज्य सरकार को पक्ष बनाकर (31 मार्च 2023 तक) ₹ 686.77 करोड़ की राशि का ऋण प्राप्त किया है। यह ऋण राज्य सरकार द्वारा गैर–बजट उधारी (ओ0बी0बी0) का उदाहरण है। सरकार ने इस ऋण के लिए गारंटी प्रदान की है। चूँकि ये उधारी सीधे सरकार की उधारियों का हिस्सा नहीं थीं, इसलिए इसे वित्त खाते के लोक ऋण में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए, राज्य के राजकोषीय घाटे की गणना में इनका उल्लेख नहीं किया गया। राज्य का लोक ऋण और राजकोषीय घाटा वर्ष 2022–23 के लिए कम करके आंका गया है। (गैर–बजट उधारी का विवरण इस प्रतिवेदन की **कंडिका 4.1** में दिया गया है)।

गैर–बजट उधारी की यह जानकारी संबंधित इकाई (एस0पी0एस0ई0) द्वारा प्रदान की गई है। हालाँकि, इस संबंध में राज्य सरकार का उत्तर (दिसंबर 2023) प्रतीक्षित था।

[4] बिहार राज्य सड़क विकास निगम।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद 2021–22 और 2022–23 की अवधि के लिए घटक–वार बकाया ऋण/देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	राशि		विचलन (प्रतिशत में)
	2021-22	2022-23	
आंतरिक ऋण (ए)	**1,82,855.32**	**2,08,098.10**	**13.80**
बाजार ऋण	1,56,575.11	1,84,275.11	17.69
बाँड	2,195.25	1,962.07	(-) 10.62
वित्तीय संस्थान से ऋण	10,111.91	9,776.22	(-) 3.32
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	13,965.60	12,077.25	(-) 13.52
अन्य ऋण	7.45	7.45	0.00
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (बी)	**26,057.96**	**34,747.63**	**33.35**
गैर–योजना ऋण	0.58	0.58	0.00
राज्य परियोजना योजना के लिए ऋण	191.29	191.29	0.00
केंद्रीय परियोजना योजनाओं के लिए ऋण	1.01	1.01	0.00
केंद्र प्रायोजित परियोजना के लिए ऋण	0.53	0.53	0.00
अर्थोपाय अग्रिम	42.96	42.96	0.00
1984–85 से पहले के ऋण	3.91	3.91	0.00
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए ऋण	36.42	33.10	(-) 9.12
विधानमंडल योजनाओं के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य ऋण	25,781.26	34,474.25	33.72
लोक लेखा पर देनदारियाँ (सी)	**48,596.93**	**50,461.44**	**3.84**
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,521.65	9,396.88	(-) 1.31
ब्याज सहित आरक्षित निधि	1,041.49	2,626.60	152.20
ब्याज सहित जमा	217.11	257.63	18.66
ब्याज रहित जमा	37,816.68	38,180.33	0.96
कुल (डी) = (ए+बी+सी)	**2,57,510.21**	**2,93,307.17**	**13.90**
समग्र दायित्व पर प्रभाव (कम करके बताया गया) (ई)	**1,482.50**	**686.77**	**(-) 53.67**
बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (पथ निर्माण विभाग)	520.00	686.77	32.07
बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (ग्रामीण कार्य विभाग)	962.50	0.00	
कुल योग (डी)+(ई)	**2,58,992.71**	**2,93,993.94**	**13.51**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की गैर बजट उधारी को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2023 के अंत में कुल बकाया ऋण ₹ 2,93,307.17 करोड़ के मुकाबले ₹ 2,93,993.94 करोड़ (क्रमशः जी0एस0डी0पी0 का 39.03 प्रतिशत और 39.13 प्रतिशत) हो गया था। वर्ष के अंत में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण 0.10 प्रतिशत कम बताया गया, लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश में निर्धारित लक्ष्य के भीतर था।

अध्याय–II
राज्य का वित्त

अध्याय II

राज्य का वित्त

2.1 परिचय

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, यह राज्य के वित्त लेखे और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विगत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2018–19 से 2022–23 तक के पाँच वर्ष की अवधि में राज्य के वित्त की समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण स्थिरता एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।

2.2 2021–22 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के प्रमुख राजकोषीय संग्रह में बड़े बदलावों को **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2021–22 की तुलना में 2022–23 में प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 8.75 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ राज्य के स्व कर प्राप्तियों में 26.29 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्व करेत्तर प्राप्तियों में 3.78 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 4.55 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 1.47 प्रतिशत की वृद्धि।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.49 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.07 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 15.90 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 65.63 प्रतिशत की कमी।
पूँजीगत प्राप्तियाँ	✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 19.38 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 48.60 प्रतिशत की वृद्धि।
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 7.20 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 15.79 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 48.48 प्रतिशत की वृद्धि।
ऋणों एवं अग्रिमों	✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 39.11 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 48.60 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 19.38 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 64.08 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 12.26 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 9.51 प्रतिशत की वृद्धि।
नकद शेष	✓ विगत वर्ष की तुलना में 2022–23 में नकद शेष में ₹ 134.66 करोड़ (20.06 प्रतिशत) की वृद्धि।

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए वित्त लेखे)

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

विगत वर्ष के साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **तालिका 2.2** में दी गई है।

तालिका 2.2: 2021–22 और 2022–23 में निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरणी	2021-22	2022-23	वृद्धि / कमी	वृद्धि / कमी की प्रतिशतता
स्रोत	आरंभिक नकद शेष	24,865	29,479	4,614	18.56
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,58,798	1,72,688	13,890	8.75
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	28	41	13	46.43
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	31,698	33,932	2,234	7.05
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	(-)1,533	4,316	5,849	(-) 381.54
	कुल	**2,13,856**	**2,40,456**	**26,600**	**12.44**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,59,220	1,83,976	24,756	15.55
	पूँजीगत व्यय	23,678	31,520	7,842	33.12
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,479	2,056	577	39.01
	अंतिम नकद शेष	29,479	22,904	(-) 6,575	(-) 22.30
	कुल	**2,13,856**	**2,40,456**	**26,600**	**12.44**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के वित्त लेखे)

वर्ष 2022–23 के दौरान, निधियों का अनुप्रयोग[1] (₹ 2,17,552 करोड़) निधियों के स्रोतों[2] (₹ 1,72,729 करोड़) से अधिक था, जो इंगित करता है कि सरकार उपलब्ध निधि से अपने व्यय को पूरा करने में असमर्थ है। इस अंतर को कम करने के लिए, राज्य को 2022–23 के दौरान लोक ऋण के माध्यम से अपनी प्राप्ति में विगत वर्ष की तुलना में 19.38 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 40,444.90 करोड़ से ₹ 48,283.52 करोड़) करनी पड़ी। चालू वर्ष के साथ–साथ विगत वर्ष में राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों तथा समग्र वित्तीय स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

वर्ष 2022–23 में समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत के रूप में **चार्ट 2.1** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की स्रोत / अनुप्रयोग *(प्रतिशत में)*

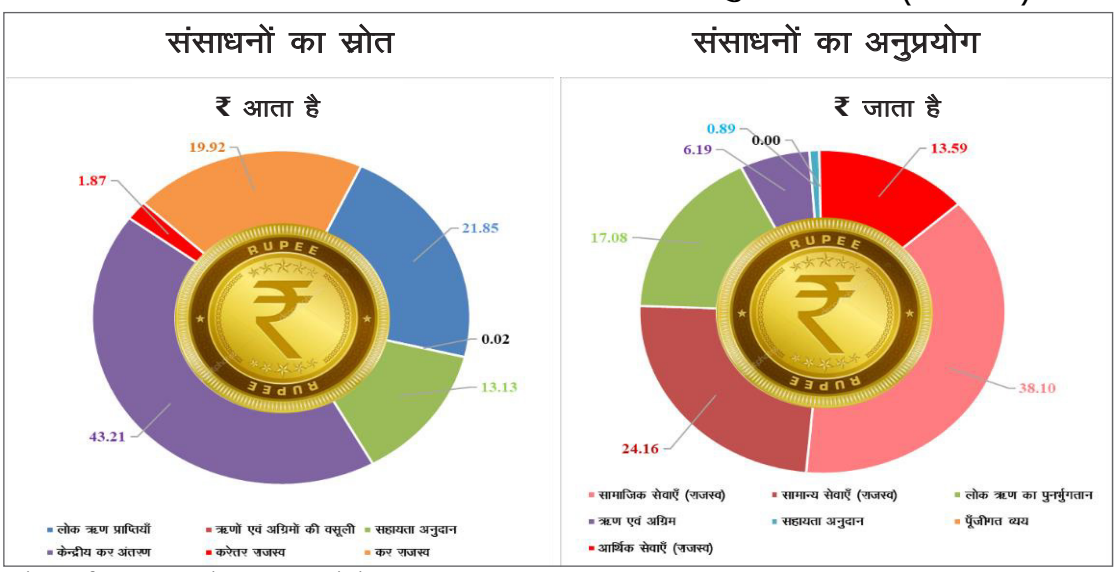

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए वित्त लेखे)

[1] निधि का अनुप्रयोग : राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण।

[2] निधि के स्रोत : राजस्व प्राप्ति + ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली।

2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

   राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास निधि के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.4.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखे में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) का उपयोग भी सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

चार्ट 2.2: 2022–23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)

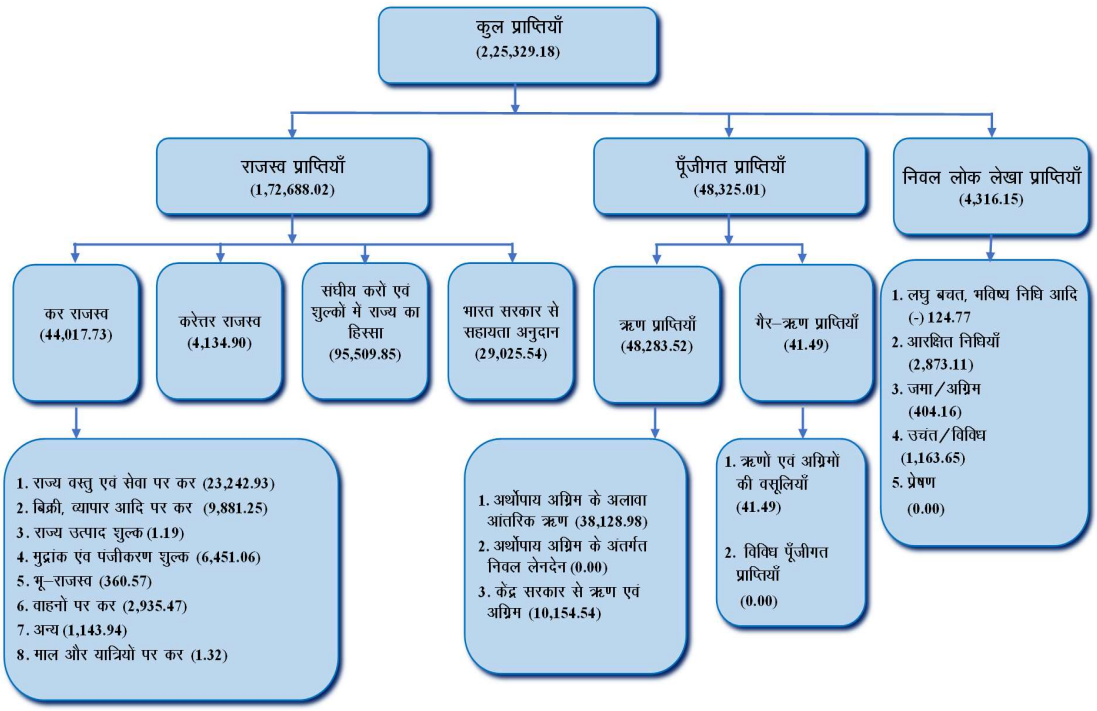

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे)

2022–23 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत प्राप्तियों और निवल लोक लेखा प्राप्तियों का योगदान कुल प्राप्तियों में क्रमशः 76.64 प्रतिशत, 21.45 प्रतिशत और 1.91 प्रतिशत था। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का योगदान विगत वर्ष की तुलना में घटकर 76.64 प्रतिशत हो गया जबकि 2021–22 की कुल प्राप्तियों में इसका योगदान 80.31 प्रतिशत था। विगत वर्ष की तुलना में, निवल लोक लेखा प्राप्तियों के योगदान ने कुल प्राप्तियों में सकारात्मक प्रवृति दिखाया जबकि वर्ष 2021–22 में इसका नकारात्मक योगदान (–) 0.78 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों और उनके घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह केन्द्र सरकार से प्राप्तियों एवं राज्य की स्व प्राप्तियों की द्विभाजित प्रवृत्ति उपलब्ध कराता है। जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियाँ (आर0आर0) (₹ करोड़ में)	**1,31,794**	**1,24,233**	**1,28,168**	**1,58,797**	**1,72,688**
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.22	(-) 5.74	3.17	23.90	8.75
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	**29,408**	**30,158**	**30,342**	**34,855**	**44,018**
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	**4,131**	**3,700**	**6,201**	**3,984**	**4,135**
भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	**24,652**	**26,969**	**31,764**	**28,606**	**29,025**
स्व राजस्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.88	0.95	7.93	6.28	23.98
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.55	9.40	17.78	(-) 9.94	1.46
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011–12 श्रृंखला)	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
आर0आर0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	24.96	21.35	22.59	24.42	22.98
उत्प्लावकता[3] अनुपात[4]					
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.97	(-) 0.56	*	1.63	0.56
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राज्य की स्व राजस्व उत्प्लावकता	2.05	0.09	*	0.43	1.54

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा योजना एवं एम0ओ0एस0पी0आई0)

*** उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जी0एस0डी0पी0 वृद्धि नकारात्मक थी***

✦ जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, वर्ष 2022–23 में, राज्य की, राजस्व उत्पलावकता, विगत वर्ष की तुलना में कम थी। हालाँकि, 2022–23 में करेत्तर राजस्व को संग्रह में कमी, बजट अनुमानों में अनुमानित आँकड़े की तुलना में ₹ 2,001 करोड़ की कमी, ने राजस्व उत्पलावकता को 0.56 तक कम कर दिया।

यद्यपि राजस्व के प्रत्येक घटक में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखी गई और विगत वर्ष की तरह, चालू वर्ष में जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता भी सकारात्मक थी, लेकिन यह विगत वर्ष की तुलना में 1.63 प्रतिशत से घटकर 0.56 प्रतिशत हो गयी।

[3] उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लोच में प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

[4] राजस्व उत्प्लावकता, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर को इंगित करता है।

- राज्य की स्व राजस्व प्राप्तियों का संग्रह ₹ 48,152.63 करोड़ था, और यह पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 37,980 करोड़) से ₹ 10,172.63 करोड़ अधिक था, और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमान (₹ 37,807 करोड़) से भी ₹ 10,345.63 करोड़ अधिक था। इसके अलावा, राज्य की स्व राजस्व प्राप्तियाँ, बजट अनुमान ₹ 47,522.62 करोड़, से ₹ 630.01 करोड़ अधिक थी।
- राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 72.12 प्रतिशत निवल समनुदेशित केंद्रीय करों और सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का योग है, जो दर्शाता है कि राज्य राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं।
- 2018–19 से 2022–23 की अवधि में भारत सरकार से सहायता अनुदान में 17.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक वार) **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक–वार)

(₹ करोड़ में)

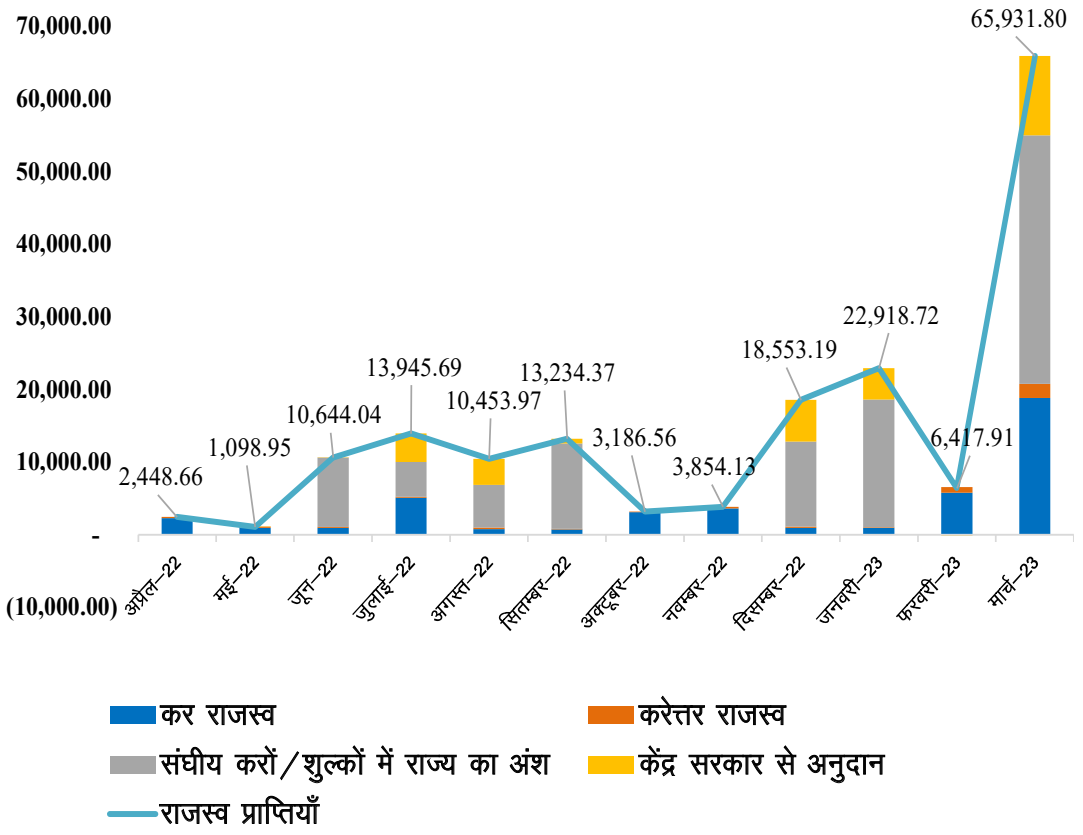

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के बिहार सरकार के मासिक सिविल लेखे)

राज्य सरकार को मुख्य रूप से माह जनवरी 2023 (18.43 प्रतिशत) और मार्च 2023 (35.82 प्रतिशत) में संघीय करों की समनुदेशित निवल प्राप्त हुई थी। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का बड़ा हिस्सा भी मार्च 2023 (37.74 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में उपरोक्त महीनों में निधि का प्रवाह अधिक हुआ था और शेष महीनों में निधि प्राप्तियाँ नाममात्र थीं।

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ इसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.4: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ उसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति

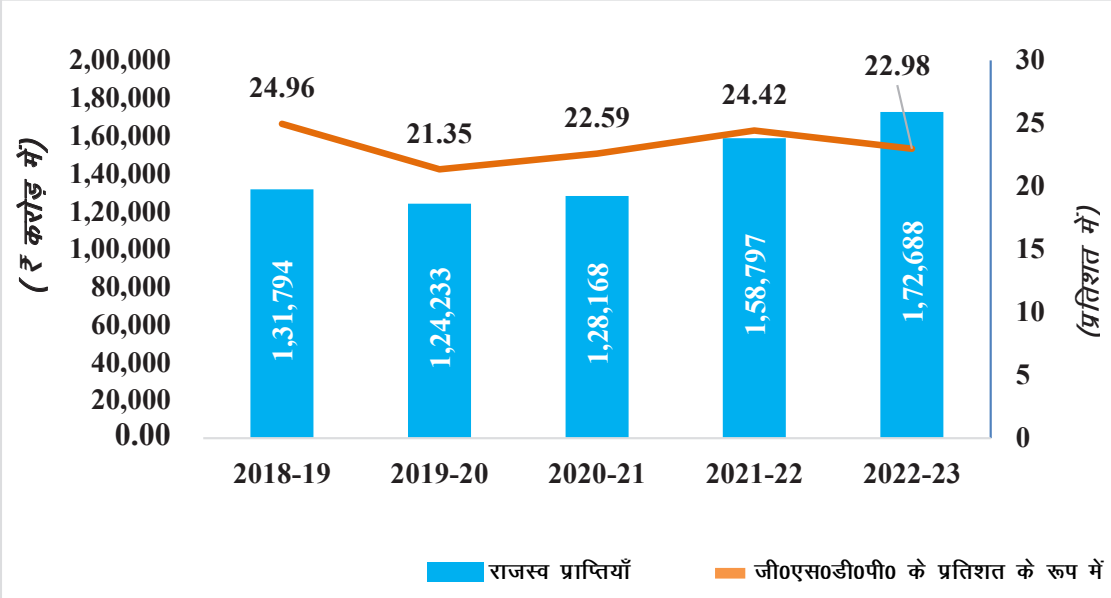

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण)

वर्ष 2022–23 के लिए जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ, विगत वर्ष की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में ₹ 4,157.23 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि के कारण घट गईं (जहाँ वर्ष 2020–21 की तुलना में बिहार सरकार को ₹ 31,492 करोड़ अधिक प्राप्त हुए)। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

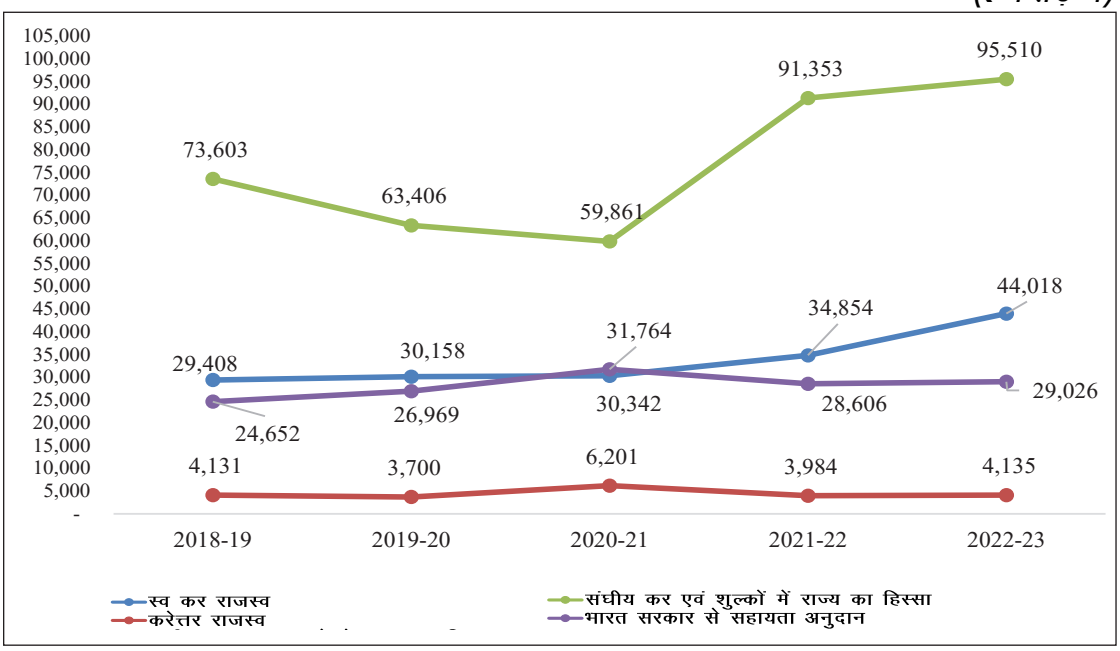

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (55.31 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (16.81 प्रतिशत) थे। राज्य के स्व राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का केवल 27.88 प्रतिशत है।
- विगत वर्ष की तुलना में, 2022–23 में, राजस्व प्राप्तियों में ₹ 13,890.69 करोड़ (8.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से तथा कर राजस्व के योगदान में क्रमशः 4.55 प्रतिशत (₹ 4,157.23 करोड़) और 26.29 प्रतिशत (₹ 9,163.19 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके अलावा करेत्तर राजस्व और भारत सरकार से सहायता अनुदान में क्रमशः 3.78 प्रतिशत (₹ 150.56 करोड़) और 1.47 प्रतिशत (₹ 419.71 करोड़) की मामूली वृद्धि हुई।

2.4.2.1 राज्य के स्व संसाधन

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके स्व कर और करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व शामिल है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2022–23 के लिए राज्य का स्व कर राजस्व ₹ 33,067 करोड़ और करेत्तर राजस्व ₹ 4,913 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।

अ. स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य जी0एस0टी0, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री कर, भू–राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं।

राज्य के कुल राजस्व में स्व कर राजस्व की प्रतिशत हिस्सेदारी की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.6: 2018–23 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों से स्व–कर की प्रवृत्ति

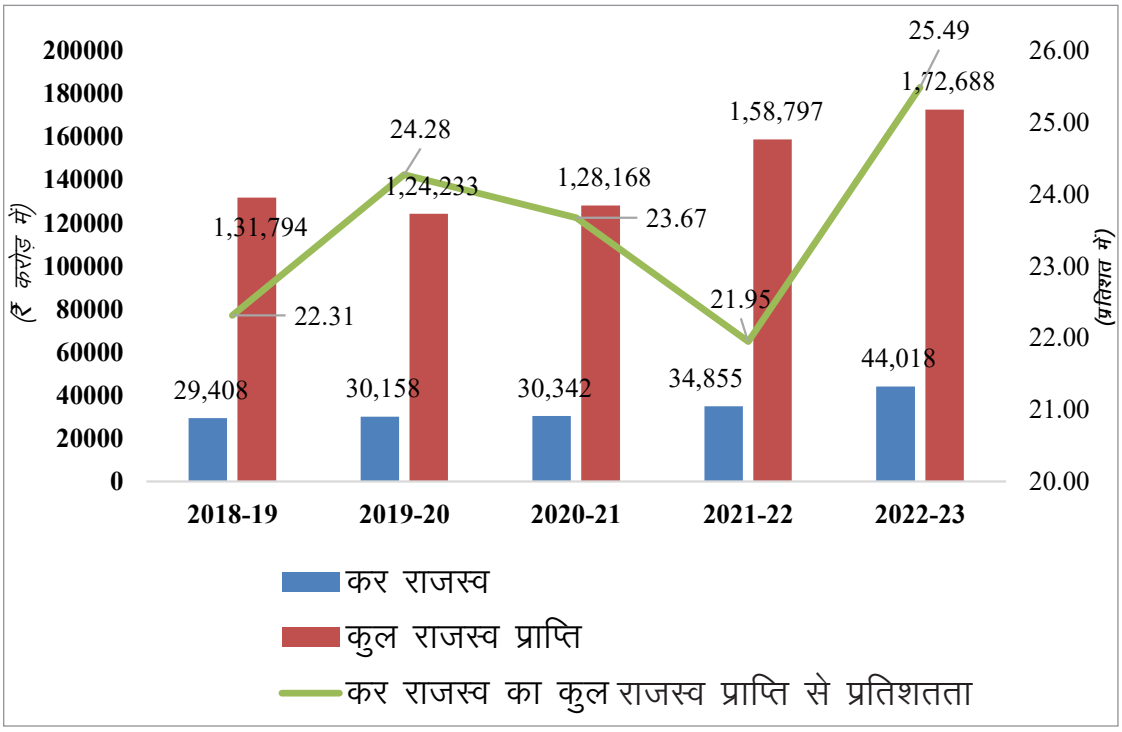

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के स्व कर राजस्व का घटकवार विवरण और प्रवृत्ति को **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,584	6,121	6,032	6,872	9,881	
एस0जी0एस0टी0	15,288	15,801	16,050	19,264	23,243	
राज्य उत्पाद शुल्क	-10	-4	-4	-1	1	
मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क	4,189	4,661	4,206	5,224	6,451	
वाहनों पर कर	2,086	2,713	2,268	2,475	2,936	
भू राजस्व	477	275	302	284	361	
माल और यात्रियों पर कर	399	23	6	0	1	
अन्य कर *	395	568	1,482	737	1,144	
कुल	**29,408**	**30,158**	**30,342**	**34,855**	**44,018**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* *अन्य करों में पेशे, व्यापार, बुलावा और रोजगार पर कर, बिजली पर कर तथा शुल्क और वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क शामिल हैं।*

तालिका 2.4 से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2020–21 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर घटती प्रवृत्ति में थे। हालाँकि, वर्ष 2022–23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 43.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसके कारण वैट प्राप्तियों की संग्रह में ₹ 2,305.75 करोड़ और राज्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 713.88 करोड़ की वृद्धि है। जुलाई 2017 से सभी माल एवं यात्रियों पर कर और बिक्री, व्यापार आदि पर आंशिक कर को जी0एस0टी0 में शामिल कर लिया गया था।
- एस0जी0एस0टी0 में वृद्धि मुख्य रूप से कर और इनपुट एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का टैक्स क्रेडिट क्रॉस–उपयोग और आई0जी0एस0टी0 के विभाजन के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई थी।
- अप्रैल 2016 से राज्य में लगाई गई शराबबंदी के कारण राज्य उत्पाद शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व नगण्य है।
- विगत वर्ष की तुलना में मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 23.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिसका मुख्य कारण दस्तावेजों को छापने पर शुल्क के संग्रह में वृद्धि और दस्तावेजों के पंजीकरण और स्टांप की बिक्री के संग्रह से थी। 'राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों' के तहत प्राप्तियों के कारण वाहनों पर कर में ₹ 461 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से 'सड़क सुरक्षा उपकर' में ₹ 159.13 करोड़ शामिल हैं।
- विगत वर्ष की तुलना में, 2022–23 में, 'भू–राजस्व' के तहत 27.11 प्रतिशत अधिक संग्रह देखा गया। चालू वर्ष में इसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण उप–शीर्ष 'दरों और भूमि पर उपकर' के तहत राजस्व में 62.90 प्रतिशत की वृद्धि और 'सर्वेक्षण और निपटान संचालन के कारण रसीद' में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 45.68 करोड़ अधिक होना है।
- मुख्यतः 'बिजली की खपत और बिक्री' पर करों में विगत वर्ष की तुलना ₹ 376.10 करोड़ की वृद्धि के कारण अन्य करों में ₹ 407 करोड़ (55.22 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय विद्युत नियमों के तहत शुल्क में ₹ 16.84 करोड़ की वृद्धि देखी गई है।
- चालू वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर जी0एस0डी0पी0 में राज्य के स्व कर राजस्व का कुल हिस्सा 5.86 प्रतिशत था।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 में राज्य के स्व कर राजस्व और उसमें वृद्धि दर को नीचे **चार्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: 2018–19 से 2022–23 के दौरान स्व–कर राजस्व में वृद्धि

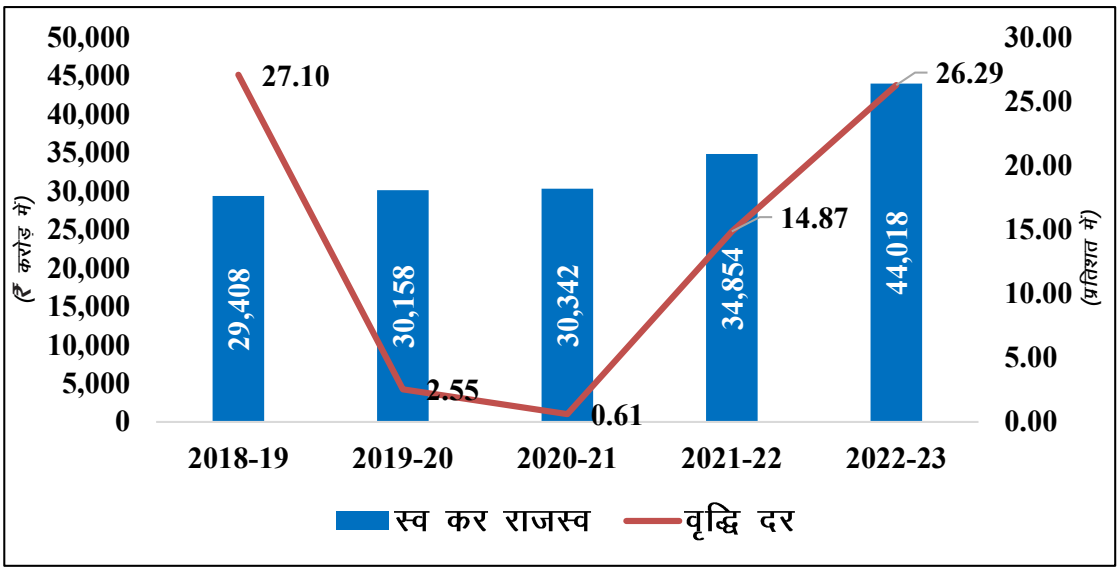

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जी0एस0टी0 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जी0एस0टी0एन0 (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) पर अखिल भारतीय आँकड़ों तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की जानकारी 04 नवम्बर 2020 को दी गई। बिहार के मामले में, जी0एस0टी0 बैक–एंड सिस्टम तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय की पहुँच वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि से संबंधित जी0एस0टी0 (राज्यों को मुआवजा), अधिनियम 2017 की धारा 7(3) (बी) के तहत राज्य द्वारा एकत्र किए गए वास्तविक राजस्व का प्रमाणीकरण पूरा कर लिया गया है।

एस0जी0एस0टी0 के तहत ₹ 24,721 करोड़ के अनुमानित संग्रह के मुकाबले, राज्य सरकार ने ₹ 23,243 करोड़ (अनुमान का 94.02 प्रतिशत) एकत्र किया है। एस0जी0एस0टी0 संग्रह में एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (₹12,437.32 करोड़) और कर (₹ 7,423.21 करोड़) प्रमुख घटक थे।

बकाया राजस्व एवं बकाया राशि के आकलन का विश्लेषण

राजस्व की बकाया राशि सरकार के देय राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाती है। इसी प्रकार, मूल्यांकन का बकाया संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध हो जाता है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं। राज्य में सात[5] प्रमुख कर संग्रहण विभाग थे। इन सात विभागों में से केवल तीन विभागों ने राजस्व के बकाया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी और दो विभागों ने कर निर्धारण बकाया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी।

राजस्व अर्जित करने वाले सात विभागों में से, तीन द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार राजस्व के बकाया का विवरण **तालिका 2.5** में उल्लिखित है।

[5] वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण), मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद शुल्क), खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

तालिका 2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2022 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2023 तक कुल बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाहन पर कर	परिवहन	172.85	183.39	उपलब्ध नहीं
2.	भू–राजस्व	राजस्व एवं भूमि सुधार	282.11	302.47	उपलब्ध नहीं
3.	वैट/बिक्री व्यापार/जी0एस0टी0 आदि।	वाणिज्यिक कर	2,392.46	2,624.05	उपलब्ध नहीं
कुल			**2,847.42**	**3,109.91**	

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

राजस्व के बकाया के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली का कम प्रमाणीकरण, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई वसूली, निर्धारिती/व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण वसूली रुकी रहना आदि शामिल थे।

आकलनों का बकाया

राज्य कर विभागों द्वारा प्रस्तुत बकायों के आकलन के मामलों का विवरण **तालिका 2.6** में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.6: आकलनों का बकाया

क्रम सं0	विभाग का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान नए मामले	आकलन के लिए कुल मामले	वर्ष में निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष मामले	निपटान का प्रतिशत
1.	परिवहन	30,762	1,960	32,722	1,023	31,699	3.13
2.	वाणिज्यिक कर	26,406	3,008	29,414	2,553	26,861	8.68

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, मामलों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की माँग करना राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निस्तारण में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण **तालिका 2.7** दिया गया है।

तालिका 2.7: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31.03.2022 तक लंबित मामले	2022–23 में पहचान किए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त माँग उठाई गई		अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या (31 मार्च 2023 तक)
					मामलों की संख्या	माँग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	जी0एस0टी0	279	1,862	2,141	2,034	418.14	107

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

प्रतिदाय के लंबित मामले

सात कर संग्रह विभागों में से चार[6] ने बकाया राजस्व के मूल्यांकनों का बकाया, कर अपवंचन और प्रतिदाय मामलों पर आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए थे। इसके अलावा, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने 'शून्य' जानकारी प्रदान की है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित प्रतिदाय के लंबित मामलों का विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8: प्रतिदाय के लंबित मामले

क्रम सं0	विवरण	जी.एस.टी.		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	80	5.58	556	45.74
2.	वर्ष में प्राप्त दावे	1,864	301.00	329	159.24
3.	वर्ष में दिया गया प्रतिदाय	1,077	211.15	295	123.37
4.	वर्ष में अस्वीकार किया गया प्रतिदाय	764	91.69	235	8.09
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि	103	3.74	355	73.52

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जानकारी)

संपूर्ण आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा समग्र रूप से राज्य के लंबित प्रतिदाय मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सका।

ब. करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं।

2018–23 के दौरान राज्य के करेत्तर राजस्व के घटकों की प्रवृत्ति को **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: राज्य के करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	1,371.94	1,416.48	3,241.97	722.47	642.03	
लाभांश और लाभ	13.67	1.62	603.01	6.54	1.49	
अन्य गैर–कर प्राप्तियाँ	**2,744.95**	**2,281.50**	**2,356.40**	**3,255.33**	**3,491.38**	
(ए) मुख्य और मध्यम सिंचाई	52.77	24.32	40.13	40.64	83.06	
(बी) सड़क परिवहन	0.19	0.20	0.11	0.18	0.19	
(सी) शहरी विकास	0.94	4.80	0.15	1.08	3.47	
(डी) शिक्षा	18.85	17.13	11.50	509.13	5.83	
(इ) गैर लौह खनन	1,560.65	1,572.07	1,708.93	1,766.14	2,729.73	
(एफ) अन्य या विविध।	1,111.55	662.98	595.58	938.16	669.10	
कुल	**4,130.56**	**3,699.60**	**6,201.38**	**3,984.34**	**4,134.90**	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[6] मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण), मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद शुल्क), खान एवं भूविज्ञान विभाग और ऊर्जा विभाग।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

- 2022–23 में करेत्तर राजस्व (एन0टी0आर0) में पिछले वर्ष की तुलना में 3.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राजस्व प्राप्तियों का 2.39 प्रतिशत था। चालू वित्तीय वर्ष में जी0एस0डी0पी0 में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा केवल 0.55 प्रतिशत था।
- यद्यपि एन0टी0आर0 में वृद्धि हुई, लेकिन केवल ₹ 150.56 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई, जो विगत वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तियों और लाभांश एवं लाभ में क्रमशः 11.13 प्रतिशत और 77.22 प्रतिशत की कमी के कारण थी।
- यह देखा गया कि वर्ष 2020–21 में ब्याज प्राप्तियों और लाभांश और लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि जो कि ₹ 2,600 करोड़ की समेकित निक्षेप निधि पर अर्जित ब्याज के मोचन और एस0पी0एस0ई0 के संचित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ के लाभांश जारी करने के कारण हुई थी।
- खनन विभाग के अंतर्गत गैर लौह खनन से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 963.59 करोड़ की वृद्धि हुई और राज्य के करेत्तर राजस्व में उच्चतम प्रतिशत हिस्सेदारी (66.02 प्रतिशत) रही।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 में राज्य के करेत्तर राजस्व और इसमें वृद्धि दर को **चार्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: करेत्तर राजस्व एवं इसकी वृद्धि दर

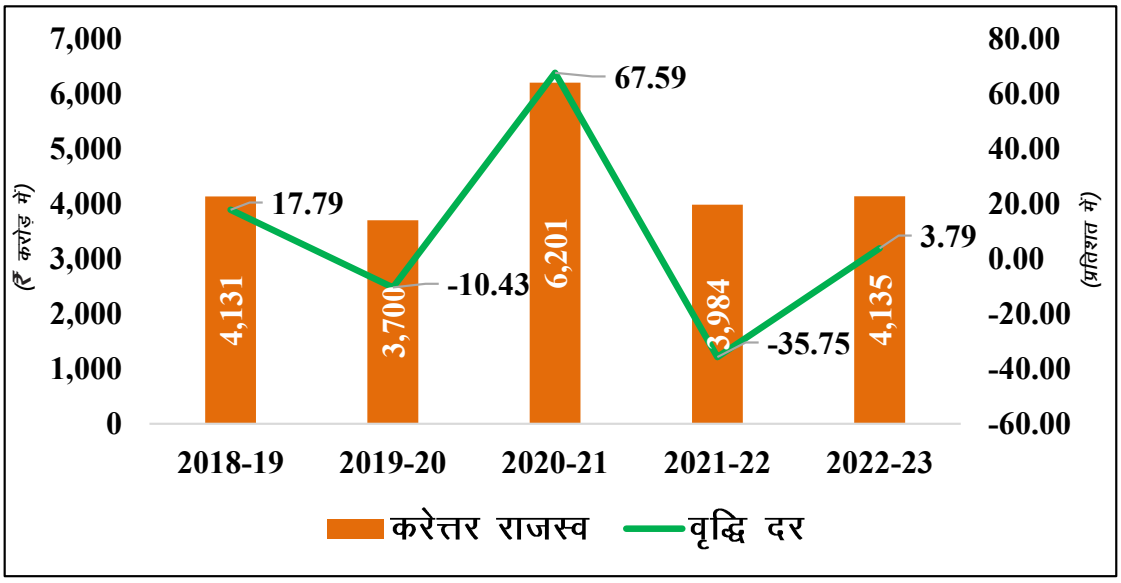

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **चार्ट 2.8** से देखा जा सकता है, विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, 2021–22 में, करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर नकारात्मक थी और पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यह मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों एवं एस0पी0एस0ई0 से लाभांश एवं लाभ के तहत कम प्राप्तियों के कारण था। नकारात्मक प्रवृत्ति पर काबू पाते हुए, राज्य ने वर्ष 2021–22 से चालू वर्ष के दौरान ₹ 151 करोड़ की मामूली वृद्धि को प्राप्त किया।

2.4.2.2 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधियों का अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार दो तरीकों से राज्यों को निधियों का अंतरण करती है (i) राज्यों को केंद्रीय करों का अंतरण और (ii) सहायता अनुदान।

केंद्र सरकार से राज्य को निधियों के अंतरण का विवरण **चार्ट 2.9** में दिया गया है।

चार्ट 2.9: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

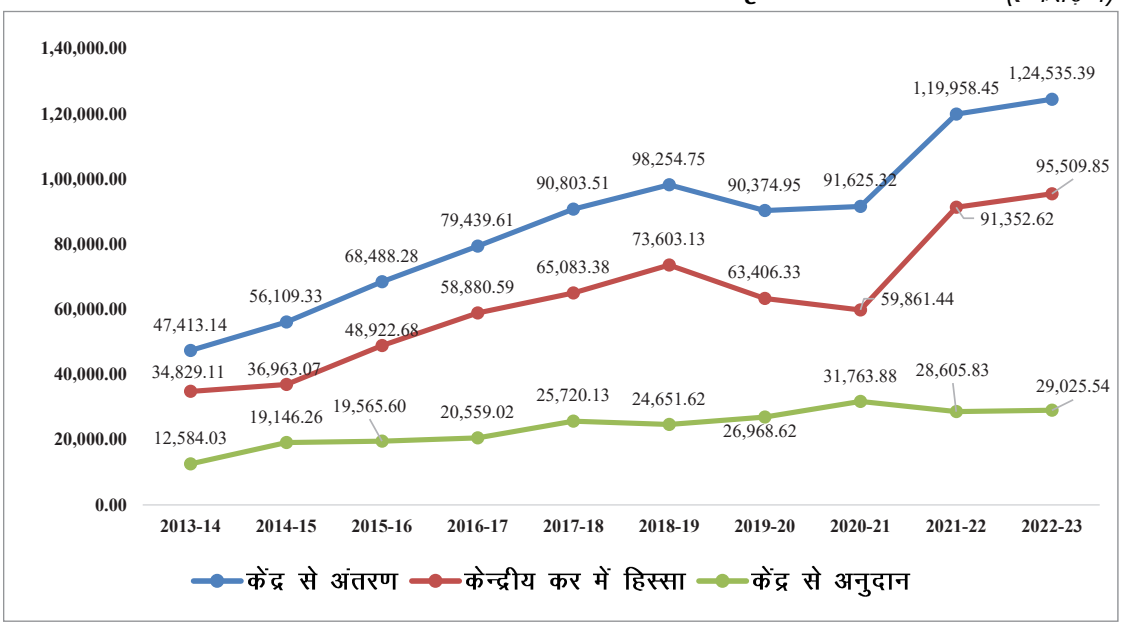

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.9 से देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार से निधियों का अंतरण 2013–14 के ₹ 47,413.14 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 1,24,535.39 करोड़ हो गया, यानी पिछले 10 वर्षों की अवधि में केंद्र से अंतरण में 162.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

केंद्रीय करों का अंतरण

केन्द्र द्वारा किए गए वास्तविक अंतरण की तुलना एवं चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी की तुलना को **तालिका 2.10** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.10: वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वित्त आयोग की अनुशंसा	राज्य को अनुमानित कर हिस्सा	वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार को अंतरित राशि	वास्तविक अंतरण	अंतर	प्रतिशत अन्तर
1	2	3	4	5	6(5-4)	7
2018-19	साझा करने योग्य सेवा करों की निवल आय का 9.787 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	8,93,430	87,440	73,603	13,837	15.82
2019-20		10,34,745	1,01,270	63,406	37,864	37.39
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.061 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	8,55,176	86,039	59,861	26,178	30.43
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.058 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	6,58,591	66,241	91,353	25,112	(+) 37.91
2022-23		7,32,628	73,688	95,510	21,822	(+) 29.61

(स्रोतः वित्त आयोग का प्रतिवेदन और वित्त लेखे)

इस प्रकार, वर्ष 2022–23 के लिए वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक कर हस्तांतरण 29.61 प्रतिशत अधिक था। 2018–19 से 2022–23 में विभिन्न घटकों के तहत संघीय करों में राज्य

का हिस्सा **तालिका 2.11** में दिखाया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय करों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)	18,166.79	17,992.97	17,788.67	25,442.20	26,989.02	
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)	1,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
निगम कर	25,596.84	21,618.94	18,062.14	27,178.50	32,019.47	
निगम कर के अलावा आय पर कर	18,850.99	16,939.90	18,517.49	26,661.32	31,262.19	
सीमा शुल्क	5,217.40	4,019.07	3,179.93	6,775.97	3,754.66	
संघीय उत्पाद शुल्क	3,467.28	2,794.34	2,012.03	3,868.86	1,178.03	
सेवा कर	673.31	0.00	258.09	1,326.22	149.28	
अन्य कर #	180.72	41.11	43.06	99.55	157.20	
केंद्रीय कर अंतरण	**73,603.13**	**63,406.33**	**59,861.41**	**91,352.62**	**95,509.85**	
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशतता	13.09	-13.85	-5.59	52.61	4.55	
राजस्व प्राप्ति में केन्द्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	55.85	51.04	46.71	57.53	55.31	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

 # अन्य करों में सम्पत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

केंद्रीय कर अंतरण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,157.23 करोड़ (4.55 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई। 2022–23 में केंद्र से कर हस्तांतरण विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक था और 2018–19 से ₹ 21,906.72 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 के लिए केंद्रीय कर हस्तांतरण में निगम कर का हिस्सा सबसे अधिक (33.52 प्रतिशत) था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) प्राप्त होती है। विगत पाँच वर्षों में भारत सरकार से सहायता अनुदान और उसके घटकों का विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
गैर–योजना अनुदान	-	-	-	-	-
राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान	(-) 2.82	(-) 40.27	(-)33.57	0.00	(-) 374.48
केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान*	-	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अनुदान (सी0एस0एस0)	16,322.72	15,302.04	16,609.56	17,832.91	22,237.18
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	-	-	-
केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान	4,775.20	7,343.61	8,850.00	7,077.56	6,732.65
अन्य अंतरण/राज्यों/विधान सभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश	3,556.52	4,363.24	6,337.89	3,695.36	430.19
कुल	**24,651.62**	**26,968.62**	**31,763.88**	**28,605.83**	**29,025.54**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-)4.15	9.40	17.78	(-)9.94	1.47
राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	18.70	21.71	24.78	18.01	16.81

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**** वर्ष 2017–18 से योजना और गैर–योजना अनुदानों के शब्दावली को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर सी0एस0एस0 के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान दिया गया है।***

योजना और गैर–योजना के अंतर (2017–18) को हटाने के साथ, केंद्र से सहायता अनुदान में: (i) वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान (ii) आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए अनुदान और (iii) केंद्रीय प्रक्षेत्र के केंद्रीय हिस्से एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल हैं।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि: (i) भारत सरकार से सहायता अनुदान, मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान में वृद्धि (24.70 प्रतिशत) के कारण ₹ 419.71 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में अनुदान के अन्य घटकों में गिरावट देखी गई और (ii) 2018–19 से 2022–23 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से कुल अनुदान 16.81 प्रतिशत से 24.78 प्रतिशत के बीच थी। 2022–23 में राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का प्रतिशत विगत पाँच वर्षों में सबसे कम था। कुल मिलाकर, विगत पाँच वर्षों में भारत सरकार से सहायता अनुदान 2.91 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ी है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2022–23 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिए गए ₹ 22,237.18 करोड़ के अनुदान में से प्रमुख अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹4,192.59 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 100.91 प्रतिशत की वृद्धि)।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹ 1,386.18 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 692.11 प्रतिशत की वृद्धि)।
- समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹ 1,358.84 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 2,566.23 प्रतिशत की वृद्धि)।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए ₹ 1,377.40 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 27.51 प्रतिशत की कमी)।
- समग्र शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए ₹1,445.14 करोड़ दिए गए।

एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी0एफ0एम0एस0/ एफ0सी0डी0/2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के तहत निधि जारी करने और एस0एन0ए0 द्वारा निगरानी के साथ–साथ जारी निधि के उपयोग की प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सी0एस0एस0 के लिए, एस0एन0ए0 की स्थापना राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ की जाती है। इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एस0एन0ए0 के खाते में अंतरित करना है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹ 22,481.46 करोड़ प्राप्त हुए।

पी0एफ0एम0एस0 रिपोर्ट (31 मार्च 2023 तक) के अनुसार, सरकार ने एस0एन0ए0 को ₹ 22,231.91 करोड़ जो केंद्रीय हिस्सा था और ₹ 14,190.40 करोड़ राज्य के हिस्से को अंतरित किए थे। ₹ 36,422.31 करोड़ के कुल अंतरण में से ₹ 745.69 करोड़ ए0सी0 बिल, ₹ 29,627.52 करोड़ सहायता अनुदान बिल, ₹ 5,996.11 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिल और ₹ 52.99 करोड़ छात्रवृत्ति और वजीफे के बिल के माध्यम से अंतरित किए गए। जैसा कि राज्य सरकार/एस0एन0ए0 द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च 2023 तक एस0एन0ए0 के बैंक खातों में ₹ 15,732.06 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हुए हैं। *एस0एन0ए0 पर विस्तृत विश्लेषण* ***इस रिपोर्ट के अध्याय IV की कंडिका 4.21 में है।***

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य को स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान, राज्य विशिष्ट अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान के लिए निधि प्रदान की।

वास्तविक प्राप्ति की तुलना में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: सहायता अनुदान की अनुशंसित और वास्तविक अंतरण

(₹ करोड़ में)

	पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक अंतरण			राज्य द्वारा अंतरण		
	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकाय (पी0आर0आई0)	5,018.00	3,709.00	3,842.00	5,018.00	3,709.00	3,842.00	5,018.00	3,709.00	3,842.00
शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान	2,416.00	1,827.00	1,892.00	2,416.00	836.25	1,552.35	2,416.00	836.25	1,552.35
स्वास्थ्य के लिए अनुदान	0	1,133.10	1,133.10	0	1,116.31	0	0	1,116.31	0
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि#	1,416.00	1,416.00	1,487.00	1,416.00	1,416.00	1,338.30	1,416.00	1,416.00	1,338.30
कुल	**8,850.00**	**8,085.10**	**8,354.10**	**8,850.00**	**7,077.56**	**6,732.65**	**8,850.00**	**7,077.56**	**6,732.65**

(स्रोतः पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और वित्त लेखे)
 # राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि सहित

राज्य को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का अपना पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं हो सका, जिसका मुख्य कारण शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बी0) में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य मानदंडों[7] को प्राप्त न करना था।

वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 6,732.65 करोड़ जारी किए गए, जो अनुशंसा से 19.41 प्रतिशत कम था। यू0एल0बी0 और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को अनुदान सिफारिश से क्रमशः 17.95 प्रतिशत और 10.00 प्रतिशत कम था। स्वास्थ्य के लिए ₹ 1,133.10 करोड़ की अनुशंसा के विरुद्ध कोई अनुदान नहीं मिला। वर्ष 2022–23 में प्राप्त अनुदान भी विगत वर्ष के अनुदान से 4.87 प्रतिशत कम था। हालाँकि, बिहार सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग के सिफारिशों के शुरुआती वर्ष से 2022–23 तक स्थानीय निकायों (पी0आर0आई0) के लिए सौ प्रतिशत अनुशंसित अनुदान प्राप्त हुआ।

उपरोक्त अनुदानों के अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य–विशिष्ट अनुदान, सांख्यिकी, न्यायपालिका और पी0एम0जी0एस0वाई0 के रखरखाव में सुधार के लिए अनुदान, राज्य के लिए कृषि सुधार, आत्मनिर्भरता, निर्यात और स्थिरता के लिए प्रोत्साहन राशि की भी सिफारिश की, लेकिन ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने पुष्टि की (18.08.2023) कि भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई, लेकिन अनुदान प्राप्त न होने का कारण नहीं बताया गया।

2.4.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए पूँजीगत प्राप्तियों और उनके घटकों का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

[7] राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम 25 प्रतिशत शहरी निकायों के पास विगत वर्ष के लिए उनके अनंतिम लेखे और विगत वर्ष से पहले के लिए लेखापरीक्षित लेखे दोनों हैं जो वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

तालिका 2.14: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना और वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**20,493**	**29,175**	**36,735**	**40,473**	**48,325**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,825	30	820	28	41
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**18,668**	**29,145**	**35,915**	**40,445**	**48,284**
आंतरिक ऋण	16,134	27,866	29,412	30,918	38,129
वृद्धि दर	37.07	72.72	5.55	5.12	23.32
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,534	1,279	6,503	9,527	10,155
वृद्धि दर	81	(-) 50	408.44	46.50	6.59
गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	8,195	(-) 98	2,633.33	(-) 96.59	48.18
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	41.75	56.12	23.23	12.61	19.38
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	55	42	25.91	10.18	19.40

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022–23 में, पूँजीगत प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 2,21,013.03 करोड़) का 21.87 प्रतिशत थीं और 2018–19 से इसमें 135.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत पाँच वर्षों की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियाँ औसतन 30.50 प्रतिशत की दर से बढ़ीं। राज्य सरकार ने खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹ 38,129 करोड़ और भारत सरकार से ₹ 10,155 करोड़ का ऋण लिया। वर्ष 2018–19 से खुले बाजार से उधार और भारत सरकार से ऋण की मात्रा में 136.33 प्रतिशत और 300.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम एवं आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्ति का हिस्सा 99.92 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 से 2021–22 तक ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी लेकिन इस प्रवृत्ति पर काबू पाते हुए चालू वर्ष में 19.38 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई।

चालू वर्ष में ₹ 38,129 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया और पूँजीगत प्राप्तियों में इसका योगदान 78.90 प्रतिशत था। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों और अग्रिमों में वर्ष 2021–22 में दर्ज वृद्धि दर पर 6.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। "विशेष सहायता" के तहत पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (₹ 8,455.85 करोड़) और 1989–90 से ब्लॉक ऋण के तहत ब्लॉक ऋण (₹ 1,698.69 करोड़), प्रमुख घटक थे।

ऋण और अग्रिम की वसूली के रूप में गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ बढ़कर ₹ 41.49 करोड़ हो गईं। इसमें से 52.88 प्रतिशत (₹ 21.94 करोड़) सरकारी कर्मचारियों से ऋण की वसूली से संबंधित थी। इस वर्ष भी 'सरकारी सेवकों से वसूली' राज्य की गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा रही, जिसमें, ₹ 26.92 करोड़ के संवितरण के मुकाबले, सरकारी सेवकों से दर्ज की गई वसूली ₹ 21.94 करोड़ थी।

यद्यपि पूँजीगत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 19.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी अवधि में पूँजीगत व्यय में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.4 संसाधन के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों का संग्रहण सरकार को सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने तथा लोक निवेश के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करने की अनुमति देती है।

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्व कर और करेत्तर राजस्व शामिल हैं, जिसे **तालिका 2.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: 2022–23 में अनुमानों की तुलना में कर और करेत्तर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित	छठवें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमानित	वास्तविकी	वास्तविकी की प्रतिशत भिन्नता		
					बजट अनुमान से	पंद्रहवें वित्त आयोग अनुमान से	छठे राज्य वित्त आयोग अनुमान से
स्व कर राजस्व	41,387	33,067	32,373	44,018	6.36	33.12	35.97
करेत्तर राजस्व	6,136	4,913	5,434	4,135	(-)32.61	(-)15.84	(-)23.91

(स्रोत: बजट दस्तावेज बिहार सरकार, पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन और छठे राज्य वित्त आयोग एवं वित्त लेखे)

राज्य बजट अनुमान, पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग अनुमान में निर्धारित करेत्तर राजस्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रमशः ₹ 2,001 करोड़, ₹ 778 करोड़ और ₹ 1,299 करोड़ से पीछे रह गया। हालाँकि, बजट अनुमान, पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग में निर्धारित स्व कर राजस्व के अनुमानों को प्राप्त किया गया और यह अनुमान से क्रमशः ₹ 2,631 करोड़, ₹ 10,951 करोड़ और ₹ 11,645 करोड़ अधिक था।

2.5 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानून के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी निहित होती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढ़ाँचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्यय जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। व्यय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत होनी चाहिए। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ाकर बचत करना होना चाहिए।

2.5.1 व्यय की वृद्धि एवं घटक

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत, देखभाल और कामकाजी खर्चों पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों को परिचालन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन–प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्च भी राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत होंगे।

पूँजीगत व्यय: किसी परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी शुल्कों के साथ–साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव के लिए शुल्क और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत स्वीकृत ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधारों के लिए शुल्क को भी पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ऋण और अग्रिम: सरकार द्वारा लोक क्षेत्र उपक्रमों (पी0एस0यू0) और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

समग्र व्यय और इसके घटकों का प्रवृत्ति विश्लेषण एवं जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष प्रतिशत को **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टी0ई0)	1,47,425	1,38,987	1,58,816	1,84,377	2,17,552.81
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976.22
पूँजीगत व्यय (सी0ई0)	21,058	12,304	18,209	23,678	31,519.82
ऋण एवं अग्रिम	1,470	666	1,114	1,479	2,056.77
जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में					
टी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	27.92	23.89	28.00	28.35	28.95
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0	23.66	21.66	24.59	24.48	24.48
सी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	3.99	2.11	3.21	3.64	4.19
ऋण एवं अग्रिम / जी0एस0डी0पी0	0.28	0.11	0.20	0.23	0.27

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आर्थिक वर्गीकरण और गतिविधियों द्वारा व्यय के संदर्भ में, व्यय की संरचना में परिवर्तन को **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएँ	42,002 (28.49)	44,016 (31.67)	47,626 (29.99)	52,447 (28.45)	59,284 (27.25)
सामाजिक सेवाएँ	62,345 (42.29)	60,619 (43.61)	70,139 (44.16)	81,268 (44.08)	94,316 (43.35)
आर्थिक सेवाएँ	41,604 (28.22)	33,684 (24.24)	39,935 (25.15)	49,183 (26.68)	61,896 (28.45)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	1,474 (1.00)	668 (0.48)	1,116 (0.70)	1,479 (0.80)	2,057 (0.95)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
(कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े इन क्षेत्रों पर कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं)

तालिका 2.17 दर्शाती है कि:

- राज्य ने 2022–23 में, कुल व्यय के गतिविधि घटकों के संदर्भ में, आर्थिक सेवाओं में अधिक राशि व्यय (प्रतिशतता–वार) की है जबकि सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में व्यय में कमी के साथ मामूली भिन्नताएँ देखी गई हैं।
- सामान्य सेवाओं में, राज्य ने ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए समेकित निक्षेप निधि में योगदान को स्थगित करने का निर्णय लेकर ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग पर अपने व्यय को कम कर दिया, जो उस हद तक राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वर्ष 2022–23 में, राज्य ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1,288 करोड़ का योगदान दिया।
- सामाजिक सेवाओं में, 'सामान्य शिक्षा' के तहत व्यय में 'गैर–सरकारी कॉलेजों और संस्थानों को सहायता' में 54.68 प्रतिशत और 'अन्य वयस्क शिक्षा कार्यक्रम' में 98.34 प्रतिशत की बड़ी कमी, 'तकनीकी शिक्षा' के तहत 'अनुसंधान के लिए सहायता' में 65.84 प्रतिशत की

कमी, 'अनुसूचित जातियों' के लिए विशेष घटक योजना की सहायता में 66.98 प्रतिशत की कमी, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में 90.34 प्रतिशत और 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के तहत बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण में 79.50 प्रतिशत की कमी देखी गई और स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं की सहायता में 88.57 प्रतिशत एवं 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' आदि के तहत नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समकक्ष को सहायता में 73.06 प्रतिशत का अल्प व्यय देखा गया।

✦ आर्थिक सेवाओं में, 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' के तहत 'प्रशिक्षण' में 305.01 प्रतिशत, 'सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण' के तहत दिशानिर्देश और प्रशासन में 1,359.81 प्रतिशत, 'पर्यटन' के तहत दिशानिर्देश और प्रशासन में 298.17 प्रतिशत और प्रचार–प्रसार में 636.72 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, एवं जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी आदि के तहत विगत वर्ष की तुलना में दिशानिर्देश और प्रशासन में ₹ 384 करोड़ अधिक की वृद्धि देखी गई।

चार्ट 2.10 2018–19 से 2022–23 में कुल व्यय के घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.10: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति

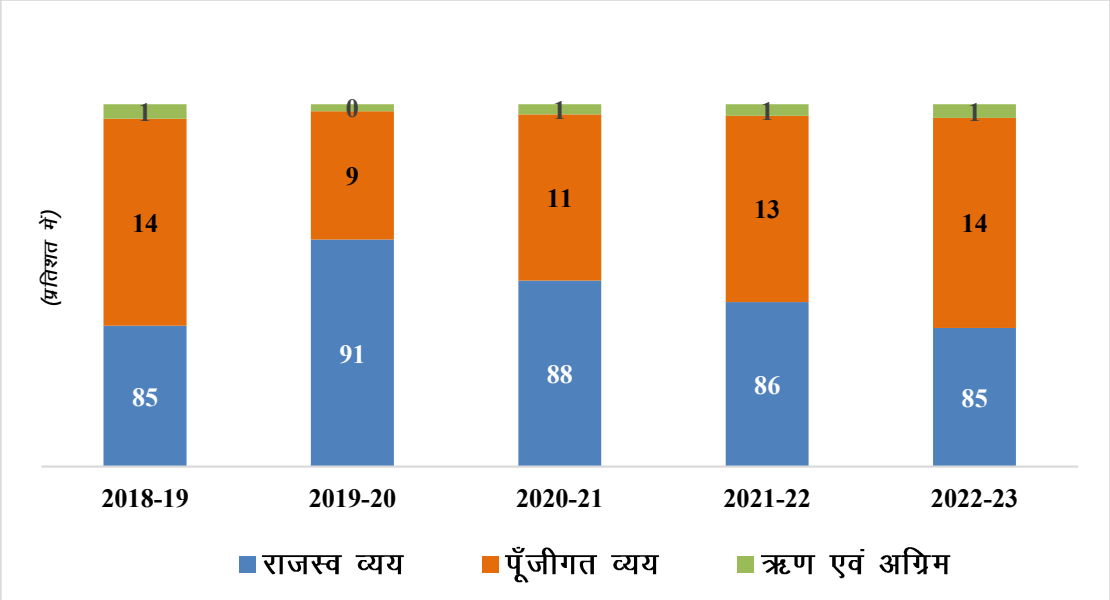

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा लिए गए बिजली कंपनियों (डिस्कॉम्स) की ऋण का राज्य के ऋण संरचना पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (₹ 2,056.77 करोड़) कुल व्यय का केवल 0.95 प्रतिशत थे। पूँजीगत व्यय में 2019–20 के बाद वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जबकि इसी अवधि में, राजस्व व्यय में कुल व्यय के संबंध में घटती प्रवृत्ति देखी गई।

कार्य के अनुसार व्यय की संरचना का विवरण **चार्ट 2.11** में देखा जा सकता है।

चार्ट 2.11: 2022–23 में कार्य के अनुसार व्यय की संरचना

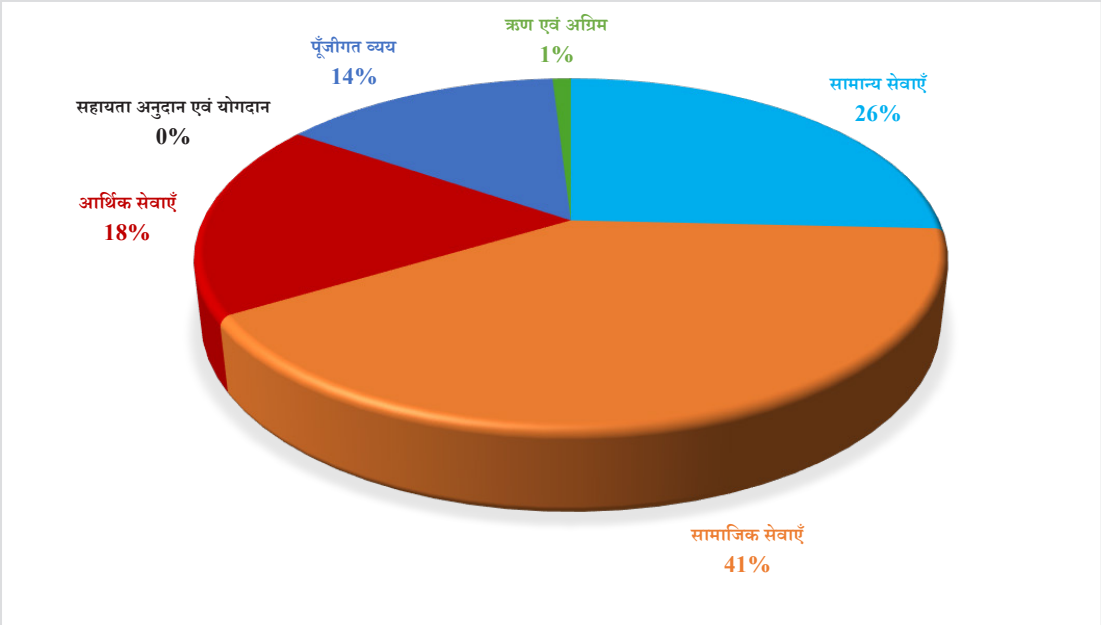

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए वित्त लेखे)

राज्य का घटकवार एवं कार्यवार बजट एवं व्यय

वर्ष 2022–23 के राज्य बजट के क्रियान्वयन का विश्लेषण, बजट में किये गये प्रावधानों के घटकवार वर्गीकरण के आधार पर किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में किये गये बजटीय प्रावधानों के विरूद्ध किये गये व्यय का घटकवार विवरण **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: घटक–वार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	मूल बजट	पूरक बजट	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट का प्रतिशतता	कुल व्यय का प्रतिशतता	बजट के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4×100)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध	1,37,460.94	13,609.47	1,51,070.41	1,26,749.88	50.08	54.66	83.90
राज्य योजनाएँ	36,023.01	21,100.34	57,123.35	44,347.59	18.93	19.12	77.63
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्रांश	46,019.44	3,502.91	49,522.35	25,898.26	16.42	11.17	52.30
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश	13,789.55	25,725.78	39,515.33	31,554.39	13.10	13.61	79.85
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ	230.25	56.78	287.03	60.45	0.10	0.03	21.06
बाह्य संपोषित परियोजनाएँ	4,168.00	-	4,168.00	3,293.30	1.38	1.42	79.01
कुल	**2,37,691.19**	**63,995.27**	**3,01,686.46**	**2,31,903.88**	**100.00**	**100.00**	**76.87**

(स्रोतः विनियोग लेखा एवं बिहार सरकार का बजट दस्तावेज)

जैसा कि **तालिका 2.18** से देखा जा सकता है, कुल बजट का 76.87 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका है और अनुपूरक बजट से अधिक राशि अप्रयुक्त रह गई है। इसके अलावा, स्थापना एवं प्रतिबद्ध घटक पर खर्च कुल व्यय का 54.66 प्रतिशत किया गया।

इसी प्रकार, राज्य के बजट और वित्त लेखे में वर्णित कार्य–वार बजटीय प्रावधानों और उनके विरुद्ध किए गए वास्तविक व्यय का विश्लेषण किया गया। कार्यवार बजटीय प्रावधान एवं उनके विरूद्ध

किये गये व्यय का विवरण **तालिका 2.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: कार्य–वार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यक्षेत्र	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का प्रतिशतता
सामान्य सेवाएँ	66,124.25	69,653.95	59,284.06	25.56
सामाजिक सेवाएँ	95,555.38	1,22,404.59	94,315.78	40.67
आर्थिक सेवाएँ	60,020.03	76,992.29	61,896.09	26.69
लोक ऋण	14,670.03	14,670.03	14,351.07	6.19
ऋण और अग्रिम	1,314.85	1,791.56	2,056.77	0.89
सहायता अनुदान एवं योगदान	6.64	6.64	0.11	-
कुल	**2,37,691.19**	**2,85,519.06**	**2,31,903.88**	**100.00**

(स्रोतः वित्त लेखा एवं बिहार सरकार का बजट दस्तावेज)

पूँजीगत व्यय (आर्थिक सेवाओं के तहत) आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कम पूँजीगत व्यय राज्य में संपत्ति निर्माण, जिस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है, की गति को बाधित कर सकता है।

2.5.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत दायित्व के लिए भुगतान करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है।

राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: राजस्व व्यय–मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टी0ई0)	1,47,425	1,38,987	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,24,897	1,26,017	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22
आर0ई0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.70	0.90	10.69	14.14	15.55
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
राजस्व व्यय का टी0ई0 से प्रतिशत	84.72	90.67	87.83	86.36	84.57
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	23.66	21.66	24.59	24.48	24.48
आर0ई0 का आर0आर0 से प्रतिशतता	94.77	101.44	108.84	100.27	106.54
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
जी0एस0डी0पी0 (अनुपात) के साथ	1.72	0.09	-	0.97	1.00
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात) के साथ	1.78	(-) 0.16	3.38	0.59	1.78

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जी0एस0डी0पी0 वृद्धि 2020–21 में नकारात्मक थी।

तालिका 2.20 दर्शाती है कि:

- राजस्व व्यय कुल व्यय का 84.57 प्रतिशत था और पूँजीगत व्यय के लिए केवल 15.43 प्रतिशत धनराशि बची जो विगत वर्ष (13.64 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ी अधिक है।
- राजस्व व्यय में ₹ 24,756.51 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 2022–23 में, जी0एस0डी0पी0 के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात विगत वर्ष की तुलना में अधिक था। राजस्व प्राप्ति के साथ, राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात 1.78 प्रतिशत था जो राज्य के वित्त के लिए अच्छा संकेत नहीं था।

✦ वर्ष 2022–23 में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता एक से अधिक थी। इससे संकेत मिलता है कि राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में तेज गति से बढ़ रहा था।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

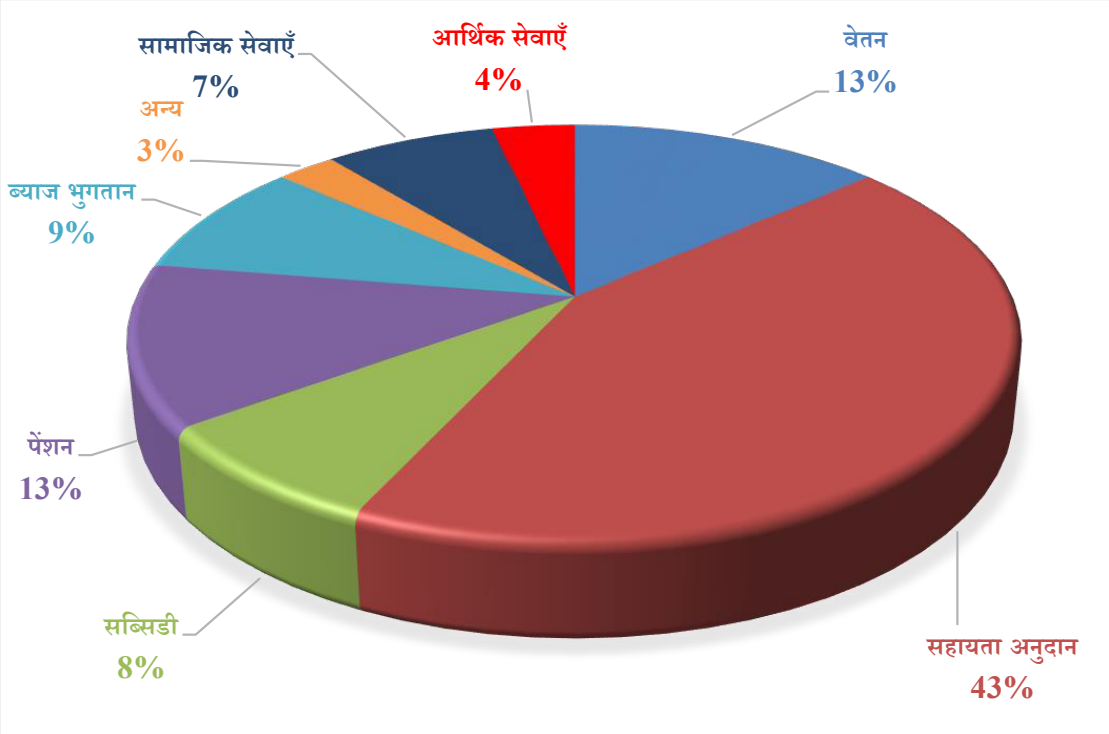

(स्रोत: वर्ष 2022–23 का वित्त लेखे)

2.5.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष में राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताएँ **तालिका 2.21** में दी गई हैं।

तालिका 2.21: 2021–22 की तुलना में 2022–23 में राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि/कमी
2029–भू–राजस्व	756.52	867.83	111.31	14.71
2049–ब्याज भुगतान	13,821.93	15,183.54	1,361.61	9.85
2055–पुलिस	8,265.23	9,235.61	970.38	11.74
2406–वानिकी एवं वन्य जीवन	314.96	560.29	245.33	77.89
2039–राज्य उत्पाद शुल्क	123.27	308.85	185.58	150.55
2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	20,257.58	23,107.87	2,850.29	14.07
2202–सामान्य शिक्षा	33,361.92	40,987.09	7,625.17	22.86
2014–न्याय प्रशासन	1,076.28	1,283.47	207.19	19.25
2215–जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	942.32	2,551.72	1,609.40	170.79
2505–ग्रामीण रोजगार	3,523.80	1,573.11	(-) 1,950.69	(-) 55.36
2225– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	4,225.92	2,864.94	(-) 1,360.98	(-) 32.21
2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	9,639.74	8,422.46	(-) 1,217.28	(-) 12.63

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.21 दर्शाता है:

- विगत वर्ष की तुलना में : (i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 'ग्रामीण रोजगार' में व्यय में कमी (ii) मुख्य रूप से 'ग्राम पंचायतों को सहायता' और शिक्षा में कम व्यय के कारण 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण' में व्यय में कमी एवं (iii) मुख्य रूप से 'बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' के तहत कम व्यय के कारण 'चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य' के व्यय में कमी।

- व्यय में वृद्धि : (i) 'भू–राजस्व' (मुख्य रूप से सरकारी संपत्ति के प्रबंधन के तहत), 'ब्याज भुगतान' (मुख्य रूप से बाजार ऋण पर ब्याज और विधायिका योजनाओं के साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अन्य ऋणों पर ब्याज के तहत), 'पुलिस' (मुख्य रूप से जिला पुलिस और विशेष पुलिस के तहत), 'वानिकी और वन्य जीवन' (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और वन संरक्षण, विकास और पंजीकरण के लिए विशेष घटक योजना के तहत), 'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' (मुख्य रूप से पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन के परिवर्तित मूल्य के तहत) और परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी योगदान), 'सामान्य शिक्षा' (मुख्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान के तहत, गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और छात्रवृत्ति आदि के लिए सहायता), 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' (मुख्य रूप से स्वच्छता सेवाओं, वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम और जनजातीय क्षेत्र उप–योजना के तहत) एवं (ii) न्याय प्रशासन, राज्य उत्पाद शुल्क आदि भी राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि के कुछ कारण थे।

2.5.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय एवं पेंशन शामिल हैं। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को विकास के लिए कम लचीलापन देती है। प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	19,922.57	20,375.92	21,802.11	23,524.52	24,816.02
पेंशन पर व्यय	16,027.75	17,110.38	19,635.15	20,257.58	23,107.87
ब्याज भुगतान	10,071.14	10,991.42	12,484.04	13,821.93	15,183.54
कुल	**46,021.46**	**48,477.72**	**53,921.30**	**57,604.03**	**63,107.43**
राजस्व प्राप्तियों (आर0आर0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	15.12	16.40	17.01	14.81	14.37
पेंशन पर व्यय	12.16	13.77	15.32	12.76	13.38
ब्याज भुगतान	7.64	8.85	9.74	8.70	8.79
कुल	**34.92**	**39.02**	**42.07**	**36.28**	**36.54**
राजस्व व्यय (आर0ई0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	15.95	16.17	15.63	14.77	13.49
पेंशन पर व्यय	12.83	13.58	14.08	12.72	12.56
ब्याज भुगतान	8.06	8.72	8.95	8.68	8.25
कुल	**36.85**	**38.47**	**38.66**	**36.18**	**34.30**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2020–21 के 38.66 प्रतिशत से लेकर 2022–23 में 34.30 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात विगत वर्ष की तुलना में 2022–23 में (मामूली 0.26 प्रतिशत) बढ़कर 36.54 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक प्रतिबद्ध व्यय बढ़कर 37.13 प्रतिशत हो गया।

वर्ष के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में, कुल प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 5,503.40 करोड़ (9.55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान (8.79 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2016, में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के 8.29 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था, लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹ 15,356 करोड़ के अनुमान से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों पर व्यय 2018–19 में जी0एस0डी0पी0 का 8.72 प्रतिशत था और 2022–23 में घटकर 8.40 प्रतिशत हो गया था। 2020–21 में, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय 9.51 प्रतिशत रहा, जो विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक था।

बिहार सरकार के बजट दस्तावेज (2020–21) के अनुसार 'लोक ऋण का पुनर्भुगतान' को भी राज्य के प्रतिबद्ध व्यय के रूप में लिया गया है। लोक ऋण के पुनर्भुगतान पूँजीगत शीर्ष अंतर्गत व्यय के घटकों में से एक है। इस प्रतिवेदन में लोक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय की गणना की गई है। इसलिए, प्रतिबद्ध व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतीत में वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य के पेंशन और वेतन भुगतान में वृद्धि हुई है, जिससे इसके राजस्व व्यय पर असर पड़ा है। बी0एफ0आर0बी0एम0, 2023, में अनुमानित पेंशन भुगतान, आगामी वर्षों के लिए नौ प्रतिशत की वृद्धि दर की आधार दर के साथ गणना की गई और पेंशन भुगतान देनदारियों को 2032–33 तक बढ़ाकर ₹ 63,933.85 करोड़ किया जाएगा। इसलिए, पेंशन और वेतन का आकलन करते समय, राज्य को राजस्व प्रवाह पर संभावित दबाव और सख्त वित्तीय अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। चूँकि विगत 10 वर्षों में, राज्य के राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि 11.54 प्रतिशत थी, जो पेंशन पर व्यय की अनुमानित वृद्धि दर (नौ प्रतिशत) का बोझ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा राज्य को पेंशन के अलावा अन्य मदों पर व्यय करना पड़ता है।

वर्ष में, राज्य ने एम0टी0एफ0पी0[8] में प्रतिबद्ध व्यय को बनाए रखा है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए बजट के बडे हिस्से का आवंटन पूँजीगत व्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं को तय करने में राज्य के लचीलेपन को सीमित करता है।

2.5.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की लंबित देयताएँ

1 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी0सी0पी0एस0) है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करता है और राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। पूरी राशि (कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान) को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित किया जाना है।

2022–23 में एन0पी0एस0 के लिए कुल योगदान ₹ 2,649.81 करोड़ (कर्मचारियों का योगदानः ₹ 1,106.56 करोड़ और सरकार का योगदानः ₹ 1,543.25 करोड़) होना था, जिसके विरूद्ध ₹ 2,609.30 करोड़ की राशि एन0एस0डी0एल0 को अंतरित की गई थी। वर्ष में सरकार द्वारा

[8] एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यः वेतन और मजदूरी– ₹ 29,749.57 करोड़; पेंशन– ₹ 24,252.29 करोड़ और ब्याज भुगतान– ₹ 16,305.03 करोड़।

₹ 325.56 करोड़ (विगत वर्ष का शेष ₹ 279.12 करोड़ और चालू वर्ष का शेष ₹ 46.44 करोड़) का कम योगदान दिया गया।

31 मार्च 2023 तक, ₹ 325.56 करोड़ (₹ 279.12 करोड़ विगत वर्ष का शेष + ₹ 46.44 करोड़) अंत शेष के रूप में लोक लेखा में पड़े थे, जिन्हें एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में जमा किया जाना बाकी था।

इसके अलावा, राज्य सरकार एन0पी0एस0 शेष राशि के विलंबित अंतरण पर सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) ग्राहकों के लिए लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, राज्य सरकार ने एन0एस0डी0एल0 को अंतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज देनदारी बनाई है।

कर्मचारियों के हिस्से से प्राप्तियाँ, सरकार का योगदान, उस पर अर्जित ब्याज और पेंशन निधि में निवेश का विवरण **तालिका 2.23** में दिया गया है।

तालिका 2.23: डी0सी0पी0एस0 के तहत योगदान और निवेश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारियों का योगदान	सरकार का अंशदान	कुल	पेंशन निधि में हस्तांतरित	कम (-)/अधिक (+) हस्तांतरण
2015-16	314.72	309.44	624.16	609.72	(-) 14.44
2016-17	381.55	382.64	764.19	741.68	(-) 22.51
2017-18	462.64	472.36	935.00	937.33	2.33
2018-19	573.74	567.54	1,141.28	1,081.26	(-) 60.02
2019-20	688.65	816.58	1,505.23	1,302.58	(-) 202.65
2020-21	802.00	1,099.76	1,901.76	1,976.83	75.07
2021-22	934.55	1,311.04	2,245.59	2,302.76	57.17
2022-23	1,106.56	1,543.25	2,649.81	2,609.30	(-) 40.51

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

एन0एस0डी0एल0 को धनराशि का कम योगदान/हस्तांतरण कर्मचारियों की पेंशन आय को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, सरकार के योगदान को जारी करने और पेंशन निधि में अंतरित करने में देरी के कारण, राज्य सरकार को सामान्य भविष्य निधि पर लागू दर पर परिहार्य ब्याज का सामना करना पड़ेगा, जो उस सीमा तक भविष्य की देनदारी और राजकोषीय घाटा पैदा करता है।

2.5.2.4 सब्सिडी

चालू वर्ष में कुल सब्सिडी, ₹ 14,827.79 करोड़ रहीं, जो विगत वर्ष की तुलना में 44.58 प्रतिशत अधिक है। यह विगत वर्ष की तुलना में विगत पाँच वर्षों के दौरान सर्वाधिक वृद्धि है और यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.59 प्रतिशत और राज्य के स्व राजस्व का 30.79 प्रतिशत थी। वर्ष 2022–23 में यह जी0एस0डी0पी0 का 1.97 प्रतिशत थी।

सब्सिडी पर व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: वर्ष 2018–23 के दौरान विभागवार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

विभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
कृषि	490.52	518.17	164.30	219.58	496.76	
ऊर्जा	5,737.03	5,193.00	6,759.96	8,180.82	12,223.00	
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	638.81	618.13	578.77	720.56	629.93	
उद्योग	322.00	316.78	234.47	787.07	1,040.42	
परिवहन	962.77	177.17	122.57	89.01	96.18	
पशु एवं मत्स्य संसाधन	112.92	116.00	99.67	100.71	163.37	
अन्य	59.92	182.02	207.68	158.27	178.13	
सब्सिडी	**8,323.97**	**7,121.27**	**8,167.42**	**10,256.02**	**14,827.79**	
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	6.32	5.73	6.37	6.46	8.59	
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	6.66	5.65	5.86	6.44	8.06	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला कि सब्सिडी का 82.43 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में गया। यह विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सबसे अधिक था और विगत वर्ष की सब्सिडी के प्रतिशत हिस्से से 2.66 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी में 113.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,042.18 करोड़ अधिक थी, यानी बिहार सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी को विगत वर्ष की तुलना में 49.41 प्रतिशत बढ़ा दिया था। इस प्रवृत्ति से यह भी पता चला कि 2019–20 को छोडकर, विगत पाँच वर्षों में सब्सिडी की राशि में वृद्धि हुई। चूँकि अधिकांश सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र को जाती है, **तालिका 2.25** ऊर्जा क्षेत्र को दी गई सब्सिडी का विवरण दिखाती है।

तालिका 2.25: वर्ष 2018–2023 के लिए ऊर्जा क्षेत्र को दी गई सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	वर्ष				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0)	0.00	0.00	0.00	100.00	145.00
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)	57.03	0.00	0.00	80.86	0.00
मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)	5,120.00	5,193.00	6,759.96	7,999.96	12,078.00
कुल	**5,737.03**	**5,193.00**	**6,759.96**	**8,180.82**	**12,223.00**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों की अवधि में, ऊर्जा कंपनियों को, मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना को छोड़कर, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए कुल ₹ 38,093.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई। वर्ष 2021–22 के लिए दोनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रमाणित लेखों के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) को ₹ 1,287.60 करोड़ का घाटा और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) को ₹ 929.57 करोड़ का घाटा हुआ।

2.5.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में, स्थानीय निकायों और अन्य को, अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता **तालिका 2.26** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.26: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(ए) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	2,892.56	1,533.24	4,785.08	5,386.53	4,990.73
पंचायती राज संस्थान	7,517.61	9,971.64	12,899.38	13,268.40	14,474.20
कुल (ए)	**10,410.17**	**11,504.88**	**17,684.46**	**18,654.93**	**19,464.93**
(बी) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	1,905.37	3,925.89	3,716.00	3,684.25	4,331.84
विकास प्राधिकरण	5,860.77	5,839.49	999.15	1,693.64	1,388.63
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थान	33,587.98	25,311.28	32,529.37	40,982.19	54,755.48
कुल (बी)	**41,354.12**	**35,076.66**	**37,244.52**	**46,360.08**	**60,475.95**
कुल (ए+बी)	**51,764.29**	**46,581.54**	**54,928.98**	**65,015.01**	**79,940.88**
वेतन पर जी0आई0ए0	19,922.57	20,375.92	21,802.11	23,524.52	24,816.02
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जी0आई0ए0	14,023.84	5,569.37	10,273.35	14,083.39	20,019.34
गैर–वेतन के लिए जी0आई0ए0	2,184.57	2,494.82	3,652.61	3,797.35	4,798.28
जी0आई0ए0 (वस्तु रूप में)	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी				
राजस्व व्यय	1,24,896.81	1,26,016.66	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	41.45	36.96	39.38	40.83	43.45

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों (एल0बी0) और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में विगत वर्ष (₹ 65,015.01 करोड़) की तुलना में 22.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्व व्यय में इसका प्रतिशत बढ़कर 43.45 प्रतिशत हो गया।

स्थानीय निकायों को उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना, वित्तीय सहायता जारी करना खराब वित्तीय प्रबंधन (***अध्याय–IV*** की ***कंडिका 4.5*** में विस्तृत) का संकेत है।

छठे राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0)

राज्य सरकार ने 2020–25 के लिए छठे एस0एफ0सी0 का गठन (फरवरी 2019) किया। एस0एफ0सी0 ने करों और अनुदानों के हस्तांतरण की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की। इस प्रकार, यदि करों और अनुदानों के अंतरण का परिकलित मूल्य न्यूनतम सीमा से कम हो जाता है, तो राज्य सरकार को कम से कम न्यूनतम सीमा राशि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करनी होगी।

आयोग को संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार से राज्य के स्थानीय निकायों को राजकोषीय अंतरण करना था।

एस0एफ0सी0 की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 2021–22 से 2024–25 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों के प्रावधान के लिए 65:35 फार्मूला अपनाया। 2022–23 में, कुल प्रावधान ₹ 4,834 करोड़ (अंतरण: ₹ 2,654 करोड़ और अनुदान: ₹ 2,180 करोड़) में से ₹ 3,142 करोड़ (65 प्रतिशत) पंचायती राज संस्थानों के लिए और ₹ 1,692 करोड़ (35 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के लिए थे।

अंतरण

राज्य सरकार को एस0एफ0सी0 की सिफारिश पर 2021–22 से 2024–25 की अवधि के लिए विभाज्य पूल (विगत वर्ष का राज्य का निवल स्व कर राजस्व) की 10 प्रतिशत की दर से अंतरित करना था। निधियों का अंतरण **तालिका 2.27** में देखा जा सकता है।

तालिका 2.27: 2022–23 के लिए करों का विभाज्य पूल

(₹ करोड़ में)

	अनुमानित	वास्तविक (टी–1)
राज्य स्व कर राजस्व (अ)	32,373	34,855
संग्रह करने की लागत 2.52 प्रतिशत की दर से (ब)	816	878
निवल राज्य स्व कर राजस्व (अ–ब)	31,557	33,977
हस्तांतरण (एस0ओ0एन0टी0आर0 का 10 प्रतिशत)	3,156	3,398

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन और संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

हालाँकि, राज्य ने अनुशंसित ₹ 3,398 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 2,654 करोड़ (अंतरण) प्रदान किए।

अनुदान

आयोग ने 2021–25 की अवधि में वार्षिक अनुदान की राशि की गणना विगत वर्ष के निवल राजस्व (राज्य की समेकित निधि) के 2.50 प्रतिशत की दर से करने की सिफारिश की। अनुदान का 50 प्रतिशत सीधे स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना था और शेष 50 प्रतिशत विभिन्न विभागों के द्वारा उन योजनाओं में खर्च किया जाना था जिनके लक्ष्य स्थानीय निकायों द्वारा विकसित किए जाने थे। 2022–23 में, ₹ 4,609 करोड़ (₹ 1,84,376.51 करोड़ x 2.50 प्रतिशत) की अनुदान राशि का प्रावधान किया जाना था, जैसा कि **तालिका 2.28** में उल्लेखित है।

तालिका 2.28: 2022–23 के दौरान स्थानीय निकायों को अनुदान

(₹ करोड़ में)

अनुदान	एस0एफ0सी0 द्वारा अनुमानित	राशि जिसका प्रावधान किया जाना था	प्रावधान
स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष (50 प्रतिशत)	2,180	2,304.50	1,090.00
विभागों द्वारा व्यय (50 प्रतिशत)	2,180	2,304.50	1,090.00
कुल	**4,360**	**4,609.00**	**2,180.00**

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन और संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने अनुमानित ₹ 4,609 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 2,180 करोड़ (43.03 प्रतिशत) का प्रावधान किया था।

स्थानीय निकायों को निधियाँ जारी करने में विलंब: 2022–23 में, प्रत्येक मद के लिए भुगतान आदेश दो किश्तों में जारी किए जाने थे यानी 50 प्रतिशत की पहली किस्त 30 जून तक और 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक।

निधि जारी करने के आदेशों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयोग के दिशानिर्देशों के विरूद्ध, पारित आदेशों में 74 से 259 दिनों तक की देरी हुई।

वित्त विभाग, बिहार सरकार से निधियों को कम एवं विलंबित रूप से जारी करने के कारण (14 नवंबर 2023) पूछे गए थे। हालाँकि, उनके जवाब की प्रतीक्षा (31 दिसंबर 2023) थी ।

2.5.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय है। राज्य में पूँजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से बाहर से पूरा किया जा रहा। इसमें राज्य द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पाँच वर्षों में, कैपेक्स का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.13** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.13: राज्य में पूँजीगत व्यय

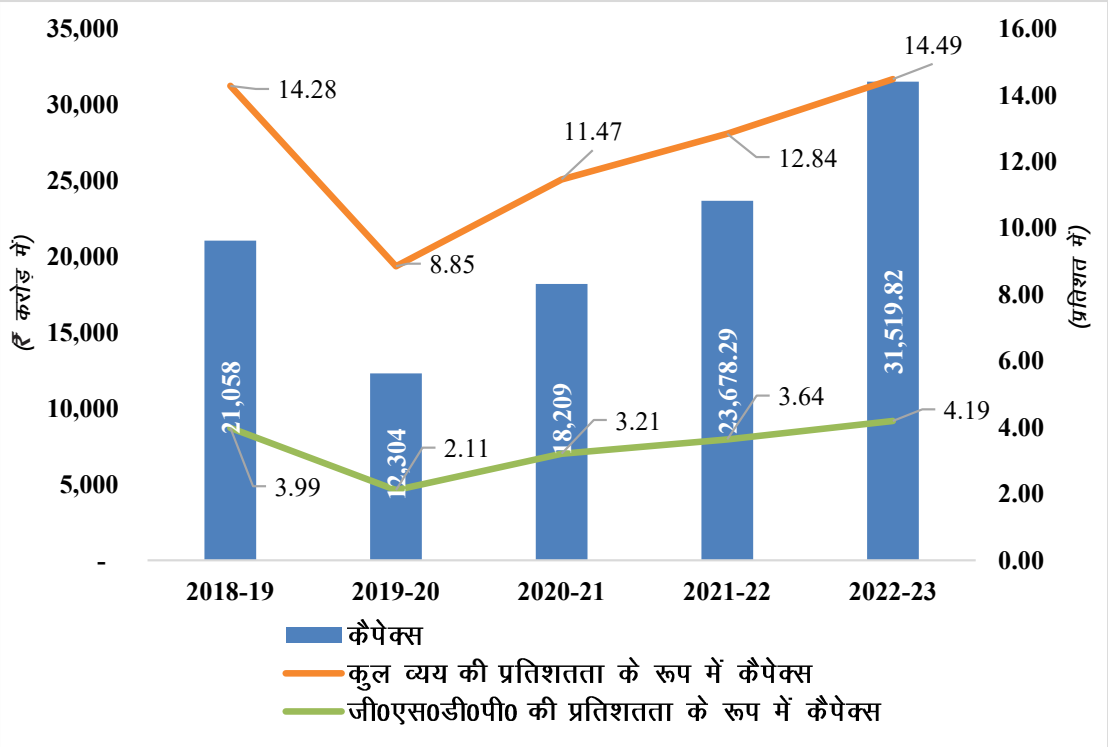

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.13 से, यह देखा जा सकता है कि:

- पूँजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में किए गए आकलन और मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी 2022 (₹ 29,749.64 करोड़) में किए गए अनुमान की तुलना में 5.95 प्रतिशत अधिक था।

- सामाजिक सेवाओं में पूँजीगत व्यय ₹ 5,153.72 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,967.30 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में ₹ 1,561.04 करोड़ तथा सामाजिक कल्याण और पोषण में ₹ 376.86 करोड़ थी। हालाँकि, सामान्य सेवाओं में यह ₹ 3,507.49 करोड़ से घटकर ₹ 3,254.88 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण अन्य प्रशासनिक सेवा में ₹ 282.09 करोड़ और पुलिस में ₹ 35.35 करोड़ की कमी है। वर्ष 2022–23 में आर्थिक

सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ₹ 15,017.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 22,297.64 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम' में ₹ 2,262.42 करोड़, "ऊर्जा" में ₹ 1,648.71 करोड़, 'सड़क और पुल' में ₹ 2,549.50 करोड़ और 'ग्राम एवं लघु उद्योग विकास' में ₹1,355.80 करोड़ की व्यय वृद्धि है।

- विगत पाँच वर्षों की अवधि में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 2.11 प्रतिशत से 4.19 प्रतिशत के बीच रहा है। हालाँकि, विगत वर्ष की तुलना में इसमें 0.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वित्त लेखों के अनुसार पूँजीगत शीर्ष के तहत दर्ज किए गए कुछ व्यय को गलत वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया ***(कंडिका 2.5.3.6)***।

पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के ***अध्याय IV की कंडिका 4.4*** में शामिल किया गया है।

2.5.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में राज्य के पूँजीगत व्यय के संबंध में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को **तालिका 2.29** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: 2021–22 की तुलना में 2022–23 में पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्षों	2021–22	2022–23	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशतता वृद्धि (+) / कमी (-)
4210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	865.44	2,426.48	1,561.04	180.38
4515– अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	3,955.66	6,218.08	2,262.42	57.19
5054– सडकों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	4,052.42	6,601.92	2,549.50	62.91
4801– विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,430.00	3,078.71	1,648.71	115.29
4851– ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	16.44	1,392.24	1,375.80	8,368.61
4235– सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	132.97	509.83	376.86	283.42
4700– मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,231.42	1,207.61	(-)1,023.81	(-) 45.88
4215– जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	1,975.96	1,310.02	(-) 665.94	(-) 33.70
4202– शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,760.74	1,315.54	(-) 445.20	(-) 25.28
4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,108.97	983.93	(-)125.04	(-)11.28
4070– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,349.48	1,067.39	(-) 282.09	(-) 20.90
5075– अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,057.59	959.00	(-) 98.59	(-) 9.32

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई। 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के तहत अधिक व्यय के कारण हुई। 'सड़क और पुलों' पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से 'प्रमुख सड़कों' के अंतर्गत की गई। विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि मुख्य रूप से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0) की परियोजनाओं के तहत हुई। 'ग्राम एवं लघु उद्योगों' में वृद्धि मुख्यतः

औद्योगिक पार्क के विकास के अंतर्गत हुई। 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' पर व्यय में वृद्धि एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई0सी0डी0एस0) के तहत अधिक व्यय और सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों के निर्माण के कारण हुई।

विगत वर्ष की तुलना में 'सिंचाई सृजन परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सहायता प्राप्त)' के कारण 'मुख्य सिंचाई', पर कम व्यय किया गया। 'मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)' के तहत कम व्यय के कारण 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' पर भी कम व्यय हुआ। 'इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग (निश्चय)' के तहत कम व्यय के कारण 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' में कम व्यय किया गया। 'बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं' (कार्यों) के अंतर्गत कम व्यय के कारण 'बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं' में कम व्यय देखा गया। मुख्यतः 'मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत कम व्यय के कारण 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' पर कम व्यय किया गया। 'पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स (कार्य)' के तहत कम व्यय के कारण, 'अन्य परिवहन सेवाओं' में कम व्यय किया गया।

2.5.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, वहाँ निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। यह खंड चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

निवेश पर प्रतिफल

एस0पी0एस0ई0 में निवेश की गई शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। 2018–19 से 2022–23 तक के वर्षों में निवेश पर प्रतिफल का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.30** में दिया गया है।

तालिका 2.30: निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	28,327.00	31,667.39	32,870.61	35,436.02	39,024.62
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	11.34	1.62	603.01	6.54	1.49
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.04	0.01	1.83	0.02	0.004
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.18	6.07	5.94	5.70	5.51
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.14	6.06	4.11	5.68	5.506
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)#	**1,739.28**	**1,919.04**	**1,350.98**	**2,012.77**	**2148.70**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
 # वर्ष के अंत में निवेश × ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर

- 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने सरकारी कंपनियों में 46 सरकारी कंपनियों (₹ 36,388.28 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹ 105.63 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़), 12 संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹ 1,862.76 करोड़), और 17 सहकारी संस्थानों/समितियों (₹ 637.76 करोड़) में ₹ 39,024.62 करोड़ का निवेश किया था। इन 46 सरकारी कंपनियों में से 22 कंपनियाँ कार्यरत कंपनियाँ हैं जिनमें ₹ 36,216.90 करोड़ का निवेश किया गया और 24 अकार्यशील कंपनियाँ थीं जिनमें बिहार सरकार द्वारा ₹ 171.38 करोड़ का निवेश किया गया।

- राज्य ने विद्युत क्षेत्र में ₹ 35,375.22 करोड़ (बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में ₹ 35,273.20 करोड़ और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 102.02 करोड़) का निवेश किया, जो 2022–23 तक राज्य सरकार के कुल निवेश का 90.65 प्रतिशत और कार्यशील कंपनियों में किए गए निवेश का 97.68 प्रतिशत है।
- केवल दो संस्थाओं (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 1.28 लाख और अन्य सहकारी द्वारा ₹ 147.54 लाख) द्वारा ₹ 1.49 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण विगत वर्ष की तुलना में निवेश पर प्रतिफल में ₹ 5.05 करोड़ की कमी आई।
- सरकार की उधारी लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल पर राज्य सरकार को ₹ 2,148.70 करोड़ (विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक) की काल्पनिक हानि हुई।

राज्य सरकार ने 2022–23 तक घाटे में चल रहे एक एस0पी0एस0ई0 को अंश पूँजी के रूप में ₹ 35,273.20 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की, जैसा कि **तालिका 2.31** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

कंपनी/निगम	समेकित हानि	वर्ष में किया गया निवेश	31 मार्च 2022 को समेकित निवेश	31 मार्च 2023 को समेकित निवेश
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	19,718.48	3,078.71	32,194.49	35,273.20
कुल	**19,718.48**	**3,078.71**	**32,194.49**	**35,273.20**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (फरवरी 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

ऋण एवं अग्रिम :

सरकार ने कई सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया है। विवरण **तालिका 2.32** में दिया गया है।

तालिका 2.32: 2018–19 से 2022–23 के दौरान वितरित और वसूले गए ऋण

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूले गए ऋण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	21,169.17	20,814.33	21,450.23	21,743.77	23,194.36
वर्ष के दौरान अंतरित राशि	1,470.56	666.30	1,113.97	1,478.51	2,056.77
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	1,825.40	30.40	820.43	27.92	41.49
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	20,814.33	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64
निवल योग	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28
प्राप्त ब्याज	462.86	599.74	3,067.38	532.78	365.90
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	पता नहीं लगाया जा सकता				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	5.96	5.68	5.49	5.37	5.18
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	पता नहीं लगाया जा सकता				

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.32 से यह देखा जा सकता है कि:

- 2022–23 में, दिए गए ऋणों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज ₹ 365.90 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 166.88 करोड़ कम और पिछले पाँच वर्षों के दौरान सबसे कम था।
- वर्ष 2022–23 में ₹1,505.52 करोड़ की राशि यानी ऋण का 73.20 प्रतिशत सरकारी कंपनियों को दी गई।
- ऋणी समूह को ₹ 2,029.85 करोड़ (सरकारी कंपनियाँ: ₹ 1,505.52 करोड़ और अन्य: ₹ 524.33 करोड़) के ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के बावजूद, केवल ₹ 18.19 करोड़ ऋण का पुनर्भुगतान किया गया।
- प्रत्येक वर्ष (2019–20 को छोडकर) में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम 2018–19 के ₹ 1,470.56 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 2,056.77 करोड़ हो गए और यह विगत पाँच वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा दी गई उच्चतम सहायता थी।

राज्य सरकार ने ऋणी को प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर को अंतिम रूप नहीं दिया था और कुछ मामलों में ऋण राशि के साथ ब्याज की दर का खुलासा नहीं किया गया।

विगत पाँच वर्षों में ऋणी समूहवार कुल संवितरण और ऋण के पुनर्भुगतान को **तालिका 2.33** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.33: विगत पाँच वर्षों (2018–19 से 2022–23) में ऋणी समूहवार ऋणों का कुल संवितरण और पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	कुल	
	संवितरण	पुनर्भुगतान
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान	0.00	0.00
नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम	0.00	0.00
आवास बोर्ड	0.00	0.00
सरकारी कंपनियाँ	4,403.08	348.45
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	1,117.17	1,414.04
पंचायती राज संस्थाएँ	0.00	0.00
सांविधिक निगम	615.85	880.86
सरकारी कर्मचारी	125.68	96.69
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	0.00	0.00
अन्य	524.33	5.60
कुल	**6,786.11**	**2,745.64**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों बैंकों, सांविधिक निगमों और सरकारी कर्मचारियों को ऋणों दिए गए। ऋण के पुनर्भुगतान की गति सहकारी समितियों/सहकारी निगमों बैंकों तथा सांविधिक निगमों में इसके संवितरण की गति से अधिक थी। हालाँकि, सरकारी कंपनियों के मामले में, जहाँ विगत पाँच वर्षों में ऋण का 64.88 प्रतिशत संवितरित किया गया था, में से केवल 7.91 प्रतिशत ऋण का ही पुनर्भुगतान किया गया।

लाभार्थी से ऋण की वसूली न होने से राज्य सरकार की धनराशि अवरुद्ध हो जाती है। 2018–19 से 2022–23 की अवधि में बांटे गए ₹ 6,786.11 करोड़ ऋण के मुकाबले केवल ₹ 2,745.64 करोड़ की वसूली हुई।

विभिन्न ऋणी समूहों से बकाया ब्याज की राशि नीचे **तालिका 2.34** में दिखाई गई है।

तालिका 2.34: 2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए बकाया ब्याज भुगतान का ऋणी समूहवार विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें/नगर निगम	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40
हाउसिंग बोर्ड	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
सरकारी कंपनियाँ	3,273.51	4,186.71	5,118.51	6,054.40	6,996.90
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	632.37	718.02	801.88	887.48	973.13
पंचायती राज संस्थाएँ	23.54	26.77	30.00	33.23	36.46
सांविधिक निगम	4,485.87	4,576.75	4,677.63	4,768.52	4,869.33
सरकारी कर्मचारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध उद्देश्यों लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	553.03	685.14	817.04	948.94	1,079.65
कुल	**9,038.12**	**10,263.19**	**11,514.86**	**12,762.37**	**14,025.27**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.34** से देखा जा सकता है कि नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों और हाउसिंग बोर्डों से बकाया ब्याज भुगतान की राशि बरकरार रही यानी इसमें कोई वृद्धि या विलोपन नहीं देखा गया (इन दोनों संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज लंबे समय से बरकरार रहा)। इसके अलावा, देय ब्याज की राशि भी स्थिर रही।

इन दोनों समूहों अर्थात्, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड से ऋण और उस पर ब्याज की राशि का समाधान करने या उसकी वसूली के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। यह देखा जा सकता है कि बकाया ब्याज भुगतान की राशि साल दर साल बढ़ती जा रही थी। इसका तात्पर्य यह है कि ऋणी समूह द्वारा ऋण पर ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार, ब्याज भुगतान न करने के परिणामस्वरूप न केवल इन ऋणी संस्थाओं पर ब्याज बढ़ रहा है, बल्कि इन ऋणी संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज के बदले में राज्य को राजस्व से भी वंचित होना पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (फरवरी 2024) पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

2.5.3.3 निष्क्रिय ऋण लेखे

निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के तहत, विगत वर्षों में विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वितरित ₹ 1,973.63 करोड़ के ऋणों की बकाया शेष (₹ 50 करोड़ और अधिक) राशि निष्क्रिय रही थी, यानी विगत नौ वर्षों (वित्त वर्ष 2014–15 से 2022–23) के लिए न तो मूलधन और न ही ब्याज का भुगतान किया गया। निष्क्रिय ऋण लेखे **तालिका 2.35** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.35: निष्क्रिय ऋण खाता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लेखा शीर्ष	2015-23
6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	70.04
6216	आवास के लिए ऋण	136.73
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	260.47
6408	खाद्य भंडारण और भंडारण के लिए ऋण	1,448.75
6515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण	57.64
कुल		**1,973.63**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इन बकाया ऋणों की उचित स्तर पर समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो वसूली अथवा बट्टे खाते में डाले जाने के लिए कदम उठाए जाएँ। उपर्युक्त के अलावा, चार मुख्य शीर्ष के तहत बकाया राशि में केवल मामूली परिवर्तन के साथ कुछ अन्य बकाया ऋण भी देखे गए और पर्याप्त राशि अभी भी निष्क्रिय थी। ऐसे मुख्य शीर्षों के साथ–साथ उनके तहत बकाया ऋण राशि का विवरण **तालिका 2.36** में दिया गया है।

तालिका 2.36: बकाया राशि में मामूली परिवर्तन वाले ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष[9]	वित्तीय वर्ष						
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
6401	289.52	289.64	289.64	289.64	289.63	389.24	406.72
6801	15,520.91	15,745.26	15,571.40	15,622.97	15,865.97	15,943.10	16,034.13
6860	469.88	469.88	469.88	469.88	469.88	474.13	474.13
6885	314.08	314.07	314.06	314.05	314.05	334.05	334.05

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.36 यह दर्शाती है कि विगत सात वर्षों में ऋणों की पर्याप्त राशि बरकरार रही।

इसके अलावा, विभिन्न ऋण शीर्षों के अंतर्गत ₹ 591.97 करोड़ की राशि को ऋणात्मक शेष के रूप में पाया गया, जिसके लिए मिलान की आवश्यकता है ***(परिशिष्ट- 2.2)***। इन शेष राशियों को वर्ष 2001–02 से आगे बढ़ाया जा रहा था। ऋणों के इस नकारात्मक संतुलन की उचित स्तर पर समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इस शेष राशि को बट्टे खाते में डालने/मिलान करने के लिए कदम उठाए जाएँ। वार्षिक लेखे 2022–23 को अंतिम रूप देने पर बहिर्गमन सम्मेलन में (13.09.2023), वित्त विभाग के सचिव (संसाधन), बिहार सरकार ने जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

2.5.3.4 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरी पूँजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृतियों का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करना व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि, ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अधूरी परियोजनाओं का विवरण **तालिका 2.37** (वित्त लेखे 2022–23 के परिशिष्ट–IX पर आधारित) में दर्शाया गया है।

[9] 6401– फसल पालन के लिए ऋण, 6801–विद्युत परियोजना के लिए ऋण, 6860– उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण, 6885– उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य ऋण।

तालिका 2.37: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्षवार रूपरेखा			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
2013-14	1	1.95	-
2014-15	0	-	-
2015-16	0	-	-
2016-17	0	-	-
2017-18	4	37.36	3.69
2018-19	16	778.16	221.82
2019-20	12	834.52	171.11
2020-21	74	2,694.13	441.03
2021-22	52	711.86	149.70
2022-23	91	330.90	59.99
कुल	**250**	**5,388.88**	**1,047.33**

31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग–वार रूपरेखा		
विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (व्यय)
जल संसाधन	104	370.58
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1	-
भवन निर्माण	44	373.70
स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन	3	2.36
सड़क निर्माण	33	269.02
ग्रामीण कार्य	65	31.67
कुल	**250**	**1,047.33**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022–23 तक, 250 चालू परियोजनाओं की ₹ 5,388.88 करोड़ की अनुमानित लागत में से केवल ₹ 1,047.33 करोड़ खर्च किए गए।

वित्त लेखे 2022–23 के परिशिष्ट–IX "सरकार की प्रतिबद्धताएँ–अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची" (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त) में अधूरी जानकारी के कारण, लेखापरीक्षा वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, 31 मार्च 2023 तक लंबित भुगतान (भविष्य की देनदारी) और संशोधित लागत, यदि कोई हो, की स्थिति का पता नहीं लगा सका।

2.5.3.5 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) (नवंबर, 2015) शुरू की।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), राज्य सरकार और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के बीच (फरवरी, 2016) त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) निष्पादित किया गया। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि में डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत ले लेने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम के बकाया ऋण को अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया गया था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को अगले तीन वर्षों में अनुदान और इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण, अंश पूँजी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को **तालिका 2.38** में उल्लिखित श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हों, का अधिग्रहण करना होगा।

तालिका 2.38: राज्य द्वारा हानि का अधिग्रहण

वर्ष	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2015–16 की हानि का 50 प्रतिशत	2016–17 की हानि का 25 प्रतिशत

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस योजना के तहत, राज्य को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम के ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) का 75 प्रतिशत गैर–सांविधिक तरलता अनुपात बॉंड जारी करके और अनुदान, ऋण और अंश पूँजी के रूप में डिस्कॉम को आय हस्तांतरित करना था। पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार की देयता ₹ 2,331.78 करोड़ थी जैसा कि **तालिका 2.39** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.39: उदय के अंतर्गत अंश पूँजी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	-	-	1,369.89	1,369.89
2016-17	-	-	961.89	961.89
कुल			**2,331.78**	**2,331.78**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2022–23 के लिए डिस्कॉम के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे (अगस्त 2023) और इसलिए नियोजित पूँजी की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021–22 के अंतिमिकृत लेखों के अनुसार, दोनों डिस्कॉम (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0): ₹ 3,965.10 करोड़ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0): ₹ 3,275.89 करोड़) पर कुल ₹ 7,240.99 करोड़ का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉंड पर 2022–23 में ₹ 233.18 करोड़ का मूलधन चुकाया और ₹ 175.17 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

2.5.3.6 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से स्थायी प्रकृति की यथार्थपूर्ण संपत्तियों के निर्माण/ अर्जन/वृद्धि करने या स्थायी उत्तरदायित्व को कम करने के उद्देश्य से किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए और अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 2022–23 के दौरान स्थापना और प्रशासनिक मदों पर किए गए ₹ 0.42 करोड़ के राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया।

पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम बताया गया।

2.5.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के तहत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता

उतनी ही बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण **तालिका 2.40** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: 2022–23 में स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ए0ई0 / जी0एस0डी0पी0	सी0ई0 / ए0ई0	शिक्षा / ए0ई0	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / ए0ई0
अखिल भारतीय औसत (सामान्य वर्ग) (2018–19)	16.38	15.58	14.76	5.07
राज्य	27.92	15.28	19.31	4.96
अखिल भारतीय औसत (सामान्य वर्ग) (2022–23)	15.79	15.22	14.85	5.68
राज्य	28.95	15.43	20.25	5.43

(स्रोत: सी0ए0जी0 के आर्थिक सलाहकार एवं वित्त लेखे) ए0ई0–कुल व्यय

तालिका 2.40 से देखा जा सकता है कि 2022–23 के दौरान, राज्य की व्यय प्राथमिकताएँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को छोड़कर, अखिल भारतीय औसत से ऊपर थीं।

2.5.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय को **चार्ट 2.14** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: वस्तु शीर्षवार व्यय

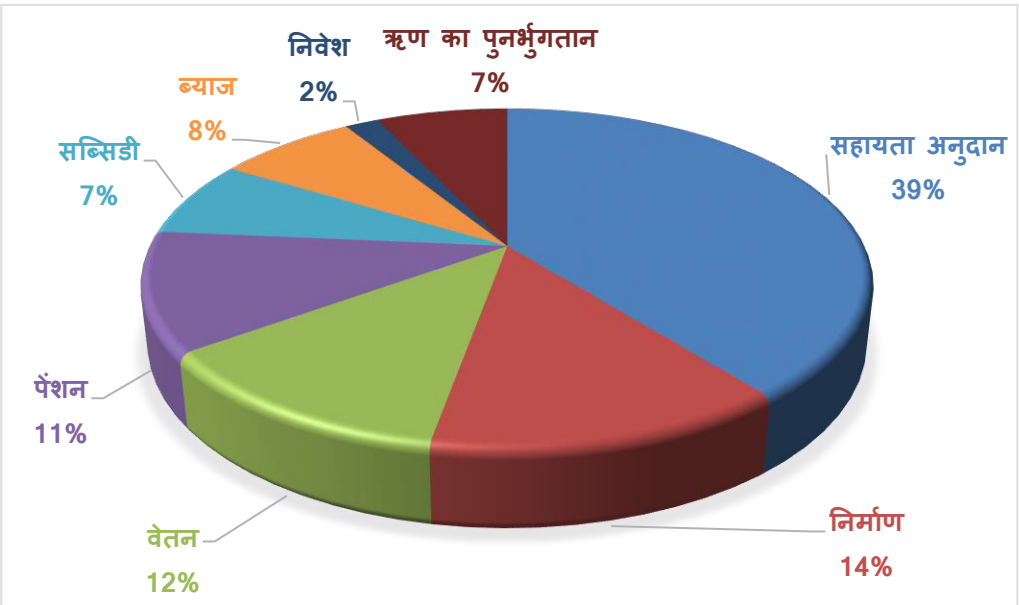

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए वित्त लेखे)

- प्रतिबद्ध व्यय[10] *(राजस्व व्यय का 34.30 प्रतिशत)* के लिए बजट के एक बड़े हिस्से को आवंटित करना अन्य विकासात्मक व्यय प्राथमिकताओं जैसे कि निवेश, निर्माण आदि को बढ़ाने के लचीलेपन को सीमित करता है। हालाँकि, चालू वर्ष में प्रतिबद्ध व्यय ने विगत वर्ष (36.18 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व व्यय का कम अनुपात दर्ज किया।

विगत वर्ष की तुलना में 'वेतन' पर व्यय 5.49 प्रतिशत अधिक था, जो जी0एस0डी0पी0 का 3.30 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 13.49 प्रतिशत था। पेंशन पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में 14.07 प्रतिशत

[10] वेतन और मजदूरी– ₹ 24,816.02 करोड़, पेंशन– ₹ 23,107.87 करोड़ एवं ब्याज भुगतान– ₹ 15,183.54 करोड़।

अधिक था और जी0एस0डी0पी0 का 3.08 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 12.56 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में 9.85 प्रतिशत अधिक था और जी0एस0डी0पी0 का 2.02 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 8.25 प्रतिशत था।

2022–23 में, प्रतिबद्ध देनदारियों पर व्यय कुल व्यय का 29.01 प्रतिशत था, जबकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 14.49 प्रतिशत था, हालाँकि पूँजीगत हिस्से पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है।

2.6 लोक लेखा

प्राप्तियों और संवितरण के संबंध में कुछ लेन–देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर की तरह काम करती है। शेष राशि, वर्ष के दौरान संवितरण के बाद, सरकार के पास विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध निधि होती है।

2.6.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक–वार निवल शेष (संबंधित पाँच वर्षों के मार्च के अंत तक) **तालिका 2.41** में दिया गया है।

तालिका 2.41: संबंधित वर्षों के लोक लेखा में घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आई.– लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	277.79	190.40	166.29	76.28	(-) 124.77
जे.– आरक्षित निधि	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.01	522.95	378.12	140.42	1,585.11
	(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.00	0.00	(-) 26.32	0.00	0.00
के.– जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	60.25	202.65	(-) 75.05	(-) 57.17	40.52
	(ब) ब्याज रहित जमा	368.13	1,509.34	4,336.01	(-) 1,543.24	363.64
	(स) अग्रिम	(-) 96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
एल.– उचंत और विविध	(अ) उचंत (सिविल)	(-) 345.13	(-) 5,773.58	(-) 4,879.88	(-) 238.38	1,199.82
	(ब) अन्य लेखे	2,138.36	(-) 2,735.55	(-) 191.23	(-) 4,148.08	7,961.19
	(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये खाते	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	0.00
	(द) विविध	-	-	-	-	-
एम.– प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	76.05	(-) 2.44	4.37	(-) 7.53	0.00
	(ब) अंतर्सरकार समायोजन लेखा	0.00	(-) 794.07	794.07	0.00	0.00
कुल		**2,478.60**	**(-) 6,880.31**	**506.37**	**(-) 5,777.71**	**11,025.51**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

नोटः (+) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है और (–) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है।

वर्ष 2022–23 में, राज्य के कुल संसाधनों में निवल लोक लेखा प्राप्तियों ने ₹ 11,025.51 करोड़ का अंशदान दिया। निवल लोक लेखा भुगतान का प्रमुख स्रोत उचंत (सिविल): ₹ 1,199.82 करोड़ तथा विविध के अन्तर्गत अन्य लेखे: ₹ 7,961.19 करोड़ थे।

2022–23 में, राज्य सरकार को ब्याज सहित आरक्षित निधियों के तहत सी0ए0एम0पी0ए0 निधि में क्रेडिट के लिए ₹ 523.07 करोड़ प्राप्त हुए। सरकार को वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से ₹ 43.64 करोड़ (वर्ष 2020–21 में प्राप्त ₹ 0.12 करोड़ सहित) प्राप्त हुए। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 566.71 करोड़ थी। हालाँकि, राज्य सरकार ने इस निधि से कोई व्यय नहीं किया।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति (फरवरी 2024) पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

2.6.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से अंशदान या अनुदान से की जाती है।

राज्य सरकार के पास वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में चार आरक्षित निधियाँ (तीन ब्याज वाली और एक निष्क्रिय) थीं। 31 मार्च 2023 के अंत तक ब्याज वाली आरक्षित निधियों के तहत कुल समेकित शेष राशि ₹ 2,626.60 करोड़ थी। आरक्षित निधियों का विवरण **तालिका 2.42** में दिया गया है।

तालिका 2.42: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	आरक्षित निधि का नाम (ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ)	31 मार्च 2023 को शेष
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	1,687.87
2	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	566.71
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	372.02
योग		**2,626.60**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे)

2.6.2.1 समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)

बारहवे वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष आदि पर देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए, और इन निधियों का उपयोग ऋणों के मोचन के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर0बी0आई0) के दिशा–निर्देश, जो निधि के रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं, इस निधि के लिए वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, संपूर्ण निधि का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाता है और निवेश का विवरण वित्त लेखे की विवरणी–22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की थी जो केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया जाना था। वर्ष 2022–23 में बिहार सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1,288.00 करोड़

का योगदान दिया। 31 मार्च 2023 को निधि का संचय ₹ 8,320.73 करोड़ था, जिसमें 31 मार्च 2023 को अर्जित ब्याज ₹ 1,292.61 करोड़ था।

2.6.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) से बदल दिया। निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को एक निश्चित अनुपात में निधि में योगदान करना होता है। योगदान को लोक लेखा के मुख्य शीर्ष–8121 में अंतरित किया जाना है तथा व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष–2245 द्वारा किया जाता है।

आर0बी0आई0 के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशा–निर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एस0डी0आर0एफ0 को राज्य सरकारों द्वारा ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस0डी0आर0एफ0 के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस0डी0आर0एफ0 में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जक जमा में निवेश किया जाना है।

एस0डी0आर0एफ0 का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और न्यूनीकरण के प्रावधान को एस0डी0आर0एफ0 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि से किया जाना है।

केंद्र सरकार ने ₹ 1,189.60 करोड़ का योगदान दिया और राज्य सरकार ने अपना हिस्सा ₹ 396.80 करोड़ एस0डी0आर0एफ0 को जारी किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन0डी0आर0एफ0) से प्राप्त ₹ 1,038.96 करोड़ का अनुदान भी शामिल था जो 2021–22 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121–122–एस0डी0आर0एफ0 के अंतर्गत निधि में ₹ 2,625.36 करोड़ (2021–22 का केंद्र का हिस्साः ₹ 1,189.60 करोड़, राज्य का हिस्साः ₹ 396.80 करोड़ और एन0डी0आर0एफ0 के लिए प्राप्त ₹ 1,038.96 करोड़) अंतरित किए।

राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढाँचे की तत्काल मरम्मत और बहाली के लिए विभिन्न संस्थाओं पर ₹ 1,166.55 करोड़ (एम0एच0 2245– 05 के तहत) खर्च किए।

2.6.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस0डी0एम0एफ0)

राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस0डी0एम0एफ0) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस0डी0आर0एफ0)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन0डी0आर0एफ0) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में न्यूनीकरण परियोजना से है।

राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121–130–राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत जुलाई 2022 में एस0डी0एम0एफ0 बनाया। 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 148.70 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे प्रमुख शीर्ष 8121–130 एस0डी0एम0एफ0 के अन्तर्गत निधि में अंतरित किया जाना बाकी था। हालाँकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 के दौरान मुख्य शीर्ष 8121–130–एस0डी0एम0एफ0 के अन्तर्गत निधि में ₹ 377.60 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 283.20 करोड़ और राज्य का हिस्साः ₹ 94.40 करोड़ विगत वर्ष 2021–22 से संबंधित) अंतरित किए। ₹ 148.70 करोड़ के गैर–अंतरण के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

2.6.2.4 गारंटी मोचन निधि

राज्य के लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बॉंड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 'गारंटी मोचन निधि' का गठन राज्य सरकार करती है और लाभार्थियों द्वारा लागू किया जाता है। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है जिन संस्थानों द्वारा लोन का भुगतान जिनके पक्ष में सरकार की गारंटी दी है, नहीं किया गया है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार को गारंटी मोचन निधि बनानी थी और चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व से वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा बनाए गए लेखों की पुस्तकों में दर्शाया गया है। राज्य इस निवेशित वृद्धिशील निधि के बदले आर0बी0आई0 से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा का भी लाभ उठा सकता है।

तथापि, राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार न तो गारंटी मोचन निधि का सृजन किया था और न ही गारंटी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाए थे। इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 123.27 करोड़ (वर्ष 2022–23 की शुरुआत में ₹ 24,654.88 करोड़ की बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं किया। धन का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाना है।

जैसा कि राज्य ने गारंटी मोचन निधि नहीं बनाई है, इसलिए वह रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा का उपयोग करने का हकदार नहीं था।

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2024) कि गारंटी मोचन निधि बनाने का निर्णय ले लिया गया है और इसका कार्य प्रगति पर है।

2.6.2.5 राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा से बाहर निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल, ऋण या अग्रिम अर्थोपाय के माध्यम से उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि एक समेकित निधि बनेगी जो "राज्य की समेकित निधि" होगी। अनुच्छेद 266 (2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा।

राज्य सरकार ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न उपकर/लेवी लगाईं। लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरों के संबंध में जानकारी/आँकड़े एकत्र किए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

फरवरी 2008 में राज्य सरकार द्वारा बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बी0ओ0सी0डब्ल्यू0) कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत धन प्रदान करना है। बोर्ड वित्तीय वर्ष में राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्ध–सरकारी और निजी क्षेत्र के तहत चल रहे निर्माण कार्यों पर किए गए कुल व्यय के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है।

विभागों ने श्रम उपकर के संग्रहण को प्रमुख शीर्ष 8443–सिविल जमा–108–लोक निर्माण जमा के तहत दर्ज किया, जिसमें श्रम उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं। फलस्वरूप,

विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित श्रम उपकर की राशि का पता नहीं लगाया जा सका। सरकार द्वारा जून 2019 में श्रम से जुडी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित श्रम उपकर की बुकिंग के लिए एक अलग उप–शीर्ष (8443–00–108–0004) खोला गया था, जो आज तक चालू नहीं है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2019–20 से 2022–23 के दौरान उपकर का संग्रह और अंतरण नीचे **तालिका 2.43** में दिखाया गया है।

तालिका 2.43: बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम उपकर का संग्रहण एवं हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित	अंतरित	गैर–अंतरित राशि
2019-20	89.90	0.14	89.76
2020-21	116.97	31.44	85.53
2021-22	122.23	51.41	70.82
2022-23	104.95	92.91	12.04
कुल	**434.05**	**175.90**	**258.15**

(स्रोतः बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना)

मार्च 2023 तक ₹ 258.15 करोड़ का गैर–अंतरित शेष, राज्य की देनदारी को इंगित करता है। चूँकि, बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में राशि जमा करता है, जो वित्त लेखों में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, इससे वास्तविक संग्रह और व्यय का पता नहीं लगाया जा सकता है। बोर्ड को राशि अंतरित न करने के कारण राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक बढ़ गया।

सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा –6 बी के अनुसार, सड़क सुरक्षा उपकरः (ए) प्रत्येक लाइसेंसधारी से अधिनियम की अनुसूची–IV में निर्दिष्ट दरों पर लगाया और एकत्र किया जाएगा (बी) प्रावधान के अनुसार ऐसे वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर प्रत्येक वाहन भुगतान के लिए उत्तरदायी है (सी) प्रत्येक वाहन वार्षिक कर के एक प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर के लिए उत्तरदायी वाहन के अलावा ऐसे वाहन पर इस अधिनियम के तहत देय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाए और एकत्र किए गए उपकर की आय, सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से संग्रह और वसूली में खर्चों की कटौती के बाद, "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" में विनियोजित की जाएगी।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्ति के लिए एक शीर्ष 0041–00–102–0002 खोला गया था और इसे शीर्ष 2041–00–101–0005 के माध्यम से बिहार सड़क सुरक्षा निधि में अंतरित किया जाना है। 2022–23 में ₹ 159.13 करोड़ एकत्र किए गए थे, लेकिन इसे निर्दिष्ट निधि में अंतरित नहीं किया गया था, जिससे राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में उस सीमा तक वृद्धि हुई।

विभाग ने कहा कि 2022–23 के दौरान शीर्ष 0041–00–102–0002–00–08 के अन्तर्गत ₹ 159.69 करोड़ एकत्र किए गए, जिसमें से ₹ 72.51 करोड़ का व्यय हुआ, जिसका मिलान करना आवश्यक है। हालाँकि, राशि को वर्ष 2022–23 के लिए जैसा कि वित्त लेखे में दर्शाए गए लेखांकन शीर्ष 2041–00–101–0005 के माध्यम से बिहार सड़क सुरक्षा निधि में अंतरित नहीं किया गया।

2.7 लोक दायित्व प्रबंधन

लोक दायित्व प्रबंधन सरकार के दायित्व प्रबंधन के लिए एक रणनीति को स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है जिससे आवश्यक मात्रा में धन जुटाया जा सके, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन या कोई अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किया हो।

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार पर बकाया देनदारियाँ (आंतरिक देनदारी, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देनदारियां) ₹ 2,93,307.17 करोड़ की हैं। 2022–23 के बजट अनुमान (₹ 25,885 करोड़) के मुकाबले सकल राजकोषीय घाटा (₹44,823 करोड़) ₹ 18,938 करोड़ से बढ़ गया। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 29,640 करोड़) बजट अनुमान (₹ 9,580 करोड़) से ₹ 20,060 करोड़ बढ़ गया। बढ़े हुए घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया। परिणामस्वरूप, 2022–23 में बकाया देनदारी ₹ 2,57,510.21 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,93,307.17 करोड़ हो गई।

विगत वर्ष की तुलना में बकाया देयता में 13.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि (15.55 प्रतिशत) से कम है। राज्य के बकाया ऋण का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.15** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.15: जी0एस0डी0पी0 की तुलना में बकाया दायित्व

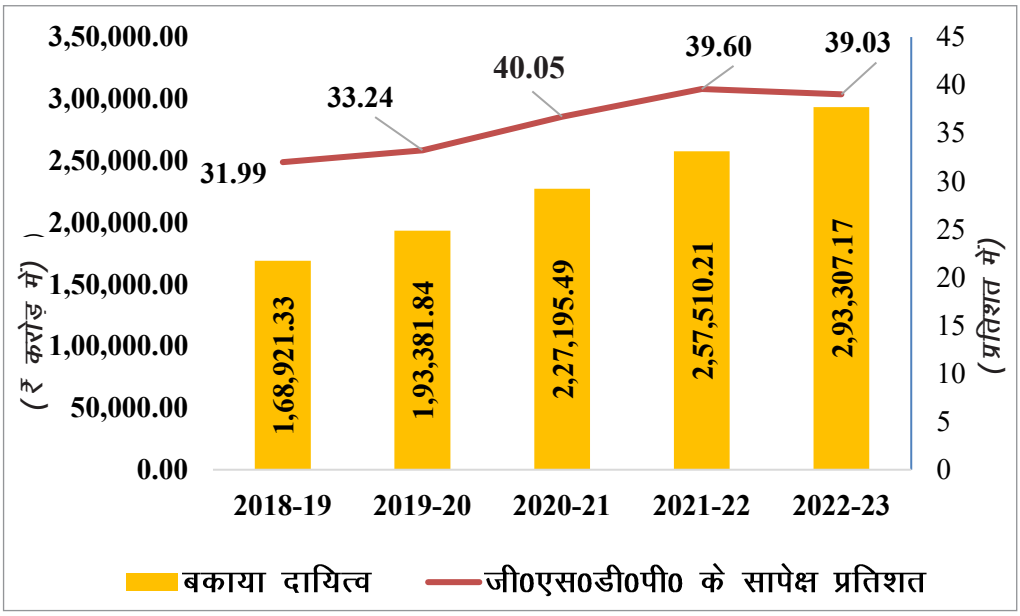

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)

उपरोक्त चार्ट दिखाता है कि वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक राज्य की बकाया देनदारी में 73.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में राज्य की जी0एस0डी0पी0 में 42.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई यानी राज्य की बकाया देनदारी की वृद्धि दर इसकी जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से काफी अधिक है।

2.7.1 दायित्व की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल दायित्व आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर0बी0आई0 से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा को **तालिका 2.44** में बताया गया है।

तालिका 2.44: घटक वार दायित्व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया कुल दायित्व		1,68,921.33	1,93,381.85	2,27,195.51	2,57,510.21	2,93,307.17
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,14,359.69	1,36,082.09	1,59,557.50	1,82,855.32	2,08,098.10
	भारत सरकार से ऋण	11,785.37	12,098.16	17,657.35	26,057.96	34,747.63
लोक लेखा पर देयताएँ		42,776.27	45,201.60	49,980.66	48,596.93	50,461.44
लघु बचत, भविष्य निधि आदि		9,088.69	9,279.09	9,445.38	9,521.65	9,396.88
ब्याज सहित आरक्षित निधि		0.01	522.95	901.07	1,041.49	2,626.60
ब्याज रहित आरक्षित निधि		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00
ब्याज सहित जमा		146.68	349.33	274.29	217.11	257.63
ब्याज रहित जमा		33,514.57	35,023.91	39,359.92	37,816.68	38,180.33
गैर–बजट उधारी $		-	-	-	1,482.50	686.77
बकाया समग्र दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		7.75	14.48	17.49	13.34	13.90
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)		5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
दायित्व / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)#		31.99	33.24	40.05	39.60	39.03
उधार और अन्य देनदारियाँ (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)						
कुल प्राप्तियाँ		73,806.02	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58
कुल पुनर्भुगतान		61,661.46	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62
निवल उपलब्ध राशि		12,144.56	24,460.53	33,813.64	30,314.71	35,796.96
पुनर्भुगतान / प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)		83.55	74.03	68.82	74.21	72.45

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0 से प्राप्त आँकड़े)

$ गैर–बजट उधारी समग्र ऋण में शामिल नहीं है।

 # वित्त लेखा के अनुसार दायित्व और जी0एस0डी0पी0 का अनुपात 39.03 प्रतिशत है, जो कि गैर–बजट उधारी को छोड़कर गणना की गई है।

तालिका 2.44 से यह देखा जा सकता है कि:

- 2018–23 के दौरान बकाया देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 अनुपात 31.99 प्रतिशत से 40.05 प्रतिशत तक था। विगत पाँच वर्षों से राज्य की कुल देनदारी बढ़ रही है। प्रमुख घटक आंतरिक देनदारी (चालू वर्ष में 70.95 प्रतिशत) था जिसमें बाजार उधार शामिल था।
- राज्य की देनदारी और जी0एस0डी0पी0 अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग की सीमा (40.80 प्रतिशत) के भीतर था, लेकिन बी0एफ0आर0बी0एम0 की सीमा (38.66 प्रतिशत) से काफी दूर था।
- लोक लेखा की बकाया देनदारियाँ विगत वर्ष से 3.84 प्रतिशत बढ़ी हैं, जो जी0एस0डी0पी0 की 6.72 प्रतिशत और बकाया समग्र ऋण की 17.20 प्रतिशत थी। 2018–19 से 2022–23 तक लोक लेखा देनदारियों में 17.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह विगत पाँच वर्षों की अवधि में सबसे अधिक थी। लघु बचत, भविष्य निधि और ब्याज रहित जमा लोक लेखा देनदारियों के प्रमुख घटक थे।
- बकाया समग्र देनदारी 13.90 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। परिणामस्वरूप, बकाया देनदारी 2021–22 से 2022–23 तक ₹ 2,57,510.21 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,93,307.17 करोड़ हो गई। **चार्ट 2.16** घटकवार दायित्व प्रवृत्तियों दर्शाता है।

चार्ट 2.16: घटक वार दायित्व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

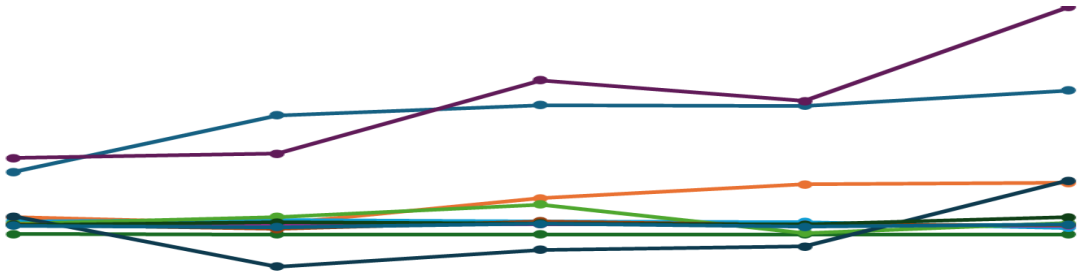

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बाजार उधारी	10,903.07	22,572.54	24,684.91	24,517.46	27,700.00
भारत सरकार से ऋण	1,603.45	312.79	5,559.19	8,400.61	8,689.67
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-1,819.02	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35
वित्तीय संस्थानो से ऋण	750.88	1,038.21	678.84	668.71	-568.87
लघु बचत, पीएफ, आदि	277.80	190.40	166.29	76.28	-124.77
जमा एवं अग्रिम	331.52	1,711.99	4,260.96	-1,600.42	404.16
उचंत एवं विविध	1,793.23	-8,509.14	-5,071.12	-4,386.46	9,161.01
प्रेषण	76.05	-796.50	798.44	-7.53	0.00
आरक्षित निधि	0.00	522.95	351.80	140.42	1,585.11
नकद शेष में वृद्धि/कमी	-110.22	-430.95	286.28	-369.45	134.66
सकल राजकोषीय घाटा	13,806.76	14,723.93	29,827.26	25,551.26	44,823.30

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.17 पाँच वर्ष यानी 2018–19 से 2022–23 की अवधि में लिए गए आंतरिक ऋण की मात्रा की तुलना में ऋण की अदायगी को दर्शाता है।

चार्ट 2.17: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में अदायगी

(₹ करोड़ में)

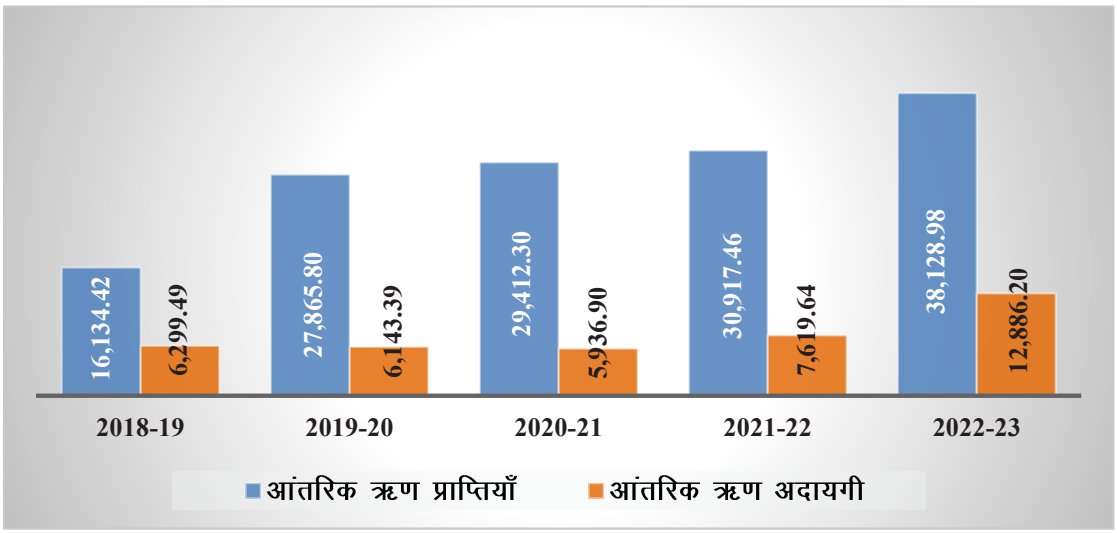

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.17 से पता चलता है कि 2018–23 की अवधि में आंतरिक ऋण में लगातार वृद्धि हुई है। 2022–23 में, चुकाए गए आंतरिक ऋण में 69.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लिए गए आंतरिक ऋण विगत वर्ष तुलना में केवल 23.33 प्रतिशत ज्यादा था।

चालू वर्ष की उधारी का उपयोग केवल 33.80 प्रतिशत दर्ज किया गया, इसका मतलब यह है कि चालू वर्ष में लिए गए आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा, पूर्व के वर्षों में लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किया गया। आंतरिक ऋण से पूर्ववर्ती ऋणों के ज्यादा पुनर्भुगतान के कारण उत्पादक व्यय में संकुचन हुआ।

राजकोषीय घाटा कुल वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है जो राज्य को राजस्व और गैर–ऋण प्राप्तियों पर राजस्व और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है। 2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटे की संरचना और उसका वित्तपोषण **तालिका 2.45** में दिखाया गया है।

तालिका 2.45: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा(-)	6,896.65	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38	(-)11,288.20
2	निवल पूँजीगत व्यय	21,058.25	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिरूप						
1	बाजार उधारी	10,903.07	22,572.54	24,684.91	24,517.46	27,700.00
2	भारत सरकार से ऋण	1,603.45	312.79	5,559.19	8,400.61	8,689.67
3	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 1,819.02	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	750.88	1,038.22	678.85	668.71	(-) 568.87
5	लघु बचत, पीएफ, आदि	277.80	190.40	166.29	76.28	(-) 124.77
6	जमा और अग्रिम	331.52	1,711.99	4,260.96	(-) 1,600.41	404.16
7	उचंत और विविध	1,793.23	(-) 8,509.14	(-) 5,071.12	(-) 4,386.46	9,161.01
8	प्रेषण	76.05	(-) 796.50	798.44	(-) 7.53	0.00
9	आरक्षित निधियाँ	0.00	522.95	351.80	140.42	1,585.11
10	**समग्र घाटा**	**13,916.98**	**15,154.90**	**29,540.97**	**25,920.73**	**44,957.96**
11	नकद शेष में वृद्धि/कमी	(-) 110.22	(-) 430.95	286.28	(-) 369.45	134.66
12	**राजकोषीय घाटा**	**13,806.76**	**14,723.93**	**29,827.25**	**25,551.28**	**44,823.30**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022–23 के दौरान, पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

आदर्श रूप से, पूँजीगत व्यय के माध्यम से पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए बाजार उधारी का उपयोग किया जाना चाहिए। उधार ली गई धनराशि, जिसका उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, बिना किसी परिसंपत्तियों के भविष्य के वर्षों के लिए देयता बनाता है। यह स्पष्ट है कि, राजस्व लेखे पर घाटे के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजार उधारी प्रतिबद्ध रही, जिससे राज्य में संपत्ति सृजन सीमित हो गया। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष दर वर्ष उधार लेना लंबी अवधि में राज्य के वित्त के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज भुगतान दायित्व का एक बड़ा हिस्सा आगामी वर्षों में पूरा करना होगा।

वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाली प्राप्तियों और संवितरण के घटकों को **तालिका 2.46** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.46: 2022–23 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्ति	पुनर्भुगतान	निवल
1	बाजार ऋण	36,800.00	9,100.00	27,700.00
2	बॉंड	0.00	233.18	(-) 233.18
3	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,328.98	1,664.67	(-) 335.69
4	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	1,888.35	(-) 1,888.35
5	केंद्र प्रायोजित योजना के लिए ऋण	0.00	3.32	(-) 3.32
6	विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों/राज्यों के लिए अन्य ऋण	10,154.54	1,461.55	8,692.99
7	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2,561.27	2,686.04	(-) 124.77
8	ब्याज सहित आरक्षित निधि	3,002.96	1,417.85	1,585.11
9	ब्याज रहित आरक्षित निधि	1,288.00	1,288.00	0.00
10	ब्याज सहित जमा	2,649.82	2,609.30	40.52
11	ब्याज रहित जमा	72,165.01	71,801.36	363.64
12	उचंत और विविध	6,28,347.23	6,19,186.22	9,161.01
13	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
14	**समग्र घाटा**			**44,957.96**
15	नकद शेष में वृद्धि (–)/कमी (+)	671.24	805.90	(-) 134.66
16	**समग्र राजकोषीय घाटा**			**44,823.30**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे)

2.7.2 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी0एस0ए0)

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्यों के लिए वृहत्–राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं:

(ए) ऋण स्थिरता सूचक

ऋण स्थिरता राज्य की भविष्य में अपने ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करती है। इसलिए ऋण की स्थिरता का तात्पर्य वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से रिटर्न के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता से भी है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, राज्य की ऋण स्थिरता निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। **तालिका 2.47** में 2018–23 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता के संकेतको को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.47: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण*	1,26,145.06	1,48,180.25	1,77,214.85	2,08,913.28	2,42,845.73
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	9.97	17.47	19.59	17.89	16.24
जी0एस0डी0पी0	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
लोक ऋण/जी0एस0डी0पी0	23.89	25.47	31.24	32.13	32.32

ऋण स्थिरता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल – चूक इतिहास सहित, यदि कोई हो	7,229.82	7,109.83	6,880.47	8,746.47	14,351.07
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.68	7.58	7.12	6.56	6.20
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	9,248.36	10,403.56	11,587.95	12,668.38	14,011.74
राजस्व घाटा/अधिशेष	6,896.65	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38	(-) 11,288.20
ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा/अधिशेष	16,145.01	8,619.43	262.84	12,246.00	2,723.54
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.02	8.37	9.04	7.98	8.11
ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्ति का प्रतिशत	38.73	24.39	19.16	21.63	29.72
राज्य के लिए उपलब्ध निवल ऋण#	2,190.02	11,631.63	17,446.64	19,030.05	19,920.71
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	11.73	39.91	48.58	47.05	41.26
ब्याज स्प्रेड	4.96	2.62	(-) 9.63	8.08	9.35
क्वांटम स्प्रेड	6,256.79	3,882.32	(-) 17,065.79	16,880.19	22,706.08
प्राथमिक घाटा	(-) 3,736	(-) 3,733	(-) 17,343	(-) 11,729.33	(-) 29,639.76
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड+प्राथमिक घाटा)	2,520.79	149.32	(-) 34,408.79	5,150.86	(-) 6,933.68

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* ***बकाया लोक ऋण शीर्ष, 6003– आंतरिक ऋण और 6004– केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।***

\# ***राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना, लोक ऋण भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।***

स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक उधार की लागत से, अधिक हो जाती है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या सकारात्मक हो या मध्यम नकारात्मक हो।

ब्याज स्प्रेड (जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर – ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (ऋण x ब्याज स्प्रेड) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति में कहा गया है कि अगर प्राथमिक घाटा के साथ–साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ रहा होगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

तालिका 2.47 के अनुसार, 2021–22 के दौरान, क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक है और प्राथमिक घाटा नकारात्मक है और विगत वर्ष की तुलना में सही हो रहा है, जिससे ऋण स्थिरता सकारात्मक पथ पर है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 2020–21 को छोड़कर, सभी चार वर्षों में अर्थव्यवस्था की विकास दर (जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर) ब्याज दर या सार्वजनिक उधार की लागत से अधिक रही। यद्यपि प्राथमिक घाटा नकारात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप ऋण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई। जी0एस0डी0पी0 की सकारात्मक वृद्धि दर के कारण क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक है, जो बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर से काफी अधिक थी। हालाँकि, चालू

वर्ष के दौरान ₹ 22,706.08 करोड़ के क्वांटम स्प्रेड के मुकाबले प्राथमिक घाटा ₹ (–) 29,639.76 करोड़ दर्ज किया गया, जिससे ऋण स्थिरीकरण में जोखिम पैदा हुआ।

राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का अनुपात भी ऋण स्थिरता का एक अच्छा मापक है। यह अनुपात 2018–19 से 2022–23 की अवधि में 7.02 प्रतिशत और 9.04 प्रतिशत के बीच था और चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि के साथ 8.11 प्रतिशत है। ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृति का विवरण **चार्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति

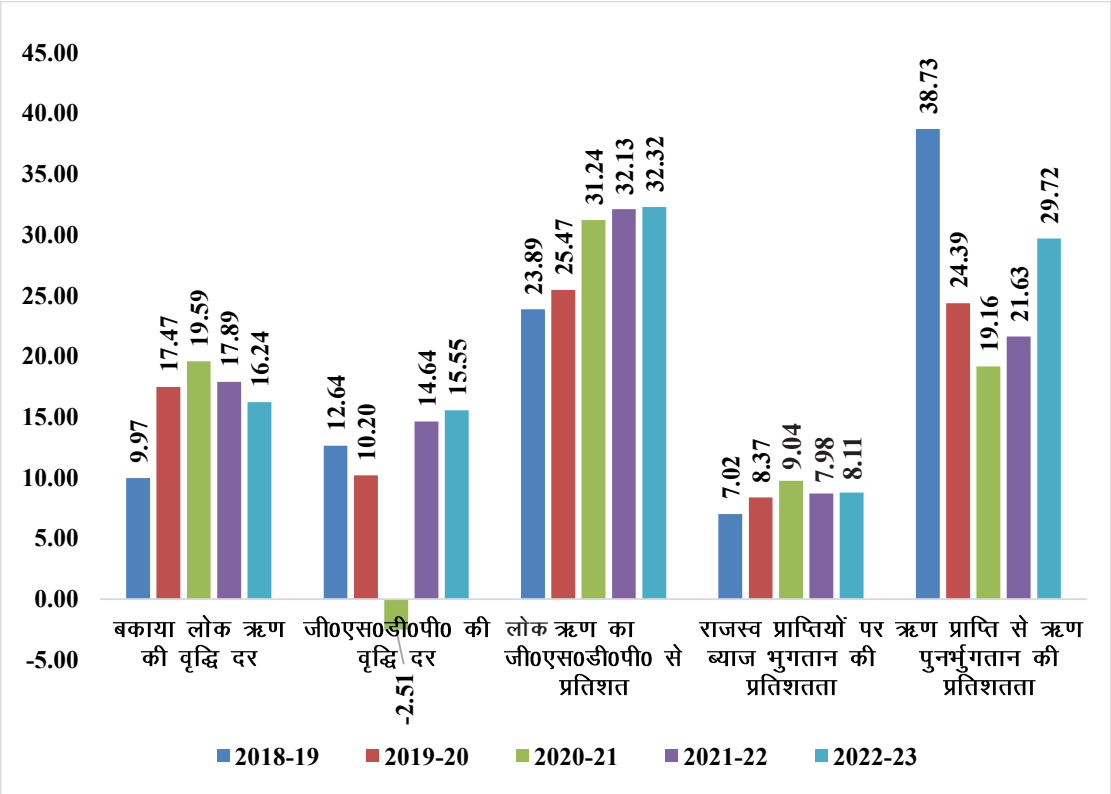

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.18 यह दर्शाता है कि ऋण पुनर्भुगतान का ऋण प्राप्ति से प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में बढ़ा है। विगत चार वर्षों के दौरान, लोक ऋण की वृद्धि दर जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक रही है।

घटता ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। हालाँकि, बिहार का ऋण– जी0एस0डी0पी0 अनुपात 2018–19 के 23.89 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 32.32 प्रतिशत हो गया और विगत पाँच वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि देखी जा रही है। ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहेगा, या अंततः ऋण स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

उत्पादकता की बजाय ऋण भुगतान के लिए ऋण का अधिक उपयोग उपयुक्त नहीं है। ऋण पुनर्भुगतान का ऋण प्राप्ति से प्रतिशत 38.73 प्रतिशत से 19.16 प्रतिशत के बीच था। चूँकि दीर्घकालिक ऋण बिहार सरकार की पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के उद्देश्य से लिया गया है, प्रत्येक ₹ 100 में से ₹ 29.72 की राशि का उपयोग पिछले ऋण के निर्वहन के लिए किया गया था।

(बी) डोमर मॉडल पर ऋण स्थिरता विश्लेषण

ई0 डी0 डोमर (डोमर सिद्धांत 1944 में प्रकाशित हुआ था) के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि सरकारी ऋण की ब्याज दर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को टिकाऊ माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों को चुकाने में सक्षम है और ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात अप्रबंधनीय अनुपात में नहीं बढ़ता है। डोमर मॉडल लोक ऋण के विश्लेषण के मॉडलों में से एक है, जो बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक हो तो ऋण–जी0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है। **तालिका 2.48** डोमर स्थिरता की स्थिति प्रदान करता है।

तालिका 2.48: डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता मानदंड

जी–आर (जी: वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), जिसे डोमर गैप कहा जाता है	एस < 0 (प्राथमिक घाटा)	एस > 0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी–आर > 0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण एक स्थिर मूल्य की ओर बढ़ता है और इसलिए टिकाऊ होता है। कुल ऋण के आधार पर, यह शून्य से अधिक स्थिर स्तर तक पहुँचने के समय में या तो बढ़ेगा या घटेगा।	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।
जी–आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ेगा	अपरिभाषित स्थिति

जी0एस0डी0पी0 के अनुपात में राज्य का राजकोषीय घाटा विगत पाँच वर्षों के दौरान 2018–19 के 2.62 से बढ़कर 2022–23 में 5.97 हो गया है **(तालिका 1.5 (ए))**। राज्य ने 2019–20 से राजस्व घाटा दर्ज किया। हालाँकि, 2018–19 से 2022–23 तक प्राथमिक घाटा ₹ 3,733 करोड़ से ₹ 29,640 करोड़ तक था। डोमार मॉडल को लागू करने के बाद, विश्लेषण से पता चला कि राजकोषीय देनदारियाँ स्थिर स्तर पर आनी चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 2.49** में दिखाया गया है।

तालिका 2.49: डोमर मॉडल के अनुसार राज्य का ऋण स्थिरता मूल्य

वर्ष	वास्तविक आर्थिक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार गैप (जी–आर)	प्राथमिक घाटा (एस) (-)	पी0डी0/ जी0एस0डी0पी0	टिप्पणी
	(₹ प्रतिशत में)			*(₹ करोड़ में)*	*(₹ प्रतिशत में)*	
2018-19	10.86	2.28	8.58	(-) 3,736	(-) 0.71	जैसा कि जी–आर > 0 और एस < 0; जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाना चाहिए।
2019-20	4.44	3.87	0.57	(-) 3,733	(-) 0.64	
2020-21	(-) 7.43	(-) 1.36	(-) 6.07	(-) 17,343	(-) 3.06	
2021-22	8.46	1.9	6.56	(-) 11,729	(-) 1.80	
2022-23	10.64	(-)0.19	10.83	(-) 29,640	(-) 3.94	

- वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक जी0एस0डी0पी0 के लिए की गई है अर्थात स्थिर मूल्यों पर
- वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय देनदारियों पर मुद्रास्फीति को घटाकर औसत ब्याज दर के रूप में की जाती है।

2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए बिहार प्राथमिक घाटे वाला राज्य रहा है। 2020–21 को छोड़कर 2018–19 से 2022–23 तक की पूरी अवधि के दौरान डोमर गैप (जी–आर) सकारात्मक था। डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की

राजकोषीय देनदारियाँ 2020–21 को छोड़कर, ऋण स्थिरता (जी–आर > 0) की स्थिति को पूरा करती हैं। उल्लेखनीय है कि डोमर गैप (जी–आर) ने विगत दो वर्षों में, कोविड–19 अवधि के बाद, जहाँ डोमर गैप (2020–21 में) नकारात्मक था, एक बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है। हालाँकि, राज्य की ऋण स्थिरता/स्थिरता का आकलन करने में अन्य कारकों, जैसे लोक लेखे की देनदारियाँ, अप्रत्याशित घटनाएँ और/या राजस्व की कोई अन्य गैर–सूचीबद्ध हानि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इन प्रवृत्तियों और **तालिका 2.49** में दिखाए गए डोमर गैप (जी–आर) के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के पास बढ़ी हुई ऋण प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय के लिए राजकोषीय उपलब्धता है। हालाँकि, डोमर गैप (जी–आर) स्थिर या लगातार बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज नहीं कर रहा है।

राजकोषीय उपलब्धता का यह विश्लेषण अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली आकस्मिक देनदारियों और राजस्व के किसी भी अन्य गैर–सूचीबद्ध नुकसान के प्रभाव के अधीन है। चूँकि इनका पूर्वानुमान या सांख्यिकीय रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार को अपने ऋण और नई उधारी का प्रबंधन करते समय इन आकस्मिक देनदारियों का ध्यान रखना होगा।

राज्य सरकार अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार के लिए अपने उत्पादक व्यय को बढ़ाने के लिए अपने राजकोषीय उपलब्धता का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

(सी) राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता

बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण **तालिका 2.50** में दिया गया है।

तालिका 2.50: ऋण स्थिरता – बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम

(₹ प्रतिशत में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा का जी0एस0डी0पी0 से		कुल ऋण का जी0एस0डी0पी0 से		ब्याज अदायगी का राजस्व प्राप्तियों से	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
2018-19	2.62	2.62	23.90	31.99	कोई लक्ष्य नहीं	7.64
2019-20	2.48	2.53	24.95	33.24		8.85
2020-21	2.97	5.26	23.90	40.05		9.74
2021-22	2.97	3.93	26.61	39.60		8.70
2022-23	3.47	5.97	38.66	39.03		8.79

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 संशोधन अधिनियम, 2016)

वित्त आयोग की रिपोर्ट (एफ0सी0आर0) में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का विवरण **तालिका 2.51** में दिखाया गया है।

तालिका 2.51: एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

(₹ प्रतिशत में)

राजकोषीय मानदण्ड		एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (+)/अधिशेष (–)	लक्ष्य	(-)1.3	3.0	(-)0.1	(-)0.5	(-)0.8
	उपलब्धि	1.30	0.30	1.99	0.06	1.5
राजकोषीय घाटा (+)/अधिशेष (–)	लक्ष्य	3.0	3.0	5.0	4.5#	4.0#
	उपलब्धि	2.62	2.53	5.26	3.93	5.97
कुल बकाया देनदारी का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात	लक्ष्य	24.89	24.93	41.20	40.20	40.80
	उपलब्धि	31.99	33.24	40.05	39.60	39.03
पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	कोई लक्ष्य नहीं				
	उपलब्धि	4.17	4.41	12.80	15.79	15.02

(स्रोतः *चौदहवां और पंद्रहवां वित्त आयोग और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे*)

 # 0.5 प्रतिशत सशर्त है

राजकोषीय संकेतकों के स्तर का लगातार उल्लंघन से राजकोषीय स्थिति नियंत्रण के बाहर होने का जोखिम हो सकता है, खासकर तब जब राज्य ने अभी तक सलाहकार आरक्षित निधि जैसे की गारंटी पुनर्भुगतान निधि और अन्य स्थापित नहीं की है।

राज्य की राजकोषीय स्थिरता में अल्प से मध्यम अवधि में जोखिम है जब तक कि व्यय को तर्कसंगत बनाने, आगे के स्रोतों का पता लगाने और राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं।

(डी) ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूप रेखा

ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता **तालिका 2.52** में दिखाई गई है।

तालिका 2.52: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

ऋण पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 – 1	22,235.52	9.58
1 – 3	43,211.04	18.61
3 – 5	42,434.61	18.27
5 – 7	45,354.37	19.53
7 से ऊपर	78,969.23	34.01
कुल	**2,32,204.76**	**100.00**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस प्रकार, लोक ऋण का 53.54 प्रतिशत पाँच वर्ष बाद से बकाया है। राज्य के ऋण की लोक ऋण परिपक्वता रूपरेखा इसके पुनर्भुगतान बोझ में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि का संकेत देती है।

ऋण परिपक्वता रूपरेखा से पता चला है कि अगले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 1,07,881.17 करोड़ की राशि देय होने वाली है और सरकार को तदनुसार पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान करना होगा।

वित्त विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि ऋण परिपक्वता रूपरेखा मूल रूप से बाजार ऋण की अवधि पर निर्भर करती है।

2.7.3 ऋण और ब्याज की रूपरेखा का पुनर्भुगतान

भविष्य के भुगतान दायित्वों की एक अनुसूची उधार समझौतों के आधार पर तैयार की जाती है। लोक ऋण अनुसूची में ऋण की परिपक्वता की निगरानी करने और उसके आधार पर निर्णय लेने की राज्य की क्षमता जैसे कि एक अलग स्रोत के माध्यम से ऋण को पुनर्वित्त की संभावना शामिल है। यह वर्तमान ऋण देनदारियों पर भविष्य के वर्षों में सार्वजनिक ऋण और बकाया ऋण पर उनके ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। अगले आठ वर्षों में ऋण और ब्याज की अदायगी की प्रवृत्ति **चार्ट 2.19** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.19: ऋण और ब्याज की चुकौती की प्रवृत्ति

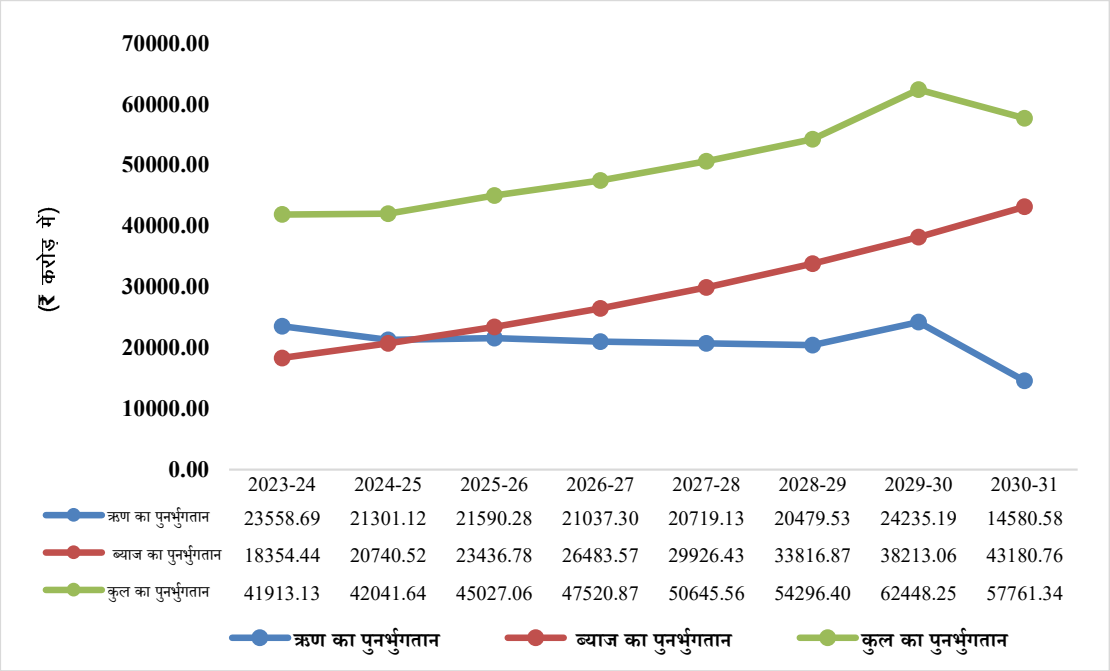

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार)

राज्य को 2030–31 तक सालाना औसत ₹ 50,206.78 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹ 20,937.73 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 29,269.05 करोड़) लोक ऋण चुकाना होगा।

राज्य द्वारा ब्याज के पुनर्भुगतान की रूप रेखा अगले वर्षों में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि का संकेत देती है, लेकिन ऋण का पुनर्भुगतान एक मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है। पिछली प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2030–31 तक अनुमानित बकाया ऋण (मूलधन + ब्याज) बढ़कर लगभग ₹ 57,761.34 करोड़ हो जाएगा।

राज्य को राजकोषीय जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रावधान और अन्य विशिष्ट जोखिम शमन रणनीतियों को लागू करने में सक्षम होने के लिए नियमित रूप से अपने ऋण प्रोफाइल का राजकोषीय जोखिम विश्लेषण और तनाव–परीक्षण करने की आवश्यकता है।

2.7.4 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग स्वीकार्य नहीं है। उधार ली गई निधियों का उपयोग को **तालिका 2.53** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.53: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के दौरान कुल उधारी (2)	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58
पहले के उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन*) (3)	61,661.46	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62
निवल पूँजीगत व्यय (4)	21,058.25	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82
निवल ऋण एवं अग्रिम (5)	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28
निवल उपलब्ध उधारों में से राजस्व व्यय का भाग (6) (6 =2-3-4-5)	(-) 8,558.85	11,520.73	15,311.52	5,185.83	2,261.86

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

** उधार का केवल मूलधन वाला हिस्सा लिया गया है क्योंकि उधार पर ब्याज का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से चुकाया जा रहा था।*

तालिका 2.53 से पता चलता है कि राज्य की कुल उधारी का बड़ा हिस्सा (96.71 प्रतिशत से अधिक) पहले की उधारी के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय पर खर्च किया गया है। हालाँकि, 2022–23 के दौरान, राजस्व व्यय पर ₹ 2,261.86 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल उधार का 1.74 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई है, जो निवल उपलब्ध उधार से पूरी की गई है। उधार ली गई धनराशि के उपयोग की प्रवृत्ति **चार्ट 2.20** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.20: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

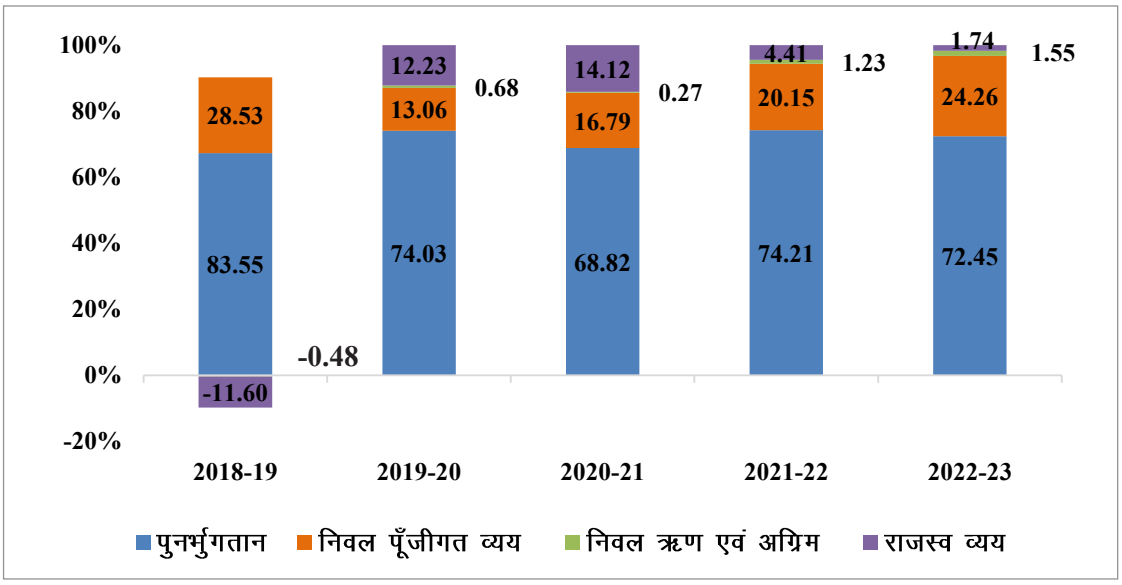

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.20 से पता चलता है कि विगत पाँच वर्षों से राज्य ऋण का 68 प्रतिशत से अधिक ऋणों की अदायगी के लिए खर्च किया जा रहा है और चालू वर्ष में यह विगत वर्ष की तुलना में ₹ 6,940.76 करोड़ बढ़ गया है। हालाँकि, लिए गए कुल ऋण में से पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान का प्रतिशत हिस्सा विगत वर्ष के 74.21 प्रतिशत से घटकर 72.45 प्रतिशत हो गया। वर्ष में लिए गए कुल ऋण का बड़ा हिस्सा पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान में उपयोग पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि के उपयोग के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है।

यदि, बजट से इतर उधार को ध्यान में रखा जाता है, तो ऋण की अदायगी के लिए राज्य के वित्त पर बोझ होगा और बजट से इतर उधार (ओ0बी0बी0) को ध्यान में रखने के बाद भविष्य के वर्षों में ऋण की अस्थिरता हो सकती है, जैसे कि ऋण और जी0एस0डी0पी0 का अनुपात 39.03 प्रतिशत से बढ़कर 39.13 प्रतिशत हो गया।

राज्य सरकार के ओ0बी0बी0 पर राज्य की शुद्ध उधार सीमा (एन0बी0सी0) को दरकिनार करने का प्रभाव पडेगा। इस तरह के उधार का बी0एफ0आर0बी0एम0 के तहत राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जैसे महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ेगा और समय–समय पर संशोधित बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पार करने का भी प्रभाव पडेगा और इंटर जेनरेशनल इक्विटी पर भी असर पडेगा। बजट दस्तावेजों में ऐसी देनदारियों का खुलासा न करना राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अपारदर्शी बना देता है। यदि राज्य सरकार अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए विधायी अनुमोदन के बिना तेजी से ओ0बी0बी0 का सहारा लेती है, तो समय के साथ राज्य की देनदारियाँ काफी बढ़ सकती हैं और राज्य में पूँजीगत संपत्तियों/बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यक्रमों के लिए धन के आवंटन के लिए राज्य सरकार की क्षमता सीमित हो सकती है।

एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 की कंडिका 7 (2) (ii) में उल्लेख किया गया है कि उधार ली गई धनराशि का उपयोग उत्पादक संपत्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। हालाँकि, राज्य के राजस्व घाटे के आलोक में, राज्य ने उधार ली गई धनराशि का केवल 24.26 प्रतिशत उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए उपयोग किया और उधार ली गई धनराशि का 1.74 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया गया।

आदर्श रूप से उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यय को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना उचित नहीं है। उधार लेने के साथ–साथ, राज्य सरकार राज्य की नीतियों/कार्यों को लागू करने के लिए बाजार से गैर–बजटीय उधार के रूप में धन जुटाने के लिए निगमों/पी0एस0यू0/एस0पी0वी0 की स्थापना/अनुमति दे रही है। इससे राज्य सरकार पर ब्याज का बोझ और बढ़ जाता है।

2.7.5 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में, जिसके लिए गारंटी दी गई है, गारंटी राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएँ हैं।

एस0पी0एस0ई0 को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है। इस प्रकार की गारंटी देने के लिए गारंटी शुल्क लिया जाता है। एस0पी0एस0ई0 ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर सलाना 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। विगत पाँच वर्षों में बिहार सरकार द्वारा दी गई गारंटी **तालिका 2.54** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.54: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	**21,181.52**	**21,181.52**	**25,113.74**	**37,631.92**	**40,897.18**
जी0एस0डी0पी0	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688
राजस्व प्राप्ति से गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	16.07	17.05	19.59	23.70	23.68
जी0एस0डी0पी0 से गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	4.01	3.64	4.43	5.79	5.44
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	**5,501.86**	**5,484.56**	**16,407.71**	**25,069.78**	**25,939.25**
राजस्व प्राप्ति से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	4.17	4.41	12.80	15.79	15.02
जी0एस0डी0पी0 से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	1.04	0.94	2.89	3.86	3.45

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2022–23 में गारंटीकृत बकाया राशि में ऊर्जा (₹ 13,569.89 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 3,548.52 करोड़), बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 8,653.01 करोड़), बिहार राज्य भंडारण निगम (₹ 104.38 करोड़), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (₹ 33.45) और बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (₹ 30.00 करोड़) शामिल हैं। 31 मार्च 2023 तक कुल बकाया गारंटी राशि में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 52.31 प्रतिशत थी और विगत पाँच वर्षों

की अवधि में गारंटी का बड़ा हिस्सा भी ऊर्जा क्षेत्र का था।

चार्ट 2.21 वर्ष 2022–23 के लिए गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत हिस्सा प्रस्तुत करता है

चार्ट 2.21: गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत हिस्सा

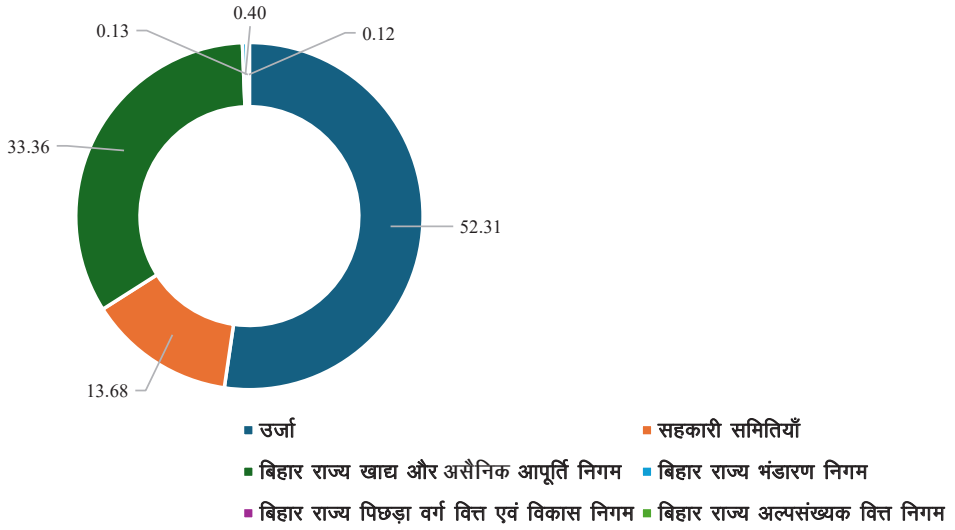

(स्रोतः 2022–23 के वित्त लेखे)

गारंटी की बकाया राशि का सबसे बडा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र (52.31 प्रतिशत) के पास है, इसके बाद बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम का हिस्सा है, जो 33.36 प्रतिशत है। विगत पाँच वर्षों की अवधि में, गारंटी की अधिकतम राशि राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 16.07 प्रतिशत से 23.70 प्रतिशत तक थी और यह जी0एस0डी0पी0 के 4.01 प्रतिशत से 5.79 प्रतिशत तक थी।

जहाँ तक वास्तविक बकाया गारंटी का सवाल है, यह विगत पाँच वर्षों में, राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 4.17 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत के बीच थी और जी0एस0डी0पी0 के 0.94 प्रतिशत से 3.86 प्रतिशत के बीच थी।

पंद्रहवें वित्त आयोग के खंड 12.28 (i) (सी) में कहा गया है कि केंद्र सरकार को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक भारत की समेकित निधि की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा, एफ0आर0बी0एम0 समीक्षा समिति की रिपोर्ट, 2018 के अध्याय 2 में किसी भी वित्तीय वर्ष में गारंटी को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करने का भी सुझाव दिया गया है।

केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट और एफ0आर0बी0एम0 समीक्षा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, बिहार ने विगत पाँच वर्षों की अवधि में अपनी जी0एस0डी0पी0 की सीमा को पार कर लिया है और 0.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक दर्ज किया है, वर्ष 2022–23 में बकाया गारंटी जी0एस0डी0पी0 का 3.45 प्रतिशत थी।

आई0जी0ए0एस0–1 के खंड 2 गारंटी के लिए यह निर्धारित करता है कि "सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर लाभार्थी संस्थाओं द्वारा सरकारों को गारंटी कमीशन या शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है"। बिहार सरकार ने अपनी संस्थाओं को गारंटी प्रदान की, लेकिन लाभार्थीयों द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल राजस्व का कम संग्रहण हुआ बल्कि आई0जी0ए0एस0–1 का उल्लंघन भी हुआ।

राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से डिस्कॉम के उधार के लिए पर्याप्त गारंटी भी प्रदान की। यह देखते हुए कि राज्य सरकार गारंटर है, बड़े बकाया ऋण और डिस्कॉम के बढ़ते/

निरंतर घाटे के कारण ये परिणामी आकस्मिक देनदारियाँ राज्य के वित्त के लिए जोखिम हैं।

2.8 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹ 1.73 करोड़ का बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय–समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0)/ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। 1 अप्रैल 2006 से, सीमा ₹ 425.00 करोड़ तक सीमित थी।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकदी शेष को लघु और दीर्घकालिक भारत सरकार प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभों को मुख्य शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष राशि को समेकित निक्षेप निधि और गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकारें बड़ी नकदी शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा लें जिससे उपलब्ध नकदी को उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकदी शेष में और वृद्धि हो। नकद शेष राशि और उनके निवेश और नकद शेष निवेश खातों का विवरण क्रमशः **तालिका 2.55** और **2.56** में दिखाया गया है।

तालिका 2.55: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2023 को अंत शेष
ए. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	671.24	805.90
अन्य बैंकों में जमा	-	-
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	-	-
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	22,070.25	14,069.82
कुल (ए)	**22,741.49**	**14,875.72**
बी. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	234.65
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	762.40	765.46
निर्धारित निधि में निवेश	5,740.12	7,028.12
कुल (बी)	**6,737.17**	**8,028.23**
कुल (ए+बी)	**29,478.66**	**22,903.95**
ब्याज प्राप्तियाँ	**189.70**	**276.23**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे)

यह दर्शाता है कि राज्य ने एक ही समय में राजकोषीय घाटे वाला राज्य होने के साथ–साथ, नियमित आधार पर एक बड़ा नकद शेष को बनाए रखा।

- 'आर0बी0आई0 के पास जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंतर–सरकारी मौद्रिक लेनदेन के निपटान के बाद 11 अप्रैल 2023 तक की गई है जैसा कि आर0बी0आई0 को निर्देशित है।
- सरकार ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों में ₹ 14,065.17 करोड़ और अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों में ₹ 4.65 करोड़ की नकद शेष राशि का निवेश किया। वर्ष में इन निवेशों पर सरकार ने ₹ 276.23 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

✦ सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2022–23 में बिना कोई अग्रिम लिए नकद शेष राशि को बनाए रखा और इसमें विगत वर्ष से ₹ 134.66 करोड़ की वृद्धि हुई है।

2018–19 से 2022–23 तक नकद शेष निवेश लेखा का विवरण **तालिका 2.56** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.56: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि(+)/कमी(-)	अर्जित ब्याज
2018-19	17,395.63	14,791.80	(-) 2,603.83	909.08
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57
2021-22	17,826.65	22,070.25	4,243.60	189.70
2022-23	22,070.25	14,069.82	(-) 8,000.43	276.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022–23 के दौरान, नकद शेष निवेश खाते में शेष राशि में ₹ 8,000.43 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय कमी आई और यह बजट अनुमान (प्राप्तियों) का 11.22 प्रतिशत था।

2018–19 से 2022–23 तक वर्षवार नकद शेष निवेश खाते में उपलब्ध नकद शेष के साथ जुटाए गए बाजार ऋण की तुलना **चार्ट 2.22** में की गई है।

चार्ट 2.22: बाजार ऋण की तुलना में नकद शेष

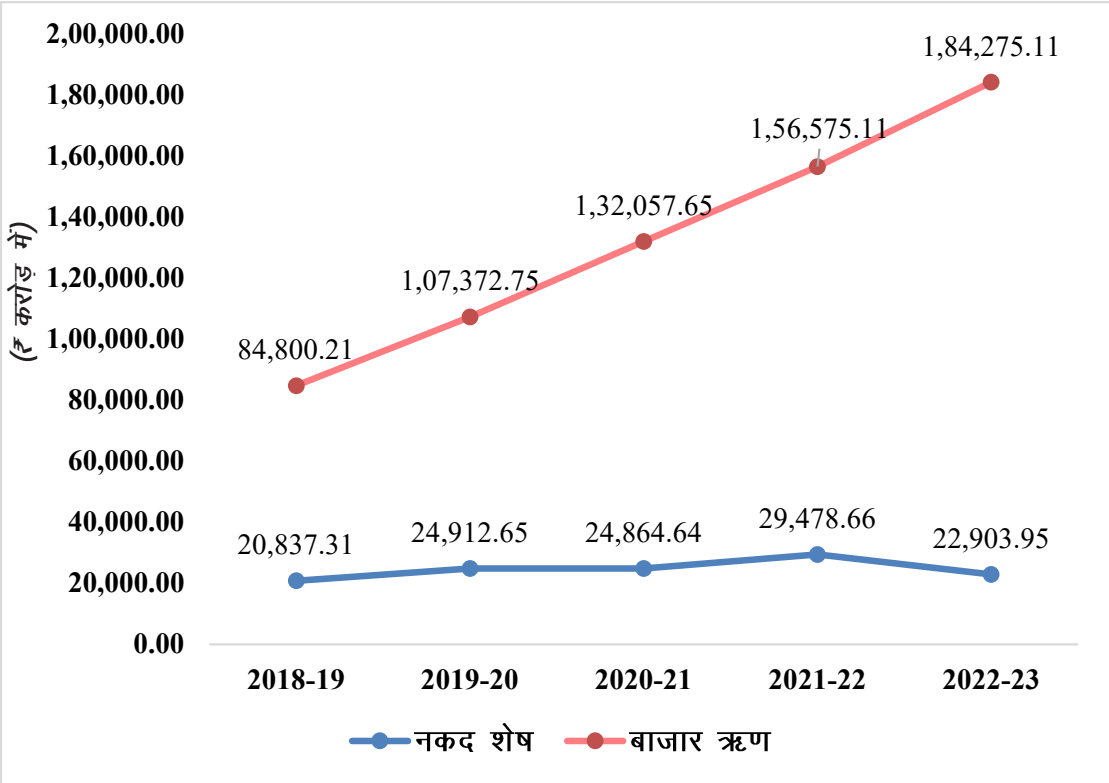

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने नकद शेष निवेश खाते में ₹ 14,069.82 करोड़ की अंतिम शेष राशि होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा लिया। इस वर्ष के लिए बाजार ऋण ₹ 27,700 करोड़ था। यह उल्लेखनीय है कि नकद शेष निवेश लेखे में राशि संचय होती है।

राज्य नकद शेष (₹ 22,903.95 करोड़) की सीमा तक बाजार उधार लेने से बच सकता था। ₹ 22,903.95 करोड़ के नकद शेष में ₹ 14,069.82 करोड़ का नकद शेष निवेश शामिल है। इन निवेशों पर ₹ 276.23 करोड़ का ब्याज अर्जित हुआ, जबकि राज्य सरकार ने 2022–23 में बाजार उधार पर 7.45 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। नकद शेष निवेश खाते में निवेशित नकद शेष की तुलना में माहवार उपलब्ध नकद शेष **चार्ट 2.23** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.23: वर्ष में नकद शेष राशि और निवल नकद शेष निवेश का माहवार संचालन

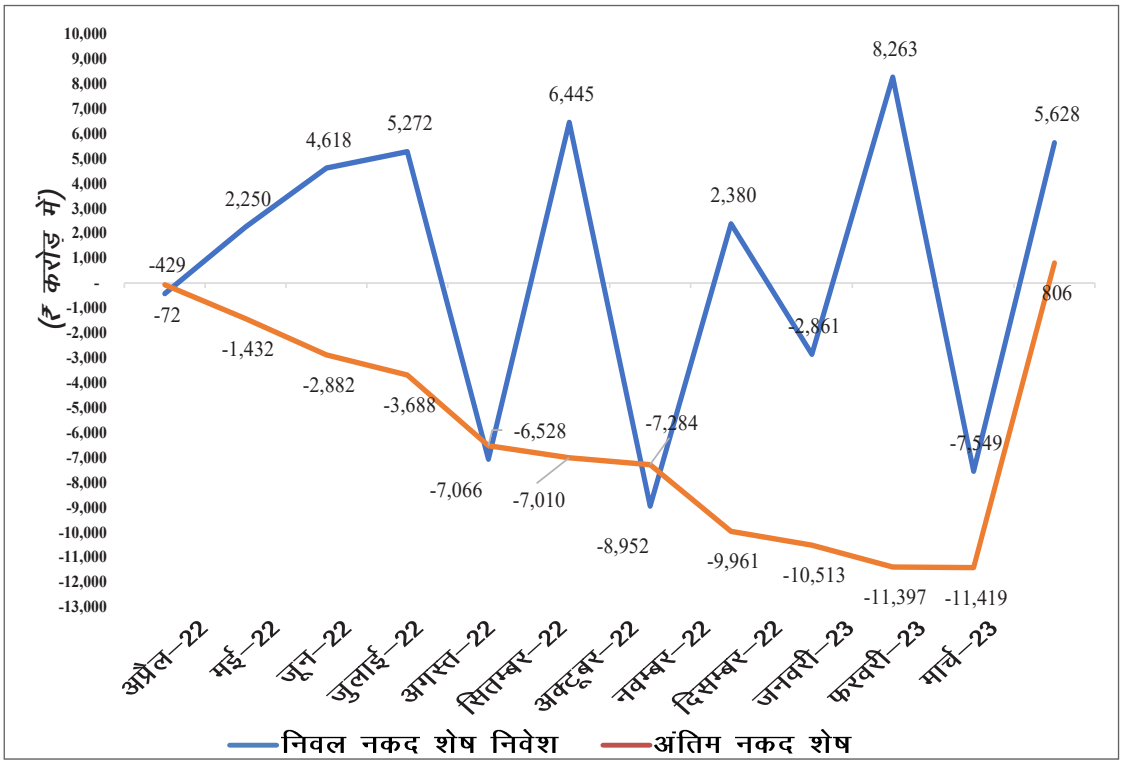

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के मासिक सिविल लेखे)

एक सकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' दर्शाता है कि महीने में सरकार ने उस राशि को ट्रेजरी बिल (टी0बी0) (एम0एच0 8673) में निवेश किया था और एक नकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' इंगित करता है कि सरकार ने महीने के दौरान, परिपक्वता या छूट के माध्यम से, टी0बी0 से, सरकारी लेखे में वापस जमा कर दिया था।

- अक्टूबर 2022 और फरवरी 2023 के महीने में, नकद शेष निवेश खाते में एक बडी निकासी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप खाते में ऋणात्मक शेष हो गया।
- चूँकि धनराशि का बडा हिस्सा (₹ 45,167.33 करोड़) मार्च 2023 के महीने में भारत सरकार से केंद्रीय करों/शुल्कों और सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2023 में निवेश खाते में धनात्मक नकद शेष हो गया।

2.9 निष्कर्ष

- यद्यपि राज्य ने राजस्व घाटे के प्रगतिशील उन्मूलन के लिए राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 पारित किया था, फिर भी राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा।
- राज्य का राजस्व घाटा, 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 0.27 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 6.54 प्रतिशत हो गया है।
- वित्त वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान राजस्व व्यय में सब्सिडी 5.65 प्रतिशत से 8.06 प्रतिशत थी। विद्युत सब्सिडी कुल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा थी और 68.92 प्रतिशत से 82.77 प्रतिशत के बीच थी।
- 2022–23 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 44,823.30 करोड़ था जो जी0एस0डी0पी0 का 5.97 प्रतिशत था और मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 25,885.10 करोड़ के लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से बाजार उधार और भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया।
- 2022–23 के दौरान ली गई ₹ 48,283.52 करोड़ की कुल उधारी में से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 31,519.82 करोड़ (65.28 प्रतिशत) का पूँजीगत व्यय किया।
- चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ विगत वर्ष की तुलना में ₹ 13,890.69 करोड़ (8.75 प्रतिशत) बढ़ गई हैं, जबकि राजस्व व्यय ₹ 24,756.51 करोड़ (15.55 प्रतिशत) बढ़ गया है। राज्य के स्व राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 23.98 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- राज्य ने वेतन और मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों पर कुल राजस्व व्यय का 34.30 प्रतिशत खर्च किया, प्राथमिकता क्षेत्र के व्यय के लिए केवल 65.70 प्रतिशत छोड़ा गया।
- राज्य ने 31 मार्च 2023 तक, वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 39,024.62 करोड़) पर केवल 0.004 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया।
- लोक ऋण और लोक लेखा देनदारियों सहित कुल बकाया देनदारियाँ जी0एस0डी0पी0 का 39.03 प्रतिशत थीं। विगत वर्ष की तुलना में कुल ऋण 13.90 प्रतिशत बढ़ गया।
- घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के प्रमुख मानदंड नीचे दिखाए गए हैं:

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा पंद्रहवे वित्त आयोग के अनुमान के भीतर था	एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम की सीमा से अधिक ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का बढ़ना
राज्य के अपने संसाधनों (कर और करेत्तर राजस्व) में वृद्धि हुई है	गारंटी मोचन निधि का न बनना
भारत सरकार से केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई	बढ़ता हुआ प्रतिबद्ध व्यय
	लंबित राजस्व बकाया

2.10 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग यह कर सकता है:

- बजट तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा करें, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच के अंतर को पाटा जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करें कि राजस्व की बकाया राशि शीघ्रता से एकत्र की जा सके ताकि राजकोषीय घाटे के कारण राज्य के बोझ को खत्म किया जा सके।
- सुनिश्चित करें कि कर्मचारी से की गई कटौतियाँ एवं सरकारी अंशदान को पूरी तरह से काटा गया और स–समय एन0एस0डी0एल0 को अंतरित कर दिया गया।
- एक तंत्र स्थापित हो जो यह सुनिश्चित करे कि अपूर्ण परियोजना से संबंधित पूर्ण सूचनाएँ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को उपलब्ध कराई जाए ताकि जिसका विस्तृत चित्रण बिहार सरकार के वित्त लेखे में परिलक्षित किया जा सके।
- ऋणों का पुनर्गठन करें ताकि ब्याज भुगतान बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर आ जाए।

अध्याय–III
वित्तीय प्रबंधन

अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

यह अध्याय, निधियों का विचलन किए बिना नीतिगत निर्णयों के प्रशासनिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रामाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा अनुषंगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है। यह विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान–वार विवरणी एवं सेवा प्रदायी विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है। इसमें उपलब्धि प्रतिवेदन के साथ अन्य विशिष्ट बजटों का विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी हेतु सभी विभागों द्वारा अनुपालन करना होता है। यह सामान्य रूप से हर वर्ष अगस्त–सितंबर में होता है जैसा कि बिहार बजट संहिता में निर्धारित है।

राज्य ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण हेतु व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के रूप में एक परियोजना शुरू की थी जिसने वर्तमान व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) को प्रतिस्थापित किया है। बजट की तैयारी सी0एफ0एम0एस0 के तहत बजट प्रबंधन के उप–अनुखंडों में से एक है। हालांकि, राज्य ने सी0एफ0एम0एस0 युग के लेखांकन के साथ तालमेल रखने के लिये बिहार कोषागार संहिता को संशोधित नहीं किया था और वित्त विभाग को परिपत्रों के माध्यम से इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए तब तक के लिए अधिकृत किया गया था जब तक कि बिहार कोषागार संहिता का एक व्यापक संशोधन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।

विधायी प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का निर्माण करते हुए प्रतिबंधित सीमा के अधीन व्यय के विनियोग/पुनर्विनियोग की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के निर्धारण के क्रम में वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग, अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है। दो विभागों में बजट प्रक्रिया की समीक्षा पर चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गयी है।

राज्यों द्वारा बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजटीय प्रक्रिया

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

कुल बजटीय प्रावधान, संवितरण एवं बचत की सारभूत स्थिति को दत्तमत और भारित के रूप में विभाजित करते हुए नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 2022–23 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		कुल संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	2,20,987.62	17,962.60	1,70,439.38	16,787.93	50,548.24	1,174.67
पूँजीगत	45,974.55	0.00	31,541.69	0.00	14,432.86	0.00
लोक ऋण	0.00	14,670.03	0.00	14,351.08	0.00	318.95
ऋण एवं अग्रिम	2,091.66	0.00	2,056.76	0.00	34.90	0.00
कुल	**2,69,053.83**	**32,632.63**	**2,04,037.83**	**31,139.01**	**65,016.00**	**1,493.62**
	3,01,686.46		**2,35,176.84**		**66,509.62**	

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विस्तृत विनियोग लेखे)

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक

(₹ करोड़ में)

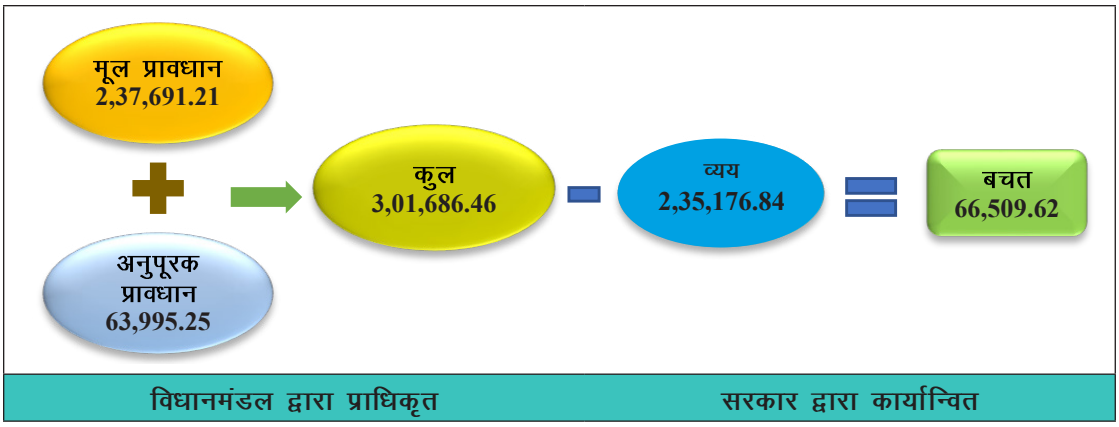

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विस्तृत विनियोग लेखे)

कुल व्यय ₹ 2,35,176.84 करोड़, ₹ 988.42 करोड़ की निवल राशि से अतिकथित था (विगत वर्षों में उचंत की आपत्ति पुस्तिका में रखी गई राशि ₹ 3,713.42 करोड़ के समाशोधन के कारण अधिक एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में उचंत की आपत्ति पुस्तिका में रखने के कारण ₹ 2,725.00 करोड़ से कम)।

राज्य का बजट अनुमान (ब0अ0) ₹ 2,37,691.21 करोड़ के लिए तैयार किया गया था। तत्पश्चात ₹ 63,995.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (अनु0प्रा0) भी किया गया जिससे राज्य का कुल बजट ₹ 3,01,686.46 करोड़ का हो गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य द्वारा केवल ₹ 2,35,176.84 करोड़ का व्यय किया गया, जो मूल बजट का लगभग 98.94 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, अंतिम बजट के सापेक्ष ₹ 66,509.62 करोड़ की बचत दर्ज की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि बजट को उस सीमा तक अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया गया था।

चार्ट 3.2 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने 2022–23 के दौरान किए गए कुल प्रावधानों के सापेक्ष 77.95 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 4.78 प्रतिशत अधिक) व्यय किया था, जिसके परिणामस्वरूप 22.05 प्रतिशत की बचत हुई। फलतः, ₹ 63,995.25 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक हो गए, क्योंकि व्यय बजट के मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के लिए मुख्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, राज्य सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट बजटों जैसे कि परिणाम बजट, जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट, हरित बजट और इन सभी पर उपलब्धि प्रतिवेदन भी तैयार किए गए थे। इन बजटों का विश्लेषण किया गया, और उसके परिणामों पर चर्चा इस प्रतिवेदन की अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.1.2 भारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23 तक) के दौरान 'भारित' और 'दत्तमत' में किये गये कुल संवितरण का विवरण **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2018–19 से 2022–23 के दौरान भारित और दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य		कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध बचत (प्रतिशत में)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2018-19	1,90,375.36	19,114.48	1,42,022.79	18,294.88	48,352.56	819.60	25.40	4.29
2019-20	2,08,629.14	19,858.04	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36	37.45	3.64
2020-21	2,24,274.43	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18	33.85	7.91
2021-22	2,41,479.13	23,917.74	1,71,395.87	22,806.33	70,083.26	1,111.41	29.02	4.65
2022-23	2,69,053.83	32,632.63	2,04,037.83	31,139.01	65,016.00	1,493.62	24.16	4.58

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 66,509.62 करोड़ की कुल बचत, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 63,995.25 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

3.1.3 बजट कार्यकुशलता

3.1.3.1 समग्र बजट उत्पादकता

समग्र बजट उत्पादकता, यह मापती है कि समग्र बजटीय व्यय की उत्पादकता/वास्तविक व्यय मूल अनुमोदित राशि से कितनी अधिक अथवा कितनी कम है। इसका सारांश **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2022–23 का समग्र बजट उत्पादकता

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	वास्तविक और ब0अ0 के बीच अंतर* (3)–(2)	प्रतिशत विचलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व	1,91,956.69	1,87,227.31	(-)4,729.38	(-)2.46
पूँजीगत	45,734.52	47,949.53	2,215.01	4.84
कुल	**2,37,691.21**	**2,35,176.84**	**(-)2,514.37**	**(-)1.06**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के विस्तृत विनियोग लेखे)

* *मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविकी की अधिकता को (+) चिन्ह के रूप में और मूल प्रावधान की तुलना में कमी को (–) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।*

राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 2.46 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा तीन अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। इसके अलावा, एक अनुदान (14: ऋणों का पुनर्भुगतान) के राजस्व खंड में कोई बजट और व्यय नहीं था।

पूँजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (+) 4.84 प्रतिशत था। यह सात अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा पांच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

अनुदान के पूँजीगत खंड में, निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:

- 19 अनुदानों में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।
- तीन अनुदानों में, (04: कैबिनेट सचिवालय विभाग, 11: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं 44: अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0 कल्याण विभाग), वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 231.66 करोड़ के बजट प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी व्यय नहीं किया गया था, जबकि अनुदान संख्या 11 (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) के अंतर्गत ₹33.50 करोड़ का अभ्यर्पण था।

3.1.3.2 व्यय संरचना की उत्पादकता

व्यय संरचना की उत्पादकता यह निर्धारित करती है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य निधियों का पुनर्आवंटन ने व्यय की संरचना को किस स्तर तक प्रभावित किया है, जैसा कि **तालिका 3.4** में वर्णित है ।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए व्यय संरचना की उत्पादकता

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	पुन0अ0 और ब0अ0 के बीच अंतर	वास्तविक उत्पादकता एवं पुन0अ0 के बीच अंतर*	पुन0अ0 के संबंध में कॉलम 6 का प्रतिशत विचलन
1	2	3	4	5 (3-2)	6 (4-3)	7
राजस्व	1,91,956.69	2,33,598.19	1,87,227.31	41,641.50	(-)46,370.88	(-)19.85
पूँजीगत	45,734.52	56,136.64	47,949.53	10,402.12	(-)8,187.11	(-)14.58
कुल	**2,37,691.21**	**2,89,734.83**	**2,35,176.84**	**52,043.62**	**(-)54,557.99**	**(-)18.83**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

** पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वास्तविकी की अधिकता को (+)चिन्ह् के रूप में और पुनरीक्षित प्रावधान की तुलना में कमी को (–) चिन्ह् के रूप में दर्शाया गया है।*

राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वास्तविक उत्पादकता का विचलन (–)19.85 प्रतिशत था। यह 31 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, पुन0अ0 की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 14.58 प्रतिशत था। यह 11 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

बिहार में, वर्ष 2022–23 के दौरान मूल बजट प्रावधानों को तीन अनुपूरक प्रावधानों द्वारा सवंर्धित किया गया था और मूल बजट को ₹ 3,01,686.46 करोड़ (26.92 प्रतिशत तक) बढ़ा दिया गया था। कुल बजट के सापेक्ष उत्पादकता में विचलन **तालिका 3.5** में वर्णित है ।

तालिका 3.5: कुल बजट के सापेक्ष उत्पादकता में विचलन (2022–23 के दौरान)

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल बजट	व्यय	उत्पादकता में विचलन	
			राशि	कुल बजट के प्रतिशत के रूप में
राजस्व	2,38,950.22	1,87,227.31	(-)51,722.91	(-)21.65
पूँजीगत	62,736.24	47,949.53	(-)14,786.71	(-)23.57
कुल	**3,01,686.46**	**2,35,176.84**	**(-)66,509.62**	**(-)22.05**

(स्रोत: विनियोग लेखे 2022–23)

राजस्व खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 21.65 प्रतिशत था। यह 30 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (–) 23.57 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा आठ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

अनुदान के पूँजीगत खंड में, निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए :

- पूँजीगत खंड के अंतर्गत 18 अनुदानों में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।
- यद्यपि चार अनुदानों (04: कैबिनेट सचिवालय विभाग, 11: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 39: आपदा प्रबंधन विभाग और 44: अ0जा0 और अ0ज0जा0 कल्याण विभाग) के पूँजीगत खंड में ₹ 431.66 करोड़ का प्रावधान था, तथापि इसके विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था एवं एक अनुदान (11: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) में ₹ 33.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित एवं दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण, बचत तथा पुनर्विनियोगों को अलग–अलग दर्शाता है और विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधि के उपयोग, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप हैं अथवा नहीं एवं ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

बजटीय सम्पूर्णता का अर्थ "लोक निधि को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाना" है। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ

भरोसेमंद होनी चाहिए। बजट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करती है।

3.3.1 विनियोग अधिनियम/विस्तृत अनुदान मांगों द्वारा अधिदिष्टी के बिना (लोक लेखे/बैंक खातों में) अंतरण

यह देखा गया कि निधियों को बजट में प्रावधान के पश्चात, व्यय हेतु, वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभागों को भेजा जाता है। तत्पश्चात संबंधित विभाग द्वारा समग्र प्रावधानित राशि का आहरण कर आगे के भुगतान/निष्पादन के लिए इसे लोक लेखा में जमा करा दिया जाता है, भले ही इनकी तत्काल आवश्यकता न हो।

यह पाया गया कि, वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग लेखे में 447[1] योजनाओं में, ₹ 20,015.61 करोड़ लोक लेखा में स्थानांतरित/जमा किए गए थे। ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक के ऐसे मामलों के कुछ प्रमुख उदाहरण **तालिका 3.6** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.6: मुख्य शीर्ष–8443 और मुख्य शीर्ष–8448 में ₹ 500 करोड़ एवं अधिक के अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल बजट	कुल व्यय	लोक लेखा में अंतरित
राजस्व			
18–3456001020306 –राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण मिशन	564.34	499.19	499.19
20–2210012000209 –राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	550.00	543.70	543.70
37–3054041050001 –ग्रामीण सड़क– अन्य रखरखाव व्यय	3,050.00	3,057.74	2,981.14
पूँजीगत			
35–4070000510107 –मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	807.82	792.32	792.32
37–4515001030518 –मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त)	700.00	700.00	700.00
37–4515001030519 –मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन0डी0बी0)	700.00	700.00	700.00
37–4515007890104 –मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	1,425.47	1,424.05	725.47
48–5075601900101 –पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	959.00	959.00	959.00
कुल	**8,756.63**	**8,676.00**	**7,900.82**

(स्रोतः विनियोग लेखे और वी0एल0सी0 आंकड़े)

यह भी देखा गया कि, कुल व्यय में से, पूँजीगत व्यय का 24.56 प्रतिशत, ऋण और अग्रिम के तहत व्यय का 68.38 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 4.81 प्रतिशत, सिविल जमा और स्थानीय निधियों के खातों में जमा किया गया। जिन शीर्षों द्वारा जमा खाते (मुख्य शीर्ष–8448 और 8443) में निधियों का अंतरण हुआ उनका विवरण **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

[1] योजनाएं उप–शीर्ष स्तर तक बिल कोड को संदर्भित करती हैं।

तालिका 3.7: मुख्य शीर्ष 8443 एवं 8448 में अंतरित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मुख्य शीर्ष–8448 में अंतरित				मुख्य शीर्ष –8443 में अंतरित			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्राप्तियाँ	76.67	276.69	325.57	438.83	0	0	0.05	0.59
राजस्व व्यय	8,456.84	11,876.36	12,454.01	8,780.60	248.79	538.88	435.82	228.14
पूँजीगत व्यय	11,485.31	9,166.60	10,564.51	9,965.26	893.12	1,330.20	1,394.31	1,307.33
ऋण एवं अग्रिम	609.38	605.79	731.48	1,406.50	0	0	0	0
योग	**20,628.20**	**21,925.44**	**24,075.57**	**20,591.19**	**1,141.91**	**1,869.08**	**1,830.18**	**1,536.06**

(स्रोतः वी0एल0सी0 आंकड़े)

उपरोक्त के अलावा, 51 अनुदान नियंत्रक अधिकारियों में से 19 ने आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी के बैंक खातों में अंतरित राशि की स्थिति का खुलासा किया। उन 19 अनुदानों में से, 11 अनुदानों के संबंध में 'शून्य' प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जबकि आठ अनुदानों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान व्यय के लिए आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी के खातों में अंतरित राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। ₹ 10 करोड़ से अधिक राशि के ऐसे अंतरण के मामले **तालिका 3.8** में वर्णित हैं।

तालिका 3.8: आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों के खाते में अंतरित धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	2022–23 के दौरान अंतरित राशि	2022–23 के दौरान अंतरित कुल राशि में से व्यय की गई राशि	31 मार्च 2023 तक शेष राशि
1	10	ऊर्जा	16,549.12	16,207.87	341.25
2	39	आपदा प्रबंधन	670.09	642.63	27.45
3	41	पथ निर्माण	947.01	219.49	727.52
4	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	55.31	43.30	12.01
कुल			**18,221.53**	**17,113.29**	**1,108.23**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के संक्षिप्त विनियोग लेखे)

तालिका 3.8 से यह स्पष्ट है कि संचित निधि से लोक निधि में एक बड़ी राशि स्थानांतरित की गई, जिससे निधियों का संचय हुआ।

यह, वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के अतिकथन एवं प्राप्तियों के आंकड़ों की न्यूनोक्ति को प्रदर्शित करता है।

3.3.2 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय, जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, 20 अनुदानों के 22 मामलों में, ₹ 18,491.79 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) की राशि के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अधिक साबित हुए और पूरी तरह से अनुपयोगित रहे, क्योंकि व्यय (₹ 83,802.17 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,03,251.69 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है। इसके अलावा, एक अनुदान '04–कैबिनेट सचिवालय' में, ₹ 241.51 करोड़ का कुल व्यय, ₹ 277.69 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों से भी कम था।

इसके अलावा, ऊपर वर्णित 22 मामलों में से सात मामलों में, जिनमें कुल ₹ 14,722.95 करोड़ शामिल थे, प्रत्येक मामले में अनुपूरक प्रावधान की राशि ₹ 1,000 करोड़ या अधिक थी। मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत होने के बावजूद अनुदान के लिए अनुपूरक बजट के आवंटन के परिणामस्वरूप अन्य विभागों के लिए धन की कमी की संभावना को दिखाता है।

3.3.3 अनावश्यक एवं अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से बचत का उसी अनुदान अथवा भारित विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया अंतरण, है। इस प्रकार सरकार को निर्धारित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन, एक उद्देश्य के लिए मूल प्रावधान को एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनर्विनियोजन की अनुमति है।

विस्तृत विनियोग लेखे 2022–23 की जांच से परिलक्षित हुआ कि:

- 15 अनुदानों के अंतर्गत 35 मामलों में ₹ 771.37 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ (पुनर्विनियोजन की आवश्यकता नहीं थी), क्योंकि अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) ₹ 2,175.63 करोड़ थी (***परिशिष्ट 3.2***)।
- पांच अनुदानों के अंतर्गत नौ मामलों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई ₹ 1,778.05 करोड़ की राशि, ₹ 909.60 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) की बचत होने के कारण, अधिक (पुनर्विनियोजित राशि वास्तविक आवश्यकता से अधिक) साबित हुई (***परिशिष्ट 3.3***)। यह वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन को दर्शाता है।

पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से बजट प्रावधानों में वृद्धि अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुए क्योंकि व्यय, मूल/कुल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

3.3.4 अव्ययित राशि, अभ्यर्पित विनियोग और/या वृहत् बचत/अभ्यर्पण

वर्ष 2022–23 के दौरान, 35 अनुदानों से संबंधित दत्तमत और भारित व्यय के अधीन, बचत के प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के 49 मामले थे, जिसकी कुल राशि ₹ 65,132.21 करोड़ थी (कुल प्रावधान ₹ 2,75,095.43 करोड़ का 23.68 प्रतिशत), जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में बताया गया है।

इसके अलावा, 32 अनुदानों में कुल बजट और व्यय के बीच 20 प्रतिशत या उससे अधिक का महत्वपूर्ण विचलन था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53,766.73 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 1,67,550.87 करोड़ का 32 प्रतिशत) की भारी बचत हुई (***परिशिष्ट 3.5***)। इन विचलनों के कारणों को विनियोग लेखे में समुचित रूप से प्रकट नहीं किया गया है।

20 अनुदानों से संबंधित 21 मामलों में, विगत पांच वर्षों के दौरान ₹ 43,357.27 करोड़ और उससे अधिक (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ 200 करोड़ या अधिक की बचत) की सतत् बचत हुई, जैसा

कि ***परिशिष्ट 3.6*** में बताया गया है। सतत् बचत से संकेत मिलता है कि विगत वर्षों में व्यय की प्रवृतियों पर विचार किए बिना बजट प्रावधान किए गए थे।

विगत वर्षों की बचत के साथ, 2022–23 में अनुदान–वार, ₹ 2,000 करोड़ और अधिक की बचत **तालिका 3.9** में दिखाई गई है।

तालिका 3.9: वर्ष 2022–23 में ₹ 2,000 करोड़ से अधिक की बचत वाले अनुदान/ विनियोजन के साथ विगत चार वर्षों में बचत प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अनुदान–विभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
21–शिक्षा विभाग	10,081.81	12,140.67	11,784.91	12,877.72	13,796.59
20–स्वास्थ्य विभाग	2,359.27	3,582.55	4,056.45	6,085.46	8,543.32
16–पंचायती राज विभाग	1,837.67	4,891.60	4,675.44	5,367.03	4,910.47
37–ग्रामीण कार्य विभाग	7,553.55	8,518.95	6,439.24	4,841.88	4,463.00
48–नगर विकास एवं आवास विभाग	2,064.28	3,250.51	3,952.81	4,640.19	4,394.35
42–ग्रामीण विकास विभाग	6,323.92	8,900.63	8,531.89	9,206.77	3,318.65
22–गृह विभाग	764.90	2,133.08	2,643.70	4,192.63	3,258.08
03–भवन निर्माण विभाग	1,211.20	4,205.01	3,830.73	2,522.82	2,880.66
15–पेंशन	662.21	1,414.68	796.52	1,527.51	2,324.24
51–समाज कल्याण विभाग	3,409.41	2,339.24	2,223.48	2,244.40	2,295.38
इन अनुदानों में कुल बचत	**36,268.22**	**51,376.92**	**48,935.17**	**53,506.41**	**50,184.74**
वर्ष के दौरान कुल बचत (सभी 51 अनुदान)	**49,172.17**	**78,845.26**	**77,607.22**	**71,194.67**	**66,509.62**
ऊपर वर्णित अनुदानों में प्रतिशत बचत	**73.76**	**65.16**	**63.05**	**75.16**	**75.45**

(स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

इसके अलावा, 12 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 20,104.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया था, जो कि ***परिशिष्ट 3.7*** में दिखाया गया है और तीन अनुदानों में, अभ्यर्पण की राशि अनुपूरक प्रावधानों से भी अधिक थी।

चार्ट 3.3 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बचत के साथ–साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदान/विनियोजन की संख्या को दर्शाता है।

चार्ट 3.3: बचत के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या

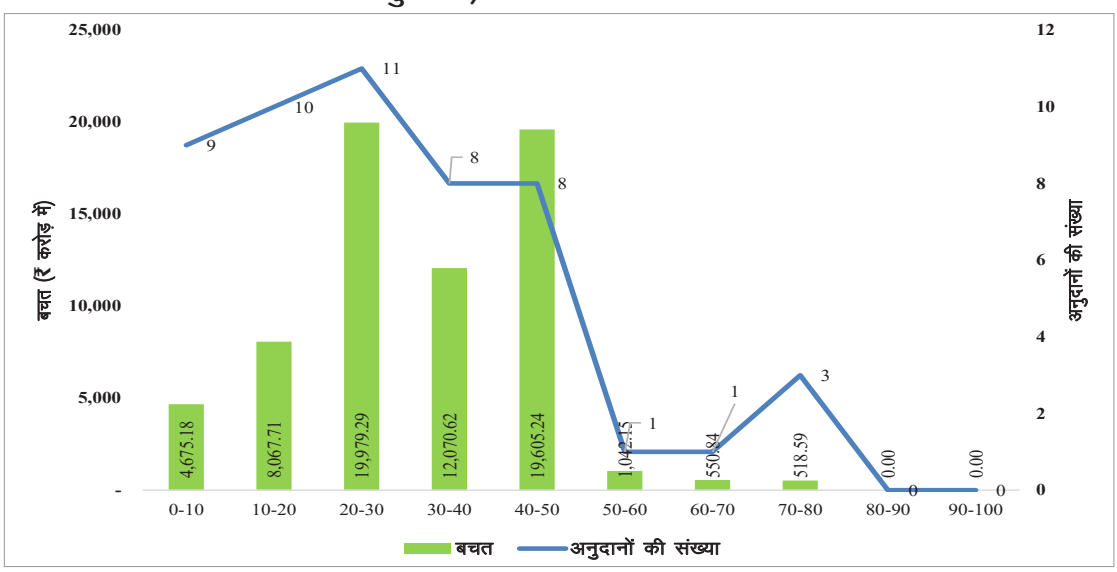

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

चार्ट 3.3 दर्शाता है कि 51 अनुदानों में से पांच अनुदानों में 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी, जबकि 16 अनुदानों में बचत की राशि 30–50 प्रतिशत की सीमा में थी, जो कुल बजट के सापेक्ष कुल बचत, जो कि 22.05 प्रतिशत थी, से काफी अधिक है।

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 104 के अनुसार, अतिरिक्त व्यय, जो निश्चित रूप से पूर्वानुमानित नही हों अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित नही हों, को पूरा करने के लिए बचत मे से कोई राशि आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचत का अभ्यर्पण संबंधित वर्ष की 15 फरवरी तक कर देना चाहिए। असाधारण मामलों में अभ्यर्पण संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक समर्पित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

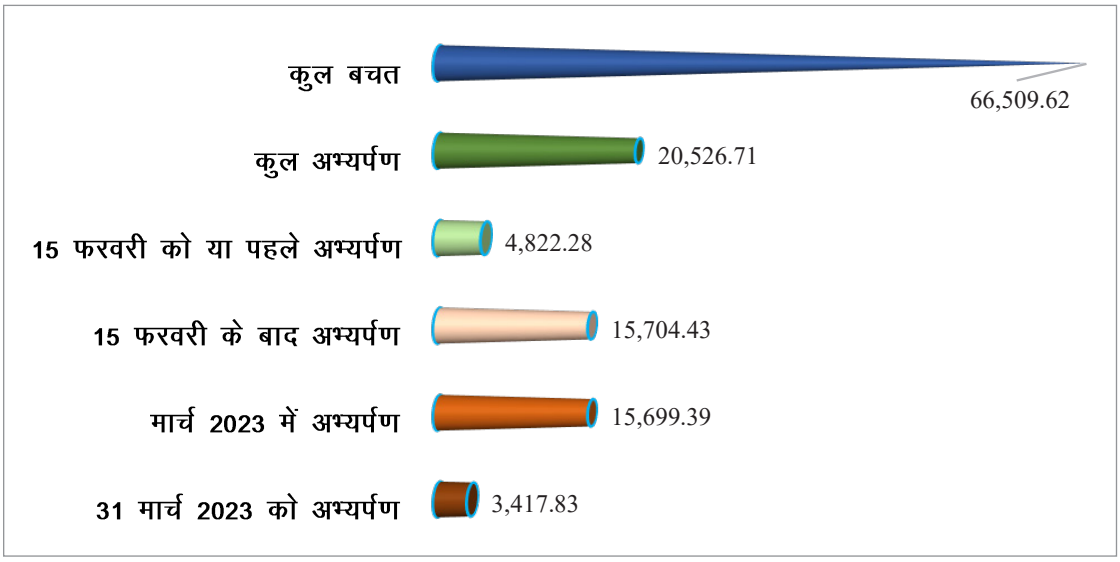

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

चार्ट 3.4 से यह स्पष्ट है कि, बिहार बजट संहिता के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 15 फरवरी के बाद ₹ 15,704.43 करोड़ (कुल अभ्यर्पण की गई राशि का 76.51 प्रतिशत) की शेष राशि का अभ्यर्पण किया गया ।

3.3.5 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्तियों को दिये गये भुगतान हैं जो सहायता, दान अथवा अंशदान की प्रकृति के होते है। सहायता अनुदान किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य के लिए सहायता के प्रयोजनार्थ दिया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल है। आई0जी0ए0एस0–2 के अनुसार, उन मामलों को छोड़कर, जहां भारत के नि0म0ले0प0 की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, किसी ग्रान्टर द्वारा ग्रांटी को संवितरित सहायता अनुदान को सहायता अनुदान की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना है।

वित्त लेखे 2022–23 (खण्ड I) की विवरणी–X के अनुसार, 2022–23 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल धनराशि ₹ 79,940.88 करोड़ थी, जिसमें से पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि ₹ 20,019.34 करोड़ (25.04 प्रतिशत) थी, जैसा कि **तालिका 3.10** में वर्णित है।

तालिका 3.10: पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल सहायता अनुदान	प्रतिशत वृद्धि	पूँजीगत निर्माण के लिए सहायता अनुदान	पूँजीगत निर्माण के लिए उपयोग किए गए सहायता अनुदान का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
2018-19	51,764.29	19.39	14,023.84	27.09	232.14
2019-20	46,581.54	(-)10.01	5,569.37	11.96	(-)60.29
2020-21	54,928.98	17.92	27,340.81	49.77	390.91
2021-22	65,015.01	18.36	6,177.94	9.50	(-)77.40
2022-23	79,940.88	22.96	20,019.34	25.04	224.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

विभागों में बजटीय और लेखांकन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, सरकार को बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रत्येक प्रदर्शन संकेतक के लिए वार्षिक उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए, ताकि विभाग प्रत्येक संकेतक के लिए निर्धारित वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें।

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति को संतुलित रखता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 3.11** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.11: वर्ष 2022–23 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	मार्च 2023 में अभ्यर्पित की गई राशि	मार्च 2023 में अभ्यर्पित बचतों का प्रतिशत (कॉलम 8/कॉलम 6×100)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I- राजस्व	1,74,028.69	46,958.93	2,20,987.62	1,70,439.38	50,548.24	15,307.73	13,418.29	26.55
	II- पूँजी	29,749.64	16,224.91	45,974.55	31,541.69	14,432.86	5,218.43	2,281.10	15.80
	III- ऋण और अग्रिम	1,314.85	776.81	2,091.66	2,056.76	34.90	0.01	0.00	0.00
कुल दत्तमत		**2,05,093.18**	**63,960.65**	**2,69,053.83**	**2,04,037.83**	**65,015.00**	**20,526.17**	**15,699.39**	**24.15**
भारित	IV- राजस्व	17,928.00	34.60	17,962.60	16,787.93	1,174.67	0.54	0.00	0.00
	V- पूँजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	VI- लोक ऋण अदायगी	14,670.03	0.00	14,670.03	14,351.08	318.95	0.00	0.00	0.00
कुल भारित		**32,598.03**	**34.60**	**32,632.63**	**31,139.01**	**1,493.62**	**0.54**	**0.00**	**0.00**
कुल योग		**2,37,691.21**	**63,995.25**	**3,01,686.46**	**2,35,176.84**	**66,509.62**	**20,526.71**	**15,699.39**	**23.60**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

टिप्पणी: व्यय में ₹ 3,251.09 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय की वसूली /वापसी शामिल है और ₹ 21.87 करोड़ के पूँजीगत व्यय की वसूली को व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया गया है।

तालिका 3.11 से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 3,01,686.46 करोड़ के कुल प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹ 2,35,176.84 करोड़ (77.95 प्रतिशत) का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 63,995.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान परिहार्य था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 2,37,691.21 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था।

राजस्व खंड के 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 51,722.91 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत खंड के ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों एवं लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहित 35 अनुदानों/विनियोगों में ₹ 14,786.71 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 66,509.62 करोड़ की समग्र बचत हुई।

वर्ष के दौरान ₹ 66,509.62 करोड़ की कुल बचत में से केवल 30.86 प्रतिशत राशि (₹ 20,526.71 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45,982.91 करोड़ के बचत (कुल बचत का 69.14 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नही हो पाया। कुल बचत, अनुपूरक प्रावधान का 103.93 प्रतिशत था। बजट में समग्र प्रावधानों के सापेक्ष कुल बचत के प्रतिशत की प्रवृति **चार्ट 3.5** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 3.5: 2018–19 से 2022–23 के दौरान बजट का उपयोग

(₹ करोड़ में)

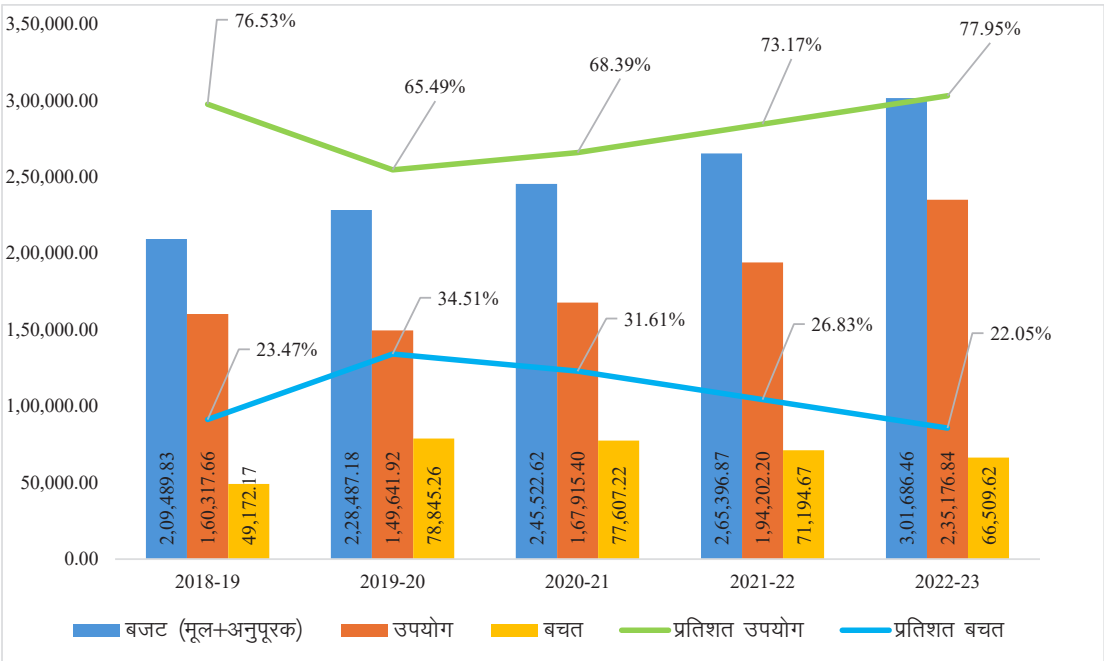

(स्रोतः सबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान, कुल बजट के सापेक्ष कुल बचत 22.05 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत तक थी। यह गलत अनुमान तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की अक्षमता को इंगित करता है।

इसके अलावा, 26 अनुदानों/विनियोगों के तहत 185 योजना लेखा शीर्षों में ₹ 4,640.34 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नही किये जाने के मामले भी थे। इन मामलों में से, 12 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 32 मामलों में, ₹ 4,053.49 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ और अधिक) के कुल बजट प्रावधान अनुपयोगित रहे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.8*** में बताया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृति को **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: 2018–19 से 2022–23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित/संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	मूल बजट	1,76,990.27	2,00,501.01	2,11,761.50	2,18,302.70	2,37,691.21
2	अनुपूरक बजट	32,499.56	27,986.17	33,761.12	47,094.17	63,995.25
3	**कुल बजट (1+2)**	2,09,489.83	2,28,487.18	2,45,522.62	2,65,396.87	3,01,686.46
4	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	1,92,620.88	2,18,729.55	2,29,716.91	2,58,632.52	2,89,734.83
5	वास्तविक व्यय	1,60,317.66	1,49,641.92	1,67,915.40	1,94,202.20	2,35,176.84
6	**बचत (3–5)**	49,172.17	78,845.26	77,607.22	71,194.67	66,509.62
7	मूल प्रावधान के सापेक्ष अनुपूरक प्रावधान का प्रतिशत	18.36	13.96	15.94	21.57	26.92
8	समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत/अधिकाई का प्रतिशत	23.47	34.51	31.61	26.83	22.05
9	कुल बजट – पुन0अ0	16,868.95	9,757.63	15,805.71	6,764.35	11,951.63
10	पुन0अ0 – वास्तविक व्यय	32,303.22	69,087.63	61,801.51	64,430.32	54,557.99
11	(कुल बजट – पुन0अ0) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	8.05	4.27	6.44	2.55	3.96
12	(पुन0अ0–वास्तविक व्यय) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	15.42	30.24	25.17	24.28	18.08

(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों का वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे)

तालिका 3.12 से स्पष्ट है कि 2022–23 के दौरान ₹ 63,995.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, विगत वर्ष के 21.57 प्रतिशत के सापेक्ष मूल प्रावधान का 26.92 प्रतिशत था। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से कम अनुमानित किया गया था, लेकिन अनुपूरक प्रावधानों से बजट प्रावधान 13.96 प्रतिशत से 26.92 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वास्तविक व्यय भी मूल बजट की तुलना में काफी कम था।

बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृति **चार्ट 3.6** में दर्शायी गई हैं।

चार्ट 3.6: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

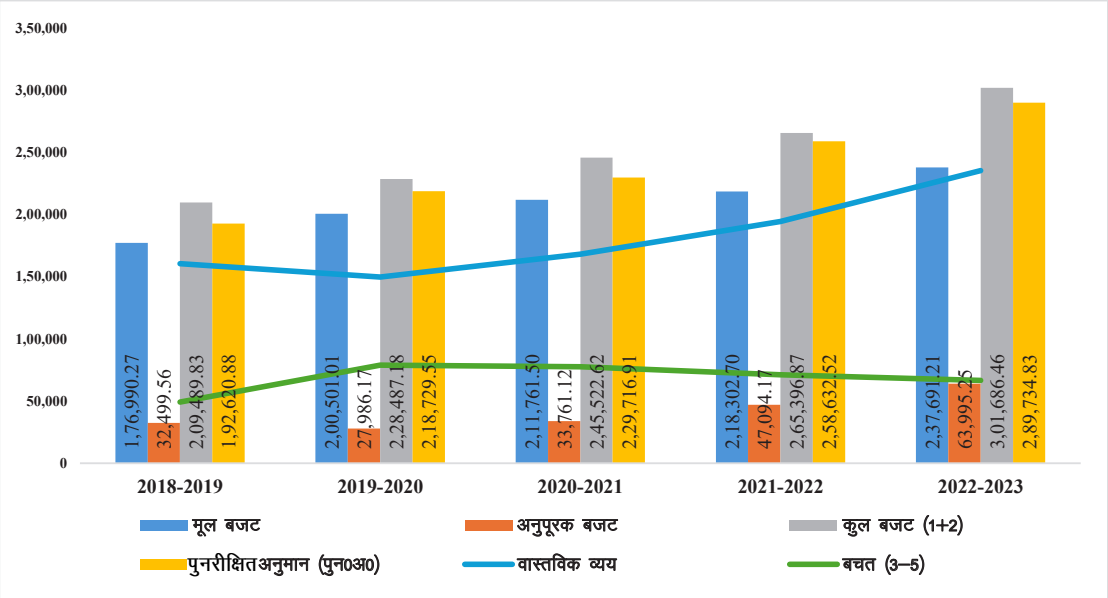

(स्रोत: *संबंधित वित्तीय वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे)*

तालिका 3.12 तथा चार्ट 3.6 अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन को दर्शाते हैं, क्योंकि राज्य के बजट अनुमानों को बढ़ा–चढ़ा कर दिखाया गया था और वास्तविक व्यय मूल बजटीय प्रावधानों से कम था।

3.4.2 बजट से भिन्नता के संबंध में अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

बिहार राज्य के लिए विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए, जैसा कि नीचे **तालिका 3.13** में वर्णित है.

तालिका 3.13 विनियोग लेखे पर टिप्पणियों के लिए मानदंड

क्रम. सं.	अनुदानवार बजट प्रावधान	बचत(–) / आधिक्य (+)	उप–शीर्षवार मानदंड
1	2	3	4
1	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख	उप–शीर्ष स्तर पर प्रत्येक मामले में कॉलम संख्या 3 में दर्शाई गई राशि या उप–शीर्षवार प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
2	₹ 5.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख	
3	₹ 50.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख	
4	₹ 100.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख	
5	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख	

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में, व्यय में भिन्नता के कारण/स्पष्टीकरण की मांग करते हुए, विभागों के नियंत्रक अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखे उपलब्ध कराया था।

हालाँकि, नियंत्री अधिकारियों ने कुल मामलों में से केवल 10.96 प्रतिशत में बजटीय आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण दिया। सभी 51 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 1523 मामलों के संबंध में भिन्नता के कारण मांगे गए थे। तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्री अधिकारियों द्वारा 25 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत केवल 167 मामलों में भिन्नता के कारण प्रस्तुत किए गए थे।

विनियोग लेखे में भिन्नता के मामले में स्पष्टीकरण की आवश्यकता एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की स्थिति **चार्ट 3.7** में दर्शाई गई है ।

चार्ट 3.7 विनियोग लेखे में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश

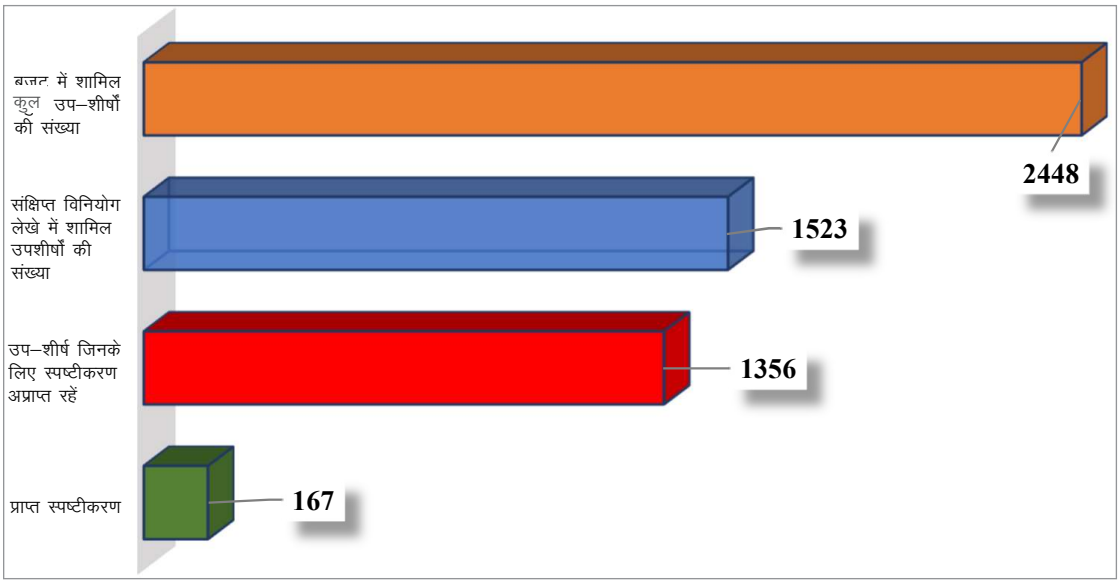

(स्रोतः वित्तीय वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

विनियोग लेखे में शामिल 1523 उप–शीर्षों में 50 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 45,923.32 करोड़ की बचत और 23 अनुदानों/विनियोगों में ₹1,498.09 करोड़ के अधिकाई व्यय थे। इनमें से, केवल ₹ 2,453.79 करोड़ की बचत के 99 उप–शीर्षों एवं ₹ 1,278.36 करोड़ की अधिकाई व्यय के 68 उप–शीर्षों में भिन्नताएँ स्पष्ट की गई थी एवं 1356 उप–शीर्षों में, ₹ 43,469.53 करोड़ (94.66 प्रतिशत) की बचत और ₹ 219.73 करोड़ (14.67 प्रतिशत) के अधिकाई व्यय की भिन्नताएँ, राज्य सरकार के संबंधित विभागों से उत्तर प्राप्त न होने के कारण, अस्पष्ट रह गईं।

बजटीय आवंटन और उनके उपयोग की सीमा के बीच भिन्नता के स्पष्टीकरण के अभाव में, सरकार की वित्तीय जवाबदेही एवं बजट पर विधायी नियंत्रण को सक्षम करने के लिए विनियोग लेखे की सूचनात्मक उपयोगिता निरर्थक रही।

3.4.3 उप–शीर्ष स्तर पर अस्पष्टीकृत भिन्नताएं

जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, विनियोग लेखे में भिन्नताओं पर टिप्पणियों के लिए शीर्षों का चयन करते समय राज्य लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा और/या प्रतिशत, यदि कोई हो, का पालन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए विनियोग लेखे के मामले में, सीमाएँ केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित की गई थीं।

बजट की वर्तमान स्थिति और आकार के अनुसार भिन्नता प्रतिवेदन मानदंड को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भिन्नता प्रतिवेदन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव इस आधार पर किया गया था कि वर्तमान सीमाएं वर्ष 1993–94 से प्रभावी थीं, तब से, केंद्रीय बजट का आकार 28 गुना बढ़ गया है, जिससे विनियोग लेखे में टिप्पणी/स्पष्टीकरण के लिए मात्रात्मक स्तर या ऊपरी सीमा में संशोधन की आवश्यकता है। केंद्रीय लोक लेखा समिति (17 वीं लोकसभा, 2019–20) ने दिसंबर 2019 के अपने प्रथम प्रतिवेदन, जिसका शीर्षक 'विनियोग लेखे में अपवादों को प्रतिवेदित करने की सीमा का संशोधन' था, में विनियोग लेखे में उप–शीर्ष स्तर की टिप्पणियों के लिए अधिसीमा की समीक्षा की गई थी एवं अधिसीमा में उर्ध्वगामी वृद्धि की गई थी।

उप–शीर्ष स्तर पर भिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए संशोधित और पूर्ववर्ती सीमाएँ **तालिका 3.14** में वर्णित हैं ।

तालिका 3.14: उप–शीर्ष स्तर पर भिन्नताओं की व्याख्या के लिए केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड

संशोधन पूर्व मानदंड (1993–94 से)	संशोधित मानदंड (2018–19 से)
₹ 100 लाख से अधिक की भिन्नता (आधिक्य या बचत) के बारे में बताया जाए	₹ 500 लाख से अधिक की भिन्नता (आधिक्य या बचत) के बारे में बताया जाए
सभी मामले, जहाँ भिन्नता (आधिक्य या बचत) स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 50 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, की व्याख्या की जाए	सभी मामले जहां भिन्नता (आधिक्य या बचत) स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 250 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, की व्याख्या की जाए
यदि कोई अनुपूरक प्रावधान है, तो ऐसे सभी मामले जहां बचत, अनुपूरक प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 5 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, स्पष्ट करें	यदि कोई अनुपूरक प्रावधान है, तो ऐसे सभी मामले जहां बचत, अनुपूरक प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 100 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, स्पष्ट करें
जब अनुदान समग्र रूप से पार हो जाए, तो ₹ 1 लाख से अधिक वाले उप–शीर्षों का चयन किया जाए	जब अनुदान समग्र रूप से पार हो जाए, तो ₹ 25 लाख से अधिक वाले उप–शीर्षों का चयन किया जाए

जैसा कि देखा जा सकता है, केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड उन मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला का आच्छादन करते हैं जिनमें भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, बिहार राज्य ने लगभग 20 वर्ष या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हीं मानदंडों को जारी रखा है, तथापि यह ज्ञात नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए ये मानदंड कब निर्धारित किए गए थे। विगत वर्षों के दौरान, राज्य के बजट का आकार और मात्रा में कई गुना वृद्धि हुई है, जैसा कि **तालिका 3.15** में बताया गया है।

तालिका 3.15: राज्य के बजट आकार और व्यय का कालावधि विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट का आकार	व्यय	2005–06 के सापेक्ष बजट का आकार में वृद्धि (प्रतिशत में)
2005-06	28,976.40	22,568.47	
2020-21	2,45,522.59	1,67,915.40	847.32
2021-22	2,65,396.87	1,94,202.20	915.91
2022-23	3,01,686.46	2,35,176.84	1,041.15

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

तालिका 3.15 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022–23 के बजट प्रावधान में वर्ष 2005–06 (₹ 28,976.40 करोड़) के बजट प्रावधान की तुलना में 10.41 गुना की वृद्धि हुई है। कुछ बड़े अनुदानों के उदाहरण **तालिका 3.16** में दिए गए हैं ।

तालिका 3.16: बजट आकार के संदर्भ में कुछ सबसे बड़े अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बजट प्रावधान
1	21	शिक्षा	55,892.37
2	15	पेंशन	25,467.93
3	42	ग्रामीण विकास	21,731.56
4	20	स्वास्थ्य	20,557.27
5	10	ऊर्जा	16,549.12

(स्रोतः वित्त वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

इस प्रकार, वर्तमान मानदंड, विनियोग लेखे के सामयिक परिदृश्य को प्रतिविंबित नहीं करते हैं। यद्यपि, केन्द्रीय लोक लेखा समिति ने बजट प्रावधानों से विचलन के प्रतिशत को ध्यान में रखे बिना भिन्नता (आधिक्य अथवा बचत) को स्पष्ट करने के लिए ₹ 5.00 करोड़ की सीमा निर्धारित की थी, बिहार में इस प्रकार का कोई मानदण्ड नहीं है।

3.4.4 बजट से अनुदान स्तर पर वृहद् भिन्नताएं

लोक लेखा समिति (10 वीं लोकसभा, 1990–91) ने अपनी 60 वीं प्रतिवेदन की कंडिका 1.22 और 1.24 में उल्लेख किया है कि एक अनुदान या विनियोग में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत दोषपूर्ण बजट बनाए जाने के साथ–साथ निष्पादन में कमी का भी संकेतक है। इसलिए, लोक लेखा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत के संबंध में एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी, समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

जहां तक अनुदान स्तर पर बड़ी बचतों/भिन्नताओं के स्पष्टीकरण का संबंध है, वर्तमान में राज्य लोक लेखा समिति द्वारा ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। यदि केंद्र के लिए लागू ₹ 100 करोड़ की सीमा पर भी विचार किया जाए, तो 51 अनुदानों/विनियोगों में से 30 के अंतर्गत 159 उपशीर्षों में स्पष्टीकरण आवश्यक होगा। विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बजट के निरंतर/सतत कम उपयोग का वर्णन **कंडिका 3.4.1, चार्ट 3.5 एवं 3.6** में किया गया है।

3.4.5 योजनाओं की उद्घोषणा और उनके सापेक्ष बजटीय सहायता का प्रावधान न होना

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सामाजिक कल्याण और अन्य योजनाओं के संबंध में कई प्रमुख नीतिगत घोषणाएं की गई थी।

लेखापरीक्षा में ऐसे कई मामले देखे गए जहां बजट अनुमान ₹ 10 करोड़ से अधिक था लेकिन वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा कि **तालिका 3.17** में बताया गया है ।

तालिका 3.17: योजनाएँ जिनके लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन उन पर व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	योजना	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	226.66	91.58
2		परंपरागत कृषि विकास योजना	91.35	-
3		बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	28.78	-
4	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	40.00	-
5	अल्पसंख्यक कल्याण	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना और राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की शेयर पूँजी	100.00	100.00
6		राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.00	-
7	गन्ना उद्योग	चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन	60.00	60.00
		कुल	**576.79**	**251.58**

(स्रोतः संबंधित विभागों से प्राप्त आंकड़े)

संबंधित विभागों द्वारा बजट अनुमानों में संशोधन के कारणों की सूचना नहीं दी गई। योजनाओं के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान न करने से लाभार्थी ऐसी योजनाओं के उद्दिष्ट लाभ से वंचित हो जाते हैं।

3.4.6 सघन व्यय

बिहार बजट संहिता (बीबीएम), 2016 का नियम 125 यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाए। बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यय का एक समान प्रवाह आवश्यक है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, नौ विभागों में, अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 17,396.36 करोड़ (58.86 प्रतिशत) का व्यय किया गया और केवल मार्च 2023 के महीने में, कुल व्यय ₹ 29,553.80 करोड़ (***परिशिष्ट 3.9*** में विस्तृत) में से ₹ 10,424.10 करोड़ (35.27 प्रतिशत) का व्यय किया गया। 19 अनुदानों की 48 योजना उप–शीर्षों के तहत ₹ 7,695.44 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) का शत–प्रतिशत व्यय मार्च 2023 के महीने में किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.10*** में बताया गया है।

इसके अलावा, समग्र विनियोग के लिए, मार्च 2023 में व्यय, कुल व्यय का 17.70 प्रतिशत था, जबकि मार्च 2023 में प्राप्तियाँ, वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों का 34.68 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं व्यय की माहवार स्थिति **चार्ट 3.8** में प्रदर्शित है ।

चार्ट 3.8: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)

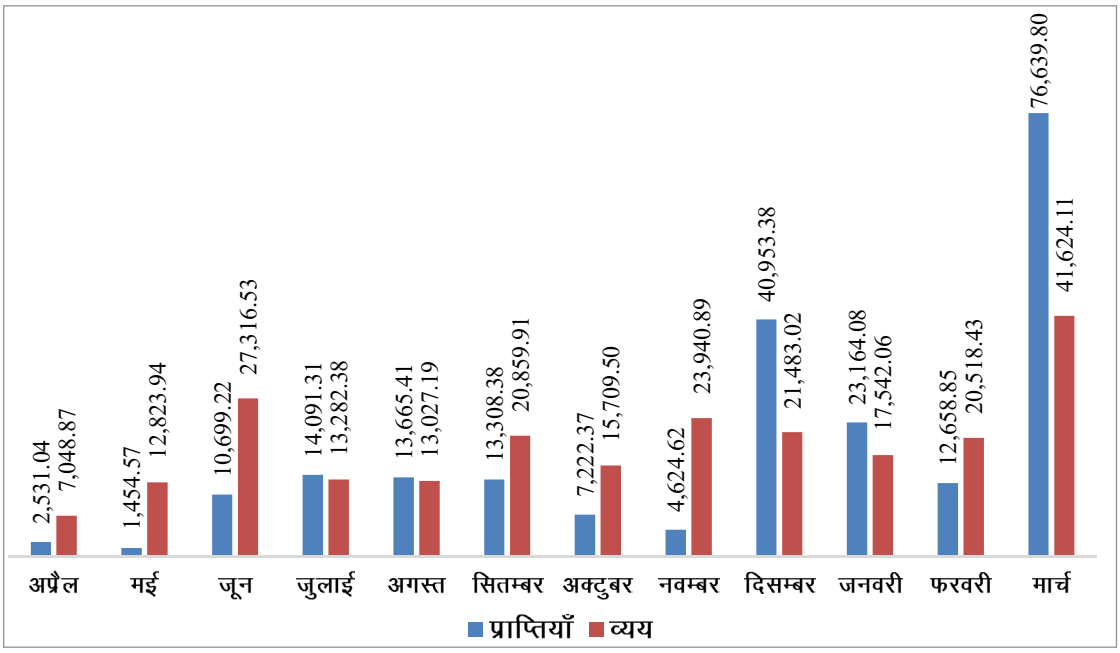

(स्रोत: मासिक व्यय प्रतिवेदन और मासिक सिविल लेखे 2022–23)

परिशिष्ट 3.9 आगे दर्शाता है कि, मार्च 2023 के दौरान, प्रतिशत–वार (78.13 प्रतिशत) उच्चतम व्यय (₹ 1,081.67 करोड़), अनुदान संख्या 18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर अनुदान संख्या 48 (नगर विकास एवं आवास विभाग) के अन्तर्गत ₹ 1,505.40 करोड़ का अधिकतम व्यय हुआ था। नगर विकास एवं आवास विभाग का कुल बजटीय प्रावधान ₹ 10,940.41 करोड़ (मूल: ₹ 8,175.94 करोड़ और अनुपूरक: ₹ 2,764.47 करोड़–मार्च 2023) था और वर्ष के दौरान विभाग का कुल वास्तविक व्यय ₹ 6,546.06 करोड़ था। माहवार व्यय **चार्ट 3.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.9: मार्च 2023 में अधिकतम व्यय के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग का माहवार व्यय

(₹ करोड़ में)

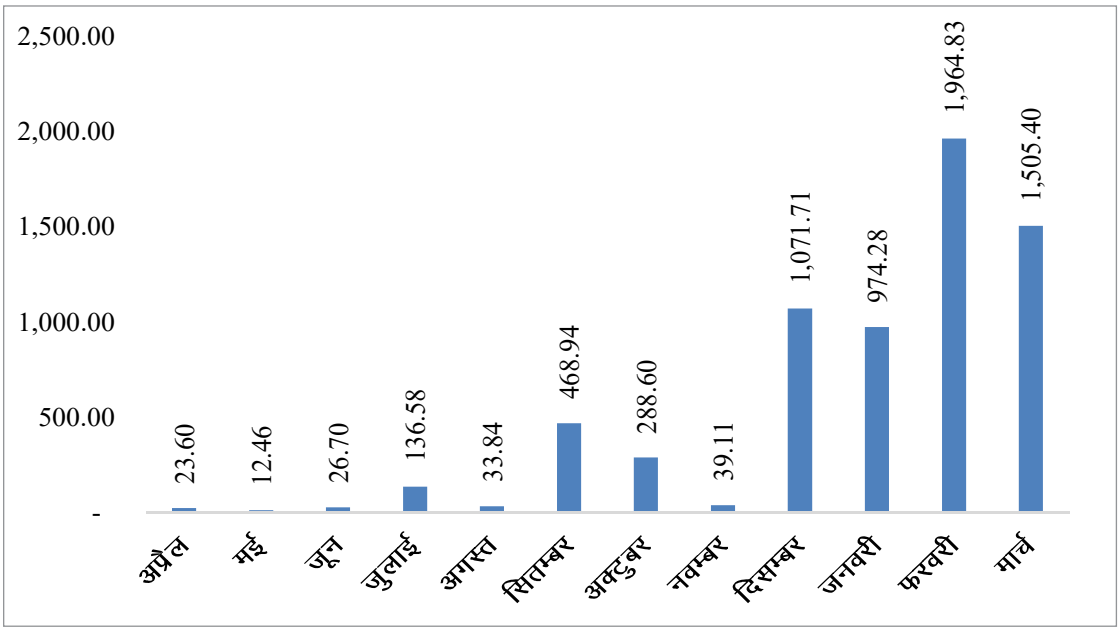

(स्रोत: मासिक व्यय प्रतिवेदन 2022–23)

वर्ष के अंतिम भाग/महीने में विभागों द्वारा किया गया वृहत् व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और अप्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय, व्यय निगरानी पर अपर्याप्त नियंत्रण का संकेतक है।

3.4.7 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई थी।

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2023 तक के लिए अस्थायी आधार पर आकस्मिकता निधि के कोष को ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 9,500.00 करोड़ कर दिया था। कोष में यह वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा एवं भूकंप और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा पूरा करने के लिए, जिसके लिए तदनुरूपी राज्यांश का पर्याप्त बजटीय प्रावधान नहीं था, किया गया था। कुल राशि (₹ 9,150.00 करोड़, जो बढ़ाई गई थी) के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जाना था।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹ 6,395.47 करोड़ के 116 आहरण किया था, जिनमें से प्रमुख 15 आहरण, जिसकी राशि ₹ 3,327.42 करोड़ (52 प्रतिशत) थी, व्यय की प्रत्याशित प्रकृति के लिए किये गये थे (***परिशिष्ट 3.11***).

इसके अलावा, वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2245 (प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत) के तहत व्यय, आकस्मिकता निधि से प्राप्त धन का 12.98 प्रतिशत से 66.07 प्रतिशत तक था, जैसा कि **तालिका 3.18** में दिखाया गया है ।

तालिका 3.18: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय में प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये व्यय का प्रतिशत
1	2018- 19	4,353.49	1,725.00	39.62
2	2019- 20	3,529.76	2,332.00	66.07
3	2020- 21	5,825.42	2,925.53	50.22
4	2021-22	3,981.79	1,125.00	28.25
5	2022-23	6,395.47	830.00	12.98

(स्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार)

आकस्मिकता निधि के कुल व्यय ₹ 6,395.47 करोड़ में से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय केवल 12.98 प्रतिशत था, जो विगत पांच वर्षों में सबसे कम है। हालाँकि आकस्मिकता निधि का कोष बजट आकार के अनुपात में लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय, राशि और प्रतिशत, दोनों ही दृष्टि से लगातार कम हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं पर कम व्यय ने आकस्मिकता निधि के लक्षित उद्देश्य को समाप्त कर दिया है।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या–01 'कृषि विभाग' एवं अनुदान संख्या–36 'लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, वर्ष 2020–23 की अवधि के दौरान

अनुदान और अनुपूरक मांगों की बचत/आधिक्य और परिमाण के आधार पर की गई। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

3.5.1 अनुदान संख्या–01 "कृषि विभाग"

कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 77 प्रतिशत कार्यबल के उपयोग से राज्य घरेलू उत्पाद (2022–23 (त्वरित)) का लगभग 24.84 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। कृषि, बिहार में निजी क्षेत्र का एकल सबसे बड़ा व्यवसाय है।

कृषि विभाग, इसके प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, अपने तीन निदेशालयों, कृषि निदेशालय, मृदा संरक्षण निदेशालय और बागवानी निदेशालय के साथ 2[2] निगमों, 2[3] एजेंसियों तथा 2[4] कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्य करता है और प्रमंडल/कमिश्नरी स्तर पर मंडल संयुक्त निदेशक (डीजेडी), प्रधान सचिव को रिपोर्ट करते हैं, जबकि जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी, डीजेडी को रिपोर्ट करते हैं।

अनुदान के तहत आठ प्रमुख शीर्षों, अर्थात् 2401–फसल कृषि कर्म, 2402–मृदा तथा जल संरक्षण, 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435–अन्य कृषि कार्यक्रम, 3451– सचिवालय–आर्थिक सेवाएं, 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजी परिव्यय और 6401– फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज, संचालित हैं।

3.5.1.1 बजट और व्यय

विगत चार वित्तीय वर्षों (2019–20 से 2022–23) के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और अनुदान में बचत की समग्र स्थिति **तालिका 3.19** में दी गई है।

तालिका 3.19: 2019–23 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खंड	बजट प्रावधान	कुल	व्यय	अनुपयोगित प्रावधान (प्रतिशत)
2019-20	राजस्व–मूल (दत्तमत)	2,938.77	3,471.93	2,152.49	1,319.44 (38)
	अनुपूरक	533.16			
	पूँजीगत–मूल (दत्तमत)	20.00	146.91	0.00	146.91 (100)
	अनुपूरक	126.91			
2020-21	राजस्व–मूल (दत्तमत)	3,102.81	3,324.47	1,498.54	1,825.93 (54.92)
	अनुपूरक	221.66			
	पूँजीगत–मूल (दत्तमत)	50.00	110.55	0.00	110.55 (100)
	अनुपूरक	60.55			
2021-22	राजस्व–मूल (दत्तमत)	3,235.47	3,802.72	1,698.00	2,104.72 (55.35)
	अनुपूरक	567.25			
	पूँजीगत–मूल (दत्तमत)	100.00	273.66	229.93	43.73 (15.98)
	अनुपूरक	173.66			
2022-23	राजस्व–मूल (दत्तमत)	3,054.31	3,758.30	2,073.73	1,684.57 (44.82)
	अनुपूरक	703.98			
	पूँजीगत–मूल (दत्तमत)	530.00	621.33	497.71	123.62 (19.90)
	अनुपूरक	91.33			

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)
कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

[2] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड और बिहार खाद्य और सब्जी विकास निगम।
[3] बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी और बिहार कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)।
[4] राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर)।

तालिका 3.19 से यह स्पष्ट है कि राजस्व (दत्तमत) और पूँजीगत (दत्तमत) खंड के तहत अनुपयोगित बजट प्रावधान क्रमशः 15.98 से शत–प्रतिशत और 38 से 55.35 प्रतिशत की सीमा में थे।

3.5.1.2 बचत का अभ्यर्पण नहीं

पाया गया कि विभाग ने 2019–20 से 2022–23 के दौरान हुई बचत के 70.09 प्रतिशत से 87.92 प्रतिशत का अभ्यर्पण नहीं किया, जैसा कि **तालिका 3.20** में दिखाया गया है।

तालिका 3.20: बचत का अभ्यर्पण नहीं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व (दत्तमत)			पूँजीगत (दत्तमत)			अनभ्यर्पण का कुल प्रतिशत
	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पण का प्रतिशत	
2019-20	1,319.44	423.06	67.94	146.91	0	100	71.15
2020-21	1,825.93	234.01	87.18	110.55	0	100	87.92
2021-22	2,104.72	623.58	70.37	43.73	19.07	56.39	70.09
2022-23	1,684.57	497.73	70.45	123.61	30.00	75.73	70.81

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

निरंतर बड़ी बचत और तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण विभाग के अक्षम बजटीय और वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

3.5.1.3 निरंतर बचत

पाया गया कि 2020–21 से 2022–23 के दौरान पांच लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का एक बड़ा भाग (₹ 50 करोड़ से अधिक) अनुपयोगित रह गया था, जैसा कि **तालिका 3.21** में दिखाया गया है।

तालिका 3.21: ₹ 50 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत

₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
		राशि (प्रतिशत)		
1	2401000010011	173.27 (39.72)	178.66 (38.04)	183.98 (36.89)
2	2401001090103	149.47 (90.04)	78.85 (86.36)	99.60 (50.01)
3	2401001090106	69.93 (33.70)	110.44 (42.75)	66.30 (28.89)
4	2401001090216	107.69 (74.14)	148.73 (72.84)	131.03 (98.67)
5	2401001090316	59.78 (70.21)	51.85 (58.73)	53.96 (97.53)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)
कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

वर्षों से हो रहे निरंतर बचत इन योजनाओं के अंतर्गत अनुचित आकलन या संबंधित वर्षों में प्रक्षेपित वित्तीय परिव्यय के प्राप्त नहीं होने को इंगित करता है।

3.5.1.4 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह पाया गया कि 2022–23 के दौरान सात योजनाओं (छह केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और एक राज्य योजना) के तहत समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहे थे।

तालिका 3.22: 2022–23 के दौरान समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	कुल बजट	व्यय
	केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)		
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) (तिलहन)	9.11	-
2	परंपरागत कृषि विकास योजना	91.35	-
3	राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना	3.33	-
4	बीज और रोपण सामग्री पर उपयोजना	28.78	-
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	226.66	-
6	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना	12.15	-
	कुल योग	**371.38**	-
	राज्य योजना		
7	फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी	21.50	-
	कुल योग	**21.50**	-
	महायोग	**392.88**	-

(स्रोतः कृषि विभाग, बिहार सरकार)

यह भी पाया गया कि एक केन्द्र प्रायोजित योजना यानी प्रधानमंत्री माइक्रो फंड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम (पीएम एफएमई) के तहत, ₹ 330.60 करोड़ (2021–22 के दौरान ₹ 213.03 करोड़ और 2022–23 के दौरान ₹ 117.57 करोड़) का सम्पूर्ण बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रह गया था, जो कृषि–खाद्य प्रसंस्करण में लगे समूहों, जैसे किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सहित, सहायता देने के लिए योजना के उद्देश्य को विफल करता है।

संपूर्ण बजटीय प्रावधानों की बचत अवास्तविक बजट योजना का संकेतक है।

3.5.1.5 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2022–23 के बजट अभिलेख और विनियोग लेखे की जांच में पाया गया कि:

- 55 योजना मदों के अंतर्गत, ₹ 1,486.40 करोड़ के मूल बजट प्रावधानों में, विभाग केवल ₹ 876.31 करोड़ (58.95 प्रतिशत) ही व्यय कर सका। इन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 270.42 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- 19 योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 8.93 करोड़ के मूल प्रावधानों में, जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया था, ₹ 27.22 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था। इन 19 योजना मदों में से, जिनके लिये ₹ 20.28 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया, छः में कोई भी मूल प्रावधान नहीं था, साथ ही इन मदों में कोई व्यय भी नहीं किया गया था। इस प्रकार, क्योंकि विभाग मूल बजट का भी उपयोग करने में विफल रहा था, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए।

अनुपूरक प्रावधानों के अविवेकपूर्ण आवंटन ने अक्षम और कमजोर बजटीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को दर्शाया।

3.5.1.6 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह देखा गया कि पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधानों का संवर्धन भी अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया, जैसा कि **तालिका 3.23** में प्रदर्शित है।

तालिका 3.23: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोग	व्यय
1	2401001090106	182.60	9.50	163.26
2	2401007890106	35.20	1.83	28.54
3	2401007960134	2.20	0.11	0.85
4	2415010040107	12.53	1.11	7.14
5	2415017890107	2.42	0.21	1.16
6	2401000010011	494.05	0.71	314.79
7	3451000900007	8.82	0.40	5.46
कुल		**737.82**	**13.87**	**521.20**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

3.5.2 अनुदान संख्या–36 'लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग'

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सुरक्षित, सुलभ और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है एवं कम से कम एक नल संयोजन के साथ सभी परिवारों को आच्छादित करके वंचित आबादी तक पेयजल पहुंचाना है, साथ ही मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के तहत अच्छादित सभी परिवारों को पेयजल आपूर्ति का प्रावधान भी है।

नल संयोजन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के लिए, एकल ग्राम पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (एसवीएस), पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (पीडब्ल्यूएस), वार्डवार पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (डब्ल्यूएलएस) और बहु–ग्राम पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (एमवीएस), पूरे राज्य में लागू की जा रही हैं। अनुदान के तहत सात मुख्य शीर्षों का संचालन किया जा रहा था, जैसा कि **तालिका 3.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.24: अनुदान संख्या 36 के अंतर्गत संचालित मुख्य शीर्ष और विवरण

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण
1	2059	लोक निर्माण कार्य
2	2215	जलापूर्ति तथा सफाई
3	2216	आवास
4	2251	सचिवालय – सामाजिक सेवाएँ
5	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
6	4215	जलापूर्ति और सफाई पर पूँजीगत परिव्यय
7	4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विस्तृत विनियोग लेखे)

3.5.2.1 बजट और व्यय

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2020–21 से 2022–23 तक के बजट प्रावधानों, व्यय और बचत का विवरण **तालिका 3.25** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.25: 2020–21 से 2022–23 के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	कुल बजट	व्यय (प्रतिशत)	अनुपयोगित प्रावधान और उसका प्रतिशत
2020-21	राजस्व –मूल (दत्तमत)	606.45	1,074.48	626.92	447.56
	अनुपूरक	468.03		(58.35)	(41.65)
	पूँजीगत –मूल (दत्तमत)	5,250.00	5,850.00	4,751.32	1,098.68
	अनुपूरक	600.00		(81.22)	(18.78)
2021-22	राजस्व –मूल (दत्तमत)	539.16	919.16	685.64	233.52
	अनुपूरक	380.00		(74.59)	(25.40)
	पूँजीगत –मूल (दत्तमत)	2,431.10	2,931.10	1,976.17	954.93
	अनुपूरक	500.00		(67.42)	(32.58)
2022-23	राजस्व –मूल (दत्तमत)	920.33	1,020.33	829.84	190.49
	अनुपूरक	100.00		(81.33)	(18.67)
	पूँजीगत –मूल (दत्तमत)	1,460.05	1,460.05	1,313.11	146.94
	अनुपूरक	0.00		(89.94)	(10.06)
महायोग			**13,255.12**	**10,183.00**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

तालिका 3.25 से यह स्पष्ट है कि पूँजीगत (दत्तमत) और राजस्व (दत्तमत) खण्ड के तहत अनुपयोगित बजट प्रावधान क्रमशः 10.06 प्रतिशत से 32.58 प्रतिशत और 18.67 प्रतिशत से 41.65 प्रतिशत के बीच थे ।

3.5.2.2 आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना तैयार किए गए बजट अनुमान

बिहार बजट संहिता (बीबीएम), 2016 के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट की जांच करनी चाहिए, यह देखने के लिए कि वे सही हैं, कि सभी विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए हैं, और स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं, और यदि अपर्याप्त हैं, तो प्रावधान को बदल दिया जाना चाहिए। तथापि, विभाग ने संवितरण अधिकारियों से आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना विभाग स्तर पर बजट अनुमान (राज्य, केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं) तैयार किए थे। परिणामस्वरूप, विभाग के व्यय और बजट प्रावधानों के बीच भारी अंतर देखा गया, जिससे बड़ी बचत हुई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.5.2.3 बचत का अभ्यर्पण नहीं

वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान अनुपयोगित निधि/बचत का विवरण, 2021–22 को छोड़कर (केवल 31.97 प्रतिशत का अभ्यर्पण), **तालिका 3.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.26: बचत का अनभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व (दत्तमत)			पूँजीगत (दत्तमत)			कुल
	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	
2020-21	447.56	-	-	1,098.68	-	-	-
2021-22	233.52	-	-	954.93	380.00	39.79	31.97
2022-23	190.49	-	-	146.94	-	-	-

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

निरंतर बड़ी बचतें और तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण विभाग की ओर से अक्षम बजटीय और वित्तीय प्रशासन का संकेत देते हैं।

3.5.2.4 निरंतर बचत

वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के निष्पादन के लिये उपयोग किये जाने वाले 17 लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा अनुपयोगित रह गया था। 2020–21 से 2022–23 के दौरान चार–चार लेखाशीर्षों में प्रतिशत–वार और राशिवार लगातार बचत, **तालिका 3.27** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.27: निरंतर बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
राशि–वार				
1	4215–01–102–0230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	231.59 (46.50)	331.97 (99.99)	237.55 (71.55)
2	4215–01–789–0114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	95.66 (17.35)	60.06 (19.86)	29.78 (15.33)
3	2215–01–101–0004 शहरी जल आपूर्ति योजनाएं (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	24.28 (17.50)	27.09 (39.50)	26.32 (38.03)
4	2215–01–102–0001 ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	52.58 (17.24)	56.22 (27.24)	20.19 (11.01)
प्रतिशत–वार				
1	4059–01–051–0128 सरकारी कार्यालय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	9.94 (99.40)	5.00 (100.00)	14.86 (100.00)
2	4216–01–051–0103 सरकारी आवासीय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	5.00 (100.00)	1.79 (89.50)	10.00 (100.00)
3	4215–01–102–0134– ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण –सात निश्चय –2[5]	--	10.00 (100.00)	5.00 (100.00)
4	2215–02–003–0102– प्रशिक्षण–सह–अनुसंधान केन्द्र (प्रांजल) के संचालन के लिए अनुदान	1.00 (100.00)	0.53 (53.00)	0.50 (100.00)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

यह अवास्तविक बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार किए जाने का संकेतक है। बचत के सामयिक अभ्यर्पण से वित्त विभाग को अनुपूरक बजट की मांग किए बिना उन अन्य योजनाओं के लिए राशि को पुनर्विनियोजित करने में मदद मिलती, जहां अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता थी।

3.5.2.5 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

वर्ष 2022–23 के दौरान, पांच लेखा शीर्षों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहे, जैसा कि **तालिका 3.28** में दिखाया गया है।

[5] वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बजटीय आवंटन नहीं किया गया था।

तालिका 3.28: समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष– योजना का नाम	2022–23 में बजट प्रावधान
1	4215–01–102–0134– ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण –सात निश्चय –2	5.00
2	4059–01–051–0128 सरकारी कार्यालय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	14.86
3	4215–01–789–0212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	64.00
4	4216–01–051–0103 सरकारी आवासीय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	10.00
5	2215–02–003–0102– प्रशिक्षण–सह–अनुसंधान केन्द्र (प्रांजल) के संचालन के लिए अनुदान	0.50

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

3.5.2.6 मार्च 2023 में सघन व्यय

विभाग द्वारा संचालित 14 योजनाओं/कार्यक्रमों में से आठ में, मार्च 2023 में, 11.36 प्रतिशत से 58.18 प्रतिशत तक व्यय किया गया, जैसा कि **तालिका 3.29** में दिखाया गया है।

तालिका 3.29: अनुदान संख्या 36 के तहत व्यय का अनियमित/असंगत प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	वित्त वर्ष 2022–23 में किया गया कुल व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	
			राशि	प्रतिशत
1	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित)	693.84	117.87	16.99
2	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित–डब्ल्यूआईएमसी)	48.63	28.29	58.18
3	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित)	40.55	8.43	20.78
4	पानी की गुणवत्ता निगरानी का कार्य	0.85	0.41	48.23
5	ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना	0.28	0.13	46.42
6	नए नलकूप/स्वच्छता कूपों का निर्माण	22.86	5.30	23.18
7	शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	0.44	0.05	11.36
8	ग्रामीण जलपूर्ति योजना का परिचालन एवं रख–रखाव	525.77	129.48	24.63

(स्रोत: लो0स्वा0अ0वि0, बिहार सरकार के अभिलेखों के अनुसार)

यह इंगित करता है कि व्यय का एक समान प्रवाह बनाए नहीं रखा गया था, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी।

3.5.2.7 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2022–23 के दौरान एक लेखा शीर्ष यानी 2215–01–102–0107 में ₹ 100 करोड़ (राजस्व–दत्तमत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि ₹ 415.53 करोड़ का व्यय मूल प्रावधानों ₹ 445.00 करोड़ के स्तर तक भी नहीं था।

3.5.2.8 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

वर्ष 2022–23 के दौरान, तीन योजनाओं/उप–शीर्षों (**तालिका 3.30**) के तहत पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुए। इन तीन योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 1.07 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी।

तालिका 3.30: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
1	2215–01–102–0001 ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	183.13	0.32	163.26	20.19
2	2215–01–102–0002 हैंड ट्यूबवेल, तालाब, कुएं और उच्च प्रवाह नलकूप (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	164.88	0.32	148.39	16.82
3	2251–00–090–0016 सचिवालय–सामाजिक सेवा–(लो0स्वा0अभि0वि0)	1.64	0.43	1.72	0.34
	कुल	**349.65**	**1.07**	**313.37**	**37.35**

(स्रोतः 2022–23 के विनियोग लेखे)

3.5.2.9 विभागीय व्यय का असमाशोधन/भिन्नता

बिहार बजट संहिता, 2016 का नियम 96 निर्धारित करता है कि नियंत्रक अधिकारी को महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के लेखे के साथ मासिक/तिमाही आधार पर विभागीय लेखे के समाशोधन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि व्यय और प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावना से बचा जा सके।

चूंकि सी0एफ0एम0एस0 के तहत ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल सक्रिय नहीं था, इसलिए सी0एफ0एम0एस0 से बाहर अन्य मॉड्यूल की सुविधा द्वारा मिलान का कार्य किया जा रहा था, लेकिन आंकड़ों को तदनुसार संशोधित नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022–23 में सी0एफ0एम0एस0 के आंकड़े और विनियोग लेखे के बीच व्यय की राशि में ₹ 4.20 करोड़ का अंतर देखा गया था।

कुछ महत्वपूर्ण मामलों को **तालिका 3.31** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.31: विभागीय व्यय का असमाशोधन/भिन्न होना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	व्यय (सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार)
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	4215-01-102-0230	94.45	0.00
		4215-01-796-0217	2.50	0.00
2	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (नलकूप, कुएं और हैंडपंप) (राज्य योजना)	4215-01-102-0103	17.09	19.69
3	मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य योजना)	4215-01-789-0114	164.38	177.05
		4215-01-789-0115	21.90	5.30
		2215-01-102-0106	41.64	33.88
4	ग्रामीण जल प्रदाय योजना–सात निश्चय –2 का संचालन एवं अनुरक्षण (राज्य योजना)	2215-01-102-0107	415.53	525.77
	महायोग		**757.49**	**761.69**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे और सी0एफ0एम0एस0)

3.6 विशिष्ट बजट की समीक्षा

महिलाएं, बच्चे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन समाज के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक हैं एवं उनके लिए निर्धारित सार्वजनिक वित्त पर अधिक ध्यान, पारदर्शिता और तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिहार ने 2022–23 के दौरान जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया।

3.6.1 जेंडर बजट की समीक्षा

3.6.1.1 बजट प्रावधान

भारत सरकार ने पहली बार बजट 2005–06 के साथ जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। बिहार सरकार ने 2008–09 में इस पद्धति को अपनाया। समाज कल्याण विभाग संबद्ध योजनाओं के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) के लिए जेंडर बजट का विहंगावलोकन **तालिका 3.32** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.32: मूल बजट प्रावधानों में जेंडर बजट के लिए आवंटित संसाधन (ब0अ0 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
महिलाओं के लिए परिव्यय (ब0 अ0)	25,573.80	30,874.49	33,176.27	34,490.56	36,458.72
राज्य बजट का कुल आकार (ब0 अ0)	1,76,990.27	2,00,501.01	2,11,761.00	2,18,302.70	2,37,691.21
बिहार राज्य के बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा (प्रतिशत)	14.45	15.40	15.67	15.80	15.34
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के लिए परिव्यय	4.84	5.31	5.85	5.30	4.85

(स्रोत: जेंडर बजट 2022–23, वित्त विभाग, बिहार सरकार)

वर्ष 2022–23 के दौरान, 20 विभागों के अंतर्गत 615 योजनाओं[6] के लिए जेंडर बजट में ₹ 36,458.72 करोड़ (ब0अ0 के अनुसार) आवंटित किए गए थे। हालांकि, 11 विभागों के अंतर्गत केवल 84 योजनाएं (श्रेणी 'ए' योजनाएं), जो विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गईं थी, चल रही थीं। बजट में श्रेणी 'ए' (महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत आवंटन) और श्रेणी 'बी' (महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत या अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम आवंटन) योजनाओं के तहत प्रस्तावित व्यय क्रमशः ₹ 12,619.65 करोड़ और ₹ 23,839.07 करोड़ (531 योजनाएँ) था। **चार्ट 3.10,** वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान जीएसडीपी और कुल बजट (ब0अ0) के संबंध में जेंडर बजट के प्रतिशत पर प्रकाश डालता है।

[6] बिल कोड की गणना के अनुसार, जैसा कि बजट, जेंडर बजट, या विस्तृत विनियोग खातों में उल्लिखित है।

चार्ट 3.10: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जेंडर बजट

(₹ करोड़ में और प्रतिशत में)

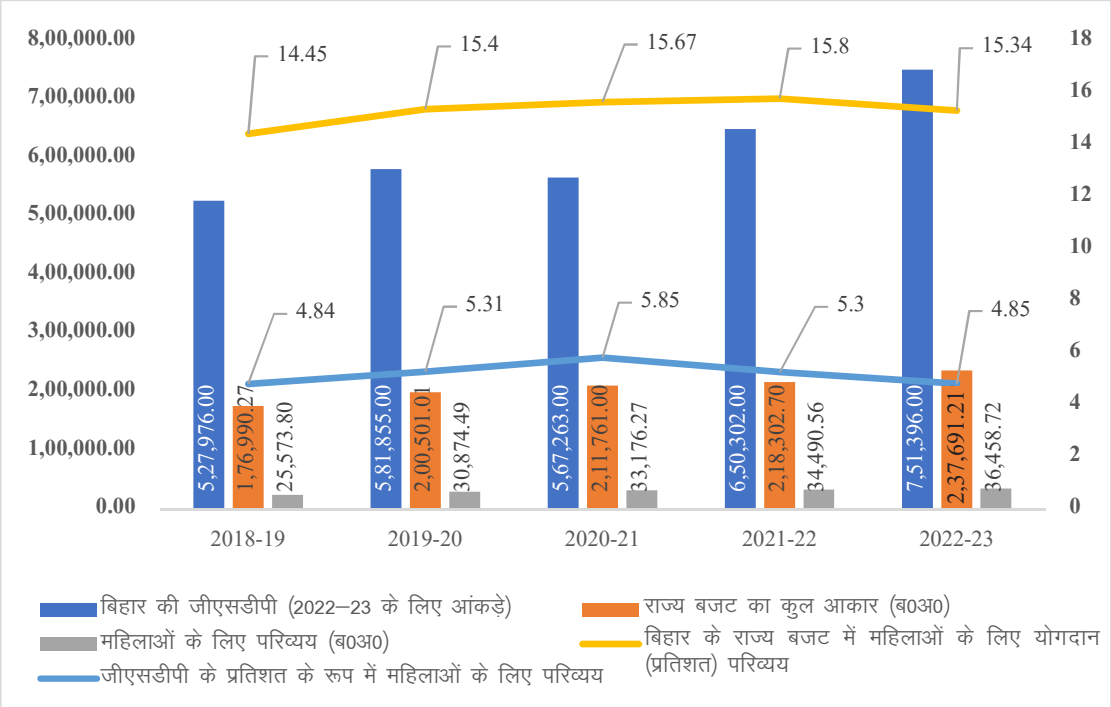

(स्रोतः बजट और जेंडर बजट 2022–23; जीएसडीपी – एमओएसपीआई, भारत सरकार)

- वर्ष 2022–23 (ब0अ0) में कुल राज्य बजट के प्रतिशत के रूप में जेंडर बजट का हिस्सा 15.34 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत कम था।
- समग्र जेंडर बजट 2021–22 (ब0अ0) के ₹ 34,490.56 करोड़ से बढ़कर 2022–23 (ब0अ0) में ₹ 36,458.72 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर 5.71 प्रतिशत (श्रेणी 'ए' योजनाओं में 4.43 प्रतिशत और श्रेणी 'बी' योजनाओं में 6.39 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

हालांकि, महिलाओं के लिये लक्षित संसाधनों के संदर्भण और उन संसाधनों के उपयोग के लिए प्रभावी, कुशल और जवाबदेह योजना तथा बजट प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं किया गया था।

3.6.1.2 वित्तीय उपलब्धियाँ

पूरे बजट चक्र में लैंगिक जवाबदेही, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली बजटीय नीतियों की योजना एवं रूपरेखा सहित, इन्हें लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन, पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की ट्रैकिंग, नीतियाँ अपेक्षित रूप में लागू की गई हैं, और नीतियों की उपयोगिता एवं प्रभावकारिता निगरानी तथा लिंग विभेद अथवा अन्यथा उनके प्रभावों का मूल्यांकन शामिल है, के लिए प्रासंगिक है।

जेंडर बजट 2022–23 की वित्तीय उपलब्धियों का वर्णन **तालिका 3.33** में किया गया है।

तालिका 3.33: जेंडर बजट का वित्तीय उपलब्धियाँ

(₹ करोड़ में)

योजना श्रेणी	समूह (व्यय प्रतिशत के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	मूल जेंडर बजट प्रावधान (ब0 अ0)	निवल बजट/व्यय के लिए उपलब्ध निधियां (वि0ले0 के अनुसार)	उपलब्ध निधियों के सापेक्ष व्यय
ए	शून्य	7	29.37	29.37	-
	01 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	16	537.15	1,018.36	353.66
	51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत	19	5,674.27	6,257.82	4,366.25
	76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत	42	6,378.86	13,483.13	13,541.41
	कुल ए	**84**	**12,619.65**	**20,788.68**	**18,261.32**
बी	शून्य	127	619.97	1,981.36	-0.50
	01 प्रतिशत से 30 प्रतिशत	96	1,656.05	5,593.84	956.72
	30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम	308	21,563.05	76,179.27	58,824.21
	कुल बी	**531**	**23,839.07**	**83,754.47**	**59,780.43**
महायोग		**615**	**36,458.72**	**1,04,543.15**	**78,041.75**

(स्रोतः विनियोग लेखे के साथ जेंडर बजट 2022–23)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य के विनियोग लेखे के अनुसार, ₹ 78,041.75 करोड़ (₹ 18,261.32 करोड़ श्रेणी 'ए' योजनाएं और ₹ 59,780.43 करोड़ श्रेणी 'बी' योजनाएं) के कुल व्यय में से 76.60 प्रतिशत व्यय, श्रेणी 'बी' की योजनाओं में किया गया था। चूंकि बजट में दी गई सूचना समग्र व्यय को प्रदर्शित करता है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से किया गया व्यय ज्ञात नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विगत पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट में समान रूप से पारंपरिक आवंटनों की सूचना दी और इसके दायरे एवं तरीके में कोई बदलाव नहीं किया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और सहकारिता विभाग जैसे कुछ विभाग, जो लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जेंडर बजट में भाग नहीं ले रहे थे। हालांकि, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को हर वर्ष जेंडर बजट में शामिल किया गया था, परंतु इसने महिलाओं के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कोई प्रावधान नहीं दर्शाया था।

3.6.1.3 जेंडर बजट बनाम विनियोग लेखे

जेंडर बजट की तुलना विनियोग लेखे से की गई और यह पाया गया कि सामान्य बजट में 615 योजनाओं को शामिल किया गया था।

जेंडर बजट (श्रेणी 'ए' योजनाएं) के वित्तीय आंकड़ों की विनियोग लेखे के साथ तुलना, चार प्रमुख विभागों अर्थात् ग्रामीण विकास (ग्रा0वि0), स्वास्थ्य, समाज कल्याण (स0क0) और शिक्षा विभागों के संबंध में योजनाओं की संख्या और उनके अंतर्गत किए गए बजट प्रावधानों के संदर्भ में की गई। इन विभागों के कुल 71 योजनाओं में से नौ स्वास्थ्य विभाग से, 13 शिक्षा विभाग से, 18 ग्रा0वि0 विभाग से और 31 स0क0 विभाग से संबंधित हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान इन विभागों के तहत बजट और व्यय का वर्णन **तालिका 3.34** में किया गया है।

तालिका 3.34: चार प्रमुख विभागों के अंतर्गत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	विभाग	बजट	जेंडर बजट	श्रेणी 'ए' में बजट अनुमान	योजनाओं की संख्या	योजनाओं की संख्या			
						शून्य	01 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत	76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
20	स्वास्थ्य	20,557.27	2,690.80	1,334.69	9	1	4	1	3
21	शिक्षा	55,892.37	10,909.20	1,143.93	13	1	0	4	8
42	ग्रामीण विकास	21,731.56	12,147.41	8,793.17	18	3	1	10	4
51	समाज कल्याण	13,488.03	5,083.28	840.50	31	1	8	3	19
कुल		**1,11,669.23**	**30,831.59**	**12,112.29**	**71**	**6**	**13**	**18**	**34**

(स्रोत: 2022–23 के लिए बजट दस्तावेज और विस्तृत विनियोग लेखे)

जैसा कि **तालिका 3.34** से देखा जा सकता है, ग्रा0वि0 विभाग द्वारा तीन योजनाओं के तहत कोई व्यय नहीं किया गया था एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और स0क0 विभागों में प्रत्येक ने एक योजना के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया था।

राज्य सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 2022–23 के जेंडर बजट में विगत वर्षों के जेंडर बजट के प्रदर्शन को प्रतिवेदित नहीं किया था। इस प्रकार, वास्तविक व्यय सहित किसी निष्पादन प्रतिवेदन/अभिलेख के अभाव में जेंडर बजटिंग के अंतर्गत महिलाओं को लाभ प्रदान करने वाले योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.6.2 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

बिहार में, कुल आबादी का 42 प्रतिशत (5.18 करोड़ बच्चे (2.45 करोड़ बालिकायें (47 प्रतिशत))) शून्य से 18 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत आता हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एन0सी0टी0) और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुरूप, बिहार सरकार ने वर्ष 2013–14 से बाल कल्याण बजट तैयार करना/संसाधित करना प्रारंभ कर दिया था और बाल कल्याण बजट 2022–23 के लिए ₹ 44,453.49 करोड़ (राज्य के मूल बजट का 18.70 प्रतिशत) की राशि निर्धारित की गई थी। हालांकि, बजट में योजनाओं को प्रतिशत या बजट में प्रावधान की गई राशि

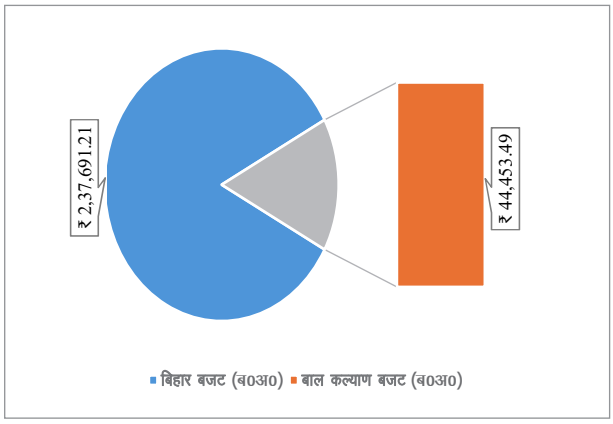

के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था। फलतः, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बच्चों पर विशेष रूप से कितना व्यय किया गया था।

वर्ष 2020–21 से 2022– 23 तक राज्य बाल कल्याण बजट का विभागवार (13) विवरण **तालिका 3.35** में दिखाया गया है।

तालिका 3.35: विभागवार राज्य बाल कल्याण बजट

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	विभाग	2020–21 (वास्तविकी)	2021–22 (ब0अ0)	2022–23 (ब0अ0)	विचलन (प्रतिशत में)
8	कला, संस्कृति एवं युवा	0.68	15.20	14.20	(-) 6.58
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	383.27	1,487.51	1,649.57	10.89
16	पंचायती राज	3,364.02	0.00	3,707.31	100.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	0.39	0.00	2.27	100.00
20	स्वास्थ्य	151.90	257.04	63.01	(-) 75.49
21	शिक्षा	22,244.02	31,939.99	33,682.73	5.46
22	गृह	0.25	12.52	18.80	50.15
26	श्रम संसाधन	0.63	3.00	1.50	(-) 50.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण	120.33	131.00	131.00	-
35	योजना एवं विकास	41.54	0.00	0.00	-
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	566.33	252.48	292.15	15.71
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	779.08	1,376.03	1,259.37	(-) 8.48
51	समाज कल्याण	3,250.62	3,389.22	3,631.59	7.15
	कुल	**30,903.06**	**38,863.99**	**44,453.49**	**14.38**

(स्रोतः बाल कल्याण बजट 2022–23, वित्त विभाग, बिहार सरकार)

बच्चों के लिए कुल बजट आवंटन में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 14.38 प्रतिशत (₹ 5,589.50 करोड़) की वृद्धि हुई थी।

यद्यपि, बिहार सरकार ने बाल उत्तरदायी सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बाल बजट हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया और बाल बजट संहिता तैयार किया है, बाल कल्याण योजनाओं को मुख्य बजट में अलग से मानचित्रित/चिन्हित नहीं किया था।

विभिन्न घटकों के तहत बाल कल्याण बजट 2022–23 (ब0अ0) के बजटीय प्रावधानों को **तालिका 3.36** में दिखाया गया है।

तालिका 3.36: 2020–21 से 2022–23 तक का बाल कल्याण बजट

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट	स्थापना एवं प्रतिबद्ध		राज्य योजना		केंद्र प्रायोजित योजना	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2020–21 (वास्तविकी)	30,903.05	11,893.83	38.49	3,940.79	12.75	15,068.43	48.76
2021–22 (बजट अनुमान)	38,863.99	11,281.25	29.03	6,262.63	16.11	21,320.11	54.86
2022–23 (बजट अनुमान)	44,453.49	15,960.18	35.90	5,839.34	13.14	22,653.97	50.96

(स्रोतः वर्ष 2022–23 का बाल कल्याण बजट)

विनियोग लेखे (2022–23) के अनुसार, 226 योजनाओं में से 119 (53 प्रतिशत) में किया गया व्यय 75 प्रतिशत से कम था। बजटीय प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां **तालिका 3.37** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.37: बाल कल्याण बजट का वित्तीय प्रदर्शन (2022–23)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	समूह (व्यय प्रतिशत के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	कुल बजट (वि0वि0ले0 के अनुसार)	व्यय (वि0वि0ले0 के अनुसार)
1	100	107	45,485.17	41,836.73
2	75	37	8,685.73	5,336.97
3	50	46	18,075.49	6,871.41
4	शून्य	34	1,167.75	-
5	त्रुटि	2	-	24.76
	कुल	**226**	**73,414.14**	**54,069.87**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के बाल कल्याण बजट और विनियोग लेखे)

तालिका 3.37 दर्शाता है कि ₹ 1,167.75 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 34 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो योजनाओं में बिना किसी बजटीय प्रावधान के ₹ 24.76 करोड़ के व्यय की सूचना विस्तृत विनियोग लेखे (वि0वि0ले0[7]) में दी गई थी।

2020–21 से 2022–23 तक के वर्षों के लिए, राज्य का बाल कल्याण बजट (केंद्रीय और राज्य योजनाओं सहित) का विवरण, राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर वर्गीकृत, **तालिका 3.38** में दिया गया है।

तालिका 3.38: राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार बाल कल्याण बजट (ब0अ0) 2020–21 से 2022– 23 का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

खंड	2020–21 (ब0अ0)			2021–22 (ब0अ0)			2022–23 (ब0अ0)		
	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत
उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण	44	4,246.90	11.40	40	3,590.32	9.28	62	7,386.61	16.62
शिक्षा और विकास	140	32,701.34	87.77	140	34,819.06	89.95	140	36,825.76	82.84
संरक्षण	18	208.66	0.56	18	198.93	0.51	18	210.82	0.47
सहभागिता	7	100.68	0.27	7	100.67	0.26	6	30.30	0.07
	209	**37,257.58**	**100**	**205**	**38,708.98**	**100**	**226**	**44,453.49**	**100**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वर्ष 2022–23 का बाल कल्याण बजट)

जैसा कि **तालिका 3.38** से देखा जा सकता है, बच्चों की सुरक्षा के लिए संसाधन आवंटन वित्तीय वर्ष 2022– 23 के लिए कुल बाल कल्याण बजट का केवल 0.47 प्रतिशत (₹ 210.82 करोड़) और बिहार के मुख्य बजट का 0.09 प्रतिशत था।

3.6.3 हरित बजट की समीक्षा

हरित बजट का अर्थ पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बजटीय नीति निर्धारण के उपकरणों का उपयोग करना है।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि–वानिकी इसकी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। राज्य ने लगभग 13331 वर्ग किलोमीटर में फैले कुल हरित आवरण (वन क्षेत्र के बाहर और अंदर) अधिसूचित किया था, जिसमें अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष क्षेत्र 6454 वर्ग

[7] विस्तृत विनियोग लेखे (वि0वि0ले0) सरकार के विस्तृत लेखे हैं, जो एक वित्तीय वर्ष में संबंधित उप–शीर्षों/योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की मात्रा की तुलना में उप–शीर्ष/योजना–वार व्यय को दर्शाते हैं।

किलोमीटर था। वर्तमान में, राज्य का कुल हरित आवरण इसके भौगोलिक क्षेत्र (94163 वर्ग किमी) का 14.16 प्रतिशत है। बिहार, भारत सरकार के अनुरूप हरित बजट तैयार करने और प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य ने मार्च 2020 (वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए) में अपना पहला हरित बजट तैयार किया था।

राज्य ने विभिन्न विभागों में हरित घटकों पर किए जाने वाले व्यय को संकलित किया। इसके अलावा, हरित बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जो प्रभावी, कुशल और जवाबदेह योजना और पर्यावरण स्थिरता के मुद्दों को लक्षित करने, जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, प्रदूषण में कमी, जैव विविधता और हरित बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना के अनुसार संसाधनों के बजटीय आवंटन में सहायता कर सकता था, तैयार नहीं किया था। हरित बजट के प्रावधानों का सारांश **तालिका 3.39** में दिया गया है।

तालिका 3.39: 2022–23 के दौरान हरित बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	वित्त वर्ष 2020–21 का बजट अनुमान	वित्त वर्ष 2021–22 का बजट अनुमान	वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 का बजट अनुमान	पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1	कुल राज्य बजट परिव्यय	2,11,761.49	2,18,302.70	2,37,691.21	8.88
2	हरित बजट के तहत चिन्हित विभागों का कुल बजट आवंटन	81,176.46	79,359.73	79,255.54	(-)0.13
3	विभाग द्वारा चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों का कुल बजट आवंटन	27,162.85	29,337.33	28,380.42	(-)3.26
4	चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के कुल हरित बजट घटक	5,693.88	7,682.91	7,399.16	(-)3.69
5	विभाग द्वारा चिन्हित कुल आवंटन में से हरित बजट का प्रतिशत	7.01	9.68	9.34	(-)3.56
6	चिन्हित विभाग की कुल योजनाओं/कार्यक्रमों में से हरित बजट का प्रतिशत	21.00	26.19	26.07	(-)0.45

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए हरित बजट)

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- हरित बजट 2022–23 (ब0अ0) में 18[8] विभागों के ₹ 7,399.16 करोड़ के बजटीय प्रावधान वाली 292 योजनाओं को शामिल किया गया था। राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में बजटीय प्रावधानों में 0.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, हरित बजट के प्रावधानों में 3.69 प्रतिशत की कमी आई है।

- समूह 'क' योजनाओं (100 प्रतिशत प्रावधान के साथ) के रूप में वर्गीकृत 93 योजनाओं (12 विभागों में) में से, 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत आवंटन का उपयोग केवल 35 योजनाओं में किया गया था। 10 योजनाओं में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत और 26 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक प्रावधानों (₹ 719.08 करोड़ के सापेक्ष ₹ 59.93 करोड़) का उपयोग किया गया था। अन्य 22 योजनाओं में ₹ 417.14 करोड़ के बजट की उपलब्धता के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था।

[8] एक विभाग यानी उद्योग विभाग को हरित बजट में सूचीबद्ध किया गया है जिसने न तो कोई प्रावधान किया था और न ही कोई व्यय किया था।

✦ वर्ष 2022–23 के हरित बजट में 12 योजनाओं को एक से अधिक समूहों में वर्गीकृत किया गया और दो[9] योजनाओं को एक ही समूह में दो बार पाया गया, जिसमें अलग–अलग राशि के प्रावधान थे। हरित बजट की समीक्षा के दौरान इन त्रुटियों की अनदेखी की गई है।

विभागवार व्यय रुझानों से पता चला कि सभी 12 विभाग, 100 प्रतिशत आवंटन के साथ चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कुल हरित अनुमानों के ₹ 3,868.32 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 2,443.74 करोड़ (63.17 प्रतिशत) ही व्यय कर सके। इससे यह संकेत मिलता है कि ये विभाग हरित बजट पेश करने के उद्देश्य को न्यायोचित नहीं ठहरा रहे थे, क्योंकि वे आवंटनों का 37 प्रतिशत व्यय करने में विफल थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ₹ 678.21 करोड़ के कुल आवंटन के सापेक्ष केवल ₹ 502.05 करोड़ (74.03 प्रतिशत) ही व्यय कर सका।

योजनाओं का समूह–वार उपलब्धि **तालिका 3.40** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.40: हरित बजट के अंतर्गत योजनाओं की उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

समूह	अंश (प्रतिशत में)	योजनाओं की संख्या		कुल बजट	किया गया व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत में)
		हरित बजट (ब0अ0)	विनियोग लेखे			
ए	100	93	93	3,868.32	2,443.74	63.17
बी	75-90	23	23	504.16	सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि बजट तथा व्यय सहित निर्धारित प्रतिशत के अंतर्गत विशिष्ट मदें उपलब्ध नहीं थीं।	
सी	50-75	31	31	3,517.62		
डी	25-50	39	39	3,956.92		
ई	05-25	61	61	7,203.39		
एफ	01-05	45	45	9,316.28		
कुल		**292**	**292**	**28,366.70**		

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे के साथ हरित बजट)

वास्तविक व्यय सहित किसी विशिष्ट निष्पादन प्रतिवेदन/दस्तावेजों के अभाव में लेखा परीक्षा द्वारा योजनाओं की प्रभावकारिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, हरित बजट और विनियोग लेखे को एक–दूसरे के साथ संरेखित नहीं किया गया था। फलतः, लेखापरीक्षा विनियोग लेखे से हरित बजट पर किए गए व्यय की राशि सुनिश्चित नहीं कर सकी।

बिहार सरकार ने हरित बजट 2022–23 में इस आशय का एक अस्वीकरण दिया था कि:

1. पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए योजना आधारित बजट अनुमानों का विश्लेषण, पर्याप्त नहीं है;

2. हरित बजट में केवल सकल बजट अनुमानों और चिन्हित विभाग–वार योजनाओं और कार्यक्रमों के वास्तविक आवंटन और व्यय का हिसाब रखा गया है, इसलिए परिणाम इसके परिणामों या व्यय की शुद्ध स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं और

3. पर्यावरण नियमों को बजट प्रक्रिया के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, हरित बजट पर्यावरणीय व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।

[9] ग्रुप ए में 19–2406011050105, ग्रुप सी में 01–2401007890335।

यह संकेत करता है कि सरकार ने हरित बजट के अंतर्गत शामिल योजनाओं के संबंध में किए गए व्यय के परिणामों को मापने के लिए बिना किसी महत्वपूर्ण संकेतक के हरित बजट तैयार किया था। इसके अतिरिक्त, लक्ष्यों/उद्देश्यों, जिनके लिए ये आवंटन किए गए थे, की उपलब्धि को मापा अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.7 परिणाम बजट और उस पर उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा

परिणाम बजट, सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में भौतिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। परिणाम बजट पर उपलब्धि प्रतिवेदन, लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है। यह जनता को संभावित परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और अपने वित्तीय व्यवहार में सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है। परिणाम बजट का उद्देश्य वित्तीय बजट और बजटीय उपलब्धियों के बीच एक सह–संबंध स्थापित करना और न केवल मध्यवर्ती भौतिक परिणाम बल्कि उपलब्धियों पर भी नजर रखना है।

बिहार में परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन, जिसमें महत्वपूर्ण संभावित वास्तविक उपलब्धियां प्रदर्शित की गई हैं, का निर्माण 2006–07 में प्रारंभ किया गया था।

तालिका 3.41: वर्ष 2022–23 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष योजनाओं की संख्या एवं उनके विरूद्ध व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बजट अभिलेख	योजनाओं की संख्या[10]	बजट प्रावधान	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय
1	विनियोग लेखे (ब0अ0)	2139	2,37,691.21	2,31,451.30
2	परिणाम बजट (ब0अ0)	1404	1,29,863.44	1,30,181.14
3	उपलब्धि प्रतिवेदन (वास्तविकी)	894	1,05,974.98	1,19,935.86

(स्रोतः परिणाम, जेंडर, बाल कल्याण और हरित बजट 2022–23 के साथ विनियोग लेखे)

वर्ष 2022–23 के परिणाम बजट की समीक्षा के लिए दो विभागों यानी कृषि और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का चयन किया गया था।

3.7.1 परिणाम बजट के सापेक्ष वित्तीय परिव्यय

3.7.1.1 परिणाम बजट एवं उपलब्धि प्रतिवेदन के संदर्भ में सकल बजटीय परिव्यय

राज्य सरकार ने परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में आने वाली योजनाओं की संख्या के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया था। उपलब्धि प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से दी गई योजनाएँ परिणाम बजट में प्रतिवेदित योजनाओं में से ही है। वर्ष 2022–23 के दौरान, बजट अनुमानों में शामिल 2139 योजनाओं में से 1404 योजनाओं को परिणाम बजट में शामिल किया गया। परिणाम बजट के सापेक्ष तैयार की गई उपलब्धि प्रतिवेदन में हालांकि केवल 894 योजनाएं शामिल थीं। योजनाओं के प्रत्येक समूह के लिए योजना समूह–वार वित्तीय और भौतिक उपलब्धि (बिल कोड के निरपेक्ष), **तालिका 3.42 और 3.43** में प्रदर्शित हैं।

[10] मूल बजट अनुमान 2022–23 में शामिल योजनाओं (बिल कोड) की संख्या।

तालिका 3.42: बजट प्रावधानों के सापेक्ष में भौतिक उपलब्धियां

योजना समूह	लेखा शीर्षों/बिल कोड/उप–योजना की कुल संख्या			परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का प्रतिशत	मूल बजट के सापेक्ष उपलब्धि प्रतिवेदन में प्रतिवेदित की गई योजनाओं का प्रतिशत
	मूल बजट	परिणाम बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन		
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	432	426	228	98.61	52.78
स्थापना एवं प्रतिबद्ध	928	205	130	22.09	14.01
राज्य की योजनाएँ	779	773	536	99.23	68.81
कुल	**2139**	**1404**	**894**	**65.64**	**41.80**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

मूल बजट की केवल 65.64 प्रतिशत और 41.80 प्रतिशत योजनाओं को क्रमशः परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। परिणाम बजट में शामिल योजनाओं में से केवल 63.67 प्रतिशत का मूल्यांकन उपलब्धि प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया था। इस प्रकार शेष योजनाओं की उपलब्धियों के संबंध में कोई सूचना नहीं थी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत में, योजनाओं की संख्या 2139 से बढ़ाकर 2448 कर दी गई थी। इन अतिरिक्त योजनाओं को, परिणाम बजट या उपलब्धि प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का, बजट प्रावधानों के आधार पर मूल बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां **तालिका 3.43** में दी गई हैं।

तालिका 3.43: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	कुल बजट (परिणाम बजट)	किया गया व्यय	व्यय (प्रतिशत)
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	87,274.73	56,640.46	64.90
स्थापना एवं प्रतिबद्ध	34,580.83	26,825.27	77.57
राज्य की योजनाएँ	59,321.84	46,715.42	78.75
कुल	**1,81,177.40**	**1,30,181.15**	**71.85**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

तालिका 3.43 से यह देखा जा सकता है कि इन योजनाओं के लिए ₹ 1,81,177.40 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष, वर्ष के दौरान केवल 71.85 प्रतिशत (₹ 1,30,181.15 करोड़) निधि का व्यय किया गया था।

3.7.1.2 नौ प्रमुख अनुदानों/विभागों के परिणाम बजट एवं उपलब्धि प्रतिवेदन के सापेक्ष सकल बजटीय परिव्यय

बिहार सरकार 51 अनुदानों और 44 विभागों के माध्यम से अपने वित्तीय तंत्र का प्रबंधन करता है। इन 44 विभागों में से नौ विभाग राज्य के कुल बजट का 70 प्रतिशत (₹ 3,01,786.46 करोड़ में से ₹ 1,81,742.38 करोड़) हिस्सेदारी रखते हैं। योजनाओं के प्रत्येक समूह के लिए वित्तीय उपलब्धियों का विवरण **तालिका 3.44** में दिया गया है।

तालिका 3.44: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियाँ

(₹ करोड़ में)

अनुदान – विभाग	बजट 2022–23			परिणाम बजट बनाम उपलब्धि प्रतिवेदन 2022–23				
	योजनाओं की संख्या	बजट	व्यय	परिणाम बजट में योजनाओं की संख्या	उपलब्धि प्रतिवेदन में योजनाओं की संख्या	उपलब्धि प्रतिवेदन की योजनाओं के लिए बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन में प्रतिवेदित व्यय	प्रतिशत उपलब्धि
21–शिक्षा	218	55,892.37	42,095.78	164	114	40,420.03	34,980.18	86.54
42–ग्रामीण विकास	76	21,731.56	18,412.91	66	46	21,099.02	18,002.96	85.33
20–स्वास्थ्य	200	20,557.27	12,013.95	82	47	9,843.21	6,077.59	61.74
10–ऊर्जा	26	16,549.12	16,207.98	13	9	2,501.35	2,426.89	97.02
22–गृह	102	15,070.01	11,811.93	16	14	1,555.64	887.94	57.08
37–ग्रामीण कार्य	17	13,941.96	9,478.96	13	11	9,707.70	6,231.85	64.19
16–पंचायती राज	46	13,571.65	8,661.18	39	31	12,086.70	8,250.39	68.26
51–समाज कल्याण	138	13,488.03	11,192.66	92	67	12,435.55	10,185.31	81.90
48–नगर विकास एवं आवास	125	10,940.41	6,546.06	83	35	3,868.56	2,136.07	55.22
कुल	**948**	**1,81,742.38**	**1,36,421.41**	**568**	**374**	**1,13,517.76**	**89,179.18**	**78.56**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

जैसा कि **तालिका 3.44** से स्पष्ट है:

- इन नौ विभागों की 948 योजनाओं के सापेक्ष, केवल 568 (59 प्रतिशत) योजनाओं के लक्ष्यों/परिणामों को परिणाम बजट में निर्धारित/शामिल किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के लिए उपलब्धि प्रतिवेदन में केवल 374 (568 का 65 प्रतिशत और 948 का 39 प्रतिशत) योजनाओं की ही उपलब्धियां दर्ज की गईं।
- उपलब्धि प्रतिवेदन में ₹ 89,179.18 करोड़ (₹ 1,81,742.38 करोड़ का 49 प्रतिशत) की योजनाओं की ही वित्तीय उपलब्धियां दर्ज की गई हैं।

उपलब्धि प्रतिवेदन में सभी योजनाओं, जो परिणाम बजट में निहित थीं, के पूर्ण प्रकटन के अभाव में इन प्रतिवेदनों को तैयार करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। इसके अलावा, परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में आने वाली योजनाओं की संख्या के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं करते हुये केवल आंशिक जानकारी दी गई थी।

3.7.2 चयनित विभागों का वित्तीय प्रदर्शन

अनुदान संख्या–01 कृषि विभाग एवं अनुदान संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन, परिणामों के सापेक्ष उपलब्धियों एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

3.7.2.1 अनुदान संख्या 01: कृषि विभाग

कृषि विभाग के पास 2022–23 के दौरान ₹ 4,379.62 करोड़ का बजट प्रावधान था। विभाग की वित्तीय एवं साथ ही भौतिक उपलब्धियां, **तालिका 3.45 और 3.46** में प्रदर्शित हैं।

तालिका 3.45: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	कुल परिणाम बजट	व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	1,276.80	321.96	25.22
राज्य की योजनाएँ	2,092.22	1,594.98	76.23
कुल	**3,369.02**	**1,916.94**	**56.90**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

इन योजनाओं के लिए ₹ 3,369.02 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष वर्ष के दौरान केवल 56.90 प्रतिशत (₹ 1,916.94 करोड़) की राशि व्यय की गई।

तालिका 3.46: बजट प्रावधानों के सापेक्ष भौतिक उपलब्धि

योजना समूह	लेखा शीर्षों/बिल कोड/उप–योजना की कुल संख्या			परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का प्रतिशत	उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल योजनाओं का प्रतिशत
	मूल बजट	परिणाम बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन		
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	78	78	39	100	50.00
राज्य की योजनाएँ	51	51	41	100	80.39
कुल	**129**	**129**	**80**	**100**	**62.01**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

इस प्रकार, उपलब्धि प्रतिवेदन में कुल योजनाओं के केवल 62.01 प्रतिशत योजनाओं को ही प्रतिवेदित किया गया था।

3.7.2.2 अनुदान संख्या 36: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

वर्ष 2022–23 के दौरान, लोक0स्वा0अभि0 विभाग के पास ₹ 2,480.38 करोड़ का बजट प्रावधान था। विभाग की वित्तीय एवं साथ ही भौतिक उपलब्धियों को **तालिका 3.47 और 3.48** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.47: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	कुल परिणाम बजट	किया गया व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	600.00	297.05	49.51
राज्य की योजनाएँ	1,447.65	1,337.08	92.36
कुल	**2,047.65**	**1,634.13**	**79.81**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

इन योजनाओं के लिए ₹ 2,047.65 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष, वर्ष के दौरान केवल 79.81 प्रतिशत (₹ 1,634.13 करोड़) की निधि का ही व्यय किया गया था।

तालिका 3.48: बजट प्रावधानों के सापेक्ष भौतिक उपलब्धियां

योजना समूह	लेखा शीर्षों/बिल कोड/उप–योजना की कुल संख्या			परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का प्रतिशत	उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल योजनाओं का प्रतिशत
	मूल बजट	परिणाम बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन		
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	6	6	3	100	50.00
राज्य की योजनाएँ	21	21	16	100	76.19
कुल	**27**	**27**	**19**	**100**	**70.37**

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

इस प्रकार, उपलब्धि प्रतिवेदन में कुल योजनाओं के केवल 70.37 प्रतिशत योजनाओं को ही प्रतिवेदित किया गया था।

3.8 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बजट प्रावधानों की समीक्षा

3.8.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति (अ0जा0) और अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0) के सर्वांगीण बहुआयामी विकास यानी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए, बिहार सरकार (अप्रैल 2007) द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गयी थी। यह विभाग बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सभी योजनाओं और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और उनकी निगरानी करने के लिए नोडल विभाग है।

3.8.2 बिहार में अनुसूचित जाति (अ0जा0) और अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0) की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार 10.41 करोड़ की कुल जनसंख्या के साथ देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य भी है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति हैं। राज्य में अ0जा0 की आबादी 16 प्रतिशत (1.66 करोड़) जबकि अ0ज0जा0 की आबादी 1.25 प्रतिशत (0.13 करोड़) प्रतिवेदित की गई थी, जैसा कि **तालिका 3.49** में वर्णित है।

तालिका 3.49: बिहार की श्रेणी–वार जनसांख्यिकी

(करोड़ में)

श्रेणी	जनसंख्या (2001)	प्रतिशत	जनसंख्या (2011)	प्रतिशत	दशकीय वृद्धि#
सामान्य	6.92	83.37	8.62	82.81	24.58
अनुसूचित जाति (अ0जा0)	1.30	15.72	1.66	15.91	26.97
अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0)	0.08	0.91	0.13	1.28	76.25
कुल	**8.30**	**100**	**10.41**	**100**	**25.42**

(स्रोत: अ0जा0 और अ0ज0जा0 कल्याण विभाग की वर्ष 2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन)

 # किसी विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (2001 और 2011 के बीच)

3.8.3 वित्तीय उपलब्धियाँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए नियत योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन क्रमशः विभाग के माध्यम से और विशिष्ट लघु शीर्षों (एमआईएच)–789 और 796 के तहत अन्य विभागों के माध्यम से किया जाता है। 2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए दोनों घटकों की वित्तीय उपलब्धियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.8.3.1 अन0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण विभाग

2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए विभाग की वित्तीय उपलब्धियों का विवरण **तालिका 3.50** में प्रदर्शित है।

तालिका 3.50: अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण विभाग की वित्तीय उपलब्धियां (2018–19 से 2022–23)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	प्रतिशत अभ्यर्पण
2018-2019	49	1,468.63	1,022.92	69.65	445.72	406.43	91.19
2019-2020	50	1,599.63	1,121.26	70.10	478.37	10.00	2.09
2020-2021	51	1,727.31	1,270.24	73.54	457.08	2.50	0.55
2021-2022	55	1,923.20	1,456.48	75.73	466.72	33.96	7.28
2022-2023	56	2,116.53	1,628.09	76.92	488.44	66.72	13.66
कुल		**8,835.31**	**6,498.99**	**73.56**	**2,336.32**	**519.61**	**22.24**

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

तालिका 3.50 से पता चलता है कि:

- वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, विभाग अपने आवंटन के केवल 73.56 प्रतिशत का ही उपयोग कर सका।
- इस अवधि के दौरान ₹ 2,336.32 करोड़ की बचत में से केवल 22.24 प्रतिशत (₹ 519.61 करोड़) बचत का ही अभ्यर्पण किया गया ।

यद्यपि, विभाग विशेष रूप से अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 समुदायों के लिए कार्यरत था, तथापि, बजटीय आंकड़ों की जांच से पता चला कि ₹ 63.39 करोड़ (₹ 56.54 करोड़ का व्यय) के बजट प्रावधान के साथ लघु शीर्ष '789' के तहत केवल एक योजना (सिर्फ 2022–23 में), और 2018–19 से 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष '796' के तहत ₹ 145.40 करोड़ (₹ 36.12 करोड़ का व्यय) के बजट प्रावधान के साथ तीन योजनाओं को शामिल किया गया था, जिनका उपयोग अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 समुदायों से संबंधित योजनाओं के लिए अन्य विभागों द्वारा किया जाना था।

बजटीय प्रावधानों का उपयोग न करना, अनुपयोगित धन के अभ्यर्पण में विफलता और सतत् और उल्लेखनीय बचत, विभाग की कमजोर वित्तीय प्रबंधन को प्रकट करती है।

3.8.3.2 अन्य विभाग

अ0जा0 और अ0ज0जा0 कल्याण विभाग के अलावा, लघु शीर्ष '789' और '796' के तहत अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं (लेखा शीर्षों) का विवरण **तालिका 3.51** एवं **तालिका 3.52** में दिया गया है।

तालिका 3.51: लघु शीर्ष–789 के अंतर्गत योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्षों की संख्या	कुल बजट	व्यय	बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
2018-2019	178	17,722.15	12,350.12	69.69
2019-2020	184	18,096.25	10,568.36	58.40
2020-2021	190	18,040.42	10,139.09	56.20
2021-2022	213	18,767.31	12,500.43	66.61
2022-2023	233	23,873.28	16,389.36	68.65
कुल	**998**	**96,499.41**	**61,947.36**	**64.19**

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

पाया गया कि:

- वर्ष 2022–23 में, लघु शीर्ष '789' के तहत कुल बजट प्रावधानों के 68.65 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था, जो राज्य के कुल बजट के 77.95 प्रतिशत उपयोग से कम था।
- राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभागों की वित्तीय उपलब्धि 0.48 प्रतिशत से 21.70 प्रतिशत के बीच थी।
- 44 विभागों में से 26 विभाग इन लघु शीर्षों के तहत अ0जा0 और अ0ज0जा0 के लिए योजनाएं लागू कर रहे थे। इन 26 विभागों में से दो[11] अनुदान/विभागों की वित्तीय उपलब्धियां पांच प्रतिशत से कम थीं और छह[12] विभागों का निष्पादन 50 प्रतिशत से कम था।

तालिका 3.52: लघु शीर्ष–796 के अंतर्गत योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्षों की संख्या	कुल बजट	व्यय	बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
2018-2019	138	1,827.07	887.24	48.56
2019-2020	143	1,849.72	1,090.48	58.95
2020-2021	148	1,381.85	871.98	63.10
2021-2022	168	1,966.38	1,370.41	69.69
2022-2023	180	2,562.96	1,695.45	66.15
कुल	**777**	**9,587.97**	**5,915.56**	**61.70**

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

देखा गया कि:

- वर्ष 2022–23 में, लघु शीर्ष '796' के तहत किए गए कुल बजट प्रावधान के 66.15 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था, जो राज्य के कुल बजट के 77.95 प्रतिशत उपयोग से कम था।
- 44 विभागों में से 26 विभाग, इन लघु शीर्षों के तहत अ0जा0 और अ0ज0जा0 के लिए योजनाएं लागू कर रहे थे। इन 26 में, राजस्व और भूमि सुधार विभाग की वित्तीय उपलब्धि 'शून्य' (₹ 4.15 करोड़ के निधि के सापेक्ष) थी। अन्य छह[13] अनुदानों/विभागों में व्यय 25 प्रतिशत से कम (₹ 89.42 करोड़ के सापेक्ष) था।

निधि की उपलब्धता और बजट में योजनाओं को शामिल किये जाने के बावजूद, लघु शीर्षों 789 और 796 के अंतर्गत शामिल योजनाओं की उपलब्धि 2022–23 के बजट की समग्र उपलब्धि से कम थी।

3.9 निष्कर्ष

- अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आधार पर नहीं किए गए थे क्योंकि 20 अनुदानों के अंतर्गत 22 मामलों में ₹ 18,491.79 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) की राशि के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक सिद्ध हुए थे और पूर्णतः अनुपयोगित रहे थे क्योंकि व्यय (₹ 83,802.17 करोड़) मूल प्रावधानों (₹ 1,03,251.69 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था।
- राज्य सरकार, वर्ष 2022–23 के दौरान किए गए कुल बजट प्रावधानों के केवल 77.95 प्रतिशत का ही उपयोग कर सकी।

[11] राजस्व एवं भूमि सुधार एवं गन्ना उद्योग विभाग।
[12] पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, शिक्षा, परिवहन, नगर विकास एवं आवास तथा लघु जल संसाधन विभाग।
[13] ऊर्जा, पंचायती राज, पथ निर्माण, गन्ना उद्योग, परिवहन एवं लघु जल संसाधन विभाग।

- 12 अनुदानों के अंतर्गत 32 योजनाओं में, यद्यपि ₹ 4,053.49 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ 25 करोड़ या इससे अधिक) का परिव्यय अनुमोदित था, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था।
- सघन व्यय के मामले में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में, 19 अनुदानों के तहत 48 योजनाओं में ₹ 7,695.44 करोड़ की राशि का 100 प्रतिशत व्यय मार्च 2023 के महीने में किया गया था।
- हालांकि वर्ष 2005–06 के बजट प्रावधानों (₹ 28,976.40 करोड़) की तुलना में वर्ष 2022–23 के बजट प्रावधान (₹ 3,01,686.46 करोड़) 10 गुना से अधिक थे, लेकिन विनियोग लेखे के लिए अनुमोदित बजटीय आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के मानदंड को संशोधित नहीं किया गया था।
- वर्ष के दौरान ₹ 66,509.62 करोड़ की कुल बचत में से केवल 30.86 प्रतिशत (₹ 20,526.71 करोड़) की बचत का अभ्यर्पण किया गया। यह बचत अनुपूरक प्रावधानों का 103.93 प्रतिशत थी।
- राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य की आकस्मिकता निधि से ₹ 3,327.42 करोड़ की राशि के 15 आहरण किए थे, जो व्यय की प्रत्याशित प्रकृति के लिए थे।

3.10 संकेतक

बजट और विनियोग लेखे के विश्लेषण के परिणामस्वरूप निम्नलिखित संकेतक चिन्हित किए गए हैं:

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
✦ बच्चों के प्रति उत्तरदायी सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से बाल बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना। ✦ बाल बजट संहिता तैयार करना।	✦ जेंडर बजट और हरित बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं किया जाना। ✦ बिहार कोषागार संहिता को लेखांकन के सी0एफ0एम0एस0 युग के संदर्भ में संशोधित/अद्यतन नहीं किया जाना। ✦ जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट के प्रावधानों का आम बजट में अलग से उल्लेख नहीं किया जाना।

3.11 अनुशंसाएँ

सरकार:

- अभ्यर्पण में कमी लाने के लिए, विभागों को बजटीय आवंटन समय पर जारी करने की प्रणाली विकसित करे।
- सुनिश्चित करे कि सभी प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित कर दी जाएं, ताकि राशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- निरंतर बचत के कारणों की समीक्षा करे और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि आवंटित राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय की निगरानी और नियंत्रण करें।
- सार्वजनिक व्यय में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित विभागों को जेंडर बजट/बाल कल्याण बजट/हरित बजट तथा परिणाम बजट के लिए निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें।

अध्याय–IV

लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

अध्याय IV

लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय, लेखे की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों के अनुपालन का अवलोकन करता है।

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ ऐसे अनुपालनों की स्थिति प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो यह राज्य सरकार को उनके आधारभूत उत्तरदायित्व के निर्वहन, रणनीतिक योजना का निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक होता है।

लेखे की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 राज्य सरकार के ऋण (गैर–बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के अनुसार, राज्य सरकार भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, यदि कोई हो, ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकती है, जो समय–समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाए और सरकार संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा निर्धारित किया गया हो।

राज्य सरकार को प्रतिभूति के रूप में आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और एस0पी0वी0 तथा अन्य समकक्ष कारक द्वारा उधारों से उत्पन्न वास्तविक देयता जहां पुनर्भुगतान की देयता राज्य सरकार के आवंटनों की है, का खुलासा करके जनहित में अपने राजकोषीय प्रचलनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार ने एक राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी0एस0यू0)/प्राधिकरण के माध्यम से गैर–बजट उधारी ली जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–बजट उधारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थान/इकाई	राशि	टिप्पणियां
1.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0) (पथ निर्माण विभाग)	686.77	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) द्वारा वितरित
	कुल	**686.77**	

(स्रोतः संबंधित इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा)

बी0एस0आर0डी0सी0एल0 ने पटना में जेपी गंगा पथ परियोजना के निर्माण के लिए ₹ 2,000.00 करोड़ की कुल स्वीकृत ऋण राशि में से ₹ 1,206.77 करोड़ (2021–22 में ₹ 520.00 करोड़ और 2022–23 में ₹ 686.77 करोड़) उधार लिया है। हालाँकि, बी0एस0आर0डी0सी0एल0 ने (अगस्त 2023) जवाब दिया है कि राज्य सरकार ने गारंटी दी हैं। इस संबंध में, वित्त लेखे (खंड – II) के विवरण–20 में कोई जानकारी नहीं पायी गयी।

हालाँकि, राज्य सरकार ने संबंधित वित्तीय वर्ष के अपने बजट दस्तावेजों /वार्षिक वित्तीय विवरणों में गैर–बजट उधारी को प्रदर्शित नहीं किया।

यह इंगित करता है कि गैर–बजट उधारी को लेखे में शामिल करने के बाद, वर्ष 2022–23 में ऋण–परिमाण ₹ 686.77 करोड़ से अधिक होगा। तदनुसार, ऋण/जी0एस0डी0पी0 अनुपात 39.13 प्रतिशत तक बढ जाएगा। तदनुसार, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा भी बढ जाएगा।

4.2 ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

राज्य सरकार ब्याज सहित जमा/ आरक्षित निधि पर ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी है जैसा कि **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज सहित जमा का नाम	01 अप्रैल 2022 को शेष	देय ब्याज		ब्याज भुगतान
			बकाया	दर (प्रतिशत)	
1.	सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना और अन्य बीमा निधि	258.74	18.37	7.1	-
2.	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	272.33	1.11	7.1	-
3.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस0सी0ए0एफ0)	566.71	18.98	3.35	-
4.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	229.06	17.16	7.49	-
5.	राज्य आपदा शमन निधि	245.72	18.40	7.49	
कुल			**74.02**		

(स्रोतः वित्त लेखे 2022–23)

हालाँकि, सरकार द्वारा ₹ 74.02 करोड़ की राशि का प्रावधान ब्याज सहित जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के लिए नहीं किया गया था। ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम बताया गया है।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा अंतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों को पर्याप्त धनराशि सीधे अंतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः यह राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। ऐसे अंतरण, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के खंड–II के परिशिष्ट–VI में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 24,302.19 करोड़ अंतरित किये गये जो विगत वर्ष (₹ 19,117.31 करोड़) की तुलना में 27.12 प्रतिशत अधिक थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण की प्रवृत्ति को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा अंतरण

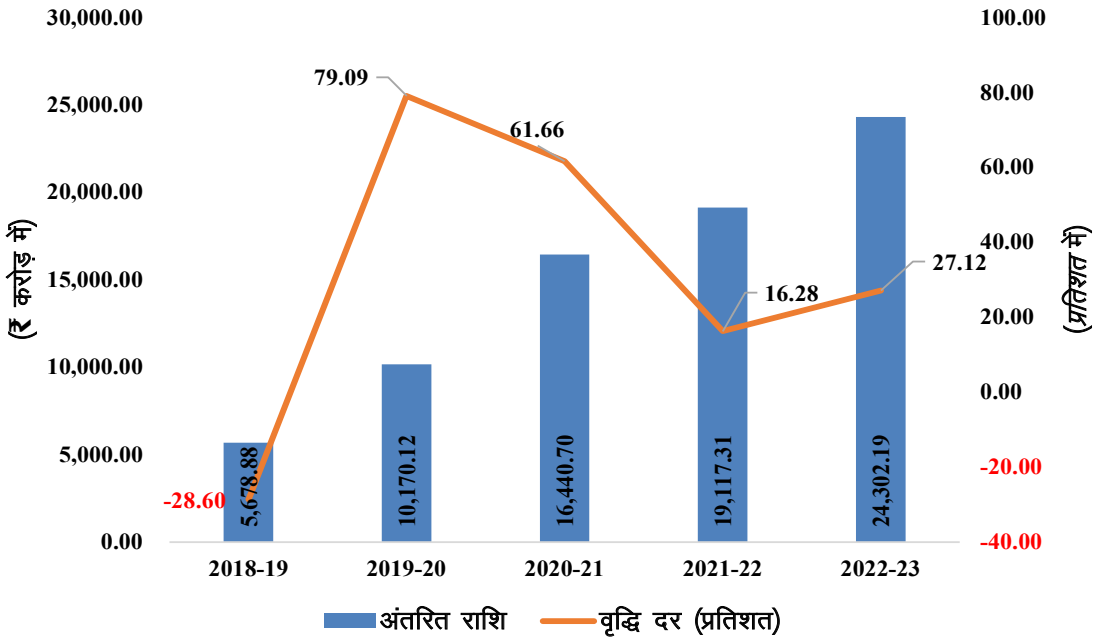

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तीन[1] कार्यान्वयन एजेंसियों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि की उपयोगिता से संबंधित सूचना माँगी गई थी, लेकिन किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी ने संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

सी0एस0एस0, जिनमें ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की धनराशि सीधे अंतरित की गई, वे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹ 754.50 करोड़), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि–पीएम किसान (₹ 4,879.77 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम (₹ 5,120.43 करोड़) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी (₹10,966.10 करोड़) थे।

वर्ष 2022–23 के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत ₹ 24,302.19 करोड़ का केंद्रांश, राज्य की समेकित निधि को दरकिनार करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किया गया। राज्य सरकार के बजट और व्यय को ₹ 24,302.19 करोड़ रुपए तक संकुचित करने के अलावा, इससे सृजित परिसंपत्तियाँ राज्य लेखे में परिलक्षित नहीं हो पाई, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

4.4 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि–109–पंचायत निकाय कोष अंतर्गत) निधि का संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे कि राज्य वित्त आयोग से हिस्से के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ–साथ पंचायत के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर प्राप्तियों सहित) शामिल होंगे। नगरपालिका अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि, नगर निकाय द्वारा धारित होगी। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन के साथ–साथ नगर निकाय द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि –102–नगर निकाय निधि

[1] बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, और कृषि विभाग।

में रखा जाता है। स्थानीय निधि का निकाय कोष एवं पंचायत निकाय कोष के अन्तर्गत जमा करने का विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
नगर निकाय कोष	(8448–102)	प्रारंभिक शेष	1	2,742.77	3,307.66	3,743.56	5,033.79	6,225.03
		प्राप्तियाँ	2	2,712.09	2,469.66	3,913.13	4,066.75	2,600.45
		व्यय	3	2,147.20	2,033.77	2,622.90	2,875.51	2,805.82
		अंत शेष	**4**	**3,307.66**	**3,743.56**	**5,033.79**	**6,225.03**	**6,019.66**
पंचायत निकाय कोष*	(8448–109)	प्रारंभिक शेष	5	631.61	650.49	754.98	852.58	756.29
		प्राप्तियाँ	6	735.54	374.78	556.49	228.82	143.34
		व्यय	7	716.67	270.29	458.89	325.11	189.34
		अंत शेष	**8**	**650.49**	**754.98**	**852.58**	**756.29**	**710.29**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
****जिला परिषद और पंचायत समिति निधि शामिल***

जैसा कि **तालिका 4.3** से देखा जा सकता है कि बिहार सरकार विगत पाँच वर्षों से राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष खातों को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक निधि (विशेष रूप से जमा खातों) में हस्तांतरित करती रही है। हस्तांतरित राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में लेखे में लिया जाता है चाहे वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के दौरान हुआ हो अथवा नहीं। पिछले कुछ वर्षो में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत तक जमा खाता (मुख्य शीर्ष 8448) में ₹ 26,927.43 करोड़ (**तालिका 4.4** में वर्णित) संग्रहित था। इसे संबंधित वर्षों में राजस्व या पूँजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जा चुका है, लेकिन जमा शीर्ष में अव्ययित पड़ा है।

तालिका 4.4: स्थानीय जमा निधि की अंतरित राशि का प्रवृति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	मुख्य शीर्ष 8448 का अवशेष राशि
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित राशि	राशि की प्रतिशतता	वित्त लेखे के अनुसार पूँजीगत व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित राशि	राशि की प्रतिशतता		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	9
2018-19	1,24,897	9,306	7.45	21,058	13,606	64.61	22,912	23,181.78
2019-20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26
2020-21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60
2021-22	1,59,220	12,454	7.82	23,678	10,565	44.62	23,019	26,561.64
2022-23	1,83,976	8,781	4.77	31,520	9,965	31.61	18,746	26,927.43

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और वी0एल0सी0 आँकड़े)

वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की अवधि में, स्थानीय निधियों के राजस्व व्यय में 5.64 प्रतिशत जबकि पूँजीगत व्यय में 26.76 प्रतिशत की कमी आई थी।

इसके अतिरिक्त विगत पाँच वर्षों के दौरान, पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज और मुख्य शीर्ष–8448 में अंतरित राशि 31 प्रतिशत से 91 प्रतिशत थी, जबकि राजस्व व्यय के रूप में दर्ज राशि चार से 11 प्रतिशत थी, जिससे निधि का अवरोधन हुआ। लोक लेखा की अव्यवहृत राशि, वास्तविक पूँजीगत व्यय के अतिकथन को इंगित करती है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.5 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली (बी0एफ0आर0), 2005 के नियम 341 (2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 431 के तहत सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। आगे, वित्त विभाग के शासकीय आदेश (अक्टूबर 2011) द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्वीकृति की तिथि से 18 माह तक निर्धारित की गई।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को अप्राप्त, समाशोधन के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विवरणी **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार विवरणी (31 मार्च 2023 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2016-17 तक	2708	16,702.88
2017-18	552	5,894.77
2018-19	630	10,019.52
2019-20	12429	18,330.29
01.04.2020 से 30.09.2021 तक	25436	37,000.42
कुल	**41755**	**87,947.88**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वारा प्रदत्त सूचना)

** उल्लेखित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह बाद।*

कुल ₹ 87,947.88 करोड़ में से, ₹ 16,702.88 करोड़ वर्ष 2016–17 के अवधि तक से संबंधित थे। पाँच मुख्य चूककर्ता विभागों में शिक्षा विभाग (₹ 26,692.78 करोड़) पंचायती राज विभाग (₹ 25,842.72 करोड़), शहरी विकास विभाग (₹ 12,204.16 करोड़), स्वास्थ्य विभाग (₹ 4,994.19 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 4,233.57 करोड़) थे, जैसा कि **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त विभागवार उपयोगिता प्रमाण पत्र

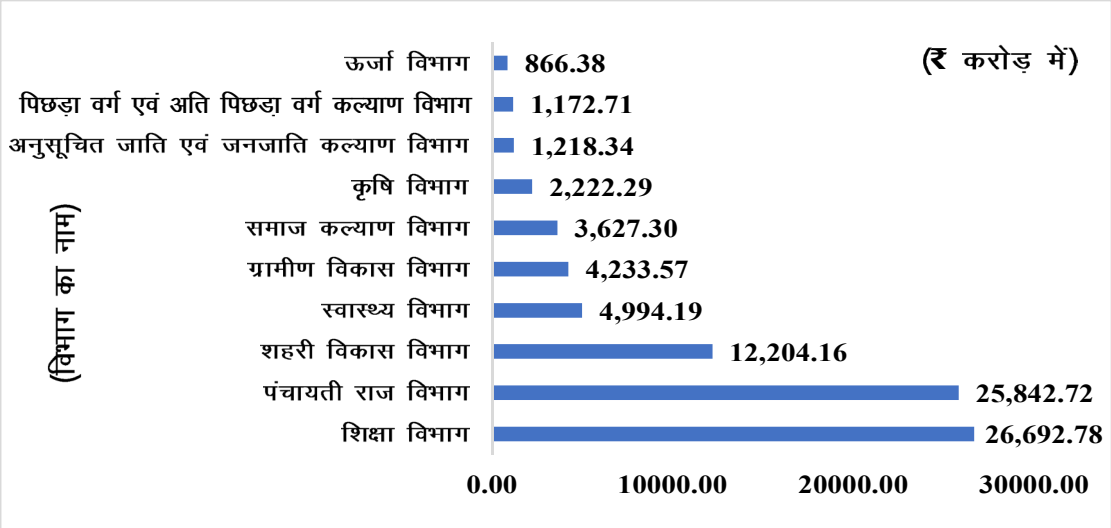

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

इसके अलावा, वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक की अवधि में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है: –

तालिका 4.6: वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक की अवधि में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन			परिसंपत्ति			वेतन और परिसंपत्ति के अलावा*		
	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष
2019-20	19,666.33	15,966.11	3,700.22	11,356.25	7,529.51	3,826.74	25,678.83	14,849.84	10,828.99
2020-21	17,788.65	13,556.19	4,232.46	10,358.02	6,581.74	3,776.28	29,577.33	15,416.70	14,160.63
2021-22 (09/2021 तक देय)	8,594.07	4,499.23	4,094.84	2,314.80	183.02	2,131.78	12,902.84	4,296.39	8,606.45
कुल	**46,049.05**	**34,021.53**	**12,027.52**	**24,029.07**	**14,294.27**	**9,734.80**	**68,159.00**	**34,562.93**	**33,596.07**

(स्रोतः ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)
**छात्रवृति/वजीफा शामिल*

उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं है कि वितरित निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित रहना गबन, दुर्विनियोजन और निधियों के विचलन के जोखिम को बढ़ाता है।

नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक के प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने जैसे मामले प्रकाशित किए जाते रहे हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 1,09,093.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजित किए गए।

वित्त विभाग (दिसंबर 2023) ने जवाब दिया कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें नियमित अंतराल पर साप्ताहिक/मासिक आयोजित की जा रही थी, और मुख्य चूककर्ता विभागों को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

4.5.1 अनुदेयी संस्थाओं को "अन्य" अभिलेखित किया जाना

चूंकि, जी0 आई0 ए0 राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने वार्षिक लेखों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों का विवरण और स्वरूप प्रदान करे, जिन्हें निधि प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार से सहायता

अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड निर्दिष्ट करने के लिए एक तंत्र हैं। चूँकि राज्य सरकार ने सभी संस्थानों को संस्था कोड निर्दिष्ट नहीं किया था, जिससे इन अनुदानों को "अन्य" के रूप में दर्ज किया गया था, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई। इन अनुदानों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय में वाउचर लेवल कम्प्यूटरीकरण (वी0एल0सी0) प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्थान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि की निगरानी की जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल सहायता अनुदान ₹ 79,940.88 करोड़ में से ₹ 53,034.48 करोड़ (66-34 प्रतिशत) "अन्य" के रूप में दर्ज किया गया। विगत तीन वर्षों में "अन्य" के रूप में दर्शित सहायता अनुदान का कुल सहायता अनुदान की प्रतिशत प्रवृत्ति **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: अनुदेयी संस्थानों का "अन्य" के रूप में अभिलेखन

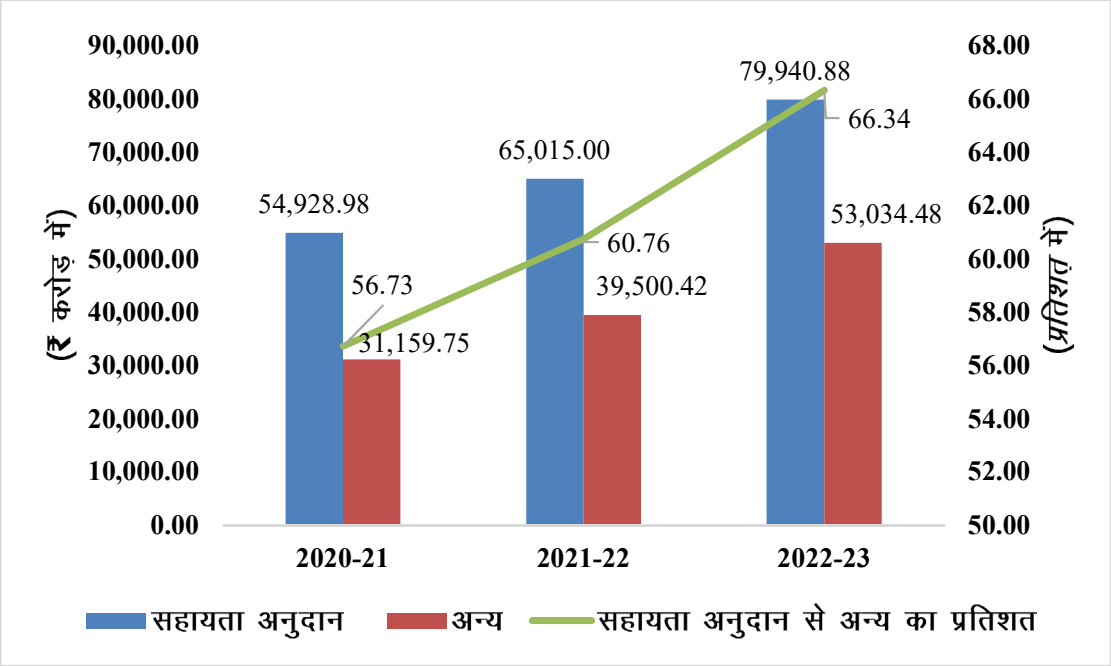

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों/निकायों/प्राधिकरणों को समुचित कोड निर्धारित नहीं किए जाने के कारण सभी संस्थाओं के विरुद्ध लंबित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

4.6 सार आकस्मिक (ए0 सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011, के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी0टी0सी0, 2011, के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित किया गया हो उसके अगले छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी सार आकस्मिक विपत्र का आहरण छः माह के बाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित नहीं कर दिया जाता। ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के समर्पित किए जाने की वर्षवार प्रगति **तालिका 4.7** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.7: ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने की वर्षवार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		जोड़े गये		समाशोधन		अंतशेष	
	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	डी0 सी0 विपत्रों की संख्या	राशि
2018-19 तक	12316	3,002.51	1453	631.50	1855	1,034.89	11914	2,599.12
2019-20	11914	2,599.12	5799	4,250.72	456	2,636.53	17257	4,213.31
2020-21	17257	4,213.31	6356	4,858.04	451	3,953.64	23162	5,117.71
2021-22	23162	5,117.71	3607	2,480.88	195	1,148.42	26574#	6,450.17
2022-23#	26574	6,450.17	842	1,053.79	24	14.91	27392	7,489.05

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े और वित्त लेखे, 2022–23)

नोटः सितंबर 2022 तक आहरित ए0सी0 विपत्रों पर आधारित।

 # पिछले वर्ष की तुलना में 646 ए0सी0 विपत्रों की वृद्धि, सितंबर 2021 के बाद के ए0सी0 विपत्रों के जुड़ने के कारण हुई है।

कुल अंतशेष ₹ 7,489.05 करोड़ में से ₹ 3,219.52 करोड़ (कुल बकाया का 42.99 प्रतिशत) पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित है।

माह मार्च 2023 में ₹ 2,106.98 करोड़ (कुल आहरित 4382 ए0सी0 विपत्रों के ₹ 6,149.29 करोड़ का 34.26 प्रतिशत) के 1209 ए0सी0 विपत्र आहरित किए गए। मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्रों को **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र

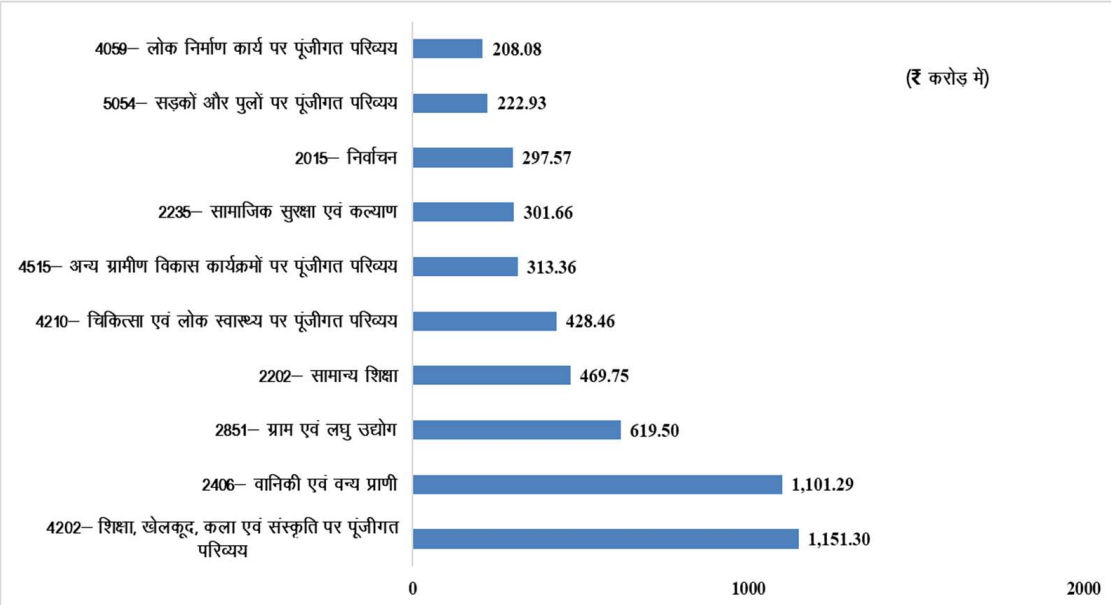

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

जैसा कि **चार्ट 4.4** में उल्लिखित है, लंबित डी0सी0 विपत्र मुख्य शीर्ष– 4202, 4210, 4059, 4515 और 5054 के अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय से संबंधित थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय, लोक व्यय के कमजोर प्रबंधन को इंगित करता है। इससे यह भी इंगित होता है कि आहरण मुख्यतः बजटीय प्रावधानों को पूर्णतः प्रयोग करने के लिए किया जा रहा था। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा होता है। वित्त विभाग

(दिसंबर 2023) ने जवाब दिया कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें नियमित अंतराल पर साप्ताहिक/मासिक आयोजित की जा रही थी, और मुख्य चूककर्ता विभागों को लंबित ए0सी0 विपत्रों के समायोजन के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

4.7 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

बी0टी0सी0, 2011, के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए, वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना, कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहां सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होती है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर–दराज बिखरे हुए हों, जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यावहारिक नहीं हो। पी0डी0 खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पी0डी0 प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)[2] तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना[3] के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी0डी0/व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खातों को दिनांक 01.04.2019 को सी0एफ0एम0एस0 में खोला हुआ माना जाएगा और पी0डी0/पी0एल0 खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यपगत हो जाएगी। इस प्रकार निष्क्रिय पी0डी0 खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाएगा।

मार्च 2023 के अंत में 242 प्रशासकों के पास ₹ 3,858.05 करोड़ की राशि पड़ी थी, जैसा कि **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान पी0डी0 खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

01.04.2022 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2023 को अंत शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
212[$]	4,040.21	32	1,229.60[@]	02	1,411.76[@]	242 [$]	3,858.05*

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23)

टिप्पणी–

[$] **₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले 05 पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित किया जाना बाकी था जो 242 पी0डी0 खातों के अतिरिक्त हैं।**

[@] **सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष के दौरान ₹ 1,229.60 करोड़ की प्राप्ति और ₹ 1,411.76 करोड़ का भुगतान प्लस माइनस मेमो में दर्शाया गया था। हालाँकि दो बंद पी0डी0 खातों में कोई शेष नहीं था।**

[*] **मुख्य शीर्ष– 8443–106 के अंतर्गत विवरणी संख्या 21 में दर्शाए गए ₹ 8.01 करोड़ के अंतर का समाशोधन प्रक्रियाधीन है।**

उपर्युक्त के अलावा, ₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले 05 पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 के कार्यान्वयन के चार वर्षों से अधिक समय के बाद भी सी0टी0एम0आई0एस0 से सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

[2] बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016।

[3] अधिसूचना सं0. एम0–4–02/2020–2916/एफ0 दिनांकः 03.06.2020।

विगत पाँच वर्षों के अंत में पी0डी0 खातों में अंतशेष की राशि की प्रवृत्ति **चार्ट 4.5** में विस्तृत है।

चार्ट 4.5: 2018–19 से 2022–23 के दौरान पी0डी0 खातों में अंत शेष

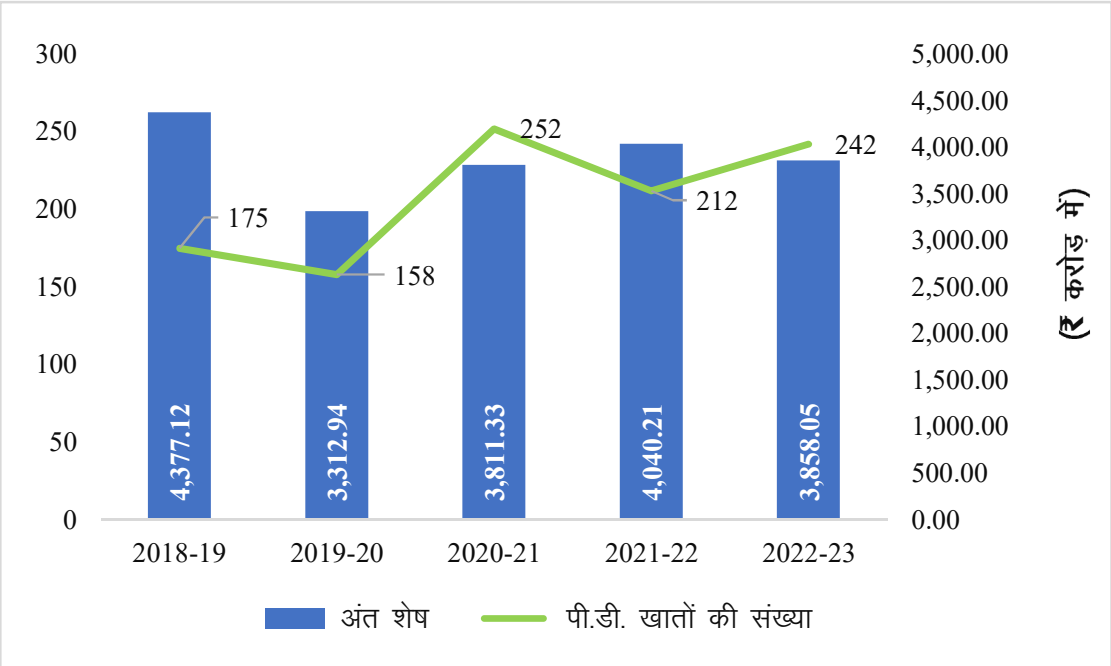

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

4.8 लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष "800" के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है फलतः लेखे की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 2,15,496 करोड़ के कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय में से लघु शीर्ष "800" के माध्यम से ₹ 252.04 करोड़ (0.12 प्रतिशत) का व्यय किया गया। कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 1,72,688 करोड़ में से ₹ 732.44 करोड़ (0.42 प्रतिशत) की प्राप्ति लघु शीर्ष "800" में नामित की गई थी। लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय और प्राप्तियां (50 प्रतिशत एवं अधिक) क्रमशः **तालिका 4.9** और **तालिका 4.10** में उल्लिखित हैं।

तालिका 4.9: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष 800 – "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	28.33	23.84	84.15
2	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	235.11	202.78	86.25

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

तालिका 4.10: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष ''800'' – "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियां (50 प्रतिशत एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष "800" में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	642.03	363.98	56.69
2	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	301.34	193.15	64.10
3	0230	श्रम एवं रोजगार	10.75	6.75	62.77
4	0401	फसल कृषि कर्म	5.42	3.93	72.51
5	0851	ग्राम और लघु उद्योग	0.01	0.01	100.00
6	0852	उद्योग	0.41	0.40	99.32
7	1053	नागरिक उड्डयन	1.43	1.42	99.77
8	1456	सिविल आपूर्ति	0.10	0.10	100.00

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23 तथा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

इसके अलावा, वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय ₹ 120.65 करोड़ से बढ़कर ₹ 252.04 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 1,460.41 करोड़ से घटकर ₹ 732.44 करोड़ हो गई थी, जैसा कि **चार्ट 4.6** और **चार्ट 4.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.6 : वित्त वर्ष 2018–23 के दौरान लघु शीर्ष 800–"अन्य व्यय" का संचालन

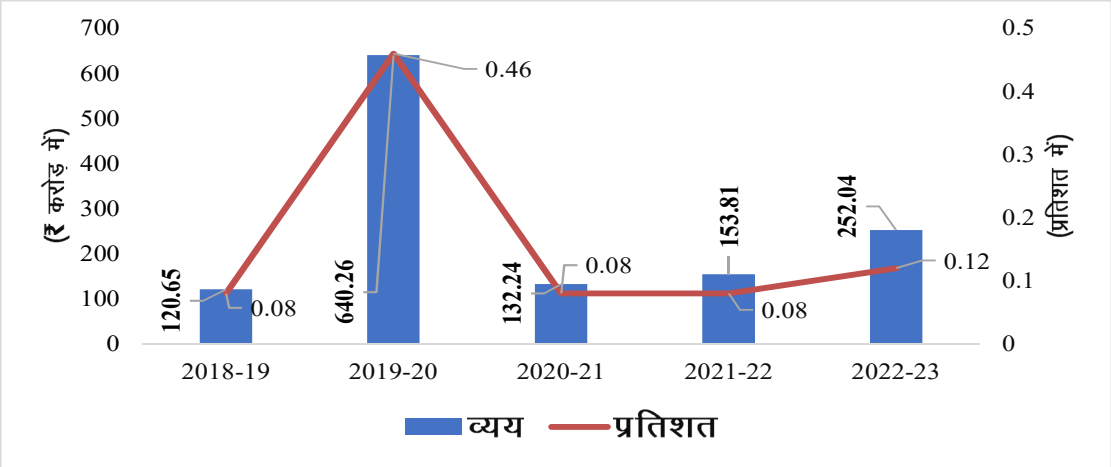

(स्रोतः वित्त लेखे, 2018–19 से 2022–23)

चार्ट 4.7: वित्त वर्ष 2018–23 के दौरान लघु शीर्ष 800–"अन्य प्राप्तियाँ" का संचालन

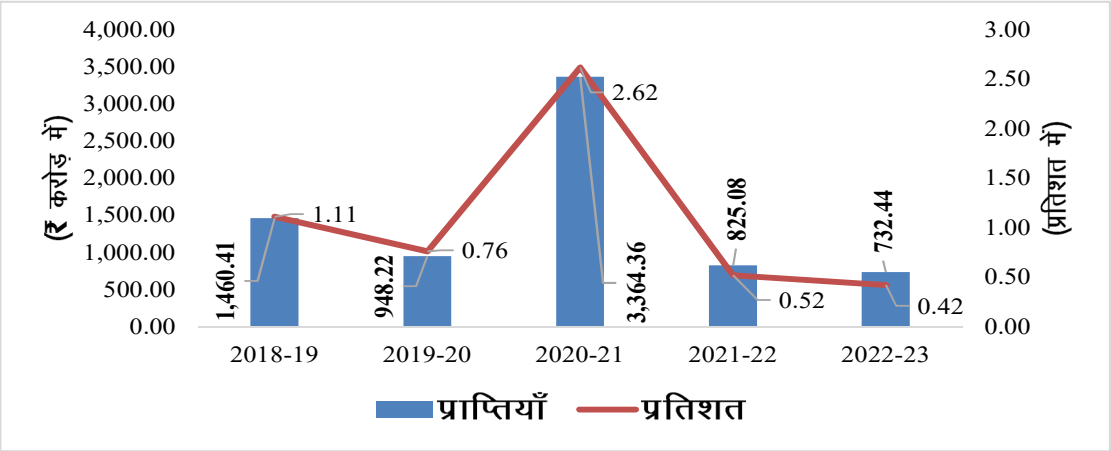

(स्रोतः वित्त लेखे, 2018–19 से 2022–23)

वर्ष 2022–23 के दौरान, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत वृहत व्यय, मुख्य शीर्ष 5475– अन्य समाजिक आर्थिक सेवांओं पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 202.78 करोड़) और 2250– अन्य सामाजिक सेवाएँ (₹ 23.84 करोड़) और वृहत प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0049– ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 363.98 करोड़) और 0070– अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 193.15 करोड़) के अंतर्गत नामित की गयी थी।

राजकोषीय बुद्धिमता के अनुसार, लघु शीर्ष '800' का उपयोग केवल उन्हीं प्राप्तियों और व्यय के लिए किया जाना है जो अनावर्ती हों और तत्काल लेखा शीर्ष, जिसके तहत इसे नामित किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध नहीं हों।

लघु शीर्ष 800–"अन्य प्राप्तियाँ" एवं "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियों तथा व्यय के काल–क्रम आँकड़े **तालिका 4.11** और **तालिका 4.12** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.11: काल–क्रम आँकड़े जहां लघु शीर्ष '800' "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ नामित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	261.57	478.10	3,063.65	531.27	363.98
2	0230	श्रम और रोजगार	12.41	7.76	7.98	10.14	6.75
3	0401	फसल कृषि कर्म	6.89	5.97	4.71	4.42	3.93
4	1053	नागरिक उड्डयन	6.50	1.58	3.13	2.24	1.42

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 4.12: काल–क्रम आँकड़े जहां महत्वपूर्ण व्यय लघु शीर्ष "800"– "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित किए गए थे

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	5.04	21.25	17.01	49.26	23.84

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आगे, वर्ष 2022–23 के दौरान, यह पाया गया कि कुछ मुख्य शीर्षों की महत्वपूर्ण राशि लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत नामित की गई थी, जो कुल व्यय/प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम थी, जैसा कि **तालिका 4.13** और **तालिका 4.14** में दर्शाया गया है :

तालिका 4.13: लघु शीर्ष ''800'' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,939.40	16.09	0.83

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23)

तालिका 4.14: लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0030	मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	6,451.06	21.09	0.33
2	0041	अन्य प्राप्तियाँ	2,935.47	10.35	0.35

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23)

लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियों का लगातार नामित करना, न केवल संव्यवहार की प्रकृति और पारदर्शिता को प्रभावित करता है, बल्कि लेखों को अपारदर्शी बना देता है।

परिमाणात्मक मामले

4.9 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

कतिपय मध्यवर्गी/समायोजन लेखा शीर्ष जो 8658– उचंत शीर्ष के नाम से जाने जाते हैं, सरकारी लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होते हैं जिसे उसकी प्रकृति की जानकारी न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में अंकित नहीं किया जा सकता है।

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल राशि **तालिका 4.15** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.15: उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2020-21		2021-22		2022-23	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
मुख्य शीर्ष 8658–उचंत						
101–पी0ए0ओ0 उचंत	313.90	0	365.08	0.00	641.14	280.41
निवल	नामे 313.90		नामे 365.08		नामे 360.73	
102– उचंत लेखा सिविल	15,598.70	1,070.92	16,195.57	1,409.66	14,109.96	277.76
निवल	नामे 14,527.78		नामे 14,785.91		नामे 13,832.20	
107–नकदी सामंजन उचंत लेखा	0	32.29	0	32.29	0	32.29
निवल	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109–रिजर्व बैंक उचंत–मुख्यालय	262.64	0	261.71	(-) 0.01	257.16	(-) 0.24
निवल	नामे 262.64		नामे 261.72		नामे 257.40	
110–रिजर्व बैंक उचंत सी0ए0ओ0	1,501.24	895.64	1,249.60	894.62	358.24	(-) 0.02
निवल	नामे 605.60		नामे 354.98		नामे 358.26	
112–स्रोत पर कर कटौती उचंत (टी0डी0एस0)	994.38	1,459.04	1,572.73	1,857.17	1,279.66	1,805.05
निवल	जमा 464.66		जमा 284.44		जमा 525.39	
123–अ0भा0से0 ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.27	6.24	0.44	6.04	0.32	5.66
निवल	जमा 5.97		जमा 5.60		जमा 5.34	
मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण						
102–पी0 डब्ल्यू0 प्रेषण	16,749.16	15,837.54	16,754.96	15,835.85	919.11	0
निवल	नामे 911.62		नामे 919.11		नामे 919.11	
103–वन प्रेषण	3,147.35	2,943.86	3,147.44	2,943.90	203.54	0
निवल	नामे 203.49		नामे 203.54		नामे 203.54	

(स्रोतः वित्त लेखे 2020–21 से 2022–23)

वेतन और लेखा कार्यालय उचंत (पी0ए0ओ0 उचंत) – यह शीर्ष महालेखाकार (ले0 एवं हक0) और भारत सरकार के विभिन्न पी0ए0ओ0 कार्यालयों के बीच लेनदेन के निपटान के लिए है। महालेखाकार की पुस्तकों में इस मद के अंतर्गत शुरू में दर्ज लेनदेन को पी0ए0ओ0 से चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने और पी0ए0ओ0 की ओर से राज्य कोषागारों में प्राप्त राशि के संबंध में चेक/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने पर मंजूरी दी जाती है। इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा किए गए भुगतान अभी तक वसूल

नहीं किए गए थे। बकाया जमा शेष का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना बाकी था। इस मद के अंतर्गत निवल नामे शेष एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसकी मंजूरी/निपटान पर राज्य सरकार की नकदी शेष राशि में वृद्धि होगी। यह लेनदेन मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दिल्ली के साथ दावों में कमी से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में इस मद में ₹ 360.73 करोड़ का नामे शेष था।

उचंत लेखा (सिविल) – इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया आँकड़ों का एक बड़ा भाग ऐसे लेन–देन जहां वर्गीकरण का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है या जहां उसके समर्थन में प्रासंगिक अभिश्रव/अनुसूचियां उपलब्ध नहीं हैं या जहां भुगतान/नकद खातों की कोषागार अनुसूची में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों और सहायक अभिश्रव, अनुसूची आदि में दिखाई देने वाले आँकड़ों के बीच कुछ विसंगति हैं। रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों इन प्राधिकरणों द्वारा दावों का निपटान निलंबित रहने के कारण होने वाले लेनदेन को भी शुरू में इस मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) ने वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 2,725.00 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 873.05 करोड़ और पूँजीगत व्यय ₹ 1,851.95 करोड़) की राशि के 11400 अभिश्रवों पर आपत्ति उठाई। स्वीकृति आदेश/पेंशन भुगतान दस्तावेज/चलंत विपत्र/सहायक–अभिश्रव आदि की अनुपलब्धता के कारण इन अभिश्रवों को उचंत लेखे में रखा गया हैं। पिछले वर्षो से संबंधित ₹ 3,713.42 करोड़ (राजस्वः ₹ 2,206.05 करोड़ और पूँजीगतः ₹ 1,507.37 करोड़) के ओ0 बी0 उचंत का समाशोधन 2022–23 के दौरान किया गया। इस प्रकार, ₹ 988.42 करोड़ के निवल व्यय (₹ 1,333.00 करोड़ के राजस्व व्यय को अधिक और ₹ 344.58 करोड़ के पूँजीगत व्यय को कम बताया गया) को अधिक प्रदर्शित किया गया। मार्च 2023 के अंत में, 8658–102– उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत प्रगामी शेष राशि ₹ 13,832.20 करोड़ थी।

इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब वैसे भुगतान से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम व्यय मद में नामे नहीं किया जा सकता था। बकाया जमा शेष का मतलब वैसी प्राप्तियों से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम रूप से प्राप्ति मद में जमा नहीं किया जा सकता था।

नकदी सामंजन उचंत लेखे – एक ही वेतन और लेखा अधिकारी को लेखा समर्पित करने वाले लोक निर्माण प्रमंडलों के बीच लेन–देनों के निपटान के लिए लघु शीर्षों का उपयोग किया जाता है एवं इनका संचालन/संधारण संकलित लेखा प्राप्त करने वाले वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष को प्रारंभ में एक कार्य प्रभाग द्वारा अस्थायी शीर्ष के रूप में संचालित किया जाता है जो शीर्ष को जमा करके किसी अन्य कार्य प्रभाग को सेवाएं प्रदान/आपूर्ति करता है। शीर्ष को तब जमा किया जाता है जब एक प्रमंडल दूसरे प्रमंडल की ओर से कुछ प्राप्तियों/राजस्व को स्वीकार करता है। बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने या चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी होने पर शीर्ष को नामे/जमा किया जाता है या चेक/बैंक ड्राफ्ट किसी अन्य प्रमंडल को/से जारी किया जाता है, जैसा भी मामला हो। 31 मार्च 2023 तक इस मद में जमा शेष ₹ 32.29 करोड़ जो काफी लंबी अवधि से पड़े थे।

रिजर्व बैंक उचंत, केंद्रीय लेखा कार्यालय – जहां दो सरकारों के बीच नकद शेषों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को एडवाइस प्रेषित किया जाता है, वहाँ इस शीर्ष का उपयोग इस प्रकार के लेन देनों को लेखांकित करने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनके मौद्रिक निपटान कर दिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित शीर्ष में राशि का अंतरण कर इस शीर्ष का समाशोधन/सामंजन किया जाता है। भारत सरकार के प्राप्त अनुदान/ऋण एवं उनके पुनर्भुगतान, आर0बी0आई0 के लोक ऋण कार्यालयों द्वारा भुगतान

की गई प्रतिभूतियों एवं उनपर देय ब्याज तथा आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा सरकारी कार्यालयों को की गई आपूर्तियों के विरूद्ध किए गए भुगतान इस उचंत शीर्ष के माध्यम से निपटाए जाने वाले मुख्य लेनदेन हैं।

2022–23 के दौरान, इस मद के अंतर्गत नामे शेष पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3.28 करोड़ बढ़ने के बाद ₹ 358.26 करोड़ था।

लोक निर्माण प्रेषण – यह शीर्ष लोक निर्माण कार्यों के संभागीय अधिकारियों द्वारा कोषागार को प्रेषित राशि को स्वीकार किया जाता है या नहीं इसकी निगरानी के लिए संचालित किया जाता है। वर्ष 2022–23 के अंत में प्रमंडल कार्यालयों और कोषागारों के बीच समाशोधन नहीं होने के कारण ₹ 919.11 करोड़ की नामे शेष थी।

वन प्रेषण – वन प्रमंडलों द्वारा वन राजस्व के संग्रहण और राजकोष में उनका प्रेषण प्रारंभ में इस शीर्ष के अंतर्गत होता है। इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष राशि का कोषागार खातों में दिखाई देने वाले जमा द्वारा निपटान किया जाता है जब प्रेषण को कोषागार अधिकारियों द्वारा स्वीकृत एवं लेखांकित किए जाते हैं। राजस्व की वास्तविक प्राप्ति और राजकोष में इसके प्रेषण के बीच समय अंतराल के कारण, इस शीर्ष के अंतर्गत प्रमंडलीय लेखे में दिखाई देने वाले जमा तब तक दिखाई देते रहेंगे जब तक कि किए गए प्रेषण का अंतिम रूप से कोषागार खातों में निपटान नहीं हो जाता है। 31 मार्च 2023 तक, इस शीर्ष में ₹ 203.54 करोड़ की नामे शेष थी।

उचंत और प्रेषण मदों का सामंजन/निपटान राज्य कोषागारों (कार्य और वन प्रभागों आदि सहित) द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे पर निर्भर करती है। यदि ये असामंजित रह जाती है, तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत राशि का संचयन हो जाएगा और यह राजकीय व्यय की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रतिविंबित नहीं कर पाएगी।

4.10 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्री अधिकारियों को महालेखाकार के लेखे में दर्ज आँकड़ों के साथ अपने मासिक/त्रैमासिक ऑकड़ों का मिलान करना आवश्यक है।

सी0एफ0एम0एस0 में ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया था। इसलिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे के संव्यवहार को राज्य सरकार के अनुदान नियंत्री अधिकारियों द्वारा किए गए संव्यवहार के लेखे के साथ समाशोधन करने के लिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय मासिक लेखे में शामिल संव्यवहार से संबंधित डेटा डंप फाइल सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल (एस0एफ0टी0पी0[4]), उपयोगिता का उपयोग करके सी0एफ0एम0एस0 मुख्य सर्वर में अपलोड करता है। यहाँ, महालेखाकार के संव्यवहार के आँकड़ों का मिलान सी0एफ0एम0एस0 के आँकड़ों से किया जाता है, और विभागवार समाशोधन प्रतिवेदन तैयार किया जाता है (सी0एफ0एम0एस0 में)। यह प्रतिवेदन सारे विभागों के एडमिन उपयोगकर्ता के साथ–साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) एडमिन उपयोगकर्ता के लिए भी उपलब्ध रहता है। सभी विभागों के एडमिन उपयोगकर्ता समाशोधन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजते हैं।

46 अनुदान नियंत्री विभागों में से केवल 20 विभागों ने समाशोधन प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उपलब्ध कराया।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभागीय संव्यवहारों के असमाशोधन की स्थिति को **चार्ट 4.8** में दर्शाया गया है।

[4] एस0एफ0टी0पी0– यह एक सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल है जो उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सुरक्षित शेल एन्क्रिप्शन का उपयोग करता हैं।

चार्ट 4.8: विगत तीन वर्षों के दौरान असमाशोधन की स्थिति

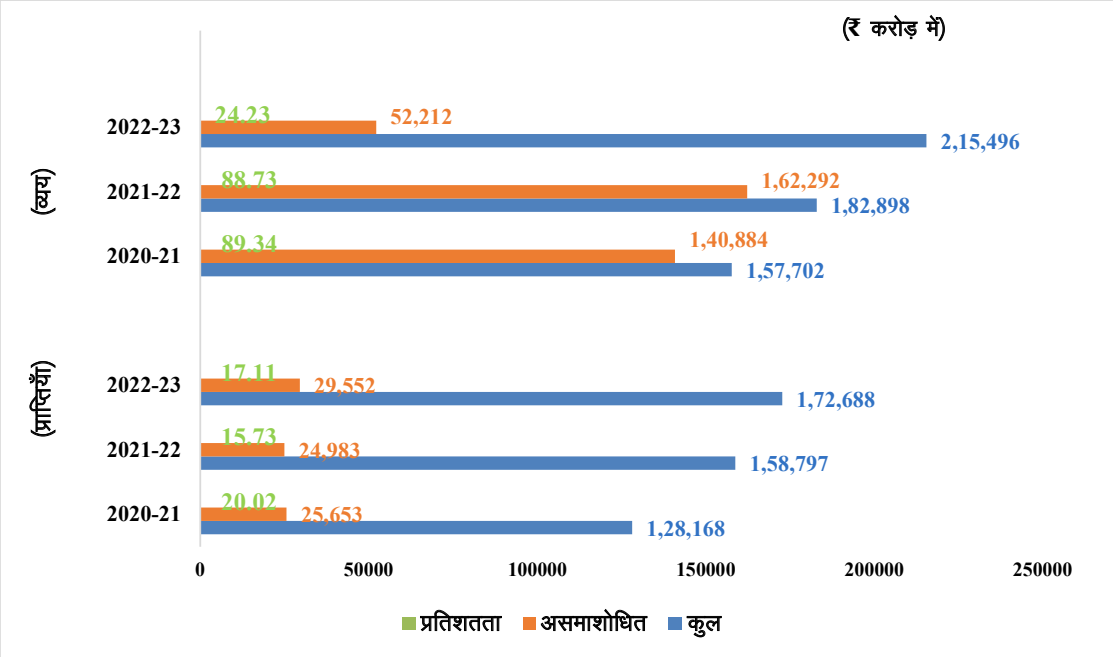

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

जैसा कि **चार्ट 4.8** मे देखा जा सकता हैं, राज्य सरकार ने कुल प्राप्तियों का 17.11 *प्रतिशत* तथा कुल व्यय का 24.23 *प्रतिशत* समाशोधित नहीं किया। लेखों का समाशोधन न करने से लेखों में दर्शायी गई प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों की पूर्णता और सत्यता के आश्वासन पर प्रभाव पड़ता है। सांहित्तिक प्रावधानों तथा कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल गलत वर्गीकरण हुआ बल्कि बजटीय प्रक्रिया का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

4.11 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

हालांकि, 31 मार्च 2023 को नकद शेष, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेख के अनुसार, ₹ 805.90 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 193.62 करोड़ (जमा) था। इस प्रकार, ₹ 612.28 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था, जिसका मुख्य कारण लेन देनों का गलत प्रतिवेदन तथा एजेंसी बैंकों द्वारा समाशोधन नहीं किया जाना था। यह अंतर समाशोधन के अधीन था।

4.12 लोक लेखा के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष तब उत्पन्न होता है जब लेन–देन को नामे करने के बजाय गलती से जमा अथवा इसके विपरीत कर दिया जाता है। वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे में सम्मिलित लोक लेखा शीर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिकूल शेष को नीचे **तालिका 4.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.16: 2022–23 के दौरान लोक लेखा के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
8011	बीमा और पेंशन निधि	(-) 99.71
8336	सिविल जमा	(-) 0.55

(स्रोतः वित्त लेखे, 2022–23)

ये ऋणात्मक शेष महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय और राज्य सरकार के बीच समाशोधन के अधीन थे।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि0म0ले0प0) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के नि0म0ले0प0 ने जवाबदेही तंत्र को सुदृढ करने एवं सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी0ए0एस0ए0बी0) की स्थापना की थी। नि0म0ले0प0 की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानकों का अनुपालन **तालिका 4.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.17: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई0जी0ए0एस0– 1: सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियाँ –प्रकटीकरण आवश्यकता	• प्रतिभूतियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना • वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण	• वित लेखे में विवरणी 9 एवं 20 तैयार किये गये थे। चूँकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विवरण वर्गवार एवं क्षेत्रवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जैसे, वर्ष के दौरान लागू प्रतिभूति, ब्याज, प्रतिभूति, कमीशन शुल्क आदि अपूर्ण रहीं।	• सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभाग और वर्ष के दौरान दी गयी प्रतिभूतियों का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	आई0जी0ए0एस0– 2: सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	• प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन	• वित्त लेखे में विवरणी 10 तैयार की गयी थी। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान की विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	• वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटा कम तथा पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
3.	आई0जी0ए0एस0– 3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	• ऋण एवं अग्रिम के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग • पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, • ऋणों एवं अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए	• वित्त लेखे में विवरणी 7 और 18 तैयार की गई थी। हालाँकि, उपरोक्त विवरणी में दर्शाए गए अंतशेष का समाशोधन ऋण इकाई/ राज्य सरकार के साथ नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने कुछ ऋण एवं अग्रिम के आँकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए। • संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" का प्रकटीकरण नहीं किया जा सका।	• राज्य सरकार द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(स्रोतः वित्त लेखे 2022–23)

लेखा मानकों का गैर–अनुपालन वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को बाधित करने के अलावा वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह की एक सच्ची और निष्पक्ष दृष्टिकोण, को प्रस्तुत करने के उद्देश्य को प्रभावित करेगा।

बिना सलाह के लेखे के नए उप–शीर्षों का खोला जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सम्मति के अनुरूप उचित रूप में रखा जाना है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह लिए बिना बजट में सात नए उप–शीर्ष (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत चार और पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत तीन) खोल दिए। राज्य सरकार ने इन शीर्षों में बजटीय प्रावधान प्रदान किए और ₹ 17.65 करोड़ (₹ 13.17 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत और ₹ 4.48 करोड़ पूँजीगत व्यय के अंतर्गत) व्यय किया, जैसा कि **तालिका 4.18** में दर्शाया गया है।

तालिका: 4.18 नए खोले गए उप–शीर्षों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	विपत्र कोड	किया गया व्यय
1.	राजस्व	2059-01-053-0032	0.48
2.		2202-02-191-0004	0.13
		2202-02-192-0004	0.10
		2202-02-193-0004	0.03
		2202-02-196-0004	1.18
3.		2202-03-112-0005	11.25
4.		2210-02-001-0101	0.00
5.	पूँजीगत	5055-00-051-0104	2.76
6.		5055-00-051-0105	1.72
7.		5055-00-051-0106	0.00
		कुल	**17.65**

(स्रोत: वित्त लेखे, 2022–23)

4.14 एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 में प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के अंदर तैयार की जानी है। ऐसे प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधायिका के समक्ष, नि0म0ले0प0 के द्वारा लेखापरीक्षा के पूरक पर की गयी टिप्पणी तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों और निगमों में निवेश किये गये लोकधन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने 17 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2023 तक (31 अगस्त 2023 के) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 51,582.85 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की। इन एस0पी0एस0ई0 ने कंपनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियम/एस0पी0एस0ई0 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 45 वर्षों तक अपने लेखें को अंतिम रूप नहीं दिया था **(परिशिष्ट 4.1)**।

लेखें के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0), कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने मे असमर्थ हैं। लेखें को समय पर अंतिम रूप देने के

अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा की जांच से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता हैं।

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नि0म0ले0प0 (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा हो, का प्रशासक, जब उसकी यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तब नि0म0ले0प0 से अनुरोध करगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो तब, नि0म0ले0प0 ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे निगम के लेखे और बहियों तक पहुंच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा हो, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया हो तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन करेगा जिसपर उसके और संबद्ध सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखे तक उसे पहुंच का अधिकार होगा (धारा 20)।

बिहार राज्य के 57 निकायों/प्राधिकरणों में से 49 निकायों/प्राधिकरणों (**परिशिष्ट 4.2**) ने कभी भी लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकृत नहीं किया था। शेष आठ निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखों का विवरण तथा प्राधिकृत किए जाने की स्थिति **तालिका 4.19** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.19: प्राधिकरणों और निगमों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	प्राधिकार प्राप्त	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2022–23 तक लंबित लेखे की सं0	अभियुक्ति
1.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	वर्ष 2012–13 से 05 वर्षों के लिए।	शून्य	शून्य	–
2.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2021–22 तक।	2020-21 से 2022-23	03	–
3.	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	–	2010-11 से 2022-23	13	–
4.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	–	2016-17 से 2022-23	07	–
5.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	–	2021-22 से 2022-23	02	वित्तीय वर्ष 2020–21 तक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया।
6.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बी0एस0एल0एस0ए0)	–	2021-22 से 2022-23	02	
7.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	2017-18 से 2021-22	2016-17, 2020-21 से 2022-23	04	हालाँकि, वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के लेखे प्राप्त हुए हैं लेकिन लेखापरीक्षा किया जाना अभी बाकी हैं।
8.	भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण		2019-20 से 2022-23	04	

(स्रोतः संबंधित इकाईयों द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

लेखों को अंतिम रूप न देने के कारण हितधारक इन निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में सक्षम नहीं थे। लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब से संबंधित विधायी प्रावधान, जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था, के उल्लंघन के अलावा वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम भी रहता हैं।

4.16 लेखे की गुणवत्ता और समयबद्धता

बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 43 कोषागारों एवं अन्य लेखा प्रतिपादक इकाइयों (ए0आर0यू0) द्वारा प्रस्तुत आरंभिक लेखों के आधार पर संकलित किया गया था। सी0एफ0एम0एस0 (अप्रैल 2019) के कार्यान्वयन के बाद बिहार सरकार ने लोक निर्माण प्रभागों और वन प्रभागों के लेखे की प्रतियाँ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजना बंद कर दिया था और संव्यवहारों को कोषागारों के माध्यम से दर्ज किया जा रहा था।

ये लेखे 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए बिहार सरकार के वित्तीय संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। मासिक लेखे प्रस्तुत करने में 01 से 42 दिनों का विलंब था।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि वर्ष के दौरान 26 लेखों को उनके संबंधित मासिक सिविल लेखों से बाहर रखा गया था, जिससे इन 26 लेखों को प्रस्तुत करने में 20 से 288 दिनों का विलंब हुआ। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी लेखा बाहर नहीं रहा। मासिक सिविल लेखे में सभी लेखों का समावेश सुनिश्चित करके लेखे की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

अन्य मुद्दे

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 31 में प्रावधान किया गया है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य प्रकार से हानि से संबंधित मामले, संबंधित कार्यालय द्वारा उच्चाधिकारी एवं वित्त विभाग के साथ–साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी तत्काल सूचित किये जाने चाहिए, चाहे इस तरह हुई हानि की क्षतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार पक्ष के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। इस तरह के मामलों को संदेह उत्पन्न होने के तुरंत बाद बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये प्रतिवेदित कर दिया जाना चाहिए। 44 विभागों में से, सात विभागों[5] ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की थी और एक विभाग और एक एस0पी0एस0ई0 द्वारा दी गई सूचना **तालिका 4.20** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.20: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई शुरू की गई लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित है	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
मत्स्य पालन निदेशालय	05	0.28	-	-	-	-	05	0.28
बिहार राज्य भंडारण निगम	01	4.04	01	4.04	-	-	-	-

(स्रोत: संबंधित विभाग/एस0पी0एस0ई0 द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

विभागों द्वारा तालिका में दर्शाए गए मामलों में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी था।

[5] पंचायती राज, गन्ना उद्योग, मंत्रीमंडल सचिवालय, विधि, अल्पसंख्यक कल्याण, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) को यह अपेक्षित होता है कि राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर टिप्पणी उपस्थापित की जाए। संबद्ध विभागों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे महालेखाकार को (उसकी पुष्टि के उपरांत लो0ले0स0 को अग्रेषण के लिए) की गई कारवाई का प्रतिवेदन (ए0टी0एन0) उपलब्ध कराएंगे।

लो0ले0स0 द्वारा राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए की गयी बैठक के विवरण **तालिका 4.21** में है। वर्ष 2008–09 से 2020–21 तक के वर्षों से संबंधित 355 कंडिकाओं में से 03 कंडिकाओं पर चर्चा की गई, और 352 कंडिकाएँ मार्च 2023 तक, चर्चा के लिए लंबित थे।

तालिका 4.21 लो0ले0स0 द्वारा आयोजित बैठकों की स्थिति

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	लो0ले0स0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या
1.	2018-19	03
2.	2019-20	01
3.	2020-21	02
4.	2021-22 एवं 2022-2023	शून्य

आगे, विधायिका के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, वित्त विभाग को सभी विभागों को निर्देश जारी करने चाहिए थे कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी कंडिकाओं पर स्वतः समीक्षा एवं कार्रवाई प्रारंभ कर दें, भले ही इन मामलों की जाँच लो0ले0स0 द्वारा प्रारंभ की गई हो अथवा नहीं। .

4.19 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, जब तक तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो, कोषागार से कोई धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति में अग्रिम के रूप में धनराशि का आहरण किया जाता है, तो इस प्रकार आहरित राशि का अव्ययित शेष, अगले विपत्र में कम आहरण द्वारा अथवा अभिश्रव द्वारा यथाशीघ्र एवं किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धनराशि का आहरण किया गया हो, की समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापस जमा करा दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2023 तक ₹ 184.52 करोड़ की राशि, जिन्हें इन निर्देशों के संदर्भ में कोषागार को वापस किया जाना था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लम्बित थी। इसके अलावा लोक कार्य प्रमंडलों द्वारा ₹ 25.46 करोड़ की राशि भी अग्रदाय के रूप में रखी गयी थी। विवरण **तालिका 4.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.22: 31 मार्च 2023 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
4	पथ निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग)	0.78	0.09	0.87
5	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
6	लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
कुल		**184.52**	**25.46**	**209.98**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

4.20 चेक एवं विपत्र

यह शीर्ष संव्यवहार के प्रारंभिक अभिलेखन के लिए एक मध्यस्थ लेखा उपकरण है, जिन्हे अंततः समायोजन/वापस कर दिया जाना है। लेखे के विभागीयकरण करने की योजना के अंतर्गत सरकार के दावों का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पी0ए0ओ0) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं अथवा मंत्रालय/विभाग से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से चेक आहरण द्वारा किया जाता है। जब दावों को उपयुक्त विपत्र फॉर्म में पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी को दिया जाता है, तो पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी द्वारा वेतन आदेश की अभिलेखण एंव निर्धारित जाँच के उपरांत चेक निर्गत कर भुगतान किया जाता है। शीर्ष "चेक एवं विपत्र" सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए भुगतान आदेशों (चेक आदि के माध्यम से) और इस तरह के भुगतान वास्तव में किए गए थे और सही ढंग से नामित किए गए थे, के बीच अंतर को दर्शाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत असमाशोधित शेष राशियों का निरंतर अस्तित्व सरकार के लेखे में दर्शाए गए नकद शेष को विकृत कर सकता है।

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखे में, मुख्य शीर्ष 8670 "चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत जमा नकद शेष दर्शाता है कि चेक निर्गत हुए लेकिन, उनका नकदीकरण नहीं हुआ। 01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष ₹ 207.48 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 1,88,540.91 करोड़ के चेक निर्गत किए गए जिसमें से ₹ 1,88,577.08 करोड़ का वर्ष के दौरान नकदीकरण किया गया, जिससे समापन शेष ₹ 171.31 करोड़ (जमा) 31 मार्च 2023 तक रहा। समापन शेष राशि मूल रूप से विभिन्न कार्यकारी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में दर्ज किए गए व्यय को दर्शाती है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक बिहार सरकार को कोई नकदी बहिर्वाह नहीं हुआ है।

"चेक एवं विपत्र" शीर्ष के अंतर्गत निरंतर शेष राशि का अस्तित्व, प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983, का उल्लंघन था, जो यह निर्धारित करता है कि निर्गत होने के छह महीने से अधिक समय तक बकाया रहने वाले और नवीनीकृत नहीं किए गए चेक एवं विपत्र, को रद्द कर राशि को खातों में वापस कर दिया जाए।

"चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत बकाया राशि, सरकार के नकद शेष को उस सीमा तक अतिकथन को दर्शाता है।

4.21 एकल नोडल लेखे (एस0एन0ए0)

नकदी प्रबंधन को अधिक प्रभावी और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (मार्च 2021) के अनुसार, राज्य सरकारें और भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, 01 जुलाई 2021 से केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत निधियों के विमुक्त और उपयोगिता की निगरानी के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं।

एकल नोडल लेखांकन का कार्यान्वयन

एकल नोडल लेखांकन के कार्यान्वयन के लिए:

- प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक सी0एस0एस0 के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करनी है। प्रत्येक एजेंसी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी0एफ0एम0एस0) में पंजीकृत हो तथा प्रत्येक एजेंसी का बैंक खाता एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला गया हो और पी0एफ0एम0एस0 में अधिसूचित किया गया हो।

- एस0एन0ए0 के अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में उपलब्ध निधियों को केन्द्र और राज्य के अंश के स्पष्ट विभाजन के साथ एस0एन0ए0 के बैंक खाते में अंतरित किया जाना हैं। केवल शून्य शेष वाले बैंक खाते खोले जाने हैं।
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई0ए0) को शून्य शेष वाले खाते के साथ पी0एफ0एम0एस0 में खुद को पंजीकृत करना हैं। परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, प्रत्येक योजना के लिए शून्य–शेष सहायक खाते सभी आई0ए0 के लिए चयनित बैंक की एक ही शाखा में या विभिन्न शाखाओं में खोले जाने हैं। इन सहायक खातों में समय–समय पर संबंधित एस0एन0ए0 द्वारा तय की जाने वाली आहरण सीमाएं आवंटित की जानी हैं और आहरण तुरंत किया जाना है।
- एस0एन0ए0 यह सुनिश्चित करें कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को अनिवार्य रूप से संबंधित समेकित निधि में आनुपातिक आधार पर भेजा गया है।
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, मंत्रालय/विभाग द्वारा सी0एस0एस0 के लिए किसी राज्य को निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत से अधिक राशि जारी नहीं किया जाना हैं। अतिरिक्त केंद्रांश (एक बार में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) एकल नोडल खाते में निर्धारित राज्य के अंश के हस्तांतरण और पहले जारी की गई निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत के उपयोग पर विमुक्त किया जाना हैं। हालांकि, यह प्रावधान उन योजनाओं के मामले में लागू नहीं है, जहां मंत्रिमंडल द्वारा अलग मात्रा विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य सरकार केंद्रांश को प्राप्त होने के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस0एन0ए0 के खाते में स्थानांतरित किया जाना हैं। केंद्रांश को पी0डी0 खातों या किसी अन्य खातों में स्थानांतरित नहीं किया जाना हैं। इसके अलावा, राज्यांश, केंद्रांश विमुक्त होने के 40 दिनों के बाद नहीं विमुक्त किया जाना हैं।
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने खातों में पड़ी अव्ययित राशि को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एस0एन0ए0 को वापस करना हैं। एस0एन0ए0 द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के खाते में पड़ी अव्ययित शेष राशि और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वापस की गई राशि से संबंधित अभिलेख का संधारण किया जाना हैं।
- इसके अलावा, नई प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अव्ययित पूरी राशि संबंधित एस0एन0ए0 के एकल नोडल खाते में वापस कर दी गई है।
- मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी सी0एस0एस0 के अंतर्गत आवंटन सख्ती से जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया हो।
- कर/वैधानिक कटौती के लिए एजेंसियों द्वारा एक अलग बैंक खाता (जिसे "होल्डिंग खाता" कहा जाता है) खोला जाना है। इस होल्डिंग खाते को पी0एफ0एम0एस0 के बाहर चेक अथवा इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति है, चालान के माध्यम से वैधानिक भुगतान प्रभावित हो, इसके लिए विस्तृत जानकारी दर्ज किया जाना हैं।
- होल्डिंग खाता का उद्देश्य राज्य सरकार, नगरपालिकाओं आदि के कर/शुल्क/लेवी/फीस/नगरपालिका शुल्क के रखने आदि से हैं जिसे एजेंसियों द्वारा संसाधित करना हैं। इस खाते में अधिकतम 14 दिन तक राशि रखी जा सकती है, जिसके बाद एजेंसी के खाते में राशि वापस की जानी हैं।

- समय–समय पर ऐसे खातों को दी गई आहरण सीमा के अनुसार, शून्य शेष वाले सहायक खातों से भुगतान किया जाना हैं। प्रत्येक सहायक खातों के संव्यवहार का निपटान एस0एन0ए0 के साथ उस दिन किये गए भुगतान के आधार पर, कोर बैकिंग समाधान (सी0बी0एस0) के माध्यम से किया जाना हैं।
- एस0एन0ए0 को प्राप्त सभी धन राशि को केवल एकल नोडल खाते मे रखना है, न कि फिक्सड डिपोजिट/फ्लेक्सी–खाता/मल्टी–ऑप्शन डिपोजिट खाता/कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट (सी0एल0टी0डी0) आदि में विचलन करना है।

पी0एफ0एम0एस0 के आंकड़ो के अनुसार (पी0एफ0एम0एस0 डैशबोर्ड पर), 27.04.2023 तक, एस0एन0ए0 के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के साथ और बिहार में एस0एन0ए0 के कार्यान्वन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः–

(क) 113 एस0एन0ए0 एजेंसियों के अंतर्गत 4999 सहवर्ती एजेंसियाँ पंजीकृत थीं जिसके अंतर्गत 159262 शून्य शेष वाले बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे। अतः कुल 164374 एजेंसियाँ पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकृत थीं।

(ख) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एस0एन0ए0 के तहत सी0एस0एस0 के लिए ₹ 35,420.09 करोड़ (भारत सरकार–₹ 24,398.36 करोड़, बिहार सरकार– ₹ 11,021.73 करोड़) जारी किये गये थे, जिसमें से केवल ₹ 34,462.41 करोड़ व्यय लेखांकित किये गये थे। कोषागार के माध्यम से एस0एन0ए0 को जारी किये गये ₹ 34,337.99 करोड़ के विरूद्ध, अग्रिम के रूप में ₹ 3,641.63 करोड़ तथा ₹ 6,673.73 करोड़ अभी भी व्यय किये जाने बाकी थे। बिहार सरकार ने ₹ 2,258.37 करोड़ का समानुपातिक राज्यांश एस0एन0ए0 को जारी नहीं किया था।

(ग) वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल ब्याज ₹ 330.63 करोड़ (₹ 15,681.83 करोड़ की शेष राशि पर अर्जित) में से समानुपातिक ब्याज की राशि को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच विभाजित एवं हस्तांतरित किया जाना बाकी था।

(घ) वित्त लेखा 2022–23 के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 22,481.46 करोड़ प्राप्त किये। 31 मार्च 2023 तक सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त केद्रांश ₹ 22,231.91 करोड़ और राज्यांश ₹ 14,190.40 करोड़ एस0एन0ए0 को हस्तांतरित किए। हालांकि, पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, भारत सरकार ने एस0एन0ए0 के तहत सी0एस0एस0 के लिए ₹ 24,398.36 करोड़ जारी किये थे। ₹ 36,422.31 करोड़ की कुल हस्तांतरित राशि में से ₹ 745.69 करोड़ ए0सी0 बिल के माध्यम से, ₹ 52.99 करोड़ छात्रवृति और वजीफा के बिल, ₹ 5,996.11 करोड़ पूर्ण हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल और ₹ 29,627.52 करोड़ सहायता अनुदान बिल के माध्यम से हस्तांतरित किए गए जो भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध था।

(ङ) राज्य सरकार ने कोषागारों से एस0एन0ए0 को केन्द्रांश एवं राज्यांश को हस्तांतरित करने में 181 दिन तक का समय लिया।

(च) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के तहत एस0एन0ए0 के रूप में चालू खाता खोला गया था।

(छ) वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के लिए, ₹ 19.17 करोड़ का संचयी ब्याज जल जीवन मिशन (एस0एन0ए0) में पड़ा था। यह राशि केन्द्र और राज्य सरकार मे समानुपातिक विभाजित होने के बाद उनके संबंधित समेकित निधि मे जमा की जानी थी।

(ज) भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एस0एन0ए0) ने ₹ 140.07 करोड़ सावधि जमा के रूप में विचलन किया था।

4.22 निष्कर्ष

- 41755 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0), जिनकी राशि ₹ 87,947.88 करोड़ है और 27392 विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) बिल, जिनकी राशि ₹ 7,489.05 करोड़ है, लंबित थे। यह प्रशासनिक विभागों में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता हैं।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 के दौरान, ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज भुगतान करने की ₹ 74.02 करोड़ की देनदारी का निर्वहन नहीं किया था।
- राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, व्यय (24.23 प्रतिशत) और प्राप्तियाँ (17.11 प्रतिशत) का पूर्ण समाशोधन नहीं किया था।
- राज्य सरकार ने 17 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2023 तक (31 अगस्त 2023 तक) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 51,582.85 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की।
- वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य सरकार के नकद शेष मे असमाशोधित अंतर ₹ 612.28 करोड़ (नामे) था।
- राज्य सरकार ने संबंधित वित्तीय वर्ष के अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ₹ 686.77 करोड़ के गैर–बजट उधारी को प्रदर्शित नहीं किया था।

4.23 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को चाहिए कि:

- लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्शाए जाने वाली सभी व्यय एवं प्राप्ति संबंधी मदों की व्यापक समीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्राप्ति और व्यय, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किये जाए।
- सुनिश्चित करें कि; (क) सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि से परे लंबित एसी बिलों को समायोजित करें, (ख) ए0सी0 बिलों पर निधि की निकासी नियमों/संहिता प्रावधानों के अनुरूप है और (ग) ए0सी0 बिल केवल बजट के व्यपगत हो जाने से बचने के लिए तो नहीं निकाले गए हैं ।

अध्याय–V
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
(एस0पी0एस0ई0)

अध्याय V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)

यह अध्याय सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) के, वर्ष 2022–23 के लिए (अथवा उसके पूर्व के वर्षों का जिनका चालू वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किया गया है), वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, निर्गत की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कम्पनियों की परिभाषा

सरकारी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 2(45) में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास है एवं इसमें ऐसी कम्पनी भी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013, के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है।

5.3 एस0पी0एस0ई0 एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं वैद्यानिक निगम शामिल हैं। एस0पी0एस0ई0 की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने के लिए की गई है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 31 मार्च 2023, तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, बिहार में 76 एस0पी0एस0ई0 थी, जिनमें तीन[2] सांविधिक निगम, 69 सरकारी कम्पनियाँ (39[3] अकार्यशील सरकारी कम्पनियों

---

[1] कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवाँ आदेश, 2014 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा निर्गत किया गया।

[2] बिहार राज्य भंडारण निगम, बिहार राज्य परिवहन निगम तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[3] 31 मार्च 2022 तक 40 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 थे। वर्ष 2022–23 के दौरान, एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात् स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कंपनी खगौल लिमिटेड का नाम सूची से काट दिया गया है।

सहित[4]) एवं चार[5] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ शामिल थीं। इन एस0पी0एस0ई0 के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में दिये गये हैं। कोई भी एस0पी0एस0ई0 शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है।

राज्य में 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 (परिसमापन के अधीन पाँच सहित) हैं। इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी निवेश ₹ 196.71 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 156.15 करोड़ और अन्य: ₹ 40.56 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋणों ₹ 590.21 करोड़ (राज्य सरकार : ₹ 540.56 करोड़ और अन्य : ₹ 49.65 करोड़) सहित ₹ 786.92 करोड़[6] का निवेश है। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देता है।

चूँकि 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 पाँच वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रही थी, बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका वास्तविक योगदान और उनका वित्तीय प्रदर्शन निर्धारित नहीं किया जा सका तथा, इसलिए, राजकोष में इनके योगदान को भी राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवेदित नहीं किया गया। अतः, केवल 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण इस अध्याय में शामिल किया गया है एवं अनुवर्त्ती कंडिकाओं में इस पर चर्चा की गई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) से एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस0पी0एस0ई0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर का विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर एवं जी0एस0डी0पी0 **तालिका 5.1** में दिया गया है ।

तालिका 5.1 : 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर एवं बिहार के जी0एस0डी0पी0 का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	18,056.98	22,226.47	21,948.47
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	341.41	341.41	341.41
अन्य एस0पी0एस0ई0	1,813.36	1,826.69	1,826.69
कुल	**20,211.75**	**24,394.57**	**24,116.57**
बिहार की जी0एस0डी0पी0	5,67,263	6,50,302	7,51,396
बिहार की जी0एस0डी0पी का टर्नओवर			
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	3.18	3.42	2.92
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	0.06	0.05	0.05
अन्य एस0पी0एस0ई0	0.32	0.28	0.24
कुल	**3.56**	**3.75**	**3.21**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के टर्नओवर आँकड़ों तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय संगठन, बिहार सरकार के जी0एस0डी0पी0 आँकड़ों के आधार पर संकलित)

बिहार की जी0एस0डी0पी0 में, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 का योगदान, वर्ष 2020–21 के 3.56 प्रतिशत से घटकर, वर्ष 2022–23 में 3.21 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022–23 में जी0एस0डी0पी0 में ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का योगदान 2.92 प्रतिशत था, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का योगदान 0.05 प्रतिशत था।

हालाँकि जी0एस0डी0पी0 में 'अन्य' क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का योगदान न्यूनतम (0.24 प्रतिशत से 0.32 प्रतिशत तक) था, जिसमें जिला कार्यालयों में कार्मिकों सहित 4,356 कर्मचारी (स्थायी/

[4] अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

[5] भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[6] अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर।

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर) थे। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार ने ऐसे एस0पी0एस0ई0 में ₹ 1,889.51 करोड़ (अंश पूँजीः ₹ 846.65 करोड़ तथा दीर्घकालिक ऋणः ₹ 1,042.86 करोड़) का निवेश किया था। इसके अतिरिक्त, 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, बिहार सरकार द्वारा, इन एस0पी0एस0ई0 में से सात को ₹ 559.81 करोड़ रुपये का अनुदान एवं सब्सिडी प्रदान की गयी थी।

5.4 एस0पी0एस0ई0 में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी धारिता एवं ऋण

31 मार्च 2023 तक, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में, प्रक्षेत्रवार कुल अंश पूँजी, राज्य सरकार की अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण (राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित), को **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2 : एस0पी0एस0ई0 में प्रक्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवेश[7]					कुल अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत (प्रक्षेत्रवार)
	कुल अंश पूँजी	राज्य सरकार की अंश पूँजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण	
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	41,231.18	40,866.33	13,835.06	1,363.76	55,066.24	91.92
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	15.86	11.21	2,557.08	2,393.06	2,572.94	4.30
अन्य एस0पी0एस0ई0	1,173.88	846.65	1,092.23	1,042.86	2,266.11	3.78
कुल	**42,420.92**	**41,724.19**	**17,484.37**	**4,799.68**	**59,905.29**	**100.00**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखे)

यह निवेश मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 में किए गए थे, जिनमें 31 मार्च 2023 तक कुल ₹ 59,905.29 करोड़ निवेश में से 91.92 प्रतिशत (₹ 55,066.24 करोड़) प्राप्त हुआ था। कुल 59,905.29 करोड़ के निवेश में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 77.66 प्रतिशत (₹ 46,523.87 करोड़) थी। राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण इस प्रतिवेदन के **कंडिका 2.5.1 और 4.14** में दी गई है।

5.4.2 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2022–23 के दौरान कार्यशील अथवा अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के, विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया।

5.5 एस0पी0एस0ई0 से प्रतिफल

5.5.1 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित लाभ

लाभ अर्जित करने वाली एस0पी0एस0ई0[8] की संख्या, 2020–21 में 18 की तुलना में, 2022–23 में 16 थी। अर्जित लाभ 2020–21 के ₹ 463.26 करोड़ से घटकर 2022–23 में ₹ 317.65 करोड़ हो गया था।

[7] निवेश में अंश पूँजी तथा दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

[8] 31 जुलाई 2023 तक प्राप्त लेखे।

अधिकतम लाभ का योगदान करने वाली शीर्ष तीन एस0पी0एस0ई0 को **तालिका 5.3** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.3 : शीर्ष तीन एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने अधिकतम लाभ दिया

एस0पी0एस0ई0 का नाम	लाभ (₹ करोड़ में)	एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	89.53	28.19
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	62.68	19.73
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	31.53	9.93
कुल	**183.74**	**57.84**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

इन तीन एस0पी0एस0ई0 ने अकेले वर्ष 2022–23 के दौरान 16 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 317.65 करोड़) में 57.84 प्रतिशत का योगदान दिया था।

एस0पी0एस0ई0 का शुद्ध लाभ अनुपात[9] **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4 : एस0पी0एस0ई0 का शुद्ध लाभ अनुपात

प्रक्षेत्र	शुद्ध लाभ	टर्नओवर	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)2,243.96	21,948.47	-
कृषि और संबंद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	341.41	-
अन्य एस0पी0एस0ई0	43.42	1,826.69	2.38
कुल	**(-)2,530.09**	**24,116.57**	**-**

5.5.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश भुगतान

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी (दिसम्बर, 2009) कि सरकारी अंशपूँजी पर सभी उद्यमों द्वारा न्यूनतम पाँच प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 के लिए कोई तदनुरूपी लाभांश नीति तैयार नहीं की गई थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा न्यूनतम पाँच प्रतिशत प्रतिलाभ का भुगतान किया जाएगा। एस0पी0एस0ई0 द्वारा भुगतान किया गया लाभांश **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5 : एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	लाभांश घोषित करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या	प्रदत्त पूँजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	2	3	4	5	6
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	-	-	-	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	6.42	11.54	2.10
	अन्य एस0पी0एस0ई0	3	43.50	65.39	319.05
कुल		**4**	**49.92**	**76.93**	**321.15**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

[9] शुद्ध लाभ/टर्नओवर × 100

वर्ष 2022–23 के दौरान, अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 16 एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने लाभ अर्जन किया, उनमें से चार[10] एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश घोषित किया, दो[11] एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश घोषित करने हेतु पर्याप्त लाभ का अर्जन नहीं किया तथा शेष 10 एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने कुल ₹ 240.68 करोड़ लाभ का अर्जन किया, लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

5.6 ऋण भुगतान

5.6.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात (आई0सी0आर0)

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, ऋण पर ब्याज चुकाने की कम्पनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए, पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। एस0पी0एस0ई0, जिन पर ब्याज का बोझ था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6 : एस0पी0एस0ई0 की ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	ब्याज	ब्याज एवं करों से पूर्व आय	एस0पी0एस0ई0 की संख्या *	आई0सी0आर0>1 वाली कम्पनियाँ	आई0सी0आर0<1 वाली कम्पनियाँ
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	494.46	(-)1,131.92	6	3	3
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	396.90	78.26	3	-	3
	अन्य एस0पी0एस0ई0	19.49	7.69	5	-	5
	कुल	**910.85**	**(-)1,045.97**	**14**	**3**	**11**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	816.88	(-)917.96	6	3	3
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	396.90	78.26	3	-	3
	अन्य एस0पी0एस0ई0	19.49	2.37	5	-	5
	कुल	**1,233.27**	**(-)837.33**	**14**	**3**	**11**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	799.53	(-)1,218.57	6	2	4
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	396.90	78.26	3	-	3
	अन्य एस0पी0एस0ई0	19.49	(-)2.37	5	-	5
	कुल	**1,215.92**	**(-)1,137.94**	**14**	**2**	**12**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

** सरकार, एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले एस0पी0एस0ई0*

यह पाया गया कि, 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, उर्जा क्षेत्र से संबंधित छह एस0पी0एस0ई0 में से, जिनके पास दीर्घकालिक ऋण थे, एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या तीन से चार के मध्य थी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित सभी तीन एस0पी0एस0ई0, जिनके पास दीर्घकालिक ऋण थे, का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इसमें दो[12] एस0पी0एस0ई0 शामिल हैं जिन्होंने 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान किसी

[10] बिहार राज्य भंडारण निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

[11] पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[12] बिहार राज्य भंडारण निगम और बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड।

ब्याज का भुगतान नहीं किया था। अग्रेतर, 'अन्य' क्षेत्र से संबंधित पाँच एस0पी0एस0ई0 में से, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि शेष चार एस0पी0एस0ई0 का 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। अतः, ये एस0पी0एस0ई0 ब्याज पर अपने व्ययों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी।

5.7 एस0पी0एस0ई0 का वित्तीय निष्पादन

5.7.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) एक अनुपात है, जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर0ओ0सी0ई0 की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई0बी0आई0टी0) को नियोजित पूँजी[13] द्वारा विभाजित कर की जाती है। वर्ष 2020–21 से 2022–23 अवधि के दौरान, 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के आर0ओ0सी0ई0 का विवरण, **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7 : नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	ई0बी0आई0टी0	नियोजित पूँजी	आर0ओ0सी0ई0 (प्रतिशत में)
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,134.71	33,331.40	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	239.20	(-)102.72	-
	कुल	**(-)817.25**	**35,342.41**	**-**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)920.75	33,101.58	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	251.71	1,043.49	24.12
	कुल	**(-)590.78**	**36,258.80**	**-**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,221.36	33,005.91	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	78.26	2,113.73	3.70
	अन्य एस0पी0एस0ई0	251.71	1,043.49	24.12
	कुल	**(-)891.39**	**36,163.13**	**-**

(स्रोत : कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन वित्तीय विवरण)

यह पाया गया कि 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का आर0ओ0सी0ई0 नकारात्मक रहा, जिसका मुख्य कारण दो एस0पी0एस0ई0 अर्थात् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा हानि वहन करना था। हालाँकि, 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, 'अन्य' क्षेत्र से संबंधित एस0पी0एस0ई0 के ई0बी0आई0टी0 में न्यूनतम वृद्धि हुई थी, वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के दौरान नकारात्मक आर0ओ0सी0ई0 सकारात्मक हो गयी तथा यह बढ़कर 24.12 प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नियोजित पूँजी की राशि में हुई वृद्धि है (2020–21 में, ₹ 429.59 करोड़, से 2021–22 में, ₹ 1,534.68 करोड़)।

5.7.2 एस0पी0एस0ई0 के अंश पूँजी पर प्रतिफल

अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि लाभ सृजित करने के लिए किसी कम्पनी की सम्पत्ति का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आर0ओ0ई0 की गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को अंशधारकों

[13] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

की अंश पूँजी से विभाजित कर की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए तभी की जा सकती है, जब शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्याएँ हों।

लाभ अर्जित करने वाली 16 एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल[14] (आर0ओ0ई0) वर्ष 2022–23 में 2.89 प्रतिशत था। सभी 36[15] कार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनमें हानि वहन करने वाली 15 एस0पी0एस0ई0 एवं शून्य लाभ/हानि वाली पाँच[16] एस0पी0एस0ई0 शामिल थी, का आर0ओ0ई0 2022–23 में नकारात्मक था।

अंशधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय को जोड़कर तथा शुद्ध संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय को कम कर की जाती है। इससे पता चलता है कि यदि किसी कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ बेच दी जाए और एवं ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो उसके अंशधारकों के लिए कितनी सम्पत्ति बचेगी। एक धनात्मक शेयरधारक निधि से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति है, जबकि ऋणात्मक शेयरधारक अंश पूँजी से अभिप्राय है कि देनदारियाँ सम्पत्ति से अधिक हैं।

37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 से संबंधित, अंशधारक निधि एवं आर0ओ0ई0 का विवरण, **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8: एस0पी0एस0ई0 से संबंधित अंश पूँजी पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	विवरण	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	अंशधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आर0ओ0ई0 (प्रतिशतता)
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)1,723.93	20,213.52	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	33.70	(-)387.50	-
	कुल	**(-)2,019.78**	**19,382.67**	**-**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)2,011.81	19,235.82	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	43.42	(-)48.74	-
	कुल	**(-)2,297.94**	**18,743.73**	**-**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)2,243.96	19,170.85	-
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	(-)329.55	(-)443.35	-
	अन्य एस0पी0एस0ई0	43.42	(-)48.74	-
	कुल	**(-)2,530.09**	**18,678.76**	**-**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे)

वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान, सभी क्षेत्रों की आर0ओ0ई0 की गणना नहीं की जा सकी, क्योंकि बड़ी संख्या में एस0पी0एस0ई0 की शुद्ध आय ऋणात्मक रही थी, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र की दो[17] एस0पी0एस0ई0, कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एक[18] एस0पी0एस0ई0 तथा 'अन्य' क्षेत्र की एक[19] एस0पी0एस0ई0 द्वारा भारी हानि वहन किया जाना था।

---

[14] अंश पूँजी पर प्रतिफल= (कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/अंशधारकों की पूँजी) ×100
(जहाँ अंशधारकों की पूँजी= प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय)।

[15] एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात् बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर, जो बिना लाभ/हानि के आधार पर कार्य करता है।

[16] बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

[17] साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

[18] बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

[19] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम।

5.7.3 निवेश के वर्त्तमान मूल्य (पी0वी0) के आधार पर प्रतिफल की दर

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्त्तमान मूल्य पर लाने के लिए, एस0पी0एस0ई0 में, राज्य सरकार द्वारा निवेशित पूर्व के निवेशों/वर्ष–वार निधियों को, सरकार द्वारा लिए गए उधारों पर ब्याज की वर्ष–वार औसत दर, पर संयोजित किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकारी निधि की न्यूनतम लागत माना जाता है। अतः राज्य सरकार के निवेश पर वर्त्तमान मूल्य की गणना, राज्य सरकार द्वारा इन कम्पनियों की स्थापना के पश्चात् से 31 मार्च 2023 तक, परिचालन और प्रबंधन व्ययों के लिए अंश पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी, यदि कोई हो, के रूप में निवेशित निधियों से विनिवेश घटा कर की गई है।

एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निवेश की वर्त्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा संचारित निवेश माना गया है, क्योंकि एस0पी0एस0ई0 द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की कोई भी राशि नहीं चुकाई गई है। अग्रेतर, वैसे मामले जहाँ एस0पी0एस0ई0 को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था, अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है तथा उस वर्ष की अंश पूँजी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को, संयोजित दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गए धन पर सरकार द्वारा वहन किए गए लागत को दर्शाता है और इसलिए, इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।

वर्ष 2011–12 से 2022–23 की अवधि के लिए, ऐतिहासिक लागत के आधार पर, 35[20] कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार के निवेश की एस0पी0एस0ई0–वार स्थिति, ***परिशिष्ट 5.3*** में दी गई है। 35 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्त्तमान मूल्य की समेकित स्थिति एवं उसी अवधि के लिए कुल अर्जित आय **तालिका 5.9** में दर्शाई गई है।

[20] इसमें चार सहायक एस0पी0एस0ई0, यथा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0जी0सी0एल0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0 (एच0)सी0एल0) की एक संयुक्त उद्यम एस0पी0एस0ई0 अर्थात, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0), जो अपनी होल्डिंग कम्पनी के माध्यम से बिहार सरकार से अंश पूँजी प्राप्त करती है, शामिल हैं। इसमें दो एस0पी0एस0ई0 अर्थात्, पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, तथा लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल नहीं किया गया है, जो बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की सहायक एस0पी0एस0ई0 है।

तालिका 5.9 : वर्ष 2011–12 से 2022–23 की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्ष–वार विवरण एवं सरकारी निवेश का वर्त्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्त्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान निवेश की गयी अंश पूँजी	वर्ष के दौरान दिये गये ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन और प्रबंधन व्ययों के लिए दी गई अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्त्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जित आय
i	ii	iii	iv	v	vi= (iii+iv+v)	vii = (ii + vi)	viii	ix= {vii × (1+viii/100)}	x= ix-vii	xi
2011-12 तक	343.09[21]	0.00	0.00	0.00	0.00	343.09	6.35	364.88	21.79	0.00
2012-13	364.88	8,929.90[22]	0.00	0.00	8,929.90	9,294.78	5.79	9,832.94	538.17	(-)104.75
2013-14	9,832.94	0.10	0.00	0.00	0.10	9,273.09	6.68	9,892.53	619.44	37.18
2014-15	9,892.53	1,475.00	77.00	0.00	1,552.00	10,825.09	6.59	11,538.46	713.37	(-)32.88
2015-16	11,538.46	5,469.59	0.00	0.00	5,469.59	16,294.68	6.58	17,366.87	1,072.19	(-)599.47
2016-17	17,366.87	5,272.38	87.04	0.00	5,359.42	21,654.10	6.42	23,044.29	1,390.19	(-)1642.58
2017-18	23,044.29	9,015.57	0.00	2.50	9,018.07	30,672.17	6.13	32,552.37	1,880.20	(-)7636.25
2018-19	32,552.37	5,119.65	13.96	5.00	5,138.61	35,810.78	6.18	38,023.89	2,213.11	(-)2324.37
2019-20	38,023.89	3,139.25	0.00	7.65	3,146.90	38,957.68	5.68	41,170.48	2,212.80	(-)2500.51
2020-21	41,170.48	1,278.91	0.00	8.33	1,287.24	40,244.92	5.94	42,635.47	2,390.55	(-)2,019.78
2021-22	42,635.47	1,696.83	808.08	7.00	2,511.91	42,756.83	5.70	45,193.97	2,437.14	(-)2,297.94
2022-23	45,193.97	11.60	0.00	0.00	11.60	42,768.43	5.51	45,124.97	2,356.54	(-)2,530.09
कुल		**41,408.78**	**986.08**	**30.48**	**42,425.34**					

वर्ष के अंत में, एस0पी0एस0ई0 में, राज्य सरकार द्वारा निवेशित धनराशि का शेष, 2011–12 के अंत में ₹ 9,294.78 करोड़ से बढ़कर, 2022–23 में ₹ 42,768.43 करोड़ हो गया था। राज्य सरकार ने, 2012–13 से 2022–23 की अवधि के दौरान, इन एस0पी0एस0ई0 में, परिचालन एवं प्रबंधन व्ययों के लिए, अंश पूँजी (₹ 41,408.78 करोड़), ब्याज मुक्त ऋण (₹ 986.08 करोड़) तथा अनुदान/सब्सिडी (₹ 30.48 करोड़) के रूप में, इन एस0पी0एस0ई0 में, निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार की निवेशित निधियों का वर्तमान मूल्य, ₹ 45,124.97 करोड़ था। 2013–14 को छोड़कर, 2012–13 से 2022–23 तक सभी वर्षों के दौरान, कुल अर्जित आय इन एस0पी0एस0ई0 में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम रही।

5.8 हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0

5.8.1 हानि वहन

वर्ष 2022–23 के दौरान, अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर, 15 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 थी जिन्होंने हानि वहन की थी। अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर,

[21] इन आँकड़ों में 2011–12 तक बिहार सरकार द्वारा 35 एस0पी0एस0ई0 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर ₹ 315.41 करोड़ की अंश पूँजी और ₹ 27.68 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश शामिल हैं।

[22] यह बी0एस0पी0(एच0)सी0एल0 की अंश पूँजी का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के बाद संपत्तियों एवं दायित्वों के स्थानांतरण से निर्मित हुई है, जिसे तत्पश्चात् इसकी चार सहायक एस0पी0एस0ई0 अर्थात बी0एस0पी0जी0सी0एल0, बी0एस0पी0टी0सी0एल0, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 को आवंटित कर दिया गया था।

इन एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई हानि, 2020–21 के ₹ 2,483.04 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 2,847.74 करोड़ हो गयी, जैसा कि **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.10 : 2020–21 से 2022–23 के दौरान हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[23]
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	4	(-)1,970.15	21,079.22	8,747.55
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	(-)348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	8	(-)164.06	2,791.03	(-)2,426.32
	कुल	**13**	**(-)2,483.04**	**24,332.12**	**5,864.75**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	4	(-)2,245.31	23,739.00	7,284.02
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	(-)348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	9	(-)165.42	2,791.03	(-)1,699.73
	कुल	**14**	**(-)2,759.56**	**26,991.90**	**5,127.81**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	5	(-)2,333.49	23,739.00	8,243.21
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0	1	(-)348.83	461.87	(-)456.48
	अन्य एस0पी0एस0ई0	9	(-)165.42	2,791.03	(-)1,699.73
	कुल	**15**	**(-)2,847.74**	**26,991.90**	**6,087.00**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के आधार पर)

2022–23 में, 15 एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन किए गए कुल ₹ 2,847.74 करोड़ की हानि में से, ₹ 2,798.28 करोड़ की हानि केवल पाँच एस0पी0एस0ई0[24] द्वारा वहन की गई थी।

ऊर्जा क्षेत्र में दो एस0पी0एस0ई0 अर्थात् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने मुख्यतः ऊर्जा क्रय लागत एवं अन्य परिचालन लागतों में वृद्धि के कारण हानि वहन की, जबकि उनका राजस्व उस अनुपात में नहीं बढ़ा था। बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड ने केवल चालू वित्तीय वर्ष में हानि वहन की थी। कम्पनी ने पिछले वर्षों के संबंधित टैरिफ दरों के समायोजन के कारण हानि वहन की। बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुख्यतः ₹ 26.11 करोड़ के वित्त शुल्क प्रभारित किए जाने के कारण हानि वहन की थी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, लिए गए ऋण में वृद्धि के कारण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 348.83 करोड़ की हानि वहन की, जिसके परिणामस्वरूप वित्त लागत में ₹ 351.21 करोड़ की वृद्धि हुई। अन्य क्षेत्र में, मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 144.20 करोड़ के ऋणों की राशि पर ब्याज का प्रावधान किए जाने के कारण, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 144.20 करोड़) द्वारा अधिकतम हानि वहन की गई थी।

हानि वहन करने वाले इन 15 एस0पी0एस0ई0 में, इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कुल निवेश ₹ 46,325.17 करोड़[25] था। इन 15 एस0पी0एस0ई0 में से, ₹ 41,908.65 करोड़ का

[23] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से सृजित किए गए सभी संचय किंतु इसमें संपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

[24] साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (ऊर्जा क्षेत्र); बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कृषि और संबद्ध क्षेत्र) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (अन्य क्षेत्र)।

[25] अंश पूँजीः ₹ 32,695.16 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण ₹ 13,630.01 करोड़।

निवेश ऊर्जा क्षेत्र (कुल निवेश का 90.47 प्रतिशत) की पाँच एस0पी0एस0ई0 में किया गया था, जिन्होंने कुल हानि का 81.94 प्रतिशत वहन किया था। अग्रेतर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा कुल हानि का 12.25 प्रतिशत वहन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार ने अंश पूँजी/ऋणों के रूप में ₹ 2,325.80 करोड़ का निवेश किया था।

5.8.2 एस0पी0एस0ई0 में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2023 तक, 14 एस0पी0एस0ई0 की संचित हानि ₹ 27,037.44 करोड़ (***परिशिष्ट 5.4***) थी। इनमें से 10 एस0पी0एस0ई0 ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 2,754.67 करोड़ की हानि वहन की थी। इन 14 एस0पी0एस0ई0 में से, 10 की निवल संपत्ति उनकी संचित हानि से पूरी तरह क्षरित हो गया था तथा उनकी निवल संपत्ति शून्य अथवा नकारात्मक थी। 31 मार्च 2023 तक, ₹ 303.50 करोड़ अंश पूँजी निवेश के सापेक्ष, इन 10 एस0पी0एस0ई0 की निवल संपत्ति ₹ (–) 3,210.48 करोड़ था। 10 एस0पी0एस0ई0 में से, जिनकी पूँजी क्षरित हो गई थी, दो[26] ने ₹ 7.75 करोड़ का लाभ अर्जित किया था तथा दो[27] एस0पी0एस0ई0 को 2022–23 के दौरान शून्य लाभ/हानि हुई थी। 31 मार्च 2023 तक, इन 10 एस0पी0एस0ई0 में से, पाँच एस0पी0एस0ई0 के पास ₹ 3,631.13 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण थे, जैसा कि **तालिका 5.11** में बताया गया है।

तालिका 5.11 : अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार उन एस0पी0एस0ई0 का विवरण, जिनका निवल संपत्ति क्षरित हो गया है

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं का वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (+)/(-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जब से निवल मूल्य नकारात्मक है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी	राज्य सरकार के ऋण (31 मार्च 2023 तक)
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	99.04	(-)25.35	228.31	(-)129.27	2010-11	68.34	1,009.10
2	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.04	(-)0.03	2015-16	0	0.00
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.04	(-)0.03	2015-16	0	0.00
4	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2013-14	5.39	(-)348.83	461.87	(-)456.48	1980-81	5.39	2,320.41
5	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2012-13	3.71	7.74	45.30	(-)41.59	1992-93	2.27	72.65
6	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2017-18	15.12	(-)0.13	95.22	(-)80.10	1995-96	15.12	0.00

[26] बिहार राज्य बीज निगम (₹ 7.74 करोड़) एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 0.01 करोड़)।

[27] पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अपना परिचालन प्रारम्भ नहीं किया था।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं का वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (+)/(-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जब से निवल मूल्य नकारात्मक है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी	राज्य सरकार के ऋण (31 मार्च 2023 तक)
7	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	1.00	(-)0.26	2.32	(-)1.32	2014-15	1.00	0.50
8	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2020-21	77.84	(-)13.00	506.28	(-)428.44	1998-99	39.95	228.47
9	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.10	0.01	0.16	(-)0.06	2017-18	0.05	0.00
10	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	101.28	(-)144.10	2,174.44	(-)2,073.16	1995-96	74.76	0.00
कुल योग			**303.50**	**(-)523.92**	**3,513.98**	**(-)3,210.48**		**206.88**	**3,631.13**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के आधार पर)

इन एस0पी0एस0ई0 की प्राप्तियों का मुख्य स्रोत संचालनात्मक आय, राजस्व अनुदान[28], ब्याज आय एवं अन्य विविध प्राप्तियाँ थी। इन 10 एस0पी0एस0ई0 में से, छः एस0पी0एस0ई0 में ₹ 3,209.04 करोड़ का निवल संपत्ति क्षरित हो गया था। इन छः एस0पी0एस0ई0 में से, चार[29] ने मुख्यतः राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्थानों से बड़ी मात्रा में लिए गए ऋण पर वित्तीय लागत के कारण हानि वहन की थी। परिचालन राजस्व शून्य रहने के कारण एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात् बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड ने लगातार हानि वहन की थी। हालाँकि, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की संचित हानि थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसने लाभ अर्जित किया था।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी कम्पनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा कराने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी निर्गत करने अथवा अनुपूरित करने का अधिकार है। विधान द्वारा शासित कुछ निगमों से यह अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए तथा एक प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाए।

5.10 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामलो में, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है।

[28] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने ₹ 127.34 करोड़ का राजस्व अनुदान प्राप्त किया।

[29] बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 398.52 करोड़), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 144.20 करोड़), बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 26.11 करोड़) तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 17.89 करोड़)।

कुल 27[30] कार्यशील एस0पी0एस0ई0 में से, जिनके लेखा वर्ष 2021–22 एवं उससे पूर्व के वर्षों के लिए बकाये थे, 21 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए की गई थी जबकि शेष छः कार्यशील एस0पी0एस0ई0 तथा 33[31] अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लिए वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी, क्योंकि उनके लेखे क्रमशः तीन से 19 वर्ष एवं सात से 45 वर्ष तक बकाये थे।

5.11 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 ससमय प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक[32] (ए0जी0एम0) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना है। इसके तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा अनुपूरक रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ, वार्षिक प्रतिवेदन विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगली ए0जी0एम0 की तिथियों के मध्य 15 महीनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, ए0जी0एम0 में, उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कम्पनी के निदेशकों सहित, पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

जुलाई 2023 तक, विभिन्न एस0पी0एस0ई0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे, जिसके ब्यौरे आगामी कंडिकाओं में दिये गये है।

5.11.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 73[33] एस0पी0एस0ई0 (34 कार्यशील और 39 अकार्यशील) थी। इनमें से, पाँच एस0पी0एस0ई0 को छोड़कर, जो परिसमापन के अधीन हैं, सभी 68 एस0पी0एस0ई0 से वर्ष 2021–22 के लेखे प्राप्य थे। हालाँकि, केवल नौ एस0पी0एस0ई0 ने वर्ष 2021–22 के लिए लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

[30] नौ एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष 2021–22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए हैं, एक सांविधिक निगम अर्थात्, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जिसके लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है तथा एक सांविधिक निगम अर्थात, बिहार राज्य वित्तीय निगम जिसका लेखापरीक्षक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, को छोड़कर।

[31] एक एस0पी0एस0ई0 जिसने वर्ष 2021–22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए थे तथा पाँच एस0पी0एस0ई0 जो परिसमापन के अधीन हैं, को छोड़कर।

[32] पहली ए0जी0एम0 कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी तथा किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर।

[33] कंडिका 5.11.3 में वर्णित तीन सांविधिक निगमों को छोड़कर।

लेखापरीक्षा के लिए, 31 जुलाई 2023 तक प्रस्तुत किए थे। 59 एस0पी0एस0ई0 (26 कार्यशील और 33 अकार्यशील) के 1,133[34] लेखे, विभिन्न कारणों से बकाया थे जैसा कि ***परिशिष्ट 5.5*** में दिया गया है। एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में, बकाया का विवरण, **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.12 : लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण

विवरण		एस0पी0एस0ई0	लेखाओं की संख्या
31 मार्च 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या		73	--
घटावः नए कम्पनियाँ जिनसे 2021–22 के लेखे देय नहीं थे		0	0
कम्पनियों की संख्या जिनसे वर्ष 2021–22 के लिये लेखे देय थे		68	68
कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 31 जुलाई 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए लेखे प्रस्तुत किए		09	09
बकाया लेखाओं की संख्या		59[35]	1,133
बकाया का विवरण	(i) परिसमापनाधीन[36]	05	--
	(ii) अकार्यशील	33	1,027
	(iii) अन्य (कार्यशील)	26	106
'अन्य' श्रेणी के विरूद्ध बकाया का अवधि–वार विश्लेषण	एक वर्ष (2021–22)	05	05
	दो वर्ष (2020–21 और 2021–22)	06	12
तीन वर्ष और अधिक		15	89

(स्रोत : महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

तीन[37] सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इनमें बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। 31 जुलाई 2023 से पूर्व किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2021–22 के लेखे, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए थे। 31 जुलाई 2023 तक, तीन सांविधिक निगमों के सात लेखे लंबित थे।

5.12 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण– सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013, की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप और लेखांकन मानकों हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति पुनर्नामित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण[38] के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे नियमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार किया जाना अपेक्षित होता है।

[34] 26 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 106 लेखे और 33 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 1,027 लेखे।
[35] पाँच एस0पी0एस0ई0 को छोड़कर, जो परिसमापन के अधीन हैं।
[36] परिसमापन के अधीन एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं के बकाया की संख्या शून्य मानी जाती है।
[37] बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य भंडारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।
[38] 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, इस उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी द्वारा निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है :

- कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; तथा
- कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013, अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उस इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई0सी0ए0आई0) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

5.13 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षक भूमिका के परिणाम

5.13.1 एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 तक, 29 एस0पी0एस0ई0 से वर्ष 2022–23 एवं पूर्व के वर्षों के लिए 54 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। 24 एस0पी0एस0ई0 के 42 वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई तथा छः एस0पी0एस0ई0 के 12[39] लेखों के लिए गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किए गए थे। समीक्षा के परिणामों की विवेचना नीचे की गयी है :

5.13.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

वर्ष 2022–23 के दौरान, ए0जी0एम0 में प्रस्तुत करने से पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एस0पी0एस0ई0 द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन करने का कोई मामला नहीं था।

[39] इसमें मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दो लेखे शामिल हैं, जिसमें गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन थे।

5.13.3 लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का संशोधन

वर्ष 2022–23 के दौरान, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में संशोधन का कोई मामला नहीं था।

5.13.4 टिप्पणियों का प्रभाव

अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान, एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों पर, निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव, लाभप्रदाता पर ₹ 568.65 करोड़ एवं वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,154.13 करोड़ था।

5.14 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2023 तक तीन सांविधिक निगमों सहित 76 एस0पी0एस0ई0 थीं। 76 एस0पी0एस0ई0 में से, 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 हैं।
- एस0पी0एस0ई0 ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया था। 62 एस0पी0एस0ई0 के 1,140 लेखे बकाये थे।
- 16 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित ₹ 317.65 करोड़ के कुल लाभ में से, 57.84 प्रतिशत का योगदान तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा किया गया था। 15 एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई ₹ 2,847.74 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 2,798.28 करोड़ की हानि केवल पाँच एस0पी0एस0ई0 अर्थात् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वहन की गई थी।
- अपने अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाली 16 एस0पी0एस0ई0 में से केवल चार एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश की घोषणा की थी। दो एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश घोषित करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं किया तथा शेष 10 एस0पी0एस0ई0, जिन्होंने ₹ 240.68 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था, लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

5.15 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि :

- राज्य सरकार एस0पी0एस0ई0 के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है जिससे वह अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, 62 एस0पी0एस0ई0 के 1140 लेखे बकाया थे। ऐसे एस0पी0एस0ई0 में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल के निरीक्षण से बाहर है।
- 39 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं, न ही इच्छित उद्देश्यों को पूर्ण कर रही हैं। इन 39 एस0पी0एस0ई0 में से, पाँच एस0पी0एस0ई0 10 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। राज्य सरकार को शेष 34 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

- अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाली 16 एस0पी0एस0ई0 में से, केवल चार एस0पी0एस0ई0 ने लाभांश की घोषणा की थी। राज्य सरकार, एस0पी0एस0ई0 के लिए एक लाभांश नीति बना सकती है।
- राज्य सरकार उन एस0पी0एस0ई0 में हानि के कारणों का विश्लेषण कर सकती है, जिनकी निवल संपत्ति क्षरित हो गई है एवं उनके संचालन को कुशल तथा लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

पटना **(राज कुमार)**
दिनांक 09 मई 2024 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक 13 मई 2024 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1.1

(संदर्भः कंडिका 1.1)

राज्य का परिचय

ए. सामान्य आँकड़ें

क्रम सं.	विवरण (जनसांख्यिकीय संकेतक 2022–23 के अनुसार)		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		94,163 वर्ग कि.मी.
2	जनगणना (2023 के अनुसार)		12.68 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (अखिल भारतीय घनत्व = 422 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) (सामान्य संकेतक 2021–22)		1,346
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		*33.74*
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		61.8
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर)		27
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)		69.5
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) 2022–23 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)		7,51,396
9	प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 सी0ए0जी0आर0 (2012–13 से 2022–23)	बिहार	8.24
		सामान्य कोटि के राज्य	9.38
10	जी0एस0डी0पी0 का सी0ए0जी0आर0 (2012–13 से 2022–23)	बिहार	10.06
		सामान्य कोटि के राज्य	10.57
11	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2023)	बिहार	17.23
		सामान्य कोटि के राज्य	10.77

बी. वित्तीय आँकड़ें

आँकड़े प्रतिशत में हैं

क्रम सं0	विवरण	2013–14 से 2016–17		2021–22 से 2022–23	
	सी0ए0जी0आर0	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
क	राजस्व प्राप्तियों का	14.30	15.28	13.41	8.75
ख	स्व कर राजस्व का	8.51	5.95	19.78	26.29
ग	करेत्तर राजस्व का	8.62	15.89	12.94	3.78
घ	कुल व्यय का	17.18	16.46	12.53	17.99
ड	पूँजीगत व्यय का	21.84	24.79	14.18	33.12
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.20	10.16	13.21	22.82
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.84	29.81	0.88	(-) 11.85
ज	वेतन एवं मजदूरी का	11.04	4.17	8.52	5.49
झ	पेंशन का	11.71	9.83	11.38	14.07

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0 और सी0ए0जी0 के आर्थिक सलाहकार)

परिशिष्ट– 1.2

(संदर्भः कंडिका 1.3.2)

31 मार्च 2023 तक बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

देयताएँ	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक
आंतरिक ऋण	**1,82,855.32**	**2,08,098.10**
ब्याज सहित बाज़ार ऋण	1,56,575.00	1,84,275.00
ब्याज रहित बाज़ार ऋण	0.11	0.11
बॉंड	2,195.25	1,962.07
वित्तीय संस्थानों से ऋण	10,111.91	9,776.22
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	13,965.60	12,077.25
अन्य ऋण	7.45	7.45
भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	**26,057.96**	**34,747.63**
गैर–योजना ऋण	0.58	0.58
राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	191.29	191.29
1984–85 से पहले के ऋण	3.91	3.91
राज्य के लिए अन्य ऋण	25,862.18	34,551.85
आकस्मिकता निधि	**350.00**	**350.00**
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	**9,521.65**	**9,396.88**
जमा	**38,033.80**	**38,437.96**
आरक्षित निधि	**6,781.61**	**9,654.72**
उचंत और विविध शेष	**207.48**	**171.31**
प्रेषण शेष	**0.00**	**0.00**
अंतर्राज्यीय निपटान	**74.01**	**74.01**
व्यय पर प्राप्तियों का संचित आधिक्य (सरकारी लेखों पर अधिशेष)	**65,149.91**	**53,861.71**
कुल	**3,29,031.74**	**3,54,792.32**
परिसंपत्तियाँ		
अचल संपत्तियों पर सकल पूँजी परिव्यय	**2,59,366.21**	**2,90,886.03**
कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	35,436.02	39,024.62
अन्य पूँजीगत व्यय	2,23,930.19	2,51,861.41
ऋण एवं अग्रिम –	**23,194.36**	**25,209.64**
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	15,943.10	16,034.13
अन्य विकास ऋण	7,140.98	9,060.25
सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	110.28	115.26
सिविल अग्रिम	**249.96**	**249.96**
प्रेषण शेष	**1,125.96**	**1,125.96**
नकद	**29,478.66**	**22,903.95**
कोषागारों में नकदी और स्थानीय प्रेषण	0.00	0.00
विभागीय शेष	234.65	234.65
स्थायी अग्रदाय/रकम	762.40	765.46
नकद शेष निवेश	22,070.25	14,069.82
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	671.24	805.90
निर्धारित निधियों से निवेश	5,740.12	7,028.12
उचंत और विविध शेष	**15,616.59**	**14,416.78**
कुल	**3,29,031.74**	**3,54,792.32**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट– 2.1

(संदर्भः कंडिका 2.3)

राज्य सरकार के वित्त पर कालश्रृंखला आँकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
खंड ए. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688
(i) स्व कर राजस्व	29,408 (22)	30,158 (24)	30,342 (24)	34,855 (22)	44,018 (25)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	6,584 (23)	6,121 (20)	6,032 (20)	6,872 (20)	9,881 (22)
राज्य उत्पाद	(-)10 (0)	(-) 4.00 (0)	(-)4 (0)	(-) 1 (0)	1 (0)
वाहनों पर कर	2,086 (7)	2,713 (9)	2,268 (7)	2,475 (7)	2,936 (7)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	4,189 (14)	4,661 (16)	4,206 (14)	5,224 (15)	6,451 (15)
भू–राजस्व	477 (2)	275 (1)	302 (1)	284 (1)	361 (1)
माल एवं यात्री पर कर	399 (1)	23 (0)	6 (0)	0 (0)	1 (0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	15,288 (52)	15,800 (52)	16,050 (53)	19,264 (55)	23,243 (53)
अन्य कर	395 (1)	568 (2)	1,482 (5)	737 (2)	1,144 (3)
(ii) करेत्तर राजस्व	4,131 (3)	3,700 (3)	6,201 (5)	3,984 (2)	4,135 (2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	73,603 (56)	63,406 (51)	59,861 (47)	91,353 (58)	95,510 (55)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	24,652 (19)	26,969 (22)	31,764 (25)	28,606 (18)	29,025 (17)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,825	30	820	28	41
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,33,619	1,24,263	1,28,988	1,58,826	1,72,729
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,668	29,145	35,915	40,445	48,284
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	16,134	27,866	29,412	30,918	38,129
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,534	1,279	6,503	9,527	10,155

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	1,52,287	1,53,408	1,64,903	1,99,271	2,21,013
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	68,259	1,94,512	2,17,837	2,46,840	2,72,287
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**2,20,546**	**3,47,920**	**3,82,740**	**4,46,111**	**4,93,300**
खंड बी. व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976
योजनाएँ	47,365 (38)	44,576 (35)	44,201 (32)	58,487 (37)	71,730 (39)
स्थापना और प्रतिबद्ध	77,532 (62)	81,441 (65)	95,292 (68)	1,00,733 (63)	1,12,246 (61)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	38,691 (31)	41,628 (33)	46,239 (33)	48,939 (31)	56,029 (30)
सामाजिक सेवाएँ	58,284 (47)	57,816 (46)	63,807 (46)	76,115 (48)	88,349 (48)
आर्थिक सेवाएँ	27,918 (22)	26,571 (21)	29,445 (21)	34,165 (21)	39,598 (22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	2	2	1	0.11
12. पूँजीगत व्यय	21,058	12,304	18,209	23,678	31,520
योजना	20,999 (100)	12,253 (100)	18,194 (100)	23,650 (100)	31,496 (100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	59 (0)	51 (0)	15 (0)	28 (0)	24 (0)
सामान्य सेवाएँ	3,311 (16)	2,388 (19)	1,387 (8)	3,507 (15)	3,255 (10)
सामाजिक सेवाएँ	4,061 (19)	2,803 (23)	6,331 (35)	5,154 (22)	5,967 (19)
आर्थिक सेवाएँ	13,686 (65)	7,113 (58)	10,491 (57)	15,017 (63)	22,298 (71)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,470	666	1,114	1,479	2,057
14. कुल (11+12+13)	1,47,425	1,38,987	1,58,816	1,84,377	2,17,553
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,230	7,110	6,880	8,746	14,351
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,300	6,143	5,937	7,619	12,886
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	930	967	943	1,127	1,465
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	1,54,655	1,46,097	1,65,696	1,93,123	2,31,904

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	67,135	1,97,747	2,17,092	2,48,373	2,67,970
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	**2,21,790**	**3,43,844**	**3,82,788**	**4,41,496**	**4,99,874**
खंड सी. घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+) (1–11)	6,897	(-) 1,784	(-) 11,325	(-) 422	(-)11,288
23. राजकोषीय घाटा (–)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4–14)	(-)13,807	(-) 14,724	(-) 29,827	(-) 25,551	(-)44,823
24. प्रारंभिक घाटा (–)/ प्रारंभिक अधिशेष (+) (23+25)	(-) 3,736	(-) 3,733	(-) 17,343	(-) 11,729	(-)29,640
खंड डी. अन्य आँकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	10,071	10,991	12,484	13,822	15,184
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता आदि	51,764	46,582	54,929	65,015	79,941
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)@	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	1,68,921	1,93,382	2,27,195*	2,57,510*	2,93,307
29. अधिकतम दी गई प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	21,182	21,182	25,114	37,632	40,897
30. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	5,502	5,485	16,408	25,070	25,939
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	68	143	157	146	250
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	315	1,001	1,654	890	1,047
खंड ई. राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व/जी0एस0डी0पी0	5.57	5.18	5.35	5.36	5.86
करेत्तर राजस्व/जी0एस0डी0पी0	0.78	0.64	1.09	0.61	0.55
केंद्रीय अंतरण/जी0एस0डी0पी0	18.61	15.53	16.15	18.45	16.57
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जी0एस0डी0पी0	27.92	23.89	28.00	28.35	28.95
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	111.86	111.88	123.91	116.11	125.98
राजस्व व्यय/कुल व्यय	84.72	90.67	87.83	86.36	84.57
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	39.53	41.60	40.18	41.28	40.61
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	18.94	19.12	18.54	18.53	18.20
पूँजीगत परिव्यय/कुल व्यय	14.28	8.85	11.47	12.84	14.49
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.04	7.13	10.59	10.94	12.99
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व अधिशेष/जी0एस0डी0पी0	1.31	(-)0.31	(-)2.00	(-) 0.06	(-)1.50
राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0	2.62	2.53	5.26	3.93	5.97

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्राथमिक घाटा/जी0एस0डी0पी0	0.71	0.64	3.06	1.80	3.94
राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटा	49.95	12.12	37.97	1.65	25.18
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व/जी0एस0डी0पी0	31.99	33.24	40.05	39.60	39.03
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियाँ	128.17	153.66	177.26	162.16	169.85
राजकोषीय दायित्व/राज्य के स्व–संसाधन	503.66	563.82	621.72	663.02	609.11

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों की कुल प्रतिशतता (निकटतम) दर्शातें हैं।
** ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण सहित।*
@ जी0एस0डी0पी0:– सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट– 2.2

(संदर्भः कंडिका 2.5.3.3)

ऋण की नकारात्मक शेष राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष का विवरण	ऋण की प्रकृति	चुकायी गई राशि लाख में	वित्तीय वर्ष
1.	6215-190-0001	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	**(-) 7.90**	2005-06
2.	6216-02-201-0003 6216-02-201-0001	भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए प्राप्त ऋण की बकाया राशि का भुगतान	3.79	2003-04
		सरकार द्वारा लौटाया गया ऋण बी0एस0एच0बी0 के बॉन्ड पर	2.69	2004-05
			2.30	2005-06
			0.02	2010-11
			(-) 8.80	
3.	6216-02-800-0001	अन्य ऋण	0.13	2004-05
			0.51	2006-07
			0.28	2007-08
			0.33	2008-09
			0.34	2009-10
			1.02	2011-12
			0.22	2012-13
			0.94	2013-14
			0.37	2016-17
			0.11	2017-18
			(-) 4.25	
4.	6216-80-190-0001	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	0.05	2005-06
			0.10	2007-08
			0.04	2008-09
			0.25	2009-10
			(-) 0.44	
5.	6245-02-101-0001	निः शुल्क राहत	7.04	2003-04
			106.87	2004-05
			129.35	2005-06
			0.88	2006-07
			(-) 244.14	
6.	6245-02-117-0001	ऋण	**(-) 0.01**	2003-04
7.	6245-02-800-0011	प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिला बोर्ड प्राधिकारों को ऋण	38.52	2001-02
			0.70	2002-03
			(-) 39.22	
8.	6425-106-0003	कृषि सहकारी समितियाँ	4.16	2004-05
			4.75	2005-06
			27.83	2006-07
			0.78	2007-08
			0.47	2008-09
			1.15	2010-11
			0.15	2012-13
			1.20	2013-14
			15.00	2016-17
			0.30	2017-18
			0.10	2018-19
			(-) 55.89	

क्रम सं.	शीर्ष का विवरण	ऋण की प्रकृति	चुकायी गई राशि लाख में	वित्तीय वर्ष
9.	6425-108-0005	अन्य सहकारी समितियाँ	82.77	2006-07
			87.45	2008-09
			30.70	2009-10
			71.10	2010-11
			1,172.05	2011-12
			355.02	2012-13
			13.87	2013-14
			275.60	2014-15
			243.48	2015-16
			509.79	2016-17
			329.63	2017-18
			9,115.57	2018-19
			205.97	2019-20
			102.23	2020-21
			45.31	2021-22
			110.2	2022-23
			(-) 12,750.74	
10.	6425-107-001	नाबार्ड की बकाया राशि	**(-) 45,945.86**	2018-19
11.	6851-101-0001	बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम 1956 के अंतर्गत उद्योगों और कंपनियों को ऋण	9.03	2003-04
			6.75	2004-05
			14.29	2005-06
			18.06	2006-07
			3.29	2007-08
			0.65	2008-09
			35.46	2009-10
			4.46	2010-11
			0.69	2011-12
			1.13	2012-13
			26.84	2013-14
			4.97	2014-15
			6.11	2015-16
			0.34	2016-17
			0.16	2017-18
			4.54	2019-20
			(-) 136.77	
12.	6885-02-800-0001	अन्य ऋण	1.46	2004-05
			1.04	2005-06
			(-) 2.50	
13.	6401-911-0002	फसल कृषि–कर्म के लिए ऋण	**(-) 0.74**	2017-18
कुल नकारात्मक शेष			**(-) 59,197.26**	
			₹ 591.97 करोड़	

परिशिष्ट– 3.1

(संदर्भः कंडिका 3.3.2)

मामले जहाँ अनूपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान से बचत
1	2	3	4	5	6(3-5)
	राजस्व (दत्तमत)				
1	01- कृषि	3,054.32	703.98	2,073.73	980.59
2	02- पशु एवं मत्स्य संसाधन	1,589.69	278.24	825.78	763.91
3	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	318.50	102.69	241.51	76.99
4	11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1,840.36	130.48	1,634.54	205.82
5	15- पेंशन	24,233.85	1,215.64	23,132.48	1,101.37
6	16- पंचायती राज	9,471.41	3,770.24	8,599.72	871.69
7	19- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	622.85	145.89	573.81	49.04
8	20- स्वास्थ्य	14,372.56	2,406.26	9,587.58	4,784.98
9	22- गृह	13,681.75	148.73	11,141.55	2,540.20
10	27- विधि	1,060.30	114.19	1,057.12	3.18
11	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	920.33	100.00	829.84	90.49
12	39- आपदा प्रबंधन	3,696.98	1,031.45	3,119.10	577.88
13	40- राजस्व एवं भूमि सुधार	1,252.86	139.09	903.25	349.61
14	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1,727.60	386.93	1,628.09	99.51
15	48- नगर विकास एवं आवास	8,025.94	1,950.47	5,582.06	2,443.88
	कुल राजस्व	**85,869.30**	**12,624.28**	**70,930.16**	**14,939.14**
	पूँजीगत (दत्तमत)				
1	03- भवन निर्माण	4,101.99	1,518.89	2,915.96	1,186.03
2	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	196.16	175.00	-	196.16
3	21- शिक्षा	709.61	301.96	516.04	193.57
4	22- गृह	691.01	548.52	670.38	20.63
5	37- ग्रामीण कार्य	7,694.27	2,830.00	6,117.22	1,577.05
6	49- जल संसाधन	3,193.48	293.14	2,192.25	1,001.23
7	50- लघु जल संसाधन	795.87	200.00	460.16	335.71
	योग पूँजीगत	**17,382.39**	**5,867.51**	**12,872.01**	**4,510.38**
	महायोग	**1,03,251.69**	**18,491.79**	**83,802.17**	**19,449.52**

(स्रोतः *वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे*)

परिशिष्ट– 3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3.3)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं.	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन ($)	व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	2059-80-001-0004- निष्पादन	215.80	0.00	215.80	0.85	153.06	0.00	63.59
2		4059-60-051-0124- बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संगठन (बिपार्ड)	10.05	44.00	54.05	10.00	15.58	0.00	48.47
3		4059-80-051-0220- ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	100.00	0.00	100.00	9.00	34.84	0.00	74.16
4	09	2401-00-110-0112- बिहार राज्य फसल सहायता योजना	374.89	0.00	374.89	0.95	251.81	0.00	124.03
5	10	4801-05-190-0105- बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की परियोजना (बीएसपीटीसीएल)	226.81	1,000.00	1,226.81	21.18	1,202.08	0.00	45.91
6	15	2071-01-104-0002- उत्तरवर्ती बिहार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भुगतान	1,607.68	523.00	2,130.68	95.00	2,084.95	0.00	140.73
7		2071-01-117-0001- अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान	1,570.45	0.00	1,570.45	118.40	1,543.25	0.00	145.60
8	16	2515-00-198-0113- मुख्यमंत्री–निश्चय योजना	103.50	0.00	103.50	42.50	79.21	0.00	66.79
9	20	2210-01-110-0002- दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	164.79	2.52	167.31	5.53	156.73	0.00	16.11
10		2210-01-110-0008- श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	186.87	16.70	203.57	8.00	163.98	0.00	47.59
11		2210-01-200-0005- अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय	61.58	0.00	61.58	3.87	49.57	0.00	15.88
12		2210-01-200-0309- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	120.00	256.67	376.67	11.50	190.27	0.00	197.90
13		2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उपकेंद्र	119.21	0.00	119.21	8.40	46.44	0.00	81.17
14		2210-05-105-0007- मगध मेडिकल कॉलेज	148.82	2.60	151.42	8.11	52.24	0.00	107.29
15		2210-06-003-0002- जनस्वास्थ्य संस्थापन	30.89	0.00	30.89	0.02	12.08	0.00	18.83
16		2210-06-101-0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	42.80	0.00	42.80	1.94	28.59	0.00	16.15
17		2211-00-103-0001- मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	19.09	0.00	19.09	0.38	4.49	0.00	14.98

क्रम सं0	अनुदान सं.	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन ($)	व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	21	2202-01-796-0211- समग्र शिक्षा–प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	44.68	0.00	44.68	26.63	38.59	0.00	32.72
19		2202-02-191-0001- नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	199.24	0.00	199.24	27.00	179.43	0.00	46.81
20		2202-02-192-0001- नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	219.24	0.00	219.24	17.00	212.61	0.00	23.63
21	21	2202-80-001-0001- मुख्यालय स्थापना	11.65	34.09	45.74	0.10	23.16	0.00	22.68
22		4202-01-202-0103- राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	170.00	200.00	370.00	0.10	228.05	0.00	142.05
23	22	2055-00-109-0018- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी)	31.10	0.00	31.10	4.00	19.20	0.00	15.90
24		2055-00-111-0002- ऑर्डर पुलिस	278.77	0.00	278.77	3.70	246.30	0.00	36.17
25	33	2053-00-094-0001- अनुमंडलीय स्थापना	136.50	1.70	138.20	0.50	114.24	0.00	24.46
26	39	2235-01-200-0004- कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहायक अनुदान	15.00	0.00	15.00	10.00	11.66	0.00	13.34
27		2245-80-102-0005- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	37.88	1.45	39.33	14.00	19.88	0.00	33.45
28	40	2052-00-090-0017- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	25.73	0.49	26.22	0.15	15.31	0.00	11.06
29	43	4202-02-105-0106- अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)	125.00	11.28	136.28	10.00	129.18	0.63	16.47
30	44	2225-01-001-0001- निदेशन एवं प्रशासन	75.94	0.00	75.94	1.41	65.55	0.00	11.80
31	48	2217-01-051-0201- स्मार्ट सिटी मिशन योजना (पटना)	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00	49.00
32		2217-03-051-0206- स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर)	0.00	98.00	98.00	49.00	49.00	0.00	98.00
33		2217-80-192-0005- राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद को सहायक अनुदान	538.01	121.45	659.46	83.00	573.71	0.00	168.75
34	49	2711-01-103-0002- अन्य रख–रखाव व्यय	220.60	50.05	270.65	0.15	244.68	0.00	26.12
35		4700-80-051-0105- सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य)	463.45	117.00	580.45	130.00	532.41	0.00	178.04
कुल			**7,696.02**	**2,530.00**	**10,226.02**	**771.37**	**8,821.13**	**0.63**	**2,175.63**

(स्रोतः अनुदान अंकेक्षण पंजी, 2022–23 सहित विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट– 3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3.3)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं.	लेखाशीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन ($)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	2071-01-102-0001- उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	1,095.40	256.32	1,238.84	0.00	112.88
2	15	2071-01-105-0001-15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन	560.38	170.22	630.52	0.00	100.08
3	15	2071-01-115-0002-15/11/2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी/पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	1,080.64	198.00	1,240.65	0.00	37.99
4	22	2055-00-001-0001- अधीक्षण	124.04	27.83	127.96	0.00	23.91
5	39	2245-02-101-0016- राज्य की स्थानीय प्राकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	250.00	125.00	279.81	0.00	95.19
6	39	2245-07-101-0001- आपदा शमन	100.00	200.00	126.23	0.00	173.77
7	39	2245-08-797-0001- राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)	0.00	700.00	377.60	0.00	322.40
8	48	2217-80-193-0005- राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा में नगर पंचायत को सहायता अनुदान	446.61	30.68	452.47	0.00	24.82
9	49	4711-01-051-0110- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं (कार्य)	134.00	70.00	185.44	0.00	18.56
कुल			**3,791.07**	**1,778.05**	**4,659.52**	**0.00**	**909.60**

(स्रोतः 2022–23 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट– 3.4

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ या अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरुद्ध व्यय (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ए) राजस्व (भारित)								
1	13- सूद भुगतान	16,305.04	-	16,305.04	15,183.54	1,121.50	6.88	93.12
	कुल राजस्व (भारित)	**16,305.04**	**-**	**16,305.04**	**15,183.54**	**1,121.50**	**6.88**	**93.12**
(बी) राजस्व (दत्तमत)								
2	01- कृषि	3,054.32	703.98	3,758.30	2,073.73	1,684.57	44.82	55.18
3	02- पशु एवं मत्स्य संसाधन	1,589.69	278.24	1,867.93	825.78	1,042.15	55.79	44.21
4	03- भवन निर्माण	859.13	46.63	905.76	730.02	175.74	19.40	80.60
5	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	318.50	102.69	421.19	241.51	179.68	42.66	57.34
6	06- निर्वाचन	311.06	8.90	319.96	171.52	148.44	46.39	53.61
7	09- सहकारिता	1,220.20	66.42	1,286.62	1,005.12	281.50	21.88	78.12
8	11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1,840.36	130.48	1,970.84	1,634.54	336.30	17.06	82.94
9	12- वित्त	327.15	2.30	329.45	181.34	148.11	44.96	55.04
10	15- पेंशन	24,233.85	1,215.64	25,449.49	23,132.48	2,317.01	9.10	90.90
11	16- पंचायती राज	9,471.41	3,770.24	13,241.65	8,599.72	4,641.93	35.06	64.94
12	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,009.95	1,230.57	2,240.52	1,256.98	983.54	43.90	56.10
13	19- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	622.85	145.89	768.74	573.81	194.93	25.36	74.64
14	20- स्वास्थ्य	14,372.56	2,406.26	16,778.82	9,587.58	7,191.24	42.86	57.14

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरुद्ध व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	21- शिक्षा	38,482.26	16,398.54	54,880.80	41,579.74	13,301.06	24.24	75.76
16	22- गृह	13,681.75	148.73	13,830.48	11,141.55	2,688.93	19.44	80.56
17	26- श्रम संसाधन	814.80	2.78	817.58	606.27	211.31	25.85	74.15
18	27- विधि	1,060.30	114.19	1,174.49	1,057.12	117.37	9.99	90.01
19	30- अल्पसंख्यक कल्याण	283.49	21.69	305.18	145.74	159.44	52.24	47.76
20	33- सामान्य प्रशासन	777.96	567.38	1,345.34	1,068.39	276.95	20.59	79.41
21	35- योजना एवं विकास	903.66	41.35	945.01	725.93	219.08	23.18	76.82
22	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	920.33	100.00	1,020.33	829.84	190.49	18.67	81.33
23	39- आपदा प्रबंधन	3,696.98	1,031.45	4,728.43	3,119.10	1,609.33	34.04	65.96
24	40- राजस्व एवं भूमि सुधार	1,252.86	139.09	1,391.95	903.25	488.70	35.11	64.89
25	41- पथ निर्माण	1,998.14	-	1,998.14	1,528.77	469.37	23.49	76.51
26	42- ग्रामीण विकास	15,420.47	6,275.09	21,695.56	18,411.62	3,283.94	15.14	84.86
27	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1,727.60	386.93	2,114.53	1,628.09	486.44	23.00	77.00
28	47- परिवहन	362.18	50.00	412.18	229.84	182.34	44.24	55.76
29	48- नगर विकास एवं आवास	8,025.94	1,950.47	9,976.41	5,582.06	4,394.35	44.05	55.95
30	49- जल संसाधन	1,117.09	126.86	1,243.95	1,143.94	100.01	8.04	91.96
31	51- समाज कल्याण	8,189.08	5,093.92	13,283.00	11,006.80	2,276.20	17.14	82.86
	योग राजस्व (दत्तमत)	**1,57,945.92**	**42,556.71**	**2,00,502.63**	**1,50,722.18**	**49,780.45**	**24.83**	**75.17**
	योग राजस्व (ए+बी)	**1,74,250.96**	**42,556.71**	**2,16,807.67**	**1,65,905.72**	**50,901.95**	**23.48**	**76.52**
(सी) पूँजीगत(भारित)								
32	14- ऋण अदायगियाँ	14,670.03	-	14,670.03	14,351.08	318.95	2.17	97.83
	योग पूँजीगत (भारित)	**14,670.03**	**-**	**14,670.03**	**14,351.08**	**318.95**	**2.17**	**97.83**

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरुद्ध व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(डी) पूँजीगत (दत्तमत)								
33	01-कृषि	530.00	91.32	621.32	497.71	123.61	19.89	80.11
34	03- भवन निर्माण	4,101.99	1,518.89	5,620.88	2,915.96	2,704.92	48.12	51.88
35	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	196.16	175.00	371.16	-	371.16	100.00	-
36	10- ऊर्जा	1,613.03	1,889.86	3,502.89	3,169.74	333.15	9.51	90.49
37	12- वित्त	783.06	1,005.00	1,788.06	1,626.61	161.45	9.03	90.97
38	16- पंचायती राज	330.00	-	330.00	61.46	268.54	81.38	18.62
39	20- स्वास्थ्य	1,761.83	2,016.63	3,778.46	2,426.38	1,352.08	35.78	64.22
40	21- शिक्षा	709.61	301.96	1,011.57	516.04	495.53	48.99	51.01
41	22- गृह	691.01	548.52	1,239.53	670.38	569.15	45.92	54.08
42	30- अल्पसंख्यक कल्याण	287.00	-	287.00	24.24	262.76	91.55	8.45
43	35-योजना एवं विकास	1,284.16	10.00	1,294.16	1,117.60	176.56	13.64	86.36
44	36- लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण	1,460.05	-	1,460.05	1,313.11	146.94	10.06	89.94
45	37- ग्रामीण कार्य	7,694.27	2,830.00	10,524.27	6,117.22	4,407.05	41.88	58.12
46	39- आपदा प्रबंधन	-	125.00	125.00	-	125.00	100.00	-
47	41- पथ निर्माण	3,820.89	3,360.00	7,180.89	6,597.56	583.33	8.12	91.88
48	49- जल संसाधन	3,193.48	293.14	3,486.62	2,192.25	1,294.37	37.12	62.88
49	50- लघु जल संसाधन	795.87	200.00	995.87	460.16	535.71	53.79	46.21
योग पूँजीगत (दत्तमत)		**29,252.41**	**14,365.32**	**43,617.73**	**29,706.42**	**13,911.31**	**31.89**	**68.11**
योग पूँजीगत (सी + डी)		**43,922.44**	**14,365.32**	**58,287.76**	**44,057.50**	**14,230.26**	**24.41**	**75.59**
सकल योग (ए + बी + सी + डी)		**2,18,173.40**	**56,922.03**	**2,75,095.43**	**2,09,963.22**	**65,132.21**	**23.68**	**76.32**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट– 3.5

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

कुल प्रावधान मे से 20 प्रतिशत एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01- कृषि विभाग	3,584.32	795.30	4,379.62	2,571.44	58.71	1,808.18	41.29
2	02- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,589.69	278.24	1,867.93	825.78	44.21	1,042.15	55.79
3	03- भवन निर्माण विभाग	4,961.12	1,565.52	6,526.64	3,645.98	55.86	2,880.66	44.14
4	04- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	514.66	277.69	792.35	241.51	30.48	550.84	69.52
5	05- राज्यपाल सचिवालय	36.63	0.20	36.83	22.95	62.31	13.88	37.69
6	06- निर्वाचन विभाग	311.06	8.90	319.96	171.52	53.61	148.44	46.39
7	07- निगरानी विभाग	45.55	1.61	47.16	37.58	79.69	9.58	20.31
8	08- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	176.53	25.26	201.79	138.27	68.52	63.52	31.48
9	09- सहकारिता विभाग	1,286.32	66.42	1,352.74	1,015.01	75.03	337.73	24.97
10	16- पंचायती राज विभाग	9,801.41	3,770.24	13,571.65	8,661.18	63.82	4,910.47	36.18
11	17- वाणिज्य–कर विभाग	175.97	1.50	177.47	141.93	79.97	35.54	20.03
12	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,184.95	1,240.57	2,425.52	1,384.47	57.08	1,041.05	42.92
13	19- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	662.85	145.99	808.84	598.75	74.03	210.09	25.97
14	20- स्वास्थ्य विभाग	16,134.39	4,422.89	20,557.28	12,013.96	58.44	8,543.32	41.56
15	21- शिक्षा विभाग	39,191.87	16,700.50	55,892.37	42,095.78	75.32	13,796.59	24.68

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	22- गृह विभाग	14,372.76	697.25	15,070.01	11,811.93	78.38	3,258.08	21.62
17	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	231.83	85.83	317.66	244.80	77.06	72.86	22.94
18	26- श्रम संसाधन विभाग	947.30	16.10	963.40	664.63	68.99	298.77	31.01
19	29- खान एवं भूतत्व विभाग	49.19	7.58	56.77	37.97	66.88	18.80	33.12
20	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	570.49	21.69	592.18	169.98	28.70	422.20	71.30
21	31- संसदीय कार्य विभाग	9.28	0.02	9.30	1.87	20.11	7.43	79.89
22	33- सामान्य प्रशासन विभाग	784.38	567.38	1,351.76	1,074.58	79.49	277.18	20.51
23	37- ग्रामीण कार्य विभाग	10,611.96	3,330.00	13,941.96	9,478.96	67.99	4,463.00	32.01
24	39- आपदा प्रबंधन विभाग	3,696.98	1,156.45	4,853.43	3,119.10	64.27	1,734.33	35.73
25	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1,332.41	139.09	1,471.50	903.65	61.41	567.85	38.59
26	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,729.60	386.93	2,116.53	1,628.09	76.92	488.44	23.08
27	45- गन्ना उद्योग विभाग	120.04	1.05	121.09	32.13	26.53	88.96	73.47
28	46- पर्यटन विभाग	326.39	58.63	385.02	286.20	74.33	98.82	25.67
29	47- परिवहन विभाग	394.18	50.00	444.18	237.60	53.49	206.58	46.51
30	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	8,175.94	2,764.47	10,940.41	6,546.06	59.83	4,394.35	40.17
31	49- जल संसाधन विभाग	4,310.57	420.00	4,730.57	3,336.19	70.52	1,394.38	29.48
32	50- लघु जल संसाधन विभाग	1,023.55	203.40	1,226.95	644.29	52.51	582.66	47.49
	योग	**1,28,344.17**	**39,206.70**	**1,67,550.87**	**1,13,784.14**	**67.91**	**53,766.73**	**32.09**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट– 3.6

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

2018–19 से 2022–23 के दौरान सतत् बचत (₹ 200 करोड़ और उससे अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व–दत्तमत						
1	1-कृषि	1,436.00 *(44.06)*	1,319.44 *(38.00)*	1,825.93 *(54.92)*	2,104.72 *(55.35)*	1,684.57 *(44.82)*
2	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन	248.04 *(26.51)*	336.30 *(29.88)*	*606.95* *(48.75)*	984.39 *(60.60)*	1,042.15 *(55.79)*
3	9- सहकारिता	843.17 *(46.26)*	1,155.32 *(66.35)*	478.56 *(34.85)*	526.97 *(39.52)*	281.50 *(21.88)*
4	15- पेंशन	650.32 *(3.90)*	1,402.03 *(7.57)*	788.67 *(3.86)*	1,518.42 *(6.96)*	2,317.01 *(9.10)*
5	16- पंचायती राज	1,836.67 *(17.93)*	4,686.73 *(35.04)*	4,361.83 *(34.62)*	5,167.61 *(39.07)*	4,641.93 *(35.06)*
6	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	255.11 *(18.68)*	653.10 *(48.20)*	1,508.83 *(67.45)*	513.28 *(36.82)*	983.54 *(43.90)*
7	20- स्वास्थ्य	1,877.89 *(22.84)*	2,322.97 *(25.02)*	2,893.91 *(25.35)*	3,792.29 *(25.91)*	7,191.24 *(42.86)*
8	21- शिक्षा	9,957.93 *(26.96)*	11,102.36 *(29.96)*	10,726.33 *(28.89)*	12,541.68 *(27.32)*	13,301.06 *(24.24)*
9	22- गृह	724.29 *(8.10)*	2,033.64 *(18.44)*	2,284.89 *(19.43)*	3,305.70 *(24.64)*	2,688.93 *(19.44)*
10	33- सामान्य प्रशासन	221.94 (30.75)	226.36 *(30.08)*	233.61 *(29.42)*	224.00 *(28.51)*	276.95 *(20.59)*
11	39- आपदा प्रबंधन	3,176.72 *(65.92)*	3,730.70 *(50.74)*	2,617.04 *(27.96)*	1,899.82 *(32.78)*	1,609.33 *(34.04)*
12	40- राजस्व एवं भूमि सुधार	238.51 *(30.14)*	369.32 *(39.67)*	694.80 *(51.00)*	451.08 *(36.46)*	488.70 *(35.11)*
13	41- पथ निर्माण	487.94 *(34.41)*	1,214.66 *(58.70)*	720.00 *(29.26)*	424.89 *(21.31)*	469.37 *(23.49)*
14	42- ग्रामीण विकास	6,175.24 *(32.58)*	8,870.62 *(47.79)*	8,531.88 *(47.85)*	9,176.10 *(39.60)*	3,283.94 *(15.14)*
15	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	441.72 *(30.16)*	474.37 *(29.73)*	453.07 *(26.29)*	462.72 *(24.11)*	486.44 *(23.00)*
16	48- नगर विकास एवं आवास	2,064.28 *(38.50)*	3,250.51 *(52.13)*	3,752.81 *(40.17)*	4,147.78 *(41.35)*	4,394.35 *(44.04)*
17	51- समाज कल्याण	3,243.44 *(33.97)*	2,265.40 *(23.52)*	2,175.85 *(19.83)*	2,225.73 *(19.84)*	2,276.20 *(17.14)*
योग		**33,879.21** ***(25.77)***	**45,413.83** ***(31.52)***	**44,654.96** ***(28.75)***	**49,467.16** ***(28.54)***	**47,417.21** ***(17.00)***

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
पूँजीगत–दत्तमत						
1	3- भवन निर्माण	1,018.64 *(27.76)*	3,771.12 *(73.14)*	3,380.78 *(74.51)*	2,387.04 *(44.09)*	2,704.92 *(48.12)*
2	10- ऊर्जा	623.36 *(10.72)*	*1,454.24 (31.80)*	906.01 *(39.83)*	509.80 *(25.28)*	333.15 *(9.51)*
3	20- स्वास्थ्य	481.38 *(29.80)*	1,259.58 *(59.65)*	1,162.53 *(64.29)*	2,293.17 *(72.60)*	1,352.08 *(35.78)*
4	37- ग्रामीण कार्य	7354.68 *(71.36)*	7,973.69 *(80.89)*	6,122.07 *(64.96)*	4,720.09 *(55.69)*	4,407.05 *(41.88)*
	योग	**9,478.06** ***(44.28)***	**14,458.63** ***(66.64)***	**11,571.39** ***(64.13)***	**9,910.10** ***(51.98)***	**8,797.20** ***(4.00)***
	महायोग	**43,357.27** ***(28.36)***	**59,872.46** ***(36.11)***	**56,226.35** ***(32.43)***	**59,377.26** ***(30.87)***	**56,214.41** ***(21.00)***

(स्रोतः वर्ष 2018–19 से 2022–23 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट– 3.7

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

2022–23 में ₹100 करोड़ और उससे अधिक निधि के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1	01-कृषि	3,584.32	795.30	4,379.62	2,571.44	1,808.18	527.73
2	02- पशु एवं मत्स्य संसाधन	1,589.69	278.24	1,867.93	825.78	1,042.15	209.59
3	03- भवन निर्माण	4,961.12	1,565.52	6,526.64	3,645.98	2,880.66	232.29
4	09- सहकारिता	1,286.32	66.42	1,352.74	1,015.01	337.73	235.34
5	11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1,873.86	130.48	2,004.34	1,634.54	369.80	329.70
6	20- स्वास्थ्य	16,134.39	4,422.89	20,557.28	12,013.96	8,543.32	911.40
7	21- शिक्षा	39,191.87	16,700.50	55,892.37	42,095.78	13,796.59	6,536.04
8	22- गृह	14,372.76	697.25	15,070.01	11,811.93	3,258.08	420.00
9	37- ग्रामीण कार्य	10,611.96	3,330.00	13,941.96	9,478.96	4,463.00	3,464.00
10	42- ग्रामीण विकास	15,456.47	6,275.09	21,731.56	18,412.91	3,318.65	3,332.66
11	48- नगर विकास एवं आवास	8,175.94	2,764.47	10,940.41	6,546.06	4,394.35	1,451.79
12	51- समाज कल्याण	8,201.13	5,286.90	13,488.03	11,192.65	2,295.38	2,453.54
	योग	**1,25,439.83**	**42,313.06**	**1,67,752.89**	**1,21,245.00**	**46,507.89**	**20,104.08**

(स्रोतः वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे

परिशिष्ट– 3.8

(संदर्भः कंडिका 3.4.1)

अनुदानों/विनियोगों का शत् प्रतिशत अनुपयोगी रहना (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
1	2	3	4
1	01	2401-00-119-0225- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई)	69.72
2	01	2401-00-119-0325- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई)	27.86
3	02	2403-00-106-0212- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	83.00
4	04	4070-00-051-0119- बिहार भवन, मुंबई	175.00
5	15	2071-01-197-0001- शिक्षक की सेवानिवृत्त पेंशन लाभ योजना के तहत अंशदान	37.53
6	15	2071-01-198-0001- शिक्षक की सेवानिवृत्त पेंशन लाभ योजना के तहत अंशदान	37.65
7	18	2408-01-101-0202- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर भारत योजना	450.00
8	18	2408-01-101-0301- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर भारत योजना	252.33
9	20	2210-01-110-0128. स्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार – सात निश्चय – 2	100.00
10	20	2210-02-200-0302- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	30.33
11	20	2210-03-001-0101- संजीवनी कार्यक्रम	25.00
12	20	4210-01-110-0320- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)	90.05
13	21	2202-03-102-0323- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	63.20
14	21	2202-03-789-0201- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	36.00
15	21	4202-01-203-0207- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	158.00
16	30	2225-04-277-0101- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.00
17	37	4515-00-103-0120- अतिरिक्त सम्पर्कता – सात निश्चय – 2	150.00
18	37	4515-00-789-0201- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	922.57
19	39	4250-00-101-0003- जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा–सह–प्रशिक्षण केंद्र	100.00
20	39	4250-00-800-0101- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल	25.00

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
1	2	3	4
21	44	2225-01-102-0216- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	40.00
22	48	2215-01-191-0101- पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	100.00
23	48	2215-02-105-0101- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय –2	248.00
24	48	2215-02-107-0101- स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम – सात निश्चय 2	98.00
25	48	2217-01-051-0102- मोक्ष धाम का निर्माण – सात निश्चय 2	50.00
26	48	2217-03-051-0101- शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास–सात निश्चय –2	27.00
27	48	2217-03-051-0102- मोक्ष धाम का निर्माण – सात निश्चय 2	95.00
28	48	2217-03-051-0207- स्मार्ट सिटी मिशन योजना (बिहार शरीफ)	53.00
29	48	2217-03-051-0302- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन – अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत)	56.00
30	48	2217-80-001-0501- बिहार नगरीय विकास परियोजना (बाह्य संपोषित)	350.00
31	48	3475-00-108-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	41.25
32	48	3475-00-789-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	32.00
योग			**4,053.49**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे, 2022–23)

परिशिष्ट– 3.9

(संदर्भः कंडिका 3.4.6)

मार्च 2023 माह में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

		किया गया व्यय							
क्रम सं0	अनुदान सं. एवं विभाग का नाम	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	2022–23 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
								जनवरी – मार्च 2023	मार्च 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03- भवन निर्माण	409.61	524.62	673.70	2,038.06	3,645.98	1,203.38	55.90	33.01
2	11- पछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	19.48	145.88	218.83	1,250.35	1,634.54	1,237.84	76.50	75.73
3	14- ऋण अदायगियाँ	1,472.82	929.52	4,522.68	7,426.06	14,351.07	4,662.63	51.75	32.49
4	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	136.28	79.19	50.68	1,118.32	1,384.47	1,081.67	80.78	78.13
5	19- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	44.14	75.54	115.85	363.21	598.74	131.92	60.66	22.03
6	33- सामान्य प्रशासन	154.54	164.19	181.00	574.86	1,074.59	468.85	53.50	43.63
7	45- गन्ना उद्योग	4.41	4.07	3.83	19.83	32.13	15.00	61.72	46.70
8	46- पर्यटन	48.13	62.12	14.80	161.16	286.20	117.40	56.31	41.02
9	48- नगर विकास एवं आवास	62.77	639.37	1,399.42	4,444.51	6,546.06	1,505.40	67.90	23.00
	कुल	**2,352.17**	**2,624.49**	**7,180.78**	**17,396.36**	**29,553.80**	**10,424.10**	**58.86**	**35.27**

(स्रोतः मासिक विनियोग लेखे, 2022–23)

परिशिष्ट– 3.10

(संदर्भः कंडिका 3.4.6)

शत–प्रतिशत व्यय मार्च 2023 में किया जाना (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
1	2	3	4
1	01	2401-00-109-0217- राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	31.26
2	01	2415-01-789-0106- कृषि विश्वविद्यालय, किशनगंज	15.38
3	03	4202-02-799-0101- लामबंदी अग्रिम	45.00
4	09	2401-00-789-0110- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत कृषक बीमित फसलों के प्रतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि को अनुदान	99.00
5	09	2425-00-108-0201- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण	10.31
6	13	2049-01-200-0013- उदय स्कीम के अन्तर्गत बिहार स्पेशल बॉड	175.17
7	13	2049-03-104-0001- साधारण भविष्य निधि पर ब्याज	718.34
8	13	2049-03-104-0002- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	18.23
9	13	2049-03-108-0001- बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	430.00
10	14	6003-00-101- एम0074–8.62 प्रतिशत बिहार सरकार स्टॉक, 2023	200.00
11	14	6003-00-101- एम0075-8.64 प्रतिशत बिहार सरकार स्टॉक, 2023	1,100.00
12	14	6003-00-101-एम0139-6.35 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2023	2,000.00
13	16	2515-00-198-0215-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	31.30
14	16	2515-00-198-0315- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	20.87
15	18	2408-01-101-0201- एनएफएसए अन्तर्गत खाद्यानों के अंतःराज्यीय हथालन एवं फेयर प्राईस शॉप डीलर्स मार्जिन	434.14
16	20	2210-03-110-0305- एनएचएम के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	31.44
17	21	2202-02-004-0102- हुनर	10.00
18	21	2202-02-052-0103- उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	20.00
19	21	2202-02-103-0101- बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	18.57
20	21	2202-02-109-0207- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)(समग्र शिक्षा)	159.21
21	21	2202-02-109-0307- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)(समग्र शिक्षा)	106.14
22	21	2202-02-109-0312- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	81.05
23	21	2202-02-789-0207- समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	39.80
24	21	2202-02-789-0307- समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	26.53
25	21	2202-03-107-0108- मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उतीर्ण) प्रोत्साहन योजना	21.30
26	21	2202-03-107-0109- मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक उतीर्ण) प्रोत्साहन योजना	41.85
27	21	4202-01-201-0105- प्राथमिक विद्यालय भवन	97.08
28	22	2055-00-109-0201- पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना (सुरक्षा संबंधी व्यय) (एसआरआई)	14.16
29	22	2070-00-108-0102- अग्निशामक उपकरणों की खरीद	116.87
30	22	4055-00-051-0205- पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना (विशेष अवसंरचना – एसआरआई)	14.11
31	22	4070-00-050-0102- केंद्रीय/मंडल/उपकारों एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि–(गृह कारा विभाग)	25.00
32	23	2852-80-102-0159- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोत्साहन	26.00

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
1	2	3	4
33	26	4202-02-104-0110- मशीनों का आधुनिकीकरण– सात निश्चय –2	58.36
34	36	4215-01-102-0229- निर्मल भारत अभियान	139.26
35	36	4215-01-102-0230- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	94.45
36	41	3054-80-797-0101- केंद्रीय सड़क निधि में स्थानांतरण	226.47
37	42	2216-03-789-0105- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	26.00
38	44	2225-01-789-0201- अनुसूचित जाति का बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)	56.54
39	44	2225-02-796-0125- थरूहट क्षेत्र का विकास	29.28
40	48	2217-01-051-0201- स्मार्ट सिटी मिशन योजना (पटना)	49.00
41	48	2217-01-051-0301- स्मार्ट सिटी मिशन योजना (पटना)	57.00
42	48	2217-03-051-0206- स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर)	49.00
43	48	2217-03-051-0306- स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर)	49.00
44	48	2217-80-191-0003- बकाया विद्युत बिलों के भुगतान के लिए नगर निगमों को सहायक अनुदान	573.19
45	48	2217-80-193-0008- व्यावसायिक कर के आलोक में अनुदान	13.90
46	49	2700-04-101-0002- बाण सागर जलाशय के अनुरक्षण व्यय में बिहार राज्य का हिस्सा	12.50
47	51	2235-03-102-0202- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	12.00
48	51	2235-03-789-0205- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	71.38
		कुल	**7695.44**

(स्रोतः विनियोग लेखे, 2022–23)

परिशिष्ट –3.11

(संदर्भः कंडिका 3.4.7)

गैर–आकस्मिक व्यय के लिए आकस्मिक निधि से आहरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	अनुदान संख्या–विभाग	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4	5
1	4059800510117	3 - भवन निर्माण	भारत सरकार द्वारा 2022–2023 के दौरान पूँजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत राज्य इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेजों और संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए।	234.77
2	4801051900105	10 - ऊर्जा	राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु 2022–23 के लिए पूँजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना।	484.00
3	6202011900101	12 - वित्त	शिक्षा ऋण, वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से दिया जाना है।	200.00
4	4210011100111	20 - स्वास्थ्य	दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय की विस्तार एवं पुनर्विकास योजना (चरण–1) के तहत सर्जिकल ब्लॉकों के निर्माण से संबंधित योजना में लंबित व्यय के भुगतान के लिए।	10.60
5	4210011100117		272 बिस्तरों वाले मानसिक आरोग्यालय, कोइलवर, भोजपुर के भवन निर्माण की योजना से संबंधित लंबित व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदित।	63.48
6	4210031050111		राज्य योजना के तहत राजकीय डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पैठना, रहुई, नालंदा में 100 छात्रों के लिए डेंटल कॉलेज और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण से संबंधित योजना के लंबित व्यय में भुगतान।	155.00
7	4210037890101		राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पुनर्निर्माण योजना और अन्य निर्माण कार्य।	477.41
8	2202031020127	21 - शिक्षा	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक पदों पर नियोजित/किराए पर रखे जाने वालों के लिए वेतन और अन्य मदों के लिए राज्य सरकार द्वार दी गई राशि।	5.00

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	अनुदान संख्या–विभाग	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4	5
9	4859020510101	25 – सूचना एवं प्रावैधिकी	यह राशि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट लिमिटेड के पी0एल0 खाते में हस्तांतरित कर दी गई है।	13.74
10	4859020040101		यह राशि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट लिमिटेड के पी0एल0 खाते में हस्तांतरित कर दी गई है।	30.00
11	4515007890104	37 – ग्रामीण कार्य	वर्ष 2022–23 के लिए पूँजीगत निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग के लिए स्वीकृत राशि की प्रथम किस्त।	389.29
12	5054031010101	41 – सड़क निर्माण	2022–2023 हेतु पूँजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायतार्थ भारत सरकार की योजनाएं।	150.00
13	5054033370102		2022–2023 हेतु पूँजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायतार्थ भारत सरकार की योजनाएं।	774.13
14	2216037960302	42 – ग्रामीण विकास	राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग की मांग के तहत बीसीएफ से अग्रिम के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है	55.00
15	2216037890302		राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग की मांग के तहत बीसीएफ से अग्रिम के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है	285.00
योग				**3,327.42**

(स्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

परिशिष्ट– 4.1

(संदर्भः कंडिका 4.14)

उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखे मार्च 2023 तक बकाया थे

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी, ऋण, और प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे								
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूति	पूँजी अनुदान	अन्य	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखे	क्या घाटे मे चल रही (नवीनतम लेखे पर आधारित)
ए. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	148.50	2020-21	2	नहीं
2	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	2021-22	1	नहीं
3	पटना स्मार्ट सिटी	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50	2019-20	3	नहीं
4	भागलपुर स्मार्ट सिटी	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	2021-22	1	नहीं
5	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	2.61	2020-21	2	हॉ
6	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	7.13	2016-17	6	नहीं
7	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	40.11	0.00	30.00	95.00	0.00	165.11	2016-17	6	हॉ
8	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	67.63	27.95	95.58	2013-14	9	नहीं
9	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.00	1,000.48	19,000.00	0.00	5,562.58	25,563.06	2014-15	8	हॉ
10	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2003-04	19	हॉ
11	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00	53.36	2016-17	6	हॉ
12	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	2019-20	3	नहीं
13	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2021-22	1	नहीं
14	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	7,168.04	0.00	0.00	1,515.26	0.00	8,683.30	2021-22*	1	नहीं
15	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	35.04	0.00	2.49	3,623.04	3,660.57	2022-23	0	हॉ
16	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	30.59	0.00	0.00	4,177.92	4,208.51	2022-23	0	हॉ
17	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,368.72	0.00	0.00	5,368.72	2022-23	0	नहीं
	कुल ए.	**7,238.49**	**1,119.47**	**26,398.72**	**2,287.12**	**13,391.49**	**50,435.29**			

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी, ऋण, और प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया थे								
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूति	पूँजी अनुदान	अन्य	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखे	क्या घाटे मे चल रही (नवीनतम लेखे पर आधारित)
बी.कार्यशील सांविधिक निगमें										
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	0.00	0.00	44.88	45.55	90.43	2019-20	3	हॉ
	कुल बी.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44.88**	**45.55**	**90.43**			
सी.अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2015-16	7	
2	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2011-12	11	
3	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	2003-04	19	
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	2003-04	19	
5	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	6.52	0.00	0.26	0.00	8.03	1993-94	29	
6	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	0.00	2.21	0.00	0.00	0.08	2.29	1992-93	30	
7	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	1.66	0.00	0.00	2.47	4.13	1991-92	31	
8	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.79	6.99	0.00	0.00	0.00	12.78	1988-89	34	
9	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	12.92	52.95	0.00	0.00	0.00	65.87	1986-87	36	
10	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0.00	2.44	197.93	576.90	1985-86	37	
11	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	56.26	0.00	0.00	0.48	60.46	1984-85	38	
12	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0.00	0.00	55.41	79.41	1983-84	39	
13	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	12.26	43.18	0.00	0.00	0.00	55.44	1983-84	39	
14	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33	1979-80	43	
15	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	1977-78	45	
	कुल सी.	**57.37**	**740.69**	**0.00**	**2.70**	**256.37**	**1,057.13**			
	कुल योग (ए+बी+सी)	**7,295.86**	**1,860.16**	**26,398.72**	**2,334.70**	**13,693.41**	**51,582.85**			

** बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ने 2020–21 तक पृथक वित्तीय विवरण तैयार किया हैं।*

परिशिष्ट– 4.2

(संदर्भः कंडिका 4.15)

निकायों या प्राधिकरणों, जिन्होंने नि0म0ले0प0 को लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं सौंपी है

क्रम सं0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	जिला
1.	शिक्षा	सिमुलतल्ला शिक्षण संस्थान (सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय) (अक्टुबर–19)	जमुई
2.		बिहार शिक्षा परियोजना परिषद	पटना
3.		एल0एन0मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान	पटना
4.		ए0एन0सिन्हा समाजिक शिक्षण संस्थान	पटना
5.		बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (एस0एस0)	पटना
6.		बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	पटना
7.		टी0एम0 विश्वविद्यालय	भागलपुर
8.		वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय	भोजपुर
9.		एल0एन0 मिथिला विश्वविद्यालय	दरभंगा
10.		कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	दरभंगा
11.		मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	गया
12.		भूपेन्द्र नारायण मंडल, विश्वविद्यालय	मधेपुरा
13.		बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
14.		पटना विश्वविद्यालय	पटना
15.		आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय	पटना
16.		जय प्रकाश विश्वविद्यालय	सारण
17.		बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	पटना
18.		बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड	पटना
19.		बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षण बोर्ड	पटना
20.		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बिहार परिषद्	पटना
21.		पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय	पटना
22.		मुंगेर विश्वविद्यालय	मुंगेर
23.		मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय	पटना
24.		पूर्णिया विश्वविद्यालय	पूर्णिया
25.		नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	पटना
26.		जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना	पटना
27.		बिहार अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय	पटना
28.	स्वास्थ्य	आई0जी0आई0एम0एस0	पटना
29.		बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	पटना
30.		बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	पटना
31.		बिहार नर्स पंजीकरण परिषद, पटना	पटना
32.		बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड	पटना
33.	श्रम संसाधन	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	पटना
34.	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	पटना
35.		सैय्यद शहीद सफेदार पीर	पटना
36.		बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	पटना

क्रम सं0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	जिला
37.	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पटना
38.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	बिहार महादलित विकास मिशन	पटना
39.		राज्य महादलित आयोग	पटना
40.		राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पटना
41.		राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	पटना
42.	समाजिक कल्याण	महिला विकास निगम	पटना
43.		बिहार राज्य महिला आयोग	पटना
44.		बिहार राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड	पटना
45.		बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	पटना
46.	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बी0एस0डी0एम0ए0)	पटना
47.	उर्जा	बिहार नवीकरणीय उर्जा विकास अधिकरण (बी0आर0ई0डी0ए0)	पटना
48.	उद्योग	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी0आई0ए0डी0ए0)	पटना
49.		बुनियादी ढ़ाचा विकास प्राधिकरण (आई0डी0ए0)	पटना

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आकड़ा)

परिशिष्ट –5.1

(संदर्भः कंडिका 5.3)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

क्र0 सं0	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अभियुक्ति
	ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0	
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
2	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
3	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
4	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
5	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
6	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
7	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	कार्यशील
8	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	कार्यशील
9	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	कार्यशील
	कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0	
10	बिहार राज्य भण्डारण निगम	कार्यशील
11	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	कार्यशील
12	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कार्यशील
13	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील
14	बिहार राज्य एग्रो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
15	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
16	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना	अकार्यशील
17	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	अकार्यशील
18	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	अकार्यशील
19	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
20	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
21	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड* (क्र0सं0 16 की अनुषंगी)	अकार्यशील
22	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड* (क्र0सं0 16 की अनुषंगी)	अकार्यशील
23	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी मोहनियाँ लिमिटेड* (क्र0सं0 16 की अनुषंगी)	अकार्यशील
24	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्र0सं0 26 की अनुषंगी)	अकार्यशील
25	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	अकार्यशील
26	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
27	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (क्र0सं0 26 की अनुषंगी)	अकार्यशील
28	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
	अन्य क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0	
29	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	कार्यशील
30	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	कार्यशील
31	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील
32	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील
33	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील
34	बिहार राज्य वित्तीय निगम	कार्यशील
35	बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील
36	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील
37	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील
38	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील

क्र0 सं0	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अभियुक्ति
39	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील
40	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील
41	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
42	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील
43	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड	कार्यशील
44	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील
45	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेषन लिमिटेड	कार्यशील
46	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	कार्यशील
47	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	कार्यशील
48	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
49	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
50	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
51	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यशील
52	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	कार्यशील
53	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
54	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	अकार्यशील
55	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तषिल्प निगम लिमिटेड	अकार्यशील
56	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
57	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	अकार्यशील
58	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
59	मगध मिनरल लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
60	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (क्र0सं0 41 की अनुषंगी)	अकार्यशील
61	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (क्र0सं0 41 की अनुषंगी)	अकार्यशील
62	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड * (क्र0सं0 41 की अनुषंगी)	अकार्यशील
63	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील
64	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
65	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
66	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	अकार्यशील
67	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (क्र0सं0 56 की अनुषंगी)	अकार्यशील
68	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
69	विष्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
70	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र0सं0 63 की अनुषंगी)	अकार्यशील
71	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (क्र0सं0 56 की अनुषंगी)	अकार्यशील
72	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (क्र0सं0 58 की अनुषंगी)	अकार्यशील – परिसमापन के अधीन
73	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (क्र0सं0 74 की अनुषंगी)	अकार्यशील – परिसमापन के अधीन
74	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील – परिसमापन के अधीन
75	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	अकार्यशील – परिसमापन के अधीन
76	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	अकार्यशील – परिसमापन के अधीन

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 द्वारा दी गई सूचनाएँ)

परिशिष्ट– 5.2

(संदर्भः कंडिका 5.3)

31 जुलाई 2023 तक सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0	लेखाओं की अवधि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	निवल मूल्य[1]	नियोजित पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए.	**ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0**									
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	99.04	1,014.10	-25.35	-25.35	8.26	-129.27	884.83	-228.31
2	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[2]	2020-21	1,244.22	603.56	0.00	0.00	0.00	1,561.34	2,164.90	317.12
3	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	4,812.96	0.00	-2.79	-2.79	0.00	577.04	577.04	-4,235.92
4	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	8,295.66	3,014.13	314.35	89.53	1,158.31	9,366.36	12,380.49	1,070.70
5	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	12,806.00	3,275.89	-929.57	-929.57	9,497.17	6,133.39	9,409.28	-6,672.61
6	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	13,305.02	3,965.10	-1,287.60	-1,287.60	11,110.11	702.86	4,667.96	-12,602.16
7	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.04
8	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.04
9	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2022-23	668.26	1,962.28	-89.93	-88.18	174.62	959.19	2,921.47	290.93
	कुल (ए)		**41,231.18**	**13,835.06**	**-2,020.89**	**-2,243.96**	**21,948.47**	**19,170.85**	**33,005.91**	**-22,060.33**

[1] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियां तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से सृजित किए गए सभी संचय किंतु इसमें संपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

[2] एस0पी0एस0ई0, जिनका लाभ/हानि शून्य था।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0	लेखाओं की अवधि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	निवल मूल्य[1]	नियोजित पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बी	**कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0**									
10	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2018-19	6.42	164.02	22.45	11.54	283.59	53.46	217.48	47.04
11	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2013-14	5.39	2320.41	-348.83	-348.83	0.00	-456.48	1863.93	-461.87
12	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2012-13	3.71	72.65	7.74	7.74	57.31	-41.59	31.06	-45.30
13	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड[3]	2020-21	0.34	0.00	0.00	0.00	0.51	1.26	1.26	0.92
	कुल (बी)		**15.86**	**2557.08**	**-318.64**	**-329.55**	**341.41**	**-443.35**	**2113.73**	**-459.21**
सी	**अन्य एस0पी0एस0ई0**									
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2017-18	15.12	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-80.10	-80.10	-95.22
15	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2002-03	13.36	26.30	-0.12	-0.12	1.88	19.61	45.91	6.25
16	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2015-16	39.89	28.88	-3.04	-3.04	3.24	27.12	56.00	-12.77
17	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	1.00	0.50	-0.26	-0.26	0.00	-1.32	-0.82	-2.32
18	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2021-22	9.50	0.00	0.37	0.25	0.00	10.50	10.50	1.00
19	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2020-21	77.84	228.47	-13.00	-13.00	1.95	-428.44	-199.97	-506.28
20	बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	10.00	0.00	15.56	11.20	28.40	66.39	66.39	56.39
21	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2021-22	3.50	0.00	24.23	16.01	76.08	295.28	295.28	291.78
22	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2021-22	5.00	0.00	31.79	22.29	47.21	97.89	97.89	92.89
23	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	20.00	0.00	38.21	31.53	64.09	358.08	358.08	338.08
24	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	69.84	0.00	18.37	15.19	771.18	74.48	74.48	4.64
25	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	20.00	0.00	17.85	17.85	22.29	236.20	236.20	216.20
26	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	25.00	0.00	33.46	23.57	424.73	129.88	129.88	104.88

[3] हानियाँ/शुद्ध व्ययों को इसकी सहायक कम्पनियों को आवंटित किया गया था तथा लाभार्थियों के मध्य लाभ वितरित किया गया था।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0	लेखाओं की अवधि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	ब्याज एवं कर के पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	निवल मूल्य[1]	नियोजित पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20	5.00	0.00	-1.48	-1.48	0.00	89.24	89.24	84.24
28	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड	2018-19	20.00	0.00	-1.93	-1.93	6.14	20.72	20.72	0.72
29	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	5.00	0.00	7.03	5.93	10.90	29.35	29.35	24.35
30	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	6.67	0.00	3.18	2.30	29.01	19.03	19.03	12.36
31	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2021-22	725.00	808.08	-0.70	-1.36	0.00	726.60	1534.68	1.60
32	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2013-14	0.48	0.00	62.68	62.68	272.40	333.64	333.64	333.16
33	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
34	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.10	0.00	0.00	0.00	2.72	0.10	0.10	0.00
35	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.10	0.00	0.04	0.03	0.00	0.13	0.13	0.03
36	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.10	0.00	0.01	0.01	0.00	-0.06	-0.06	-0.16
37	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	101.28	0.00	-144.10	-144.10	64.47	-2,073.16	-2,073.16	-2,174.44
	कुल (सी)		**1,173.88**	**1,092.23**	**88.02**	**43.42**	**1,826.69**	**-48.74**	**1,043.49**	**-1,222.62**
	कुल योग (ए+बी+सी)		**42,420.92**	**17,484.37**	**-2,251.51**	**-2,530.09**	**24,116.57**	**18,678.76**	**36,163.13**	**-23,742.16**

परिशिष्ट– 5.3

(संदर्भः कंडिका 5.7.3)

2011–12 से 2022–23 की अवधि के दौरान, एस0पी0एस0ई0 में निवेशित निधियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय वर्ष	2011-12 तक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	कुल योग
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	अंश पूँजी	68.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.34**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[4]	अंश पूँजी	-	8,923.96	-	1,475.00	5,456.92	5,272.04	8,970.62	5,035.36	3,079.20	1,125.96	1,447.33	11.60	**40,797.99**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	अंश पूँजी	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.21**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	77.00	-	87.04	-	13.96	-	-	-	-	**178.00**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	5.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.39**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
5	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	2.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.27**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
6	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	-	-	-	-	0.05	0.29	-	-	-	-	-	-	**0.34**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

[4] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड में दिये गये आँकड़ो में इसकी चार सहायक एस0पी0एस0ई0 अर्थात बिहार पावर ट्रासमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम एस0पी0एस0ई0 अर्थात बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, जो अपनी होल्डिंग कम्पनी के माध्यम से अंश पूँजी प्राप्त करती है, की अंश पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश शामिल है।

		वित्तीय वर्ष	2011-12 तक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	कुल योग
7	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	15.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.12**
		ब्याज मुक्त ऋण	21.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.25**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	अंश पूँजी	13.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.36**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
9	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	32.79	1.00	0.10	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	**39.89**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
11	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	9.50	-	-	-	-	**9.50**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	5.00	7.65	8.33	7.00	-	**27.98**
12	बिहार राज्य वित्तीय निगम	अंश पूँजी	39.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.95**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13	बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	0.10	-	-	-	-	-	-	9.90	-	-	-	-	**10.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.43**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
14	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.50**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
15	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	0.06	4.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

		वित्तीय वर्ष	2011-12 तक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	कुल योग
16	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	अंश पूँजी	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
17	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	5.00	-	-	-	-	-	-	64.84	-	-	-	-	**69.84**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
18	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
19	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	अंश पूँजी	0.15	-	-	-	-	-	24.85	-	-	-	-	-	**25.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.00**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	अंश पूँजी	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
21	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	**20.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
22	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.00**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
23	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	अंश पूँजी	0.05	-	-	-	6.62	-	-	-	-	-	-	-	**6.67**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
24	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	अंश पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	60.05	152.95	249.50	-	**462.50**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808.08	-	**808.08**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

		वित्तीय वर्ष	2011-12 तक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	कुल योग
25	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	अंश पूँजी	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.36**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
26	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	अंश पूँजी	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	**0.05**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
27	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	अंश पूँजी	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	**0.05**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	**2.50**
28	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	अंश पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	**0.05**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
29	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	अंश पूँजी	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	**0.05**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
30	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	अंश पूँजी	74.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**74.76**
		ब्याज मुक्त ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
		अनुदान/सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	कुल	अंश पूँजी	**315.41**	**8,929.90**	**0.10**	**1,475.00**	**5,469.59**	**5,272.38**	**9,015.57**	**5,119.65**	**3,139.25**	**1,278.91**	**1,696.83**	**11.60**	**41,724.19**
	ब्याज मुक्त ऋण		**27.68**	**-**	**-**	**77.00**	**-**	**87.04**	**-**	**13.96**	**-**	**-**	**808.08**	**-**	**1,013.76**
	अनुदान/सब्सिडी		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.50**	**5.00**	**7.65**	**8.33**	**7.00**	**-**	**30.48**
कुल योग			**343.09**	**8,929.90**	**0.10**	**1,552.00**	**5,469.59**	**5,359.42**	**9,018.07**	**5,138.61**	**3,146.90**	**1,287.24**	**2,511.91**	**11.60**	**42,768.43**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम वित्तीय विवरण)

परिशिष्ट– 5.4

(संदर्भः कंडिका 5.8.2)

31 जुलाई 2023 तक संचित हानियों वाले एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 के नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	संचित हानियाँ	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सरकारी कम्पनियाँ									
ए.	**ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0**								
1	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2022-23	-25.35	99.04	1,014.10	228.31	884.83	-129.27
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2022-23	-2.79	4,812.96	0.00	4,235.92	577.04	577.04
3	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	-929.57	12,806.00	3,275.89	6,672.61	9,409.28	6,133.39
4	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	-1,287.60	13,305.02	3,965.10	12,602.16	4,667.96	702.86
5	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.00	0.01	0.00	0.04	-0.03	-0.03
6	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.00	0.01	0.00	0.04	-0.03	-0.03
	कुल (ए)			**-2,245.31**	**31,023.04**	**8,255.09**	**23,739.08**	**15,539.05**	**7,283.96**
बी.	**कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0**								
7	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2013-14	2022-23	-348.83	5.39	2,320.41	461.87	1,863.93	-456.48
8	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2012-13	2022-23	7.74	3.71	72.65	45.30	31.06	-41.59
	कुल (बी)			**-341.09**	**9.1**	**2393.06**	**507.17**	**1,894.99**	**-498.07**

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 के नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	संचित हानियाँ	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सी.	**अन्य एस0पी0एस0ई0**								
9	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2017-18	2023-24	-0.13	15.12	0.00	95.22	-80.10	-80.10
10	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2015-16	2022-23	-3.04	39.89	28.88	12.77	56.00	27.12
11	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	2022-23	-0.26	1.00	0.50	2.32	-0.82	-1.32
12	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.01	0.10	0.00	0.16	-0.06	-0.06
	कुल (सी)			**-3.42**	**56.11**	**29.38**	**110.47**	**-24.98**	**-54.36**
	कुल (सरकारी कम्पनियाँ)			**-2,589.82**	**31,088.25**	**10,677.53**	**24,356.72**	**17,409.06**	**6,731.53**
सांविधिक निगमें									
डी.	**अन्य एस0पी0एस0ई0**								
13	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2020-21	2022-23	-13.00	77.84	228.47	506.28	-199.97	-428.44
14	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	2022-23	-144.10	101.28	0.00	2,174.44	-2,073.16	-2,073.16
	कुल (सांविधिक निगमें)			**-157.1**	**179.12**	**228.47**	**2,680.72**	**-2,273.13**	**-2,501.6o**
	कुल योग (ए+बी+सी+डी)			**-2,746.92**	**31,267.37**	**10,906.00**	**27,037.44**	**15,135.93**	**4,229.93**

संचित हानियों वाले किसी भी एस0पी0एस0ई0 के पास मुक्त संचय नहीं थें

परिशिष्ट– 5.5

(संदर्भः कंडिका 5.11.2)

31 जुलाई 2023 तक, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, बकाया लेखाओं से संबंधित सूचना

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखाओं की संख्या
ए.	**कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**		
1	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1
2	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19 से 2021-22	4
3	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20 से 2021-22	3
4	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2013-14 से 2021-22	9
5	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2003-04 से 2021-22	19
6	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेषन लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
7	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2018-19 से 2021-22	4
8	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	1
9	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20 से 2021-22	3
10	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
11	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	2014-15 से 2021-22	8
12	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17 से 2021-22	6
13	बिहार राज्य माइनिंग निगम लिमिटेड	2019-20 से 2021-22	3
14	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2016-17 से 2021-22	6
15	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[5]	2018.19 से 2021.22	4
16	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड[6]	2020-21 से 2021-22	2
17	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2021-22	1
18	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2014-15 से 2021-22	8
19	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17 से 2021-22	6
20	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20 से 2021-22	3
21	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
22	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
	कुल (ए)		**99**
बी.	**सरकार नियंत्रित अन्य कार्यशील कम्पनियाँ**		
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1
2	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2021-22	2
3	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1
4	पटना स्मार्ट सिटी	2019-20 से 2021-22	3
	कुल (बी)		**7**

[5] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2018–19 से वर्श 2021–22 तक अपना समेकित वार्षिक वित्तीय लेखाओं का निर्माण नहीं किया है तथा कम्पनी ने वर्ष 2020–21 तक केवल पृथ्क वार्षिक वित्तीय लेखा का निर्माण किया है।

[6] बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का अपना समेकित वार्षिक वित्तीय लेखाओं का निर्माण नहीं किया है। कम्पनी ने वर्ष 2020–21 तक केवल पृथ्क वार्षिक वित्तीय लेखा का निर्माण किया है।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखाओं की संख्या
सी.	**कार्यशील सांविधिक निगमें**		
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2021-22	1
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20 से 2021-22	3
3	बिहार राज्य भंडारण निगम	2019-20 से 2021-22	3
	कुल (सी)		**7**
डी.	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**		
1	बेल्ट्रॉन इन्फॉरमेटिक्स लिमिटेड	01.03.1988* से 2021-22	34
2	बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2021-22	31
3	बेल्ट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2021-22	32
4	बिहार ड्रग्स एवं रसायन लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
5	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2021-22	7
6	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2021-22	39
7	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2021-22	35
8	बिहार मेज प्रोडक्ट लिमिटेड	1984-85 से 2021-22	38
9	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2021-22	37
10	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
11	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2021-22	29
12	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78* से 2021-22	45
13	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2021-22	19
14	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1998-99 से 2021-22	24
15	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2003-04 से 2021-22	19
16	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
17	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2021-22	38
18	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2021-22	11
19	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2002-03 से 2021-22	20
20	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
21	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2021-22	35
22	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2021-22	37
23	बिहार राज्य टैनिन एक्सट्रेक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2021-22	33
24	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2021-22	34
25	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2021-22	43
26	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
27	मगध मिनरल्स लिमिटेड	1984-85* से 2021-22	38
28	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2015-16 से 2021-22	7
29	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड	1993-94* से 2021-22	29
30	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड	1993-94* से 2021-22	29
31	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी मोहनियाँ लिमिटेड	1993-94* से 2021-22	29
32	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2021-22	38
33	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2021-22	37
	कुल (डी)		**1,027**

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखाओं की संख्या
ई.	**परिसमापन के अधीन सरकारी कम्पनियाँ**		
1	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1992-93 से	--
2	बिहार राज्य फिनिश्ड लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड	1984-85 से	--
3	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1983-84 से	--
4	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1991-92 से	--
5	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	1995-96 से	--
	कुल (ई)		**--**
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)		**1,140**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर)

**स्थापना के बाद से कम्पनी ने अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं*

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्र.सं.	संकेताक्षर	पूर्ण रूप
1	ए एंड ई	लेखा एवं हकदारी
2	वि0ले0	विनियोग लेखे
3	ए0सी0	सार आकस्मिक
4	ए0ई0	समग्र व्यय
5	ए0जी0	महालेखाकार
6	ए0जी0एम0	वार्षिक आम बैठक
7	ए0एस0	लेखा मानक
8	बी0बी0एम0	बिहार बजट संहिता
9	ब0अ0	बजट अनुमान
10	बी0एफ0आर0	बिहार वित्तीय नियम
11	बी0एफ0आर0बी0एम0	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
12	बी0ओ0सी0डब्ल्यू0	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार
13	बी0टी0सी0	बिहार ट्रेजरी कोड
14	नि0म0ले0प0	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
15	सी0ए0जी0आर0	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
16	सी0ई0	पूँजीगत व्यय
17	सी0एफ0एम0एस0	व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
18	सी0एस0आर0	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
19	डी0सी0	विस्तृत आकस्मिक
20	डी0डी0ओ0	आहरण और संवितरण अधिकारी
21	डी0ई0	विकास व्यय
22	डिस्कॉम	वितरण कंपनियाँ
23	ई0बी0आई0टी0	ब्याज और करों से पहले की कमाई
24	ई0डी0सी0	निर्माण के दौरान व्यय
25	ई0एस0	आर्थिक सेवाएं
26	एफ0सी0	वित्त आयोग
27	जी0डी0पी0	सकल घरेलू उत्पाद
28	जी0आई0ए0	सहायता अनुदान
29	जी0एस0	सामान्य सेवाएँ
30	जी0एस0डी0पी0	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
31	जी0एस0टी0	वस्तु एवं सेवा कर
32	जी0भी0ए0	सकल मूल्य वर्धन
33	आई0सी0ए0आई0	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

क्र.सं.	संकेताक्षर	पूर्ण रूप
34	आई0सी0आर0	ब्याज़ व्याप्ति अनुपात
35	आई0जी0ए0एस0	भारत सरकार लेखा मानक
36	इंड–ए0एस0	भारतीय लेखा मानक
37	एम0सी0ए0	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
38	एन0पी0आर0ई0	गैर–योजना राजस्व व्यय
39	एन0पी0एस0	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
40	एन0एस0डी0एल0	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
41	एन0एस0एस0एफ0	राष्ट्रीय लघु बचत कोष
42	एन0टी0आर0	गैर–कर राजस्व
43	पी0ए0सी0	लोक लेखा समिति
44	पी0डी0	व्यक्तिगत जमा
45	पी0एफ0	भविष्य निधि
46	लो0स्वा0अभि0	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
47	आर0बी0आई0	भारतीय रिजर्व बैंक
48	ग्रा0वि0वि0	ग्रामीण विकास विभाग
49	पुन0अ0	पुनरीक्षित अनुमान
50	आर0ओ0सी0	कंपनी रजिस्ट्रार
51	आर0ओ0सी0ई0	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल
52	आर0ओ0ई0	अंश पूँजी पर प्रतिफल
53	आर0ओ0आई0	निवेश पर प्रतिफल
54	आर0ओ0आर0आर0	वास्तविक प्रतिफल की दर
55	आर0आर0	राजस्व प्राप्तियाँ
56	एस0डी0आर0एफ0	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि
57	एस0एल0आर0	सांविधिक तरलता अनुपात
58	अनु0प्रा0	अनुपूरक प्रावधान
59	एस0पी0एस0ई0	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
60	स0क0वि0	समाज कल्याण विभाग
61	यू0सी0	उपयोगिता प्रमाणपत्र
62	वी0एल0सी0	वाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकरण

© COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL OF INDIA
www.cag.gov.in

Scan
QR code
to
download
Report

https://cag.gov.in/ag/bihar/en